

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY
KOTA (Raj.)**

Students can retain library books only for two weeks at the most.

BORROWER'S No.	DUE DATE	SIGNATURE

भारतीय-बैंकिंग

[भारतवर्षीय हिन्दी अर्थशास्त्र परिपद द्वारा सम्पादित

CHECKED 2 MAY 1959
द्वारकालाल गुप्त,
मैनेजर

कोटा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड,
रामगंज मंडी
(कोटा-राजपूताना)

भूमिका लेखक

श्री० पं० दयाशंकर जी दुबे, एम० ए०, एल-एल० च००,
अर्थशास्त्र-अध्यापक, प्रयाग विश्वविद्यालय

प्रकाशक

राय साहब रामदयाल अगरवाला

२१६ कटरा, इलाहाबाद

प्रथमावृति

संस्कृत १॥] जून सन् १९३४ ई० [साढ़ी १॥

PRINTED BY K. B AGARWALA AT THE SHANTI PRESS.
NO. 12, BANK ROAD, ALLAHABAD

समर्पण

श्रीमान् वाबू घनश्याम दासजी साहिव गुस थी० ए०

चेयरमैन

दी कोटा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोटा,

एवं रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव-सोसाइटीज़

आँर ज्वाइंट-स्टाक-कम्पनीज़

कोटा राज्य

के

कर कमलों में

लेखक

की

ओर से

सादर समर्पित

दो शब्द

भारतवर्ष में नियमानुसार वैकिंग-धन्धा वैदिक काल से चला आ रहा है। यहाँ हुँडियों का प्रचलन भी अतीत काल से है। मुद्रा-विनिमय के धन्धे में भी यहाँ के सर्वांक लोग बड़े प्रवीण भाने शये हैं, लेकिन ये सब बातें पुरानी हैं। आज का भारत अपने वैकिंग-व्यवसाय में दूसरे देशों से बहुत पिछड़ा हुआ है।

भुगत साप्ताह्य तक तो भारत का वैकिंग व्यवसाय पूर्ण रूप से भारतीयों के हाथ में और उत्तम अवस्था में था। इसके बाद जब से यहाँ अंगरेज बणिकों का प्रवेश हुआ तबसे भारत की ध्यापारिक प्रणाली में फेरफार शुरू हुआ और अग्रेजों ने अपने सुभीते के लिये जोइन्ट स्टॉक प्रणाली पर वैके स्थापित करने शुरू किये। इस प्रकार का सबसे पहला वैक मेससे एलेग्जेंडर पराड क० ने सन् १७७० ई० में वैक ऑव्ह द्विनुस्तान स्थापित किया था। इसके बाद कई अग्रेजी वैक भारत में खुले, किन्तु कई कारणों से उनको सफलता नहीं मिली, तब यहाँ अच्छे सुसगाठित विदेशी-विनिमय वैकों की शाखायें खुलना आरम्भ हुआ। आज इन विदेशी विनिमय-वैकों का न केवल भारत के समस्त विदेशी व्यवसाय पर ही कब्जा है, वल्कि देश के भीतरी व्यवसाय पर भी इनका शनैः शनैः 'अधिकार घढता जा रहा है' और ये भारतीय वैकों की उत्तर्ति के भार्ग में बाधक बन रहे हैं।

सन् १७७० से १८७० तक खुलने वाले अग्रेजी बैंकों में से तीन बैंक, बैंक आॅव बैंगाल, बैंक आॅव बम्बई और बैंक आॅव मद्रास, सरकारी बैंकिंग धनधा भी करते थे। इनको नोट जारी करने का अधिकार था जो सन् १८६२ में वापस हो लिया गया। इस १०० वर्ष क समय में वहु संख्यक बैंक फेल हुए, उनमें बैंक आॅव बम्बई भी शामिल था। इस बैंक की भारत सरकार भी हिस्सेदार थी इसलिये उसको भी हानि उठानी पड़ी। इसका परिणाम यह हुआ कि भारत सरकार ने बैंकों के फेल होने के कारणों का अनुसन्धान करने के लिये सन् १८६९ ई० में एक कमीशन नियुक्त विद्या और उसकी सिफारिश के अनुसार सन् १८७६ ई० में प्रेसी-डेन्सी-बैंक एक्ट पास हुआ, तदनुसार उक्त बैंगाल, बम्बई और मद्रास बैंक प्रेसीडेन्सी बैंक कहलाये।

लडाई के जमाने में सरकार को तीनों प्रेसीडेन्सी बैंकों के बजाय एक बैंक कायम करने को आवश्यकता अनुभव हुई और लडाई समाप्त होते ही सरकार ने तीनों बैंकों को मिलाकर सन् १८२१ में एक इम्पीरियल बैंक स्थापित कर दिया। इस बैंक क हिस्सेदारों में अधिक संख्या विदेशियों की है। इसके प्रबन्ध में भी विशेष हाथ अंग्रेजों का है। इसलिये यह विदेशियों की अधिक सहायता करता है।

भारत में अग्रेजों द्वारा जौइन्ट स्टॉक प्रणाली पर बैंक स्थापित होने के पूरे ११० वर्ष बाद भारतवासियों का इस प्रणाली की उपयोगिता की ओर ध्यान आकर्षित हुआ और सबसे पहला

भारतीय जोइन्टस्टॉक-वैंक के सन् १९३८ ई० में अवध कमरिंगल वैंक स्थापित किया गया । इसके बाद प्रतिवर्ष सैंकड़ों नये भारतीय जोइन्टस्टॉक-वैंक खुलते गये और उनमें से अनेक काल कवलित होते गये । ५० वर्ष बीत जाने पर भी भारतीय वैंकों के फेल होने का ताता कम नहीं हुआ और अब तक १०—१५ वैंक प्रतिवर्ष फेल होते रहते हैं । इससे प्रगट होता है कि भारतीय जोइन्ट-स्टॉक-वैंकों का संगठन और प्रबन्ध त्रुटि पूर्ण है और उसमें लुधार होने की गहरी आवश्यकता है ।

जोइन्ट-स्टॉक-वैंकों के अतिरिक्त भारत सरकार ने कृषि को आर्थिक सहायता पहुँचाने के लिये सन् १९०४ में सहकारी समिनियाँ की स्थापना के लिये कानून पास किया, जिससे बहुसंख्यक ग्रामीण-सहकारी-समितियाँ खुलीं । इसके बाद सन् १९१२ में उक्त सहकारी कानून में भारी परिवर्तन किया गया जिसके फलस्वरूप यहाँ प्रत्येक ज़िले में सेन्ट्रल-कोऑपरेटिव-वैंकों को स्थापना हुई और तदुपश्चात् प्रान्तीय कोऑपरेटिव वैंक खुले ।

उक्त वर्णित वैंकिंग संस्थाओं के अतिरिक्त पोस्टऑफिस सेविंग बैंक और जीवन-वीमा कम्पनियाँ भी वैंकिंग संस्थाओं के अन्तर्गत आती हैं, क्योंकि इनमें सर्व साधारण की बचत अधिक संख्या में जमा होती है । अस्तु भारत में निम्न लिखित ६ प्रकार की वैंकिंग संस्थाएँ हैं :—

नाम			कुल दस्तूर
(१) विदेशी विनियमय बैंक	८८
(२) इम्पीरियल बैंक	२६८
(३) जोइन्ट स्टॉक बैंक	६५०
(४) कोश्रांपरेटिव बैंक :—			
(अ) ग्रामीण समितियाँ	१ लाख
(ब) सेण्ट्रल बैंक*	६००
(स) प्रान्तीय बैंक*	८
(५) पोस्ट आफिस सेंटर बैंक	१२३३६
(६) बीमा कम्पनिया :—			
(अ) देशी	१३०
(ब) विदेशी	१४७

भारत जैसे विशाल देश के लिये, जिसके सात लाख ग्रामों में सकार की पंचमांश जन संख्या निवास करती है, उक्त बैंकिंग संस्थायें बहुत कम संख्या में हैं। दूसरे देशों में, जो द्वेषफल और जन संख्या में भारत से बहुत छोटे हैं, यहाँ से कई गुने अधिक बैंक हैं। इतना ही नहीं विदेशों के अब्द्यु बड़े एक बैंक की पूँजी और जमा शुदा अमानतों से यहाँ के सब जोइन्टस्टॉक बैंक मिल कर भी मुकाबला नहीं कर सकते।

* इनकी शाखायें अलग हैं—

भारतीय वैकिङ्ग का इतिहास पढ़ने के बाद प्रत्येक पाठक के हृदय में निम्नलिखित प्रश्नों का उत्पन्न होना स्वाभाविक है—

(१) उक्त चरित मिथ्या भिन्न धरेणी के बैड़ क्या-न्या काम करते हैं ?

(२) वर्तमान बैंक भारत के देशी और विदेशी व्यापार, कृषि तथा अन्य उद्योग-धन्धों की आवश्यकता को पूर्ति करने के लिये पर्याप्त हैं या नहीं ?

(३) भारतीय बैंक प्रतिवर्ष क्यों फेज द्वारा होते हैं ?

(४) भारतीय-बैंकों की उन्नति के मार्ग में क्या-न्या बाधाएँ हैं ?

(५) भारतीय बैंकों के संगठन और प्रबन्ध में क्या-न्या बुटियाँ हैं ?

(६) वे कौन-कौन से उपाय हैं, जिनको पूरा करने से, भारतीय बैंक बुटियाँ और बाधाओं से मुक्त होकर, भारत के देशी-विदेशी व्यापार, कृषि तथा अन्य उद्योग-धन्धों को यथोचित सहायता देने, वस्तुओं का मूल्य बढ़ाने और सर्व साधारण की आर्थिक दशा सुधारने में, पूर्ण-रूप से समर्थ हो सकें ?

प्रस्तुत पुस्तक में, भारतीय बैंकिङ्ग के प्राचीन और अर्वाचीन इतिहास के समुचित वर्णन के साथ-साथ उक्त प्रश्नों का

यथोचित उत्तर देने का भरसक प्रयत्न किया गया है। आशा है पाठक गण इसके अध्ययन से सतुष्ट होंगे ।

श्री जगदोश्वर की असीम कृपा का फ़न है कि मैं इस पुस्तक को हिन्दी भाषा भाषियों के सामने उपस्थित कर रहा हूँ। इसका श्रेय हिन्दी के परमभक्त श्री प० दयाशङ्कर जी द्वये पम० प० एल एल० वो० अर्थशास्त्र अध्यापक, प्रयाग विश्वविद्यालय को है, जिनके द्वार बार प्रेरणा करने और सहायता प्रदान करने से मैं इस पुस्तक को लिखने में समर्थ हुआ हूँ ।

मैंने यह साहस देवता हिन्दी में इस विषय की पुस्तकों का सर्वथा अभाव देखकर किया है, और वह भी इसलिये कि हिन्दी के विद्वान लेखकों का इस ओर ध्यान आकर्षित हो और इस महस्त्य-पूर्ण और सर्व साधारण के जानने योग्य अत्यन्त आवश्यक विषय पर सुन्दर-सुन्दर उपयोगी छुस्तके लिखी जायें ।

मेरा यह प्रथम प्रयास है इसलिये इस पुस्तक में अनेक प्रकार की त्रुटियाँ रहना स्थाभाविक है, आशा है उनके लिये पाठक गण मुझे क्षमा करेंगे। जो विद्वान पाठक इसकी त्रुटियों से मुझे सूचित करने की कृपा करेंगे उनका मैं बहुत ही अनुगृहीत होऊँगा ।

मैंने इस पुस्तक के लिखने में जिन जिन पुस्तकों, सरकारी रिपोर्टों और पत्रों की सहायता ली है उनकी सूची अन्त में दी गई है। अस्तु मैं उन सब के लेखकों, सम्पादकों और प्रकाशकों का बहुत ही उपकृत हूँ, लेकिन श्री० बी० टी० ठाकुर, श्री० पम०

पल० टेनन, श्री० लक्ष्मी चन्द्र जैन, सर्व भारतीय और प्रान्तीय वैकिङ्ग हंडबार्स कमेटियों के सदस्यों और इण्डियन फाइनेंस तथा इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ् वैक्सर्स के जरनल के मम्पादकों और लेखकों का मैं विशेष रूप से अनुगृहीत हूँ, क्योंकि मैंने सबसे अधिक सहायता इन महानुभावों की पुस्तकों, रिपोर्टों और पत्र-पत्रिकाओं के लेखों से ली है। ये समस्त पुस्तकें मुझे सहकारी विभाग, कोटा से प्राप्त हुई हैं इसलिये मैं इन विभाग के माननीय अधिकारियों का भी बहुत कृतज्ञ हूँ।

इनके श्रतिरिक्त मैं भारतीय लेजिस्लेटिव एसेम्बली के माननीय प्रेसीडेण्ट, भावनगर राज्य के श्री दीवान साहब और कनाडा के जनाब डिप्टी फाइनेंस मिनिस्टर साहब का भी बड़ा आभारी हूँ। इन महानुभावों ने मुझे, साधारण सी प्रार्थना पर सरकारी विल और रिपोर्ट प्रदान करने की अपरमित कृपा की है। जिससे मैं इस पुस्तक को अधिक उपयोगी बना सका हूँ।

श्री राय साहब लाला रामदयाल जी अगरवाला ने इस पुस्तक का प्रकाशन भार स्वीकार करके मेरे बोझ को हलका किया है इसलिये मैं आपका भी बहुत ही अनुगृहीत हूँ।

अंत मैं, मैं अपने उन तमाम मित्रों को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मुझे इस पुस्तक के लिखने और प्रूफ देखने आदि मैं बहुत सहायता दी है।

यदि मेरे इस ब्लोडे से और नवीन प्रथल को हिन्दी भाषा-
भाषियों ने अपनाने की कृपा की तो मैं शीघ्र ही इस प्रकार को
दूसरी भैट लेकर उपस्थित होऊँगा ।

रामगञ्ज मंडी (कोटा राज्य)
ता० २४ जून सन् १९३४ ई०

विनीत,
द्वारका लाल गुप्त



भूमिका

हिन्दी में अर्थशाखा सम्बन्धी पुस्तकों की बहुत कमी है। इस विषय के कुछ अंग तो, ऐसे हैं जिन पर एक भी उत्तम पुस्तक अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है।

वर्तमान काल, में वैक आर्थिक उन्नति का, प्रधान साधन है। इसलिये वैक सम्बन्धी, कार्यों का विवेचन अर्थशाखा का, प्रधान अंग माना जाता है। यद्यपि भारतीय वैकों के सम्बन्ध में संक्षिप्त रूप से विवेचन हिन्दी की अर्थशाखा सम्बन्धी कुछ पुस्तकों में थोड़ा-बहुत दिया हुआ है, इस विषय पर हिन्दी में कोई स्वतन्त्र पुस्तक मेरे देखने में अभी तक नहीं आई। अंग्रेजी में इस विषय पर सैकड़ों उत्तम पुस्तकें हैं और भारतीय वैकों के सम्बन्ध में भी पुस्तकें अब निकलते लगे हैं। हिन्दी में इस विषय की उत्तम पुस्तक का अभाव खटकता था। हर्ष की बात है कि हिन्दी के होनहार लेखक श्रीमान् द्वारकालाल जी गुप्त ने इसी कमी को पूरा करने का प्रयत्न किया है।

मैंने इस पुस्तक की पांडुलिपि आदि से अन्त तक पढ़ी और मुझे वह बहुत पसंद आई। पुस्तक बड़े परिश्रम से लिखी गई है और उसमें भारतीय वैक सम्बन्धी प्रायः सब आवश्यक बातों का समावेश कर दिया गया है। पुस्तक पढ़ने से मालूम

होता है कि श्रीमान् गुप्त जो को वैक सम्बन्धी व्यावहारिक ज्ञान भी प्राप्त है और उन्होंने अङ्गरेजी के वैक सम्बन्धी पुराने और नवीन साहित्य का विद्वतापूर्वक उपयोग करने का पूर्ण प्रयत्न किया है ।

हिंदी विश्वविद्यालय की परीक्षा के लिये यह ग्रथ विशेषरूप से उपयोगी होगा । अङ्गरेजी विश्वविद्यालयों के बी० ए० और पम० ए० के विद्यार्थियों को इससे बहुत लाभ होगा । आशा है, हिंदो सप्ताह इस उत्तम पुस्तक का उचित आदार कर लेखक को अर्थशास्त्र सम्बन्धी अन्य उत्तम पुस्तक लिखने के लिये उत्साहित करेगा ।

द्याशङ्कर दुवे

दारागंज, प्रयाग	}	अर्थशास्त्र अभ्यापक, प्रयाग विश्वविद्यालय,
यिज्या दशमी, १९३८		
६ अक्टूबर, १९३२		भारतवर्षीय हिंदी अर्थशास्त्र परिपद

सहायक पुस्तकों और पत्रों की सूचि

पुस्तकों

- (१) Organization of Indian Banking by
B T Thakur
- (२) Indigenous Banking in India by L C Jain
- (३) Banking Law and Practice in India by
M L Tannan
- (४) Regulation of Banks in India by M L
Tannan
- (५) Bank organisation Management and accounts
by J F Davis
- (६) Banking and currency by Sykes
- (७) Theory and practice of Banking by macleod
- (८) Rupee Problem by Dr. Ambedkar
- (९) Foreign Exchange in India by N S Aiyar
- (१०) Banking by Dr Walter leaf
- (११) Sixty years of Indian Finance by K T Shah
- (१२) Indian economics by Jathar and Beri
- (१३) Law and Practice of Banking by Davar
- (१४) Co operative movement in India by Eleanor
M Hough

(१५) Co-operation in India and abroad by S S Talmaki.

(१६) Co-operation in India Edited by H L Kaji

(१७) ऋग्वेद } ये पुस्तके मेरे पास से

(१८) मनुस्मृति } काम। जिवटते ही चली गईं।

(१९) याज्ञवल्क्यस्मृति } इसलिये इनके भाष्यकारों

(२०) महाभारत समाप्ति } और टीकाकारों के नाम। देखे

(२१) कौदिल्य अर्थशास्त्र } में असमर्थ हूँ। लेह—

(२२) अष्टादश स्मृति ।

(२३) विदेशी-विनियम—लेखक श्री प० दयाशंकर जी दुबे ।

सरकारी रिपोर्टें

(२४) Royal Commission on Agriculture in India
1926

(२५) Central Banking Enquiry Committee (1931)
Para I and II (Minority report by Manu Subedar).

(२६) Reports of Provincial Banking Enquiry committees.

(२७) Indian Insurance year book 1931.

(२८) Statistical tables relating to Banks in India
1928—30.

- (२६) Report of the Khedut Debt Inquiry Committee, Bhavnagar State 1931,
- (३०) Reserve Bank of India Bill 1933

पत्र पत्रिकाएँ

- (३१) Indian Finance Calcutta
- (३२) The Journal of the Indian Institute of Bankers, Bombay.
- (३३) Times of India, Bombay
- (३४) Bombay Chronicle Bombay
- (३५) Hindustan Times, Delhi
- (३६) 'स्वाधी' काशी के पुराने अङ्क ।



विपय-सूची

विपय

पृष्ठ

प्रथम अध्याय

विपय-प्रवेश ... १—८

वैकिंग प्रथा का श्रीगणेश—‘बैंड’ शब्द की उत्पत्ति, बैंडर
की व्याख्या, भारतीय बैंडर की व्याख्या ।

दूसरा अध्याय

ग्राचीन भारत में वैकिंग-प्रथा ... ९—१५

वैदिक-काल—सूत्र-वाज, सृष्टि-काल, महाभारत-काल,
मुगल साम्राज्य-काल ।

तीसरा अध्याय

भारत में आधुनिक वैकिंग ... १६—६७

आरम्भ और विकास

जोइन्ट-स्टॉक-बैंड—असीमित ज़िम्मेदारी पर, सीमित
ज़िम्मेदारी पर, अंगरेजी प्रयत्न, भारतीय प्रयत्न ।

विदेशी-विनियोग-बैंड—

इम्पीरियल-बैंक—हेड अफिस और शाखाएँ, संगठन,
सरकारी इस्तेषेप, काम-पहला भाग (वे धन्धे जो बैंड
कर सकता है), दूसरा भाग (वे धन्धे जिनके
का अधिकार बैंड को नहीं है) ।

विषय

पृष्ठ

कोओपरेटिव-बैंक—भारतीय समितियाँ, सेन्ट्रल-बैंक,
प्रांतीय-बैंक ।

भूमि-बन्धक-बैंक, पोस्टऑफिस सेविंग्ज-बैंक, बीमा
कम्पनियाँ, डियरिंग हाउसः—मेम्बर बैंक, लेन-देन
का तरीका ।

चौथा अध्याय

प्रचलित साख-पत्र ...

६८—६०

हुण्डी—व्याख्या, उद्देश्य, श्रेणिया, धनी-जोग, शाह-जोग
फरमाम-जोग, देरवाढ़नार-जोग, मुहूर्ती, जोखमी हुण्डी,
रिआवती दिन, लिया-बेची, भाव में कमी बेशी के
कारण, लिखना, बेचाण करना, लेणी भेजी, बटावणी
भेजी, हुण्डी बेची, विशेष बेचाण, सिरा या थंडास,
निशाणी, उपस्थित करना, प्रतिलिपियाँ, व्याज कमाना ।
पुर्जा, प्रोमेसरी नोट, चेक—व्याख्या, श्रेणियाँ:—बैयरर,
आँदर ।

बैंक-ड्राफ्ट—बिल ऑफ एक्सचेंज ।

ऐन्डोर्समेन्ट अथवा बेचाण—पुर्जा पर, अंगरेजी में
लिखे साख पत्रों पर, खाली ऐन्डोर्समेन्ट, विशेष
एन्डोर्समेन्ट, सीमिल् एन्डोर्समेन्ट ।

पाँचवाँ अध्याय

बैंक और उद्योग धन्धे ...

६१—६५

भारत में, जर्मनी, अमरीका में, इंग्लैण्ड में, खारान में ।

विषय

पृष्ठ

चूठवाँ अध्याय

वैकं और विदेशी व्यापार को आर्थिक सहायता ६६—१०३
 भारत का विदेशी-व्यापार—विदेशी बैड़, जातीय भेड़,
 भाव ।

सातवाँ अध्याय

कृषि और वैकं ... १०४—१११

भारत में, थोड़ी श्रवधि के लिये—जर्मनी में, फ्रान्स में,
 इंगलैण्ड में, संयुक्त राज्य अमरीका में, लम्बी श्रवधि
 के लिये:—इंगलैण्ड में, सीखोन में, संयुक्त राज्य अम-
 रीका में, फ्रान्स में, जर्मनी में, आस्ट्रेलिया में,
 जापान में ।

आठवाँ अध्याय

पिछड़ी हुई अवस्था और उसके कारण ११२—१२३

पिछड़ी हुई अवस्था—विदेशों से तुलनाः—दशरों की
 संरक्षा से, मूलधन से, अमानतों से ।

कारण—विदेशी-वैकों द्वारा प्रतियोगिता और विरोध, वैकों
 का प्रति वर्ष अधिक संख्या में फेल होना । भारत
 सरकार की उदासीनता, अगरेज़ी भाषा का प्राधान्य ।

नवाँ अध्याय

सुधार के उपाय-बैंक कानून १२८—२११

कानून की आवश्यकता—बर्तमान कानून, नथा कानून,

भारत में बैंक कानून की मांग, कानून का उद्देश्य :—

विदेशी बैंकों के लिये प्रतिबन्ध लगाना—कार्य-चेत्र

सीमा (अन्य देशों में) अन्य प्रतिबन्धः—डेनमार्क,

फ्रान्स और हटली, जेको-स्लेवेकिया, जापान, टक्की, संयुक्त

राज्य अमरीका, आस्ट्रेलिया और कनाडा, में, लार्ड्सेन्स

की आवश्यकता, लार्ड्सेन्स की शर्तें, अमानतों की रोक,

जमा रखनेवाले का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता,

व्यक्ति और राष्ट्र, सरकार और व्यक्तिगत सम्पत्ति, कर्म-

चारी, परामर्श मण्डल, लेखा-जोखा, दिवाला निकलने

पर, टेक्स्स, विशुद्ध भाव ।

भारतीय बैंक सम्बन्धी कानून—दूर करने योग्य-

त्रुटियाँ, उपयुक्त संगठन—लार्ड्सेन्स की आवश्यकता,

बैंक शब्द का प्रयोग, दूसरे धनधे की रोक, मैनेजिंग

एजेन्सी प्रधा, आपत्ति लनक नियमों की रोक, मूलभूत

अमरीका में, जापान में, कनाडा में, भारत के लिये,

भारतीय-करण ।

उत्तम प्रबन्ध—व्यवस्थापक मण्डल, जमा करने वालों का

प्रतिनिधित्व, प्रोबसी:—हृगलैण्ड में, कनाडा में, भारत

विषय

पृष्ठ

में, वैयक्तिक मताधिकार, रोशन रखना, रूपया लगाना,
झण देना:—डाइरेक्टरों को, कर्मचारियों और आदिटरों
को, कनाडा में, भारत में; अपने हिस्मे की जमानत पर
झण, प्रजेन्सी, ट्रस्ट व्यवसाय, रक्षार्थ बस्तुएँ जमा
करना, लाभ वितरणः—अमरीका में, जापान में, कनाडा
में, इटली में, भारत में।

निरीक्षण—कनाडा में, जापान में, संयुक्तराज्य अमरीका में,
भारत में, सरकारी निरीक्षण का प्रयत्न, सरकारी निरी-
क्षण से लाभ; बैलेन्स शीटः—अमानतों का प्रथक-
करण, लगे हुए रूपयों का पृथक करण, फार्म का नमूना,
मासिक स्थिति-सूचक पत्र; बैंकों की रक्षा:—हमलों से,
मुकद्दमों से।

दसवाँ अध्याय

सुधार के उपाय-भारतीय विनियम-बैंक २१२—२२०
आवश्यकता, विनियम के घन्ये में जोखम, मूलधन,
सरकारी भुगतान का काम।

ग्यारहवाँ अध्याय

सुधार के उपाय-सेन्ट्रल या रिजर्व-बैंक २२१—२३८
करेन्सी का हतिहास, क्रेडिट और करेन्सी का सम्बन्ध,
करेन्सी और क्रेडिट की संचालन विधि, भारत में सेन्ट्रल
बैंक के मांग, ^१ रजर्व-बक वा संगठनः—मूलधन, सेन्ट्रल-

विषय

बोढँ, स्थानीय बोढँ, जनरल मीटिंग, शास्त्रायें, कार्ये,
कृषि की सहायता, समाजोचनाः—कृषि प्रतिनिधित्व,
प्रबन्ध, रुपये का मूल्य ।

वारहवाँ अध्याय

सुधार के उपाय-कृषि-सहायक वैक २३६—२६२
कृषि की महिमा—सहायता को आवश्यकता, थोड़ा
अवधि के लिये—सहकारी समितियाँ—सहकारी
समितियाँ और साहकारी में अन्तर, सहकारी समितियाँ
और ज्वान्ट स्टॉक बैंकों में अन्तर, भारत में सहकारी से
आर्थिक लाभ, सामाजिक लाभ, राजनीतिक लाभ,
सफलता और असफलता, २० साला स्कीम, पिछला
अनुभव, रजिस्ट्रार, अन्य कर्मचारी, आम, मेम्बर, उधार,
निरीक्षण, व्याज, सरकारी अफसरों का सहयोग, सार्व-
जनिक सेवकों का सहयोग, समय पर अदायगी न होने
का प्रश्न, कृषि घाटे का धन्धा है, ज्ञान का भारी बोझ,
बड़ी कठिन समस्या और हल करने के उपाय ।

तेरहवाँ अध्याय

सुधार के उपाय, भूमि बन्धक वैक २६३—२७६
लम्बी अवधि के लिये—भारत के अनुकूल प्रणाली,
भारतीय भूमि बन्धक बैंकों का संगठनः—मूलधन,
दिसेदारों का अधिकार, बोढँ का संगठन, प्रबन्ध, उधार,

विषय

पृष्ठ

उधार की जमानत, मार्जन, छत्रण की वापसी, छत्रण की अवधि, कार्य-कर्त्री-दूजी प्राप्त करने के तरीकोः—जमानतें और सेविंग्ज सर्टिकिलेट, डिवेन्चर जारी करना:—उधार लेना, सरकारी सहायता, कानूनी सुविधायें, जाम का विभाजन और रिज़वै फंड, लेरड-क्रेडिट-बोर्ड ।

चौदहवाँ अध्याय

सुधार के उपाय—ओद्योगिक बैंक २७७—२८५

ओद्योगिक-संस्थाओं को शार्थिक सहायता—स्थायी सहायता, कार्यार्थ सहायता, प्रान्तीय ओद्योगिक बैंकों का संगठन:—मूलधन, काम, हन्डस्ट्रियल क्रेडिट-बोर्ड ।

पन्द्रहवाँ अध्याय

सुधार के उपाय—अन्य प्रयत्न २८६—२९६

पोस्टश्राफिस सेविंग्ज बैंक में सुधार—चेक इटा जमा व बरामद, वापिंक जमा की सीमा, अधिक से अधिक जमा की सीमा, जमा शुदा रकम की कुर्की, प्रामीण जनों को सुविधा ।

वैद्युत एकोशियशन

देशी भाषाओं को अपनाया जावे—

सोलहवाँ अध्याय

उपसंहार ... २९३—२९७

परिशिष्ट नं० १—साल-पत्र ।

परिशिष्ट नं० २—स्थिति-सूचक-पत्र ।

परिशिष्ट नं० ३—शुद्धि पत्र ।

भारतीय बैंकिङ्ग

पहला अध्याय

विषय-प्रवेश

बैंकिंग प्रद्या का श्रीगणेश—प्रत्येक देश की आर्थिक उन्नति उसको उत्पादन-रक्ति पर निर्भर होती है, और उत्पादन-शक्ति, निर्भर होती है उत्पादन के साधन, भूमि, मज़दूरी और पूँजी के संगठन की श्रेष्ठता पर। इन तीनों साधनों में पूँजी एक साधन है, जिसके बिना शेष दोनों साधन निपक्षल हो जाते हैं। जिस देश में पूँजी की प्रचुरता होती है, वही अपने उद्योग धंधों की उन्नति करके अपनी समृद्धि बढ़ा सकता है और जिसमें पूँजी की कमी होती है, उसमें भूमि की उत्तमता, सब प्रकार के खनिज पदार्थों का बाहुल्य और संसार के श्रेष्ठ कारोगर होते हुए भी बेकार हैं। पूँजी की प्रचुरता करके उत्पादन के शेष साधनों को गति देना ही बैंकों का प्रधान उद्देश्य है और इसके सुसंगठन पर ही प्रत्येक देश और जाति की आर्थिक, व्यापारिक तथा औद्योगिक उन्नति निर्भर है।

मानव-समाज के आर्थिक काल में जब सिन्हों का चलन नहीं था, लोगों के पास अपनी पैदा की हुई सामग्री को तुरन्त उपयोग में लाने का कोई साधन नहीं था और हर एक परिवार अपनी आवश्यकता से अधिक बस्तुयें रखता था। उस समय जिन व्यक्तियों को किसी बस्तु की आवश्यकता होती थी, यह इस शर्त पर उधार दे दी जाया करती थी कि उसी या दूसरी क्रिस्म की उसी कीमत के बराबर चीज़ थोड़े समय बाद वापिस कर दी जावेगी, उदाहरणार्थ जो व्यक्ति रुट पैदा करता था, कुछ संरूपा में कतईयों और जुलाहों को उधार दे दिया करता था और सूत या कपड़े के रूप में वापिस ले लिया करता था। यह लेन-देन पहले सीधा लेने और देनेवाले के बीच में होता था। तत्पश्चात् समाज में उज्ज्ञति की, पहली सीढ़ी से आगे क़दम बढ़ाया, तो बस्तुओं के संग्रह-कर्त्ताओं के लिये, उधार लेनेवाले प्रनिष्ठित व्यक्तियों का प्राप्त करना सुविधा-रहित और कष्टप्रद हो गया; तब लेने और देनेवालों के बीच एक विशेष धंधा करनेवालों की सुषिट हुई। यह लोग आवश्यकताओं से अधिक सामग्री लोगों से लेकर उन व्यक्तियों को, जिनको उनकी आवश्यकता होती थी, उधार देने का धंधा करने लगे। यही बीच के शाढ़तिया आज्जकल के हमारे बैंकर हैं, जिनको बनिये, महाजन, चेट्टी, साहूकार, बोहरा, इत्यादि कहा जाता है।

बैंक शब्द की उत्पत्ति—इस विषय के कई विद्वानों का मत है कि बैंक (Bank) शब्द इटली के बैंको (Banco),

बैंकस (Bancus) या बैंक (Banque) शब्दों से बना है; क्योंकि इन शब्दों का अर्थ है बेंच, टेबल या काउटर और इन पर सर्वांक लोग (Money Changers या Money dealers) भिन्न-भिन्न राष्ट्रों के सिक्के बिनिमय करने के बास्ते फैलाया करते थे। मिस्टर गिलबर्ट ने इसका समर्थन करते हुए लिखा है कि लोम्बार्डी में यहांदी (Jews) बाज़ार में रुपये तथा हुएडियों का बिनिमय करने के लिये बैंचवैं रखते थे। जब एक सर्वांक (Banker) दिवाला निकाल देता था तो उसकी बैंच सर्व-साधारण द्वारा बाज़ार में से हटा दी जाती थी। इनी कारण हमने बैंकरप्ट (Bankrupt) या दिवालिया शब्द अपना रखा है, किन्तु मिस्टर हेनरी डिनिग मेकलायड ने बैंक शब्द की उक उत्पत्ति पर आपत्ति प्रगट करते हुए यह बतलाया है कि इटली के सर्वांक कभी भी बैंचरी (Banchieri) नहीं कहलाये। कितने ही दूसरे विद्वानों का मत है कि बैंक जर्मन शब्द (Banck) का अपन्नेश है, जिसका अर्थ ज्वाइट स्टाक फ़ॉड है और इटली का शब्द बैंको भी जर्मनी के उक शब्द से बना है, जिसका सबसे पहले ब्रेसिया (Breselia) नामक क्रस्वे में दूकान के अर्थ में उपयोग किया गया है।

बैंकर की व्याख्या—इस विषय के विद्वानों ने बैंकर के भिन्न-भिन्न अर्थ किये हैं, अभी तक न तो किसी विद्वान् ने ही इसका निभिचत अर्थ बतलाया और न कानून में ही इसकी स्पष्ट और पूर्ण व्याख्या बतलाई गई। डाक्टर वाल्टर लीफ़

को, जो कि स्वयं भी एक बैंक के अनुभवी चेयरमैन हैं, बैंकर की आम व्याख्या करना असम्भव भालूप हुआ। उन्होंने अपनी पुस्तक में मिस्टर गिलवर्ट द्वारा हाउस आवृ कामन्स में सन् १७४६ई० में दिये गये एक व्याख्यान से उद्भूत की हुई व्याख्या दी है, वह इस प्रकार है—

“रिवाज के अनुसार हम बैंकर उस व्यक्ति को पुकारते हैं, जो गुमाश्तों, काउण्टर्स और वहीखातों के साथ व्यवस्था-पूर्वक एक दूकान खोलकर बैठता है और दूसरे आदमियों का रुपया सुरक्षित रखने के लिये जमा करता है और माँगने पर वापस करता है।” गिलवर्ट स्वयं बैंकर का अर्थ यह करते हैं—

“बैंकर एक व्यापारी है, जो पूँजी और रुपये का लेनदेन करता है, वह कँज़ लेने और देनेवालों के बीच में मध्यस्थ है, क्योंकि वह एक पार्टी से कँज़ लेता है और दूसरी को देता है और उसके जमा रखने और उधार देने की दरों में जो अन्तर होता है, वही उसकी कमाई है।” कानून में इसकी एक व्याख्या फ़ाइनेंस ऐकट सन् १८१७ई० में मिलती है—“बैंक एक व्यक्ति या संस्था है, जो दक्कीकत में (Bonafide) बैंकिंग व्यवसाय करता है।” इसके अतिरिक्त कानून हुंडियात (Negotiable Instrument act 1881) की दफ़ा ३ में बैंकर शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है—

“बैंकर में वे व्यक्ति, संस्थाएँ और कम्पनीज़ शामिल हैं, जो बतौर बैंकसं के काम करते हैं।” किन्तु बैंकिंग धंधा या

है, यद्य स्पष्ट रूप से नहीं बतलाया गया। अब तक जो भी बैंकर की व्याख्यायें ऊपर बताई गई हैं, वे लगभग सभी अपूर्ण मालूम होती हैं, क्योंकि बैंकों के काम केवल जमा रखने और जमा-शुदा अमानतों को माँगने पर वापस देने तथा उधार देने तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि और भी ऐसे अनेक काम हैं, जो बैंक करते हैं, जैसे—चेक, ब्रिल, हुंडी द्वारा रूपया इकट्ठा करना, एक जगह से दूसरी जगह रकम का भुगतान करना तथा विदेशी व्यापार के लहने पावने को चुकाना और बसूल करना इत्यादि। मिस्टर एम० एल० टेनन ने अपनी पुस्तक “बैंकिंग लॉ एण्ड प्रैक्टिस इन इण्डिया” में इस विषय के कई विद्वानों के कहे हुए बैंकर के अर्थ उद्धृत किये हैं; किन्तु इस शब्द का जो अर्थ भारतीय तथा अंग्रेजी विद्वानों ने किया है, उन सबकी अपेक्षा अमेरिका के संयुक्त राज्य के कानून-रचयिताओं ने जो निम्न-लिखित व्याख्या की है, वह अधिक सफल मानी जाती है :—

“बैंक में हम प्रत्येक ऐसे व्यक्ति अथवा दूकान अथवा कम्पनी को शामिल करते हैं, जिनका कारोबार किसी निश्चित स्थान पर हो, जहाँ सदैव वापस देने के लिये अमानतें, रूपयों का संग्रह या सिक्के जमा रखें (क़र्ज़ लिये) जाते हैं और जिनका भुगतान हुंडी, चेक या हिदायत (Order) द्वारा किया जाता हो और जहाँ पर हिस्से (Stocks) बोएड, सोने, चांदी के डलों, हुंडियों और प्रोमेसरी नोटों पर उधार दिया जाता हो या प्रोमेसरी नोट, डिस्काउण्ट या बेचने के लिये लिये जाते हैं”।

इससे भी अधिक स्पष्ट बैंकिंग धनधेर की व्याख्या विदिश सरकार द्वारा सन् १९१८-ई० में शब्द देश के बैंकिंग धनधेर को रोकने के लिये बनाये हुए नियमों में की गई है, * यथा—

“चालू खातों में या अमानत के तौर पर रूपया जमा करना; विनिमय-बिल स्वीकार करना, विनिमय-बिल, प्रोमेसरी नोट तथा ड्राफ्ट खरीदना, बेचना, संग्रह करना और उनका लेन-देन करना; सूद तथा मुनाफ़ों के स्वीकार पत्र बेचना या इनकी रकमें संग्रह करना; विदेशी तारकी अथवा दूसरे प्रकार की हुंडियाँ खरीदना और बेचना; जारी-शुदा क़ज़े, शेयर या लिफ्यूरिटीज़ को मेम्बर होकर लेने (Subscriptions) खरीदने या अण्डरराइट करने के लिये जारी करना; व्यापार या औद्योगिक काम के लिये क़र्ज़ देना या क़र्ज़ दिये जाने का प्रबन्ध करना या साख-पत्र (Letter of credit) और चलते फिरते नोट (Circular Note) देना या जारी करना।”

भारतीय बैंकर की व्याख्या—पाश्चात्य विद्वानों द्वारा बैंकर अथवा बैंकिंग व्यवसाय की जो व्याख्या की गई है, वह भारतीय देशी बैंकर के लिये पूर्ण रूप से घटित नहीं होती है, क्योंकि सभी देशी बैंकर न तो अमानतें जमा रखते हैं, न सभी हुंडियों का कारोबार करते हैं और न सभी उधार ही देते हैं। कुछ जमा रखते हैं, कुछ उधार देते हैं, कुछ हुंडियों का कारो-

* Banking Enquiry Committees (India) Minority Report P 375


बार करते हैं; बहुत से जमा नहीं रखते और केवल अपनी ही सम्पत्ति उधार देते हैं; बहुत से ऐसे हैं, जो जमा भी नहीं रखते और उधार भी नहीं देते और केवल हुंडियों का ही कारोबार करते हैं तथा इसके साथ दूसरा भी धन्या करते हैं। इस तरह केवल कर्ज़ देनेवाले (Money Lender) और बैंकर मिश्रित हो रहे हैं और लगभग सभी बैंकर समझ लिये जाते हैं। हालाँकि मनीलेण्डर बैंकर नहीं कहे जा सकते; परन्तु इसका अन्तर करना बड़ा कठिन है। कानून में भी इनकी व्याख्या नहीं पाई जाती और न मर्दुमशुमारी की किसी रिपोर्ट में ही इनका पृथक्करण किया गया है। अभी हाल में पंजाब ग्रान्तीय बैंकिंग एन्स्वायरी कमेटी (१९३०) ने अपनी रिपोर्ट के पैरा नं० १५६ में मनीलेण्डर और बैंकर का अन्तर बताते हुए लिखा है —

“देशी बैंकर, बैंकिंग और व्यापार सम्मिलित रूप से करता है; किन्तु उसका प्रधान धन्या बैंकिंग ही होता है। यह विशेष ग्रन्ति है। इसके अतिरिक्त दूसरे अन्तर भी इसी प्रकार के हैं, जैसे—देशी बैंकर केवल खुली उधार देने की अपेक्षा व्यापार और उद्योग-धन्यों को आर्थिक सहायता अधिक रूप से देता है और मनीलेण्डर व्यापार की अपेक्षा खुली उधार ज्यादा देता है। बैंकर और मनीलेण्डर दोनों कुछ तो ज़मानत पर और कुछ विना ज़मानत पर उधार देते हैं। इन दोनों में, बैंकर जिन-जिन कामों के लिये उधार चाहा जाता है, उनके लिये विशेष साबधान रहता है, किन्तु मनीलेण्डर इसकी कम परवाह

करता है। पिछले दो कारणों से और भी अन्तर यह मालूम होते हैं कि बैंकर के अधिकांश खातेदार वादे पर रुपया चुकाते हैं। मनीलेण्डर के अधिकांश खातेदारों से अधिक तकाज़े और दबाव से रुपया बसूल होता है; इसीलिए बैंकर ६ से ६ प्रतिशत सुद पर उधार देता है। ऐसे अवसर बहुत कम होते हैं, जब १२ प्रतिशत से अधिक लेता है; किन्तु मनीलेण्डर आम तौर पर ६ से १२ प्रतिशत व्याज पर उधार देता है और १८ प्रतिशत तक पहुँच जाता है।”

इन सब कठिनाइयों पर प्रकाश डालते हुए बैंकर और मनीलेण्डर का अन्तर बतलाते हुए जो व्याख्या डाक्टर जैन ने की है, वह युक्तियुक्त है —

“बैंकर का यह अर्थ लेना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति या प्राइवेट फ़र्म जो उधार देती हो या जमा रखती हो या हुंडियों का कारबार करती हो या दोनों काम करती हो, जिसमें से प्रत्येक काम वैकिंग की सीमा में आता हो” “मनीलेण्डर शब्द का उपयोग उन व्यक्तियों या फ़र्मों के लिये किया जावेगा, जो उधार देते हों, किन्तु आम तौर पर जमा न रखते हों और न हुंडियों का कारोबार करते हों”।



दूसरा अध्याय

प्राचीन भारत में वैदिक धन की प्रथा

वैदिक काल—यदि कोई भारतीय वैदिक धन का प्राचीन इतिहास अध्ययन करने में थोड़ा भी समय लगावे तो उसे यह जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में यह धन्या ग्रनादि काल से अर्थात् मानव समाज को सल्लृति के विकास के आरम्भिक काल से प्रचलित है। इसकी प्राचीनता की दौड़ में संसार का कोई भी देश भारत की समानता नहीं दर सकता। इस देश में यह धन्या वैदिक काल में अर्थात् ४०००—२००० बी० सी० के बीच में आम तौर से होता था। इसका पूरा दिग्दर्शन इस विषय के विशेषज्ञ श्री० डा० लद्मीचन्द जी जैन ने अपनी पुस्तक (Indigenous Banking in India) में कराया है। आपने कई प्रमाण देते हुए लिखा है कि ऋग्वेद और उसके बाद ऋण शब्द कई दफ़ा आया है। जुवा खेलने के लिये ऋण लेने के विषय में घटुधा हवाले दिये गये हैं। * ऋण का चुकाना “ऋण सामनी” कहलाता था।

* यदूस्ताभ्या चक्रम किल्वियारयक्षाणां—

—गतु मुपलिप्स माना। उप्रपश्ये उग्र जितौ—

तद्धाप्सर सावनु दत्ता मृणं न ॥ छठा काण्ड सूत्र ११८

अर्थात् धन के लोभ से जब जब हम जुवा आदि कानों में हाथ ढालें तब तब प्रगट की हुई व्यवस्थापक सम्याये हमें पकड़ ले और दण्ड-पूर्वक हमारा ऋण हमसे चुका पावे।

चुकाने की नीयत के बिना लिये जानेवाले क़ज़ॉं के कई भेद बतलाये हैं। वेदों में ब्याज का लेना-देना भी पाया जाता है; क्योंकि सत्यपथ ब्राह्मण में, निरुक्त तथा सूत्रों में सूद लेनेवाले को “कुस्तीदिन” कहा है। इन उदाहरणों से मालूम होता है कि वैदिक काल में यह धनधा आम तौर पर होता रहा है। सम्भव है, वैदिक काल के लिये कोई यह कहे कि वह समय भारतीय सभ्यता का उत्कृष्ट और देवीप्यमान युग था, जिसने संसार को श्रपने ज्ञान रूपी प्रकाश से चकाचौंध कर दिया था। उसी की एक भलक वैद्विक्षण व्यवसाय भी है। केवल ऐसा ही नहीं है; वैदिक इस देश का सारा इतिहास इसका साक्षी है कि भारत में वैद्विक्षण व्यवसाय वैदिक काल से लेकर अब तक यहाँ के सेठ-साहूकारों तथा सराफ़ों द्वारा समान रूप से संचालित होता चला आ रहा है।

सूत्र-काल—वेदों के बाद दूसरी से सातवीं सदी ई० सी० यानी सूत्र काल में भी व्यक्तिगत ज़िम्मेदारी पर किसी वस्तु के रहन रखने तथा व्यक्तिगत ज़मानत पर ब्याज से क्रूण सेने-देने के नियम पाये जाते हैं यथा—

(१) द्विकं त्रिकं चतुष्कं च शतं स्मृतम् ।

मासहय वृद्धिं गृहीतया द्विवर्णानामनुपूर्वशः ॥ ५४ ॥

वशिष्ठ-स्मृति, अध्याय २

अर्थ—सोपण का ब्याज प्रति महीने में ब्राह्मण से २ पण, त्रिविष

से ३ पण, चैश्य से ४ पण और शुद्र से पाँच पण लेना चाहिये और भी—

(२) कुसीद वृद्धिर्धम्मा विंशतिः पंचमासि ॥

गोतम-स्मृति, अध्याय १२

(३) ऋणि कस्तत्प्रति भुवे द्विगुणं प्रति दाययेत् ।

अधिक्रियत इत्याधि स विदेषो द्विलक्षणः ॥ ५२ ॥

नारद-स्मृति १ विवाद पद, अध्याय ४

(४) कृत कालोपनेयश्च यावह्येऽप्यव्यतस्तथा ।

स पुनर्द्विविधः प्रोक्तो गोप्यो भोग्यस्तथैवच ॥ ५३ ॥

नारद-स्मृति १ विवाद-पद, अध्याय ४

अर्थ—जो वस्तु किसी के अधिकार में कर दी जाती है, उसको आधिवन्धक (Pledge) कहते हैं। वह दो प्रकार की होती है। एक छुड़ाने का समय निश्चय करके रक्खी हुई, दूसरी बिना समय निश्चय किये रक्खी हुई। फिर ये भी दो प्रकार की होती है। एक रक्षा करने के लिये और दूसरी महाजन के भोगने के लिये। रहन की लगभग यही व्याख्या याज्ञवल्मीय स्मृति अध्याय २ और मनुस्मृति अध्याय = श्लोक ४४ में की गई है।

स्मृति-काल—इसके अतिरिक्त संसार को कानून का ज्ञान प्रदान करनेवाले भगवान मनु ने द वें अध्याय में, याज्ञवल्मीय जी महाराज ने याज्ञ-स्मृति के दूसरे अध्याय में, नारद जी महाराज तथा दूसरे ऋषि-महर्षियों ने अपनी-अपनी स्मृतियों

में व्यक्तिगत हैसियत पर तथा वस्तुओं के रहन रखने पर
या किसी दूसरे व्यक्ति की ज़मानत पर ऋण देने के नियम
विस्तृत रूप से बतलाये हैं। उदाहरणार्थ कुछ प्रमाण यहाँ
उद्धृत किये जाते हैं :—

ऋण (Loan)

कुसीद वृद्धि द्वै गुणं नाव्येति सङ्कदा हृता

(मनुस्मृति अध्याय ८, श्लोक १५१)

अर्थ—धन का सब ब्याज एक ही बार लेने से मूलधन के
दूने से अधिक नहीं मिल सकता है।

धरोहर (Deposits)

कुलजेवृत्त सम्पदे धर्मद्वे सत्यवादिनि ।

यहा पक्षे धनि न्याये निक्षेपं निक्षिपेदवदः ॥

(मनुस्मृति, अध्याय ८)

अर्थ—वृद्धिमान् मनुष्य को उचित है कि अच्छे कुल में
उत्पन्न, सदाचारवाले, धर्म-निष्ठ, सत्यवादी, अधिक परिवार-
वाले, धनवान्, कोमल स्वभाववाले के पास धरोहर रखें—

महाभारत काल—महाभारत के जमाने में भी सूद से
रूपया लेने-देने का नियम था, जैसा कि नारद जी के युधि-
ष्ठिर से किये हुए प्रश्नों से प्रगट होता है—

कचिन्न भक्तं योजम् च कर्षं कल्याऽयसीदति ।

प्रत्येक चरातं वृद्धया ददास्यृणमनुग्रहम् ॥

(सभापर्व पौच्चर्वा अध्याय श्लोक ८१)

अर्थ—इस सैकड़े में चौथा भाग बढ़ती लेकर कृपाचित्स से उनको अरुण तो देते हो ! तुम्हारी कृपि, वाणिज्य, पशु-पालन और अरुण-दान यह चार प्रकार की धारा तो सुचरित्र जनों से भले प्रकार की जाती है ।

शुक्रनीति में लिखा है कि सूद, कृपि, वाणिज्य, गोरक्षा, इत्यादि अर्थोंपाजेन के मुख्य साधन विज्ञान-वार्ता (अर्थ-शाखा) के विषय थे । (कुसीद कृपि वाणिज्य गोरक्षा वार्तयोच्यते । १५६ ।) कोटिल्य अर्थशाखा में लिखा है कि सौ पछ पर सबापण व्याज ही न्याय-गुरु है, व्यापारियों से पाँच पण, जगल में रहनेवालों से दस पण तथा समुद्र के व्यापारियों से बीस पण तक व्याज लिया जा सकता है । इससे अधिक जो व्याज ले या दे उसको साहस-दण्ड और साक्षियों को आधा दण्ड दिया जावे ।

यह तो हुआ भारतीय शाखों के प्रमाणों का नमूना । अब हम एक लघ्य-प्रतिष्ठा विदेशी यात्री जे० वी० टेवेरनियर, जो सच्चहवीं सदी के मध्य में फ्रास से भारत में यात्रा करने को आया था का लेख उद्धृत करते हैं । उसने भारतीय बैंकिङ्ग के सम्बन्ध में लिखा है—

“भारत में उस गाँव को बहुत ही छोटा समझना चाहिये । जहाँ सर्चंफ़ (Money changers) न हों, जो कि एक बैंकर के तौर पर काम करता है और एक जगह से दूसरी जगह रुपये का भुगतान करता है तथा विनिमय पत्र जारी करता है……

तमाम यहूदी, जिन्होंने अपने आसपास के राष्ट्रों में रुपया तथा विनियम के सम्बन्ध में बहुत ही होशियारी का स्थान प्राप्त कर रखा है, वे भारतीय सर्वाङ्गों के उम्मेदवार भी मुश्किल से हो सकते हैं।” आगे उसने यह भी बतलाया है कि “२७ वर्षों सदी में यह सर्वाङ्ग लोग विदेशी व्यापार को कुछ नक़दी से और कुछ सूत पर दो महीने की मुदती हुंडियाँ करके आर्थिक सहायता देते थे।”

मुग़ल साम्राज्य में भी देशी बैंकर्स द्वारा देश के व्यापार को पर्याप्त आर्थिक सहायता मिलती थी। इस समय के बैंकर धन-कुबेर थे। इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि औरंगज़ेब ने सेठ माणिकचन्द को सेठ की उपाधि से सम्मानित किया था और उसके भतीजे फ़तेचन्द को फ़र्स्तविश्यर ने जगत्-सेठ की उपाधि से विभूषित किया था।

अब से ७० वर्ष पूर्व मिस्टर कूक (Cooke) ने अपनी पुस्तक Rise progress and present condition of Banking in India में लिखा है, “अबत काल से भारतीय समाज के बैंकर एक प्रधान स्थान रखते आये हैं। साम्राज्य अपना बैंकर रखता था, सूदा अपना बैंकर रखता था, ज़िला अपना बैंकर रखता था और गाँव अपना बैंकर रखता था। हर एक बैंकर अपने-अपने ज़ोत्र में गहरा प्रभाव रखता था। हिन्दुओं के परम्परा गत रिवाज और मुस्लिमों के ऐतिहासिक साहित्य से प्रगट होता है कि प्रतिष्ठित बैंकर को बड़ी इज़्जत और राज्य-

शासन के अधिकार दिये जाते थे। कोई शाही दरीख़ाना ऐसा न होता था, जिसमें वैकिंग नहीं होते थे।”

उपरोक्त विवरण से यह तो भली भाँति प्रमाणित हो गया कि भारत में वैकिंग की प्रथा वैदिक काल से लगातार अच्छी अवस्था में चली आ रही है और मुग़ल साम्राज्य तक इस पर पूर्ण रूप से भारतीयों ही का अधिकार था।



तीसरा अध्याय

भारत में आधुनिक बैंकिंग

आरम्भ और विकास

आरम्भ—“मुग्ल साम्राज्य के अन्त तक उस समय की तुलना में भारतवर्ष आर्थिक दृष्टि से एक उन्नतिशील देश था। इसका व्यापार विस्तृत था। इसकी बैंकिंग संस्थायें अच्छी उन्नतावस्था में थीं। व्यावसायिक क्षेत्र में इसकी साख प्रतिष्ठा-पूर्ण स्थान रखती थीं”*। मुग्ल साम्राज्य की इतिहासी हो जाने पर यह अमागा देश पश्चिमी दण्डिकों के हाथ में पड़ा। इनके पधारते ही—अंग्रेज़ों का सूनवात होते ही यहाँ को स्थिति में भयद्वार फेरफार रुक्त हो गया। लार्ड क्लाइव व हेल्सिंगज़ की हुक्मन, पोलिसी और भारतवासियों के सीधेपन से इस देश के व्यापार की जड़ में कुठाराघात होने लगा। जैसे-जैसे अंग्रेज़ों का राज्य भारत में

* “At the close of the Moghul Empire, India judged by the standards of the time, was economically an advanced country. Her trade was large; her banking institutions were well developed and credit played an appreciable part in her transactions.”—“The problem of the rupee” by Dr Ambedkar Page 2.

फैलता गया और कला-कौशल, उद्योग-धन्धे खिसक-खिसक कर इनके हाथों में पहुँचने लगे, वैसे-वैसे हमारे देशी साहूकार निर्वल होते गये और विदेशी कोठियाँ (Agency Houses) की स्थापना के साथ-साथ सरकारी और व्यापारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये विदेशी बैंकिंग-संस्थाओं का जन्म होना आरम्भ हो गया और शनैः शनैः भारतवर्ष का बैंकिंग व्यवसाय भारतीय साहूकारों के हाथों में से निरुक्त कर विदेशी बैंकों में पहुँचता गया*।

जोइन्ट-स्टॉट बैंक

असीमित ज़िम्मेदारी पर—सन् १९९०—१८००—भारत में पाश्चात्य प्रणाली पर बैंकिंग का आरम्भ करनेवाली कलकत्ते की प्रतिष्ठित विदेशी कोठियाँ मेसर्स प्लेक्झेंडर पेरेड कम्पनी फ्रू-ग्यूरन पेरेड कम्पनी आदि थीं। मेसर्स प्लेक्झेंडर पैंड कम्पनी को हिन्दुस्तान बैंक स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है। यह बैंक अंग्रेजों के संरक्षण में १७३० ई० में कायम हुआ था, किन्तु यह अपनी संस्थापक प्लेक्झेंडर पेरेड कम्पनी के साथ-साथ सन् १८३२ई० में फेल

*With the decline of the Indigenous bankers and the gradual progress of English trade and dominion in India, the need was felt by the East India Co. for the establishment of banks which would meet both administrative requirements and the demands of trade. The result was the creation of government treasuries and the foundation of early Banking institutions on Western lines and these have operated to the farther disadvantage of the Indigenous Banker I. B. I by Jain 23

दो गया। उस समय की तमाम संस्थाओं के समाज यह बैंक भी नोट जारी करता था, जो हालाँकि चालू सिक्के के तौर पर रायज़ नहीं थे, किन्तु फिर भी विस्तृत रूप से व्यवहार में आते थे। इन जारी शुद्धा नोटों को सच्चा पूँजी तक रही, जो कि उस समय की विशेषता की घोतक है। तत्पश्चात् लगभग १८८५ के बड़ाल-बैंक और जनरल-बैंक आवृ इंडिया की स्थापना हुई, किन्तु थोड़ा बहुत दिलचस्प जीवन विताने के बाद पिछला बैंक तो १७४१ में स्वयं टूट गया और इसके थोड़े समय बाद पहले बैंक ने भी भुगतान करना बन्द कर दिया।

सन् १८०१-३०—सन् १८०१ में एकाउण्टेंट जनरल मिस्टर हेनरो जी ठक्कर ने भारत सरकार का, सरकारी और व्यापारिक हित की दृष्टि से एक बैंक की आवश्यकता पर, ध्यान आकर्षित करते हुए बड़ा ज़ोर दिया, जिसके परिणाम-स्वरूप १८०६ ई० में बड़ाल बैंक की स्थापना हुई। इसका मसविदा कुछ दिन बाद यानी सन् १८०६ ई० में प्राप्त हुआ था। इस बैंक का मूलधन पाँच लाख पौंड था। इसमें से पाँचवाँ द्विस्त्रा सरकार यानी ईस्ट इंडिया कम्पनी का था। उस अक्षर बैंक के कारोबार में सुप्रबन्ध, निगरानी और योग्य सहायता प्राप्त करने के उद्देश से सरकार का शेयर-होल्डर के तौर पर बैंक के मूलधन में भाग लेना आवश्यक समझा गया था। गवर्नर्मेण्ट को इस की प्रबन्धक कमेटी में तीन व्यवस्थापक चुनने का अधिकार था और बैंक का सेकेटरी आम तौर पर सिविल सर्विस

का मेम्बर होता था। सन् १८८३ ई० में भारत में अंग्रेजों के यसने की कुछ रुकावटों को दूर करने के लिये एक कानून पास किया गया था, जिससे वैकिंग को भारी उत्तेजना मिली, कुछ वैकों की स्थापना हुई; किन्तु उनमें से कई अधिक समय तक कायम नहीं रह सके। इस प्रथम प्रयास के असफल होने के लिये अधिकांश में अगरेज लोग ही ज़िम्मेदार थे। मिस्टर ठाकुर का कहना है कि अधिकांश वैकों के दिवाले न केवल कुप्रबन्ध या व्यवस्थित रूप से काम करने की क्षमता के अभाव से, बल्कि वैक के रूपयों का अनुचित उपयोग करने से निकले थे। उस समय वैक, वैकिंग धन्दे के साथ-साथ व्यवसाय भी करते थे; इसलिये व्यापारिक हास के साथ साथ वैक भी बैठते चले गये।

सन् १८३१-१८७० ई०—सन् १८३३ ई० में कमरियल वैक आवृक्लकत्ता, मेसर्स मेकिंगटो पैड कम्पनी के साथ साथ फ़्रेल हो गया और सन् १८२९ ई० में मेसर्स फ़ारमर पैड कम्पनी द्वारा खोला हुआ वैक फ़्रेल हो गया। सन् १८४० ई० में वैक आवृवर्ड पहिली बार ५२,२५,००० के मूलधन से कायम हुआ था, जिसमें से ३००००० के हिस्से गवर्नरमेन्ट ने खरीदे थे। इसके तीन वर्ष पश्चात् मद्रास वैक ३०००००० के मूलधन से कायम हुआ, उसमें से ३००००० के हिस्से ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने खरीदे थे। वैक आवृ बङ्गाल की तरह सरकार का इन वैकों से भी भीतरी सम्बन्ध था। इन वैकों में भी सरकार को कुछ डायरेक्टर चुनने का अधिकार था और इनके सेकेटरी

ट्रेजरर भी भारतीय सिविल-सर्विस के मेम्बर होते थे। इन तीनों वैकों को सरकार से बड़ी सुविधायें प्राप्त थीं। मुख्यतः सरकारी वैकिंग-धनधा इन्हीं वैकों द्वारा होता था। इसके अतिरिक्त इन वैकों को नोट जारी करने का भी अधिकार था। इस सम्बन्ध में कुछ प्रतिबन्ध भी लगे हुए थे अर्थात् प्रत्येक वैक के नोट निकालने की सीमा नियत थी। मद्रास वैक को एक करोड़, बझाल और बम्बई वैक को दो-दो करोड़ के नोट निकालने का अधिकार प्राप्त था। इन वैकों को माँगने पर अदा करनेवाली जमा पूँजी (Demand Liabilities) का ३३५ प्रति शत मह़दी रोशन रखना पड़ता था। बाद में यह घटाकर २५ प्रतिशत कर दी गई। सन् १८६२ ई० में इन वैकों से नोट जारी करने का अधिकार वापिस ले लिया गया और पैपर करेन्सी एकट सन् १८६२ ई० लागू हो गया। इस विशेष सुविधा के हटा देने से होनेवाली हानि की पूर्ति के लिये सरकार ने अपने सारे फरड़स का रूपया इन वैकों में रखने का बाबा किया। वैक आवृ बम्बई का मूलधन सन् १८६४ ई० में बढ़कर २००५ करोड़ हो गया था; किन्तु रुई का भाव बढ़ जाने और अमरीका की लडाई में चीज़ों के भावों में अधिक मात्रा में घटावड़ी हो जाने से भारी नुकसान उठाकर यह वैक सन् १८६८ ई० में बन्द हो गया। इसने अमानतें जमा रखनेवालों को पूरा रूपया चुका दिया था, लेकिन इसके शेयर होल्डरों को सारा धन खोना पड़ा था। इतने पर भी फिर उसी घर्ष इस

बैंक ने वैंक आवृ वम्बर्ड लिमिटेड के नाम से जन्म लिया। इसका संगठन कम्पनीज़ एकट सन् १८६६ के आर्टिकिलस आवृ पसो-सिपशन के अनुसार हुआ था; परन्तु सरकार ने इसके पहले फ़ैल हो जाने के कारण यह उचित समझा कि मूलधन में से अपना हिस्सा वापस ले लिया जावे और डायरेक्टर, सेक्रेटरी, ट्रेजरर को नियुक्त करने का अधिकार भी छोड़ दिया जावे।

प्रेसीडेन्सी बैंक

बैंकों के लगातार फ़ैल होने के कारण सरकार ने इस सम्बन्ध में जाँच कराने और उचित परामर्श प्राप्त करने के लिये एक कमीशन नियुक्त किया, जिसने सन् १८६९ ई० में अपनो रिपोर्ट पेश की थी। तदनुसार प्रेसीडेन्सी बैंक एकट सन् १८७६ ई० पास हुआ और इसके द्वारा वम्बर्ड, वङ्गाल, मद्रास बैंक प्रेसीडेन्सी बैंक कहलाये। इस कानून के आधार पर ही इन प्रेसीडेन्सी बैंकों का संचालन होने लगा। सरकार ने अपना बैंकिंग का सारा काम इनको सौंप दिया, इससे इनकी साथ में वृद्धि हुई और सार्वजनिक प्रजा से भी बैंकिंग धन्धा इनको काफ़ी मात्रा में मिलने लग गया। इन बैंकों पर जो कानून द्वारा प्रतिबन्ध लगाये गये थे, वे हालांकि बैंकों के प्रबन्धकों को पसन्द नहीं थे; किन्तु पविलक हित की हृषि से लाभदायक थे। इन तीनों बैंकों के शेयर-होल्डर्स में अधिक संख्या यूरोपियन पूँजीपतियों की थी, जिसका दिग्दर्शन बैंक आवृ वम्बर्ड की शेयर-होल्डर्स की सूची से भली प्रकार हो जाता है; यथा—

१७३	अंग्रेज भारतवासी के ख़रीदे हुए	३२६१	शेयर्स
१२	देशी किञ्चित्यन के	४८	"
३	मुसलमानों के	५५	"
१०९	पारसियों के	१२३३	"
३५	हिन्दुओं के	३२७	"
	गवर्नर-मेण्ट के हिस्से	३००	"
<hr/>		<hr/>	
३३२		५२२५	

काम—इन तीनों वैंकों को यथा-सम्भव नुकसान से बचाने के लिये विनियम का अन्धा करने की आज्ञा नहीं थी और न ये विदेशी हुँडियों की लिया-बेची ही कर सकते थे। भारत में ये अधिक से अधिक ६ मास के लिये उधार देते थे; किन्तु जायदाद गैर मनकूला की ज़मानत पर उधार देने की, इनको पूँजी उलझ जाने की आराहा से, मना ही थी।

शाखाएँ—इन प्रेसोडेन्सी वैंकों की भारत के मिन्न-मिन्न ग्रान्टों में कई शाखाएँ थीं, जिनकी संख्या इम्पीरियल वैंक के रूप में स्थापित होने के समय ५६ थीं तथा मूलधन, रिजर्व फंड आदि का व्योरा इस प्रकार था—

		रु०	१०००) में
मूलधन	५६२२४)
रिजर्व फंड	४१४५४)
सरकारी जमा	६८००१)
निजी जमा	६५७७६४)
नकदी रोशन	१३६०२३)

सीमित-ज़िम्मेदारी के आधार पर

सन् १८६०-१८८०—सन् १८५० ई० के पहले पहले जितने भी वैकं खुल थे, उनमें से अधिकारा असीमित जिम्मेदारी पर खुले थे। इस वर्ष कानून नं० ७ के पास हाने से सीमित जिम्मेदारी की प्रणाली सर्वप्रथम आरम्भ हुई, जिनसे भारतीय ज्वाइट-स्टॉक वैकिंग को अच्छी उत्तेजना मिली।

अंग्रेजों द्वारा प्रयत्न—सन् १८६५ ई० में इलाहाबाद वैकं की स्थापना हुई और लगभग दस वर्ष बाद अलाइन्स वैकं आवृशिमला का जन्म हुआ, जिसन सन् १८८३ ई० में दिवाला निशाल दिया। ये दोनों वैकं भी अंग्रेजों के प्रयत्न के परिणाम हैं। सन् १८८० ई० के पहले पहले भारतीय ज्वाइट-स्टॉक वैकिंग की तमाम हलचल अंग्रेजों द्वारा आरम्भ की गई थी। विदेशी विनियम का धन्धा, विदेशी वैकं के हाथ में था, जिस पर अब भी उन्होंने का ठेका है।

भारतीय प्रयत्न—सन् १८८१-१८०४—सबसे पहले विशुद्ध भारतीय वैकिंग का प्रयत्न सीमित निम्मेदारी के उसूल पर सन् १८८१ ई० में आरम्भ हुआ था, जब कि अवधि कमरिंगल वैकं की स्थापना हुई थी। इसके बाद सन् १८८४ ई० में लाला हरकिशनलाल, जा कि पजाव प्रात में भारतीय उद्योग धर्घों के अगुवा हैं, उनके भरसक प्रयत्न और भारी शक्ति खर्च करने पर पजाव नेशनल वैकं की स्थापना हुई थी। यह वैकं बहुत ही सफलतापूर्वक कार्य करता हुआ उत्तरात्तर उन्नति करता जा रहा है।

सन् १९०१ ई० में फिर लाला हरकिशनलाल जी ने पीपलस बैंक आबू इण्डिया चालू किया था, जो कि सन् १९१३ ई० तक बड़ी खूबी से काम करता रहा, इन्हें पजाब नेशनल बैंक की अपेक्षा अधिक द्याति प्राप्त कर ली थी। इसकी सौ दे लागमग शाखाएँ थीं और उनमें सबा करोड़ से ऊपर अमानतें जमा थीं। अचानक इसको अपने दृग्याजे बन्द करने के लिये विवर होना पड़ा था। इस बैंक के फेल होने का कारण न तो यैंमानी थी और न कोई प्रवन्ध-सम्बन्धी योग्यता का अभाव था। इसका कारण विशेष कर भारतीय बैंकों के अमानतदारों की बैंकिंग के उस्लॉ के प्रति अनभिज्ञता थी, इसके अतिरिक्त अहरेजी बैंकों और सरकारी अफसरों की जलन और प्रेसीडेन्सी बैंकों का लापरवाही और अदुरदिति पूर्वक व्यवहार था, जिन्होंने गवर्नर्मेंट के कागज पर भी रुपया नहीं दिया। प्रसन्नता की बात है कि रिसीयर लोगों ने बैंक के अमानतदारों को सौ फीसदी चुका दिया। हाँ, शेयरहोल्डर्स को अवश्य कुछ नहीं मिला। इससे लाला हरकिशनलाल जी का मुख उज्ज्वल हो गया और लोगों को फेल होने का भीतरी रहस्य मालूम हो गया। फिरतः लाला साहब ने २ घण्टे बाद ही पीपलस बैंक आबू नॉर्डन इण्डिया लिं० के नाम से दूसरा बैंक स्थापित कर दिया, जिसने भी लागमग वही स्थान प्राप्त कर लिया था, जो पूर्व बैंक का था।^१ लेकिन अब इसकी वह बात नहीं रही है।

^१ इस बैंक ने भी सन् १९३१ ई० में अपने दृग्याजे बन्द कर दिये थे लेकिन कुछ महीनों बाद ही हाईकोर्ट से स्वीकृत नवीन रकीम के अनुसार पुनः कार्य प्रारम्भ कर दिया है।

विकास—१८०५—१३—सन् १८०५ ई० में बड़ाल-विच्छेद के समय से स्वदेशी आनंदोलन ने स्थानीय उद्योग-धर्मों को प्रोत्साहन दिया, जिसके फलस्वरूप इस देश में वैकों की स्थापना बड़े बेग से आरम्भ हो गई। सन् १८०६ ई० से सन् १८१३ ई० तक = वर्षों में पाँच लाख से ऊपर मूलधनबाले वैकों की संख्या में इस प्रकार वृद्धि हुई थी :—

रूपये लाखों में

वर्ष	वैकों की संख्या	मूलधन तथा रक्षित फ्रेड	अमानतें जमा	नकदी	अमानतों से नकदी का प्रतिशत अनुपात
१८०६	१०	१६०	११२८	१४६	१३
१८०७	११	२६२	१४००	१६४	१४
१८०८	१४	३०६	१६२६	२४८	१८
१८०९	१८	३८४	२०४६	२७६	१४
१८१०	१६	३७६	२४६६	२८०	११
१८११	१८	४३२	२८२६	३६२	१४
१८१२	१८	४२६	२७२६	४००	१८
१८१३	१८	३६४	२२४६	४००	१८

उक्त ताजिका से मालूम होता है कि पाँच लाख से ऊपर वाले वैकों वी संख्या लगभग दूनी हो गई थी। अतिरिक्त इसके दूसरे छोटे वैकों की संख्या विशेष रूप से धड़ी थी अर्थात् सन् १८१० ई० में कुल वैकों की संख्या ४७६ थी। इस समय में

स्थापित होनेवाले बैंकों में प्रमुख, बैंक आवृ इण्डिया, इण्डियन स्वदेशी बैंक १९०६, बंगाल नेशनल बैंक, इण्डियन बैंक आवृ मद्रास १९०७, बम्बई मरबेंगट्स बैंक, कोडिट बैंक आवृ इण्डिया १९०८, कठियावाड अहमदाबाद बैंकिंग-कॉरपोरेशन १९१०, सेहत्तल-बैंक आवृ इण्डिया १९११ आदि के नाम उल्लेखनीय हैं।

५ वर्षों में फेल होनेवाले बैंक

वर्ष	संख्या	मूलधन लाखों में	
		स्वीकृत	ग्रास
१९१३	१२	२७४	३८
१९१४	४२	७१०	१०६
१९१५	११	८६	८१ ४
१९१६	१३	२३१	८१ ४
१९१७	६	७६	८२
जोड	८७	१३४७	१७८

सन् १९१३—१७—सन् १९१३ ई० में बैंकों पर फिर विपत्ति आई, जिसने इनमें से बहुतों का गला घोट दिया और भारतीय बैंकिंग को भारी धनका पहुँचाया। उसका अनुमान ऊपर की तालिका से स्वयं हो जाता है :—

उक्त ५ वर्षों में ८७ बैंक, जिनका ग्रास मूलधन १७८ लाख

था, फेल हुए हैं। यह सत्य है कि इनमें से कुछ के फेल होने का कारण, बैंक के फरड़ों का वेइमानी के साथ उपयोग करना, बैंकिंग व्यवसाय के साथ साथ व्यापार को मिश्रित करना तथा इस बात के ज्ञान का अभाव कि सुरक्षित धनधा किस प्रकार किया जाता है, आदि थे; किन्तु इनके साथ साथ दूसरे कारण ये थे—(१) भारतीय बैंकों में आपसी सह कारिता का अभाव, (२) विदेशी, अंग्रेजी और प्रेसीडेंसी बैंकों का द्वेष-पूर्ण तथा सहानुभूति रहित व्यवहार, (३) सरकार की लापरवाही के साथ तमाशा देखनेवाली नीति।

सन् १८८८-१८९० लडाई के जमाने में भारत के कम्पनी व्यवसाय को पुनः उत्तेजना मिली, साथ हो थोड़ी बहुत भारतीय ज्वाइट स्टॉक बैंकिंग की भी उन्नति आरम्भ हुई। परिणाम स्वरूप टाटा इण्डस्ट्रियल-बैंक सन् १९१८ में बड़ी ऊँची आशाओं के साथ और उपयुक्त परिस्थिति में स्थापित हुआ था। इसके फलने पूलने के अच्छे लक्षण दिखाई देते थे; किन्तु दुःख है कि भारत जैसे देश में, जहाँ आधुनिक बैंकिंग का व्यवसाय पूरे तौर पर जम नहीं पाया था, वहाँ साधारण बैंकिंग धर्ये के साथ-साथ लम्बी अधिक के लिये उधार देना शुरू कर दिया। इसके अतिरिक्त बैंक के अमले में अधिकतर अनुभव रहित अंग्रेजी नौकरों का बोलबाला था जिनके हाथ में बैंक के प्रमुख कार्यों का सचालन था और जिन्होंने विकट परिस्थिति के अवसर पर भारतीय नौकरों के अधिकार छीन लिये थे ऐसे अनेक कारणों से भारतीय-नौकरों

व भारतीय-प्रजा की सहानुभूति, बैंक से हट गई, फल-स्वरूप अत्यंत समय में अर्थात् ६ वर्ष की अवस्था में ही यह बैंक स्वयं लिंगिंघडेशन में आ गया और सन् १९२३ में सेण्ट्रल-बैंक आवृ इण्डिया के साथ मिल गया। इसी प्रकार इंडस्ट्रीयल-बैंक

११ वर्षों में फेल होने वाले बैंक

वर्ष	संख्या	मूलधन		
		मंजूर शुद्ध	जारी शुद्ध	वसूल शुद्ध
१९१८	७	२,०६,४६,६७०	४,८८,६८९	१,४६,१८८
१९१९	४	४२,५०,०००	६,४७,१८८	४,०२,७३७
१९२०	३	१०,५०,०००	७६,७७००	७,२४,७१७
१९२१	७	७०,५०,०००	८८०६६८	१,२५,३२६
१९२२	१५	१०,११,८८,०००	२७,२८,७४४	३,२८,६६३
१९२३	२०	२१,८६,८६,६६८	६,६२,३६,४८०	४,६८,४७,३२८
१९२४	१८	६,३०,३०,६२८	२६,४६,३७०	११,३३,६२३
१९२५	१७	१,८६,८०,०००	८८,४१,६६८	१८,७८,७६८
१९२६	१४	७१,८०,०००	७,०८,८१८	३,६८,१४८
१९२७	१६	६६,३०,०००	६,८८,३०२	३,१०,८१८
१९२८	१३	८१,००,०००	३१,६८,७४०	२३,११,७१७

आवृ वेस्ट-इण्डिया, दी करनानी इण्डस्ट्रीयल-बैंक, दो कलकत्ता इण्डस्ट्रीयल बैंक-प्रादि अधिकांश प्रमुख-प्रमुख बैंक, जो लडाई के

जमाने में पैदा हुए थे, लडाई के बाद जवाइट-स्टॉक कम्पनियों के असफल होने के साथ साथ बन्द हो गये। पृ० २८ की तालिका भारतीय-बैंकिंग व्यवसाय की दयनीय दशा का पूण रूप से दिखार्थन कराती है।

बैंकों के फेल होने में सन् १९२२ ई० से सन् १९२८ ई० तक, सात वर्ष का समय, पिछले ५ वर्ष (सन् १९१३—१९१७ ई०) से भी अधिक भयकर निकला है। उन ५ वर्षों में तो बेवल एक वर्ष सन् १९१४ ई० ही अधिक भयकर था, किन्तु सन् १९२२ ई० से लगातार फेल होनेवाले बैंकों की सख्ता में कमी नहीं आ रही है। प्रति वर्ष ७५ लाख बाले १६ बैंकों के फेल होने का श्रौत है, जब कि पहले पाँच वर्षों (सन् १९१३—१७ ई०) में फेल होने वाले बैंकों का प्राप्त मूलधन प्रतिवर्ष ३५ लाख से अधिक नहीं आता है।

सन् १८३१ ई० का आर्थिक-संकट—महासमर के साथ साथ बृटेन की सरकार को आर्थिक धुन ऐसा लग गया है, जिससे वह अब तक भी नहीं सुधर पाई है बल्कि सन् १९३० ई० और ३१ ई० के व्यापारिक हास के कारण उसकी आर्थिक स्थिति और भी शोचनीय दशा को पहुँच गई, जिससे विवश होकर उसको अपने कागजी सिक्के की पीठ पर से स्वर्णाधार (Gold standard) उठाना पड़ा। फल स्वरूप बैंक आवृ इगलेंड से सम्बन्ध रखनेवाले बैंकों में हलचल मच गई और बृटेन की कागजी मुद्रा (sterling) के साथ रूपये का,

१ शिं० ६ पै० की दर से, सम्बन्ध जोड़ देने के कारण भारतीय बैंक भी हिल उठे; किन्तु इम्पीरियल बैंक के गवर्नर की ओर से सहायता देने के आश्वासन के कारण अधिक संख्या में बैंक फ़ैल न हो सके और राम-राम करके अधिकांश बैंकों ने जान बचाई। फिर भी लाला हरकिशन लाल का पीपलस-बैंक आवृत्तार्द्दन इंडिया और पंजाब काश्मीर बैंक फ़ैल हो गये। अपने बैंक के फ़ैल होने का कारण बताते हुए पीपलस-बैंक के मैनेजिंग डाइरेक्टर ने एसोसिएटेड प्रेस को यह बयान दिया था—

“हमने १ जुलाई सन् १९३१ ई० से अब तक (२३ सितम्बर सन् १९३१ ई०) ८० लाख रुपयों का पेंस्ट दिया, फिर भी माँग बनी रही। इस माँग का कारण यह है कि गवर्नर्मेंट इतने अधिक ब्याज की दर से क़र्ज़ ले रही है कि जितना ब्याज बैंक नहीं दे सकता। अन्तिम ट्रैज़री बिल ७२ प्रतिशतक का था। जये क़र्ज़ों के कारण थोड़ी थोड़ी-रकमें भी खिच गई। बैंक की स्थिति अच्छी है। इसमें जितना रुपया दूसरों का ज़मा है, उससे अधिक रुपया बैंक का बसूल होने को है; परन्तु किसी देश या संस्था की साथ नकदी नहीं बना सकती।”

सारांश यह है कि लडाई के बाद से अब तक भारतीय बैंकिंग व्यवसाय की अवस्था गिरतो हुई चली आ रही है, अभी तक सुधरी नहीं है।

विदेशीय-विनियम बैंक—ये बैंक विदेशीय व्यापार के लहने-पाने की भुगतान करने का धन्धा करते हैं; इसलिए विनियम

वैक कहलाते हैं। भारत में इनका जन्म ७५ वर्ष पूर्व हुआ था। सन् १८७० ई० में इस प्रकार के बेबल ३ वैक थे। इसके पश्चात् १८८० ई० में ४, सन् १८९० में ५ १९०० ई० में ८, सन् १९२० ई० में १५ और सन् १९२८ ई० में धीरे धीरे उन्नति करते हुए इनकी सख्या १८ तक पहुँच गई। पिछली सख्या नन् १९२२ से समान चली आ रही है। महायुद्ध के पहले यहाँ केबल १२ विनिमय बैक थे, जिनका मूलधन व रिजर्व फणड ३ ७८ करोड़ पौण्ड था और ४४ लाख पौण्ड का लगभग नकदी रोशन थी। इन उक्त बारह बैकों में आधे से अधिक क हेड आफिस लन्दन में थे। शेष के हेड आफिस जापान, फ्रास, जर्मनी और अमेरिका में ब टे हुए थे। महासमर क अवसर पर भारत का व्यापारिक सम्बन्ध अनेक भिन्न भिन्न देशों से स्थापित हुआ, जिसक कारण दूसरे देशों क बैकों को यहाँ शाखायें खालने के लिये उत्तेजना मिली। सन् १३ और २४ के बीच में इन बैकों दी सख्या में ५० प्रतिशतक वृद्धि हुई है। सन् १९१८, १९२८ ई० में दो जापानी, १९२० में “बैकों नेशनल उलट्रा मैरोना” और दी नेटरलैण्ड बैकों ने “प्रपने दफ्तर भारत में खोले। आरम्भ में इन बैकों का धन्धा साधारण सा था, किन्तु धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ात इतना बढ़ गया कि आज इन्होंने भारतीय वैर्किंग व्यवसाय पर पर्याप्त अधिकार जमा लिया है और भारतीय ज्याइ ट स्टॉक बैकों की अपेक्षा अत्यधिक शक्ति-शाली बन गये हैं। पाठक पृष्ठ ३२ के कोष्टक से लडाइ क बाद इनकी बढ़ती हुई गति का अनुमान स्पष्ट तर्गा सकेंगे—

नीचे के कोप्रक में सन् १९२८ में विदेशी वैकों की संख्या १८ बतलाई गई है। इन वैकों में से प्रत्येक वैक की अनेक शाखाएँ भारत की मुफस्सलात में फैली हुई हैं, जिनकी कुल संख्या ८८ होती लड़ाई के पश्चात से विनिमय वैकों की उन्नति

वर्ष	संख्या	मुलधन वधु प्रण रुपये १००० पौंड में	भारत की जमा १००० पौंड में	भारत में रोशन १००० पौंड में
{ १९१३ } महा युद्ध से पूर्व }	१२	३७,८२८	२३,२७६	४,४११
१९१४	११	८३,०७०	५५,७६६	२२,४८७
१९२०	१५	६०,२१७	४६,१०८	१८,८८१
१९२१	१७	१११,६२२	८६,२६७	१७,६७८
१९२२	१८	११२, २२१	८८,०३८	१२,१३२
१९२३	१८	१४०,३०३	८१,३३२	१०,८८६
१९२४	१८	१३०,४६४	८२,६७६	१२,२७८
१९२५	१८	१३८,३११	८२,६०६	७,०६२
१९२६	१८	१४८,००३	८३,६८८	८,०४६
१९२७	१८	१८०,८१६	८१,६४१	६,०६८
१९२८	१८	१८८,६२३	८३,३६४	७,०४२

है। ये विदेशी-व्यापार को आर्थिक सहायता देने के अतिरिक्त सब प्रकार का वैकिंग-घन्धा भी करते हैं। ये भारतीय-प्रजा की अमानतें जमा रखते हैं और सदैव अधिक से अधिक इस देश का

रूपया र्योचने के प्रथम में रहते हैं। प्रमाण के लिये इम्पीरियल बैंक चल्लू खाते (Current deposits) पर ब्याज नहीं देता; किन्तु ये बैंक आम तौर पर ३% प्रतिशत सालाना ब्याज देते हैं। ऐसे अनेक कारण हैं, जिनकी वजह से इनमें भारतीय प्रजा की जमा उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। जहाँ सन् १९१३ में २३०२ करोड़ रुपये इनमें जमा थे, वहाँ सन् १९२८ में जमा को संख्या ५३३ करोड़ रुपया हो गई। इस संचित धन-राशि से यह बैंक अधिक मात्रा में विदेशी व्यापार की सहायता करते हैं, जिसका अधिकांश भाग विदेशी व्यापारियों के हाथ में है। विदेशों में धन की तंगी आने पर ये बैंक भारत के धन को भारत के बाहर भेजकर दूसरे देशों की ऊंचे ब्याज की दर से लाभ उठा लेते हैं। यही कारण है कि भारत में इन बैंकों की नक़दी रोशन कम होती जा रही है, जैसा कि १०३२ के कोष्टक से प्रकट होता है। विदेशी बैंकों की उत्तरोत्तर वृद्धि का यह परिणाम हो रहा है कि भारत के उद्योग-धन्ये धनाभाव से परेने नहीं पाते और भारत के धन से विदेशी लोग लाभ उठाते हैं। इन बैंकों का दृष्टिकोण स्वदेश विदेशी व्यापारियों को सहायता पहुँचाना और विदेशी लोगों को बड़ी बड़ी तनख़्वाहें देना रहा है। ७५ वर्ष से भारत में काम करते रहने पर भी इन्होंने आज तक एक भी भारतीय को उत्तरदायित्व के पद पर स्थान नहीं दिया है। भारत ही एक ऐसा पराधीन देश है, जहाँ ये बैंक मनमाने रूप से इस देश के धन का व्यवहार करते हैं और इस देश के

हित का ध्यान नहीं रखते (इस सम्बन्ध में अगले पृष्ठों में विशेष रूप से विचार किया गया है)।

इम्पीरियल वैक—धीसर्वी सदी के प्रथम दस वर्षों में एक केन्द्रीय वैक की आवश्यकता आव्याधिक रूप से अनुभव हुई और यह अनुमान किया गया कि इस देश की व्यापारिक उन्नति के लिये वैकिंग-सम्बन्धी आवश्यक सुविधा प्राप्त होने और सरकारी सहायता से लाभ उठाने के लिये तीनों प्रेसीडेन्सी वैकों की अपेक्षा एक केन्द्रीय वैक अधिक उपयोगी सिद्ध होगा। अस्तु इस प्रकार के वैक की स्थापना के सम्बन्ध में मिस्टर जे० पम० कीन्स ने एक स्क्रीम बनाई थी, जो सन् १९१३ई० के भारतीय करेंसी कमीशन की रिपोर्ट के साथ शामिल कर दी गई, परन्तु लडाई के छिड़ जाने की वजह से उस समय उस पर विचार करना स्थगित कर दिया गया। लडाई के जमाने में सरकार को करेंसी सम्बन्धी जो कठिनाईयाँ हुईं, उन्होंने उक्त प्रकार के वैक की स्थापना वी आवश्यकता की ओर सरकार का अति शीघ्र ध्यान आकर्षित किया और वैकिंग की उन्नति के लिये एक ठोस दोष तैयार कर दिया। लडाई समाप्त होते ही सरकार और तीनों प्रेसीडेन्सी वैकों के बीच में एक समझौता हुआ। फल स्वरूप तीनों वैकों के सम्मिश्रण से सीमित जिम्मे दारी के आधार पर इम्पीरियल वैक की स्थापना हुई। इसकी व्यवस्था और कार्य की व्याख्या के लिये एक विशेष कानून इम्पीरियल वैक ऐक्ट सितम्बर सन् १९२०ई० में पास हुआ।

इसके साथ एक एश्रीमेरेट शामिल किया गया है, जिसके द्वारा सरकार और बैंक के बीच में सम्बन्ध स्थापित किये गये हैं। इस बैंक ने २७ जनवरी सन् १९२१ ई० से कार्य आरम्भ किया है। इस

इम्पीरियल बैंक का प्रगति-सूचक कोष्ठक

[लाखों में]

वर्ष	मूलधन	रिजर्व फड़	रावर्नमट की ओर सावै-जनिकजमायें	निजी जमायें	रोशन
१९२२	८६२	४३३	१४१६	४७००	१५०७
१९२३	८६२	४२८	८४७	७४१६	१५०३
१९२४	८६२	४८०	७५०	७६७१	१५६०
१९२५	८६२	४६३	८४६	७७८२	१०४७
१९२६	८६२	५०६	६४८	७३६०	२०६०
१९२७	८६२	४२४	७२०	७२०७	१०८६
१९२८	८६२	४३६	७४८	७१३०	१०५७
१९२९	८६२	४४८	७६०	७१६	१४००
१९३०	८६२	४५३	७३७	७९६	१३०४

बैंक का मूलधन ११२५ लाख रुपया निश्चित हुआ। जब कि तीनों प्रेसीडेन्सी बैंकों का इकलाई मूलधन सिर्फ ३७५ लाख ही था। सन् १९२१ ई० के बाद इस बैंक ने इस प्रकार उन्नति की है।

इस वैक से जैसी आरा थी, वैसी भारतीय व्यवसाय को सहायता नहीं मिली और न राष्ट्रीय वैक की आवश्यकता ही पूरी हुई। इसके लिये यह आम शिकायत है कि यह देशी कम्पनियाँ, वैकों और स्थानों को अधिक सहायता देने में उपेक्षा करता है; किन्तु विदेशी संस्थाएँ इससे पूरा पूरा लाभ उठा लेती हैं। इस कथन की पुष्टि मिस्टर मेकडोनाल्ड के उस विचार से होती है, जो उन्होंने सेण्टल वैकिंग इन्कायरी कमेटी (सन् १९३१ ई०) के सामने वैक की जमा-शुदा अमानतों और दिये हुए क़ज़ों की वायत देश किया था। यथा—

जमा		नावं
विदेशियों की लाख	११६०	लाख
चल्लू खाते में	५६४	०
मियादी अमानतें	२६४	०
जोड	८२८	११७०
भारतीयों की लाख	३०३८	
चल्लू खाता	१७३२	०
मियादी अमानतें	२१४८	०
जोड	३८८१	३०३८

इससे प्रस्तु होता है कि विदेशियों को उनकी जमा की अपेक्षा अधिक उधार दिया जाता है और भारतीयों को उनकी जमा से कम उधार मिलता है। इसके अतिरिक्त इस वैक में शेयर-होल्डर्स का बहुमत विदेशियों का है। यथा—

भारतीय शेयर-होलडरों की पैंडी	२५८०८२५०
विदेशी	२८४४७५०

इसलिये इसमें विदेशियाँ ही का अधिक बोलबाला है।

हेड आॅफिस और शाखायें—इसके तीन हेड आॅफिस-बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में हैं और इनके आधीन भारत के समस्त प्रान्तों में १६६ शाखायें हैं।

संगठन—इसका संचालन एक सेटल बोर्ड के अधीन है, जिसके १६ सदस्य हैं। उनका चुनाव इस प्रकार होता है :—

१ उक्त तीनों हेड आॅफिसों के प्रेसीडेण्ट, वाइस प्रेसीडेण्ट और सेक्रेटरी। ये शेयर-होलडरों के प्रतिनिधि होते हैं।

२ गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत होते हैं। इनमें एक कर्टूलर आवृकरेन्सी और चार भारतीय मेम्बर होते हैं, इनका चुनाव प्रति वर्ष होता है; किन्तु दुश्वारा भी पहिले-बाले मेम्बर चुने जा सकते हैं। ये सदस्य गैर सरकारी होते हैं।

३ मैनेजिंग गवर्नर—उनको उपरिषद् गवर्नर जनरल सेटल बोर्ड की सिफारिश पर विचार करके नियत करते हैं और वेही इनका प्रबन्ध-साल भी निश्चित करते हैं।

ये सोलह सदस्य गवर्नर कहलाते हैं। बैंक के दैनिक कार्य का संचालन मैनेजिंग गवर्नरों द्वारा होता है।

तीनों हेड आॅफिसों के अधिकार-क्षेत्रों (circles) का घन्था उनके अपने अपने स्थानीय बोर्ड द्वारा संचालित होता है, जिसका

चुनाव शेयर-होल्डर करते हैं। तीनों स्थानीय बोर्ड, जहाँ तक ग्राम नीति और भवेय का सम्बन्ध है, वहाँ तक सेएन्सल बोर्ड की आधीनता में काम करते हैं। इन तीनों केन्द्रीय दस्तरों के सेकेट्री और ट्रेज़र अपने अपने केन्द्र को व्यवस्था और प्रबन्ध के ज़िम्मेदार हैं।

सरकारी हस्तक्षेप—गवर्नरों को नियुक्ति करने के अतिरिक्त गवर्नर जनरल को वैंक के नाम हर एक ऐसे मामले के सम्बन्ध में, जो उसको सम्मति में सरकारी अर्थनीति पर गम्भीर असर डालनेवाला हो या सरकारी जमा की सुरक्षा के लिये आवश्यक हो, चेतावनी देने का अधिकार है। वैंक द्वारा ऐसी चेतावनियों की अवज्ञा होने पर उसे अधिकार है कि वह सरकारी वैंकिंग धन्धे के सम्बन्ध में इकरारनामे का पालन न करे और जब भी वह आवश्यक समझे, वैंक के हिसाबात व कारोबार का विशेष नियोजन करा सकता है।

काम—यदि वैंक सरकारी वैंकिंग धन्धे का अकेला अधिकारी है और तभाम सरकारी जमाओं का विना व्याज उपभोग करता है। यह सरकारी वैंकर है। जहाँ जहाँ इसकी शाखायें हैं, वहाँ वहाँ यह सरकारी ख़ुज़ानची का काम करता है, सरकार के खाते जमा होनेवाली समस्त रकमें सर्वसाधारण से वसूल करता है और सरकार के वास्ते सदैव आवश्यकतानुसार रोशन तैयार रखता है। यह भारत सरकार के सार्वजनिक ऋण का प्रबन्ध करता है और केन्द्रीय वैंक के कुछ काम भी अंजाम देता है। यह वैंकों का वैंक

है। भारत के प्रमुख प्रमुख वैक इसके साथ हिस्ताव रखते हैं; लेकिन ऐसा कोई कानूनी नियम नहीं है, जिससे भारत के वैकों को अपनी ज़िम्मेदारी का कुछ निश्चित भाग इसमें अनिवार्य रूप से जमा करना पड़ता हो। यह भारत के ११ क्लियरिंग हाउसों का संचालक भी है। इन सबके अतिरिक्त यह सब प्रकार का वैकिंग व्यवसाय भी करता है, जिसको इम्पीरियल वैक एक्ट की आठवीं धारा के अनुसार परिशिष्ट (Schedule) नं० १ में २ भागों में विभक्त किया गया है।

(१) वे धन्धे, जो वैक कर सकता है।

(२) वे धन्धे, जो वैक नहीं कर सकता।

पहिला भाग

वैक को अधिकार है कि वह वे तमाम धन्धे करे, जिनका कि नीचे वर्णन किया गया है—

(१) नीचे लिखी ज़मानत पर रूपया उधार देना या खाते में बाकी रखना—

अ—हिस्तों, जमाशुदा अमानतों और अन्य ज़मानतों पर (अचल सम्पत्ति के अतिरिक्त) तथा किसी स्थानीय गवर्नर्मेंट और सीलोन की गवर्नर्मेंट की ज़मानतों पर।

आ—ऐसी ज़मानतों पर, जो सरकारी सहायता-प्राप्त रेलवे-कम्पनी द्वारा जारी की गई हैं, जिनके

निस्वत् सपरिषद् गवर्नर जनरल द्वारा प्रेसी-
डेंसी वैक पेन्ट सन् १८७६ ई० की दफ़ा ३६ के
अनुसार प्रसिद्धि हो चुकी हो ।

इ—डिवेश्वर या दूसरी रूपयों की ज़मानतों पर, जो
विदिशा भारत के कानून के अनुसार डिस्ट्रिक्ट
बोर्ड या उनकी तरफ से जारी की गई हो ।

उ—उस माल की ज़मानत पर, जिसको या जिस-
का स्वत्व पत्र ऐसे थोड़े समय या अविक समय
के लिये लिये हुए कर्ज़े या खाता पेटे ली हुई
रकम के लिये बताए ज़मानत वैक में जमा किया
हो या वैक के दफ़ा में लिख दिया हो ।

ए—सही किये हुए विल आवृप्तसचेत्त और प्रोमेतरी
नोट पर, जो राख्याधाला (Payee) के द्वारा
वैचान किये गये हॉं और उन सम्मिलित प्रोमे-
तरी नोटों पर, जो हो या ज़्यादा व्यक्ति या
दूकानों, जिनका आपस में साझेदारी का सम्बन्ध
न हो, के लिखे हुए हॉं; और

ऐ—सीमित जिम्मेदारी पर कायम होनेवाली
कापनियों के पूरे दाम चुकाये हुए शेयर और
डिवेश्वर या जायदाद गैरमनकूला या तत्सम्बन्धी
स्वत्व पत्र की सहायक ज़मानत पर केवल उस
दालत में, जब कि असली ज़मानत “अ” से “इ”

तक वर्णन की हुई में से काई एक हो और यदि सेल्फर बोर्ड ने आम या खास हितायत द्वारा अधिकार दिया हो तो—असली जमानत “ए” में वर्णन की हुई होने की हालत में भी। इसके अतिरिक्त यदि सेल्फर बोर्ड उचित समझे तो स्पष्टिक भारतमंत्री को दिना किसी खास जमानत पर भी उधार दिया जा सकता है।

(२) प्रत्येक ऐसे प्रोमेसरी नोट, डिवेल्चर बोर्ड, स्पाक, शेयर, सिस्यूटिनी या माल को या उसके हक्क की दस्तावजों का, जो बैंक से उधार ली हुई रकम की प्रयत्न में यतौर जमानत के जमा की गई हो या बैंक के हक्क में लिखी गई हो और बैंक ने कब्जे में हो और जिनपर बैंक का कोई कर्जा हो या ऐसे कर्जे से सम्बन्ध रखनेवाला कोई खर्चा हो या दावा हो, जो मुताविक शरायत और इकरार के (यदि कोई हो) निर्धारित समय में बसूत न हुआ हो, वेचना और बिन्दी दी कीमत को बसूल करना।

(३) कोर्ट आवृ वार्ड्स को उस जायदाद और जागीर की जमानत पर, जो उनके अधिकार या प्रयत्न में हो कर्ज देना तथा ऐसे कर्जे व सूद को, जो उन पर हो, बसूल करना, किन्तु ऐसा कोई कर्ज तब तक नहीं दिया जावेगा, जब तक सम्बन्धित लोकल गवर्नर्मेंट

से आज्ञा प्राप्त न की गई हो और न ६ महीने से अधिक अवधि के लिये दिया जावेगा।

(४) ऐसे बिल आवृ एक्सचेंज या दूसरे बेचे जाने योग्य (Negotiable) साखपत्र जारी करना, स्वीकार करना, डिस्काउण्ट करना, खरीदना और बेचना, जो हिन्दुस्तान और सीलोन में चुकाने के काविल हौं और सपरिपद्ध गवर्नर जनरल की आम या खास हिदायत के अनुसार हौं। उन बैंकों के बास्ते या उन बैंकों से या उन बैंकों को, जिनके लिये इस सम्बन्ध में सपरिपद्ध गवर्नर जनरल ने स्वीकृति दे दी हो। ऐसे बिल आवृ एक्सचेंज को खरीदना, बेचना, डिस्काउण्ट करना, जो हिन्दुस्तान के बाहर चुकाये जाने वाले हौं।

(५) बैंक की जमाओं को उन जमानतों पर सूद से लगानी, जिनका बण्णन दफा १ में “अ” से “ई” तक किया गया है और ऐसी जमानतों को जब आवश्यकता हो तभी नकदी में बदलना तथा उपर वर्णन की हुई जैसे कोई दूसरी जमानतों में बदलना।

(६) ऐसे बैंक पोस्ट बिल और लेटर आवृ क्रेडिट लिखना, जारी करना और धनाना, जो हिन्दुस्तान और सीलोन में काविल अदायगी हौं और हिदायती (Order)

या माँगने पर उपस्थित करनेवाले (Bearer) को देने के सिवाय दूसरे प्रकार के हों ।

(७) सोना और चाँदी खरीदना या बेचना चाहे सिन्हके-वाली हो या विना सिन्हकेवाली ।

(८) अमानतें जमा रखना और मंजूर की हुई शर्तों के अनुसार नक़दी का खाता रखना ।

(९) सोना-चाँदी के पाँसे, जवाहिरात, दस्तावेजात—हक्की-यत या दूसरी मूल्यवान् वस्तुओं को कङ्जे में मंजूर की हुई शरायतों पर मंजूर करना ।

(१०) उस जायदाद मनकूला और गैरमनकूला को बेचना और उसकी कीमत बसूल करना, जो किसी प्रकार से बैंक के कङ्जे में उसके दावे की पूर्ति या उसके किसी हिस्से की पूर्ति में आई हो ।

(११) शप्या-पैसा-सम्बन्धी एजेन्सी का काम करना ।

(१२) वैसियत ऐडमिनिस्ट्रेटर, ग्रबन्धक या अमानतदार जायदाद का तस्फीया करने के बाह्य काम करना और बतौर एजेंट के नीचे लिखे हुए धन्धों का लेन-देन कमीशन पर करना :—

क—किसी सार्वजनिक कम्पनी की जमानतों या हिस्सों को खरीदना, बेचना, मुन्तकिल करना और अपनी तहबील में लेना ।

प—हर एक प्रकार की जमानत और शेयर की असली
धीनत, सूट या मुनाफा वसूल करना।

ग—और ऐसी वसूल युद्धा रकम का मालिक की
जोखिम पर सार्वजनिक या निजी विनियम्य विल्स,
जो भारत या अन्य किसी देश में काविल वसूल
हा, के ढारा भुगतान करना।

(१३) विनियम्य विल्स और लेटर आवृ केडिट, जो भारत
के बाहर बाविल वसूल हौं, न० ११ में बर्णन किये
कामों के लिये या अपने ग्राहकों को निजी जरूरियात
के लिये जारी करना।

(१४) ड—उक्त प्रकार के जारी किये हुए विल आवृ
एक्सचेंज और लेटर आवृ केडिट की अदायगी के
बास्ते भेजने के लिये ऐसे विनियम्य विल खरीदना,
जो भारत के बाहर काविल वसूल हौं और किसी
भी सुदूर के हौं, जो ६ महीने से अधिक की न हो।

(१५) च—वैक के कारबार के लिये भारत में रुपया
उधार लेना और देसी उधार को हुई रक्तूमात के
लिये वैक की सम्पत्ति को रहन करके या दूसरे
तरीके से जमानत देना।

(१६) छ—इगलैण्ड में वैक ने कारबार के लिये वैक की
सम्पत्ति की जमानत पर रुपया उधार लेना न कि
दूसरे तरीके पर।

ज—आम तौर पर ऐसे मामले और काम करना, जो ऊपर वर्णन किये हुए भिन्न भिन्न प्रकार के धंधों को पूरा करने और उनकी मदद के लिये आवश्यक हों।

दूसरा भाग

वे काम, जिनको करने का अधिकार
वैंक को नहीं है।

वैंक उन कामों के अतिरिक्त, जो पहिले हिस्से में वर्णन किये गये हैं, अन्य किसी प्रकार का भी वैंकिंग धन्धा नहीं कर सकेगा और विशेष तौर से—

(१) वह उधार नहीं दे सकेगा—

अ—लम्बे समय के लिये, जो ६ माह से अधिक हो।

आ—वैंक के स्टाक या शेयर की ज़मानत पर।

इ—सिवाय उन जायदादों के, जिनके लिये पहिले हिस्से के फ़ॉज़ि नं० ३ में वर्णन किया है, किसी जायदाद गैर-मनकूला या तत्सम्बन्धी दस्तावेज़ात—हक्कीयत की (रहन रखकर या किसी तरह से) ज़मानत पर।

(२) वैंक (सिवाय पहिले हिस्से के फ़ॉज़ि नं० १ के सब फ़ॉज़ि “अ” से “उ” तक नियत की हुई ज़मानतों के)

किसी एक व्यक्ति या शराकती दूकान के बिल किसी एक समय में सब मिलाकर उस रकम से अधिक, जो नियत कर दी जावे, डिस्काउण्ट नहीं कर सकेगा या किसी एक व्यक्ति या शराकती दूकान को किसी एक समय में सब मिलाकर उस रकम से अधिक, जो उसके लिये नियत कर दी जावे, उधार न दिया जावेगा ।

(३) वक किसी व्यक्ति या शराकती फर्म की ऐसा वेचे जाने योग्य दस्तावेज़ को न डिस्काउण्ट कर सकेगा न खरीद सकेगा और न उसकी जमानत पर उधार दे सकेगा या वाकी रख सकेगा, जो उसी कस्ते या स्थान पर काविल अद्यायगी हो, जहाँ डिस्काउण्ट के लिये उपस्थित की जावे, जब तक उस पर कम से कम ऐसे दो व्यक्ति या दो फर्मों की, जिसका एक दूसरे के साथ आम शराकती सम्बन्ध न हो, जिम्मेदारी शामिल न हो गई हो ।

(४) वेक किसी वेचे जाने योग्य दस्तावेजों को डिस्काउण्ट नहीं कर सकेगा और न खरीद सकेगा या उव्वती जमानतों पर उधार दे सकेगा अथवा वाकी रख सकेगा, जो लेन-देन की तारीख से छु माह से अधिक मुद्रत की हों या यदि देखने के बाद की मुद्रत की लिखी हों तो छु माह से अधिक मुद्रत के

लिये लिखी हुई न हो; किन्तु इस हिस्से से यह न समझा जावेगा कि बैंक के लिये फ़िसी व्यक्ति को, जो उससे खाता रखता है, जमा से अधिक विला ज़मानत उस हद तक, जो नियत कर दी जावे, देने की रुकावट है।

सारांश यह है कि यह इस देश का एक प्रमुख व्यवसायिक बैंक है और सब प्रकार का बैंकिंग व्यवसाय करता है, लेकिन इसको छुः माह से अधिक अवधि के लिये और अचल सम्पत्ति की ज़मानत पर उधार देने का अधिकार नहीं है। इसके अतिरिक्त विशेष ध्यान देने योग्य यह बात है कि यह बैंक भारत के बाहर बिना ज़मानत दिये न तो रुपया उधार दे सकेगा और न अमानतें जमा कर सकेगा। इसका यह अभिप्राय है कि यह भारत, ब्रह्मा और सीलोन के बाहर कोई धन्या नहीं कर सकता। लन्दन में ब्रांश खोलने की आज्ञा केवल सरकारों काम बतौर आढ़तिया करने के लिये दी गई है। आश्चर्य की बात तो यह है कि जिस प्रकार इसको विदेशी विनिमय का धन्या करने की आज्ञा न देकर विदेशी बैंकों के अधिकृत व्यापार की रक्षा की गई है, उस प्रकार भारतीय ज्याइएट स्टाक बैंकों के साथ प्रतियोगिता करके व्यापार न छुन सकने के बास्ते कोई उपाय नहीं किया गया; इसलिये यह स्वतन्त्रता-पूर्वक उन स्थानों पर, जहाँ पहिले से अच्छे अच्छे ज्याइएट स्टाक बैंकों के दफ्तर मौजूद हैं, अपनी शाखाएँ खोल रहा है और

उनका व्यवसाय द्योन रहा है। इसको कहते हैं, “जिसकी लाठी उसकी भेंस !”

कोऑपरेटिव बैंक

उक्त वर्णित ३ प्रकार (इन्पीरियल बैंक, विनियम बैंक और ज्वाइंट स्टाक बैंक) के बैंकों के अतिरिक्त कोऑपरेटिव बैंक भी भारत के बैंकिंग व्यवसाय में विशेष स्थान रखते हैं। इनका जन्म भारत में सहकारिता के प्रचार के साथ साथ हुआ है।

कृषकों की भगाई के लिये सहकारिता को जन्म देने का विचार भारत में सबसे पहले सन् १८६२ ई० में उत्पन्न हुआ था। मद्रास सरकार ने सर फ्रेडरिक निकोलसन I. C. S. को भारत में इसका प्रचार करने के हेतु थोरण में अनुभव प्राप्त करने के लिये भेजा था। इन्होंने सन् १८६४ ई० में अपनी रिपोर्ट (सन् १८६५-६६ ई०) मद्रास सरकार के सामने उपस्थित की थी, जो भारत सरकार के सामने सन् १८०० ई० में आई थी। इसी समय के लगभग कुछ सहकारी समितियाँ मि० डूपर मेरठ I. C. S. ने संयुक्त प्रान्त में और मि० मेरठेगन I. C. S. ने पंजाब में स्थापित की थीं। सन् १८०१ ई० में भारत सरकार ने इस देश में सहकारिता के प्रचार के प्रश्न पर विचार करने के लिये सर एडवर्ड ला के समाप्तित्व में एक कमेटी नियुक्त की थी। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में भारत के उपयुक्त रेफोर्म प्रणाली

के अनुसार सहकारी-समितियाँ स्थापित करने के लिये सिफारिश की थी। इसके अतिरिक्त फ्रेमिन कमेटी १९०१ ने भी पारस्परिक साझ-संस्थाओं (Mutual Credit associations) की स्थापना के लिये सिफारिश की थी। इन सिफारिशों के परिणाम-स्वरूप सर डेन्जिल इवेटसन ने व्यवस्थापक सभा में एक बिल उपस्थित किया, जो सन् १९०४ ई० में कानून नं० १० पहला कोआपरेटिव एकट के ताम से पास हुआ। इसके पास होने से २ वर्ष के अन्दर २८०० समितियाँ की स्थापना हुईं और अति वर्ष उत्तरोत्तर संख्या बढ़ती गईं। कुछ समय कार्य करने के बाद यह कानून कुछ त्रुटि-पूर्ण जात हुआ और उसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता अनुभव हुई। तब सन् १९१२ ई० में दूसरा कानून नं० ११ पास हुआ। इसी कानून के आधार पर भारत में आज कल सहकारी-समितियाँ का सचालन होता है। केवल वर्ष ही और ग्रहण में अभी हाल में बने हुये स्थानीय कानून द्वारा कार्य होता है। सन् १९१५ में फिर सरकार ने सहकारिता के प्रचार का अनुसन्धान करने के लिये मेकलेंगन कमीशन बिठाया। इसकी रिपोर्ट प्रकाशित होने के पश्चात् इस धन्धे को गहरी उत्तेजना मिली। प्रान्तीय वैड़ों की स्थापना का थ्रेय इसी कमीशन को प्राप्त है।

वर्तमान सहकारी संस्थाओं को ३ श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है :—

१—ग्रामीण समितियाँ, २—सेएट्स वैड़, ३—प्रान्तीय वैड़।
भा०-वै०-भ०

आमीण समितियाँ—सहकारिता का आर्थिक संगठन इन आमीण समितियों से आस्मम होता है। यह समितियाँ ऋण लेने और न लेनेवालों को, जो एक गांव में रहते हैं, एक दूसरे को जानते पहचानते हैं और स्वाभाविक रूप से एक दूसरे की भलाई-बुराई में दिलचस्पी लेते रहते हैं, मण्डली होती है। इस मण्डली द्वारा एक गाँव के भिन्न भिन्न स्थिति के लोग उस गाँव के आर्थिक संगठन में शामिल होते हैं और एक दूसरे को भ्रातृभाव पूर्वक सहायता पहुँचाते हैं। इस प्रकार की समितियों का जन्म ससार में सर्वप्रथम जर्मनी में हुआ और ऐसे समय में हुआ, जब घड़ी के कृपक आर्थिक सकट से पिस रहे थे और कृपक तथा छोटे कारीगर लालची सूखखोरों द्वारा लूटे जा रहे थे। उनको बढ़ती हुई इस असहा गरीबी और असहाय अवस्था को देखकर उस देश की दो परोपकारी आत्माओं का हृदय कुब्ज हो उठा और उन्होंने अर्थ पीड़ितों का सकट दूर करने के लिये सहकारिता की स्थापना की। मिस्टर सूलजडेलिट्श (Schulze Delitzsch) ने छोटे दस्तकारों और व्यायारियों की और मिस्टर रेफिशन ने कृपकों की समितियाँ बनाना आरम्भ किया। घड़ी इन समितियों से ऋण प्रस्त कृपकों और छोटे कारीगरों को अधिक लाभ पहुँचा, इसलिये इस प्रणाली का ससार के प्रत्येक देश ने अनुकरण किया है। भारत में भी सह कारी समितियाँ रेफीशन की सूझ के नमूने की नकल है, लेकिन यहाँ इन समितियों को स्थापना प्रजा के उद्योग से नहीं हुई,

बलिक भारत-सरकार ने कृपक-समुदाय की बड़ी हुई सूदखोरी से रक्षा करने और कृषि कार्य के लिये कम ब्याज पर आर्थिक सहायता पहुँचाने के उद्देश्य से को है। इनके प्रबन्ध और संचालन के लिये प्रत्येक प्रान्त में एक-एक रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है, जो इन समितियों के तमाम मामलों को देखता व सुनता है और इनके सदस्यों के कार्य का निरीक्षण और प्रबन्ध करता है। निःसन्देह रजिस्ट्रार कृपक-प्रजा का परम मित्र, शुभ-चिन्तक और पथ-प्रदर्शक होता है।

इनका संगठन विलकुल साधारण है। उस गाँव का प्रत्येक रहनेवाला, जो साथी मेम्बरों की दृष्टि में भला आदमी हो, समिति का मेम्बर बन सकता है। दस व्यक्ति मिलकर एक सभा बना सकते हैं। सभा की पूँजी में वह तमाम ज़मीन, जायदाद, पशु इत्यादि सम्पत्ति शामिल है, जो उसके मेम्बरों की है। इसका व्योरा नक़शा हैसियत (Property statement) में दर्ज किया जाता है। इस नक़शा हैसियत का पुनर्मिलान प्रति वर्ष होता रहता है और इसको हमेशा नहीं रखा जाता है। इसको सावधानी से तैयार करना और पुनर्मिलान करना सभा का प्रमुख कार्य है। क्योंकि ऋण देने का सारा आधार इसके अंकों पर निर्भर रहता है। नक़शा हैसियत के आधार पर मेम्बर को ऋण देने की सीमा कायम की जाती है। यह समितियाँ अपने मेम्बरों की सम्मिलित और असीमित ज़िम्मेदारी पर बड़ी समितियों—सेण्डल-चैक और प्रान्तीय-चैकों से ऋण लेती हैं और अपने

मेम्बरों को उधार देती हैं, लेकिन ये समितियाँ अपने सदस्यों के अतिरिक्त अन्य लोगों की आमानतें जमा नहीं रखती हैं। ऐसी समितियाँ ब्रिटिश भारत और देशी राज्यों में लगभग १ लाख के हैं, जिनके सदस्यों की संख्या लगभग ४० लाख तक पहुँच चुकी है।

सेंटल-बैंक—एक ज़िले की समस्त समितियाँ मिलकर एक केन्द्रीय समिति कायम करती हैं, जिसे सेंटल-बैंक कहते हैं और इनका दफ्तर आमतौर पर ज़िले के सदर मुकाम पर या किसी खास क्षेत्र में होता है। ये बैंक अधिकांश में सीमित ज़िम्मेदारी के साथ स्थापित किये जाते हैं और इनकी पूँजी हिस्सों द्वारा संग्रह की जाती है। इनके मेम्बर सहकारी समितियों के अतिरिक्त दूसरे लोग व्यक्तिगत रूप से भी हो सकते हैं। इनका संचालन एक व्यवस्थापक-मण्डल (Board of Directors) द्वारा होता है, जिसमें सहकारी समितियों के अतिरिक्त व्यक्तिगत मेम्बरों के बुने हुए व्यवस्थापक भी होने हैं। ये बैंक ज्वाइंट-स्टॉक बैंकों की भाँति, सर्वसाधारण की सब प्रकार की आमानतें जैसे मियादी, करेण्ट और सेविंग्ज बैंक आदि की कम सूद पर जमा रखते हैं। ये इन्पीरियल बैंक से भी उधार लेते हैं। ये जमा रखी हुई और उधार ली हुई रकमें ग्रामीण सहकारी समितियों को कुछ अधिक व्याज की दर से उधार देते हैं। व्याज की न्यूनाधिक दर से इनको जो लाभ होता है, उसको ये अपने हिस्सेदारों में विभाजित करते हैं, लेकिन आम तौर पर ही प्रतिशत से अधिक

मुनाफ़ा नहीं बाँटने। कहीं कहीं बारह प्रतिशत भी बाँटा जाता है। बम्बई प्रोविन्शियल कोआपरेटिव बैंक ने दस प्रतिशत और कोटा स्टेट कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड कोटा ने छ प्रतिशत से अधिक मुनाफ़ा बाँटने की कानून द्वारा रोक लगा रखी है। इस प्रकार के बैंकों की संख्या विटिश भारत और देशी राज्यों में लगभग छः सौ के है, जिनका मूलधन और रिजर्व फंड लगभग चार करोड़ के है और जिनमें २० करोड़ के लगभग अमानतें जमा हैं।

प्रान्तीय बैंक—प्रत्येक गवर्नरी-प्रान्त के समस्त सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक मिलकर एक बड़ी केन्द्रीय सभा स्थापित करते हैं, जिसको प्रान्तीय बैंक कहते हैं। यह बैंक सर्वसाधारण की अमानतें कम व्याज पर खींचने में समर्थ हो जाते हैं। इन्होंने इम्पीरियल बैंक तथा ज्वाइएट स्टाक बैंकों से उधार लेने का प्रबन्ध भी कर रखा है। इस प्रकार संग्रह की हुई पूँजी को ये सेंट्रल बैंकों को उधार देते हैं। इसके अतिरिक्त ये बैंक ज्वाइएट स्टाक बैंकों की भाँति सब प्रकार का बैंकिंग व्यवसाय जैसे व्यक्ति गत मेम्बरों को अनाज, ज़ेबर आदि वस्तुओं पर उधार देना चेक, हुएडी, यिल को संग्रह करना और देश के अन्दर भुगतान करना आदि करते हैं। इन बैंकों का एक संयुक्त इंडियन प्रोविन्शियल को-आपरेटिव बैंक एसोसियेशन है, जो इनको आर्थिक, कानूनी और शासन-सम्बन्धी सहायता दिलाने के लिये प्रयत्न करता रहता है। इस प्रकार के भारत में द बैंक हैं यथा:—आसाम, बंगाल, बिहार,

उड़ीसा, बम्बई, ब्रह्मा, मध्य-प्रान्त, मद्रास और पंजाब में। इन सब-का मूल धन और रक्षित-फंड रु० १,४५,५४,०००) है और इनमें रु० ६,२२,२१,०००) की अमानतें जमा हैं। गवर्नरी प्रान्तों में केवल संयुक्त प्रान्त ही पेसा है, जहाँ इस प्रकार का बैंड नहीं है। यह इस प्रान्त में भारी कमी है, जिसको दूर करने के लिये संयुक्त प्रान्तीय वैकिंग इंक्वाइरी कमेटी ने ज़ोरों के साथ सिफारिश की है।

सहकारिता की उन्नति समस्त भारत में एक सी नहीं हुई है। रोयल कमीशन के शब्दों में पंजाब, मद्रास और बम्बई के अतिरिक्त प्रान्तों में यह प्रथा आमीण प्रजा तक बहुत कम पहुँची है। संयुक्त प्रान्त में केवल १०० प्रतिशत लोग इससे लाभ उठा पाये हैं। इससे यह परिणाम निकलता है कि भारतीय कोआपरेटिव वैकिंग की उन्नति संतोष-जनक नहीं हो रही है। बीस वर्ष के प्रचार के बाद भारत में कृषि-उधार-सहकारी समितियाँ द्वारा उधार दी हुई पूँजी ३० करोड़ से अधिक नहीं बढ़ी। भारत के कृषकों पर अनुमानतः ६०० करोड़ रुपयों का ऋण समझा जाता है; अतः जहाँ ७ रुपया कोआपरेटिव सौसाइटी का एक कृषक परिवार की ओर लेना है, वहाँ २०० रु० महाजनों का उम पर चाहिये। इसके अलावा २५ वर्षों में एक लाख जनसंख्या पीछे ३३५ समितियाँ* स्थापित हुई हैं, जो इसकी

* एक समिति में ४० सदस्यों का औसत है।

पिछुड़ी हुई अवस्था को घोतक है। इस सम्बन्ध में सर डेनियल हेमिलटन ने निराशाजनक शब्दों में यह कहा है :—

“हमारे यहाँ (भारत में) सात लाख गाँव हैं। वर्तमान प्रगति के अनुपात से प्रत्येक गाँव में सहकारी समिति स्थापित होने के लिये सन् २२०० तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है।”

भूमि-बन्धक बैंक

(LAND MORTGAGE BANK)

जो बैंक जुताक-भूमि को रहन रखकर लम्बी अवधि अर्थात् ५०-६० वर्ष तक के लिये उधार देते हैं, उन्हें भूमि-बंधक बैंक कहते हैं।

उधार लेनेवाला व्यक्ति अपनी भूमि को इन बैंकों में रहन कर देता है और उसकी ज़मानत पर उधार ली हुई रकम को धीरे धीरे ५०-६० वर्षों में छोटी छोटी किस्तों से, जो व्याज से कुछ ही अधिक रकम की होती है, चुका देता है। इस प्रकार के बैंक ज्वाइएट स्टाक बैंक या व्यावसायिक बैंक के समान और कोई धन्या नहीं करते और न चल्लू खाते में तथा थोड़ी अवधि की मियादी अमानतें, जमा रखते हैं। ये आम तौर पर लम्बी मियाद के लिये रकमें जमा रखकर और डिवेंशर जारी करके पूँजी बढ़ाते हैं।

लम्बी अवधि के लिये अमानतें प्राप्त करना बड़ा कठिन होता है, इसलिये अधिकतर ये बैंक डिवेंशर द्वारा पूँजी संग्रह करते

हैं। डिवेन्चर छोटी रकम के होते हैं, जिन्हें साधारण स्थिति के लोग भी खरीद सकने में समर्थ हो सकते हैं।

इस प्रकार के वैंकों का सुविपात सर्वप्रथम जर्मनी में हुआ है। वहाँ इनके द्वारा कृषि की पर्याप्त उन्नति हुई है। उसको देखकर दूसरे देशों ने भी अपने यहाँ इस प्रकार के वैंकों का प्रचार बढ़ाया है। अनेक देशों में इन वैंकों को सरकार से यह कानूनी सुविधा प्राप्त है कि ये प्रतिज्ञानुसार कृषक के रूपया न चुकाने पर भूमि पर विना अदालती कारबाई किये अधिकार कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार इस प्रकार के वैंकों को हर तरह से अधिक सहायता प्रदान करती है—ये तीन प्रकार के होते हैं :—

१—सहकारी (Co-operative)

२—असहकारी (Non-co-operative)

३—अर्ध सहकारी (Quasi-co-operative)

भारत में केवल पहिली श्रेणी के वैंकों का कोआपरेटिव कानून के आधीन स्थापित होना आरम्भ हुआ है। इस प्रकार के वैंक पञ्जाब, मद्रास, बंगाल और छोटे रूप में आसाम और बंगाल में काम कर रहे हैं, इनकी कुल संख्या ६४ है :—

पंजाब १२

मद्रास ४२ (इस प्रान्त में सेन्ट्रल मोर्टगेज वैंक भी है।)

बंगाल ३

बंगाल २

आसाम ५

जोड़ ६४

शेष प्रान्तों में ऐसे बैंक नहीं हैं। वहाँ अनुभव रूप में चालू करने के लिये सम्बन्धित प्रान्तीय बैंकिंग इन्क्वाइरी कमेटियों ने स्थिकारिशें की हैं।

पोस्ट-आफिस-सेविंग्ज बैंक

इम्पीरियल - बैंक, जवाइण्ट स्टाक बैंक और कोआपरेटिव बैंकों ने अपने यहाँ दूसरी प्रकार की जमाओं के साथ साथ सर्व-साधारण द्वारा बचाई हुई पूँजी को जमा करने के लिये सेविंग्ज बैंक के नाम से खाते खोल रखे हैं, लेकिन इस प्रकार की बचत को जमा करने में प्रमुख स्थान पोस्ट आफिस सेविंग्ज-बैंक ने प्राप्त कर रखा है। भारत में इस प्रणाली का सूत्रपात सन् १८३३ ई० से हुआ है। आरम्भ में सरकारी सेविंग्ज बैंक प्रेसीडेन्सी शहरों में खोले गये थे। सबसे पहिला गवर्नर्मेंट सेविंग्ज बैंक १ नवम्बर सन् १८३३ ई० को कलकत्ते में स्थापित हुआ था। इसके बाद सन् १८७० में चुने हुये खजानों से सम्बन्धित जिला सेविंग्ज बैंक खोले गये। सन् १८८२ ई० में एक बहुत उपयोगी पास्ट आफिस सेविंग्ज बैंक सम्बन्धी कानून पास हुआ तब से पोस्ट आफिस सेविंग्ज बैंकों की उत्तरोत्तर वृद्धि हाती रही। पोस्ट आफिस का विस्तृत और सुदृढ़ सगठन है। प्रत्येक अच्छे बड़े गाँव के पोस्ट आफिस में सेविंग्ज बैंक का धन्धा होता है। इनमें छोटी छोटी अमानतें बहुत अधिक जमा होती हैं, जिनमें अधिकतर जमा करनेवाले मध्य श्रेणी के तनखावाहदार

नौकर होते हैं। सन् १९२८ के अन्त तक १२,३२६ सेविंग्ज़-बैंक थे, जिनमें २६,०६,०७१ जमा करनेवालों के ३२,६६,६८,१८३) रु० जमा थे। इससे यह प्रगट होता है कि प्रत्येक पोस्ट-आफिस में २६,२७) रुपये और प्रत्येक जमा करनेवाले के पीछे १२६) रुपये जमा थे। सन् २८ के बाद सम्भव है थोड़ी-बहुत और बढ़ि हुई हो, लेकिन अभी पोस्ट-आफिसों द्वारा और सुविधाएँ दी जाकर लोगों की बचाकर जमा करने की आदत को और बढ़ाया जा सकता है।

भारतवर्ष में सेविंग्ज़-बैंक के खातों और उनमें जमायुद्धा रकमों की संख्या संसार के किसी भी दूसरे देश की तुलना में बहुत ही कम है। इसका कारण यह है कि भारत की अधिक जनसंख्या देहात में रहती है। उसमें से भी अधिकांश भृण के भार से पेसी दबी हुई है कि सेविंग्ज़ बैंक में जमा करने के लिये १ पाई भी नहीं बचा पाती। जो थोड़ी-बहुत संख्या बचानेवाली है, वह अनुचूल साधन न होने से या तो ज़मीन में गाड़ती है या ज़ेबर वग़ैरह याकर रखती है।

वीमा-कम्पनियाँ

वीमा-कम्पनियाँ भी भारतीय बैंकिंग की उन्नति का एक शंग है। एक वीमा-कम्पनी न केवल सेविंग्ज़ बैंक की तरह सर्व-साधारण को बचत करने के लिये उत्साहित करती है, बल्कि सर्वसाधारण की बचत को देश के व्यापार और उद्योग-घन्धों

को आर्थिक सहायता पहुँचाने के लिये सदैव तत्पर रखने में सहायता देती हैं; इसलिये बिना इनके विवेचन के भारतीय बैंकिंग का अन्वेषण अधूरा रह जाता है।

बीमा कम्पनियाँ मनुष्य के जीवन के दीमे के अतिरिक्त जल और अग्नि से नष्ट होनेवाले चल और अचल पदार्थों का और कुछ प्रकार की दुर्घटनाओं का बीमा भी चुकाती हैं। भारत में जीवन-बीमा-प्रणाली का जन्म अंग्रेजी राज्य के संस्थापन के बाद हुआ है, लेकिन व्यापारिक राहदारी-माल (Goods in transit) का बीमा भारत में अधिक प्राचीन काल से चला आता है। जोखमी हुराड़ी ख़रीदनेवाला ठीक ऐसा ही काम करता था जैसा कि आजकल बीमा कम्पनियाँ करती हैं।*

भारत में कुल २७३ (सन् १९३० ई०) बीमा कम्पनियाँ हैं। इनमें १३० भारतीय और १४७ विदेशी हैं। भारतीय कम्पनियों में ६२ कम्पनियाँ केवल जीवन-बीमा का काम करती हैं, १८ जीवन-बीमा के साथ दूसरी प्रकार का बीमा भी करती हैं। २० कम्पनियाँ केवल दूसरी प्रकार का बीमा करती हैं, जीवन-बीमा का काम नहीं करतीं। विदेशी कम्पनियाँ में ६ कम्पनियाँ

* The buyer of such hundis (Jokhami) therefore acts, as an insurance Agent. "Indigenous Banking in India" P. 78.

केवल जीवन बीमा, १४ कम्पनियाँ जीवन व दूसरी प्रकार का और १२४ कम्पनियाँ जीवन-बीमा को छोड़कर दूसरी प्रकार का बीमा करती हैं।

वैकिंग का सम्बन्ध अधिकाश में जीवन बीमा कम्पनियाँ से ही है, क्योंकि सर्वसाधारण की वचत वापस देने के लिये इन्हीं में जमा होती है, इसलिये यहाँ विशेष तौर से इन्हीं पर विचार किया जाता है।

भारतीय बीमा कम्पनियाँ का व्यवसाय दूसरे देशों की समता में अभी तक बहुत पिछड़ा हुआ है, हालांकि यहाँ जीवन बीमा का प्रचार १९ वीं सदी के मध्य ही में आरम्भ हो गया था। सबसे पहिली जीवन बीमा कम्पनी का मद्रास प्रान्त में, मद्रास इक्वीटेबल कम्पनी के नाम से सन् १८२५ ई० में जन्म हुआ था, किन्तु महायुद्ध के बाद इसका अन्त हो गया। पुरानी कम्पनियाँ में सबसे प्रतिद्वं भारतीय कम्पनी, जो आज तक उत्तरोत्तर उन्नति करती चली आ रही है, बम्बई की ओरियण्टल कम्पनी है, जो सन् १८७४ ई० में स्थापित हुई थी। तत्पश्चात् स्थापित होनेवाली अनेक कम्पनियाँ हैं, जिन्होंने अच्छी सफलता प्राप्त की है, लेकिन इनकी विशेष उन्नति सन् १९२० ई० के बाद आरम्भ हुई है:—

वीमा कम्पनियों का प्रगति-सूचक कोष्ठक*

वर्ष	वर्षान्तर्गत काम	वर्ष के अन्त में रहा हुआ काम
१९२०	५१७ लाख	३१ करोड़
१९२१	५४६ „	३८ „
१९२२	५६४ „	३७ „
१९२३	५८५ „	३९ „
१९२४	६८८ „	४२ „
१९२५	८१५ „	४७ „
१९२६	१०३५ „	५३ „
१९२७	१२७७ „	६० „
१९२८	१५४९ „	८१ „
१९२९	१७२८ „	८२ „
१९३०	१६५० „	८९ „

उपरोक्त कोष्ठक से पता चलता है कि सन् १९२० ई० से सन् १९३० ई० तक लगभग तिगुनी उन्नति हुई है। दूसरे देशों में यह घन्धा कहीं अधिक मात्रा में बढ़ा हुआ है। उनसे तुलना करने पर हम अपने आपको सबसे पीछे पाते हैं। यथा :—

* The Indian Insurance Year-book 1931. P. 4

[प्रति मनुष्य पीछे बीमे का तुलनात्मक कोष्ठक]*

देश	प्रति मनुष्य (डालर)	प्रति मनुष्य (रुपया)
संयुक्त राज्य अमेरिका	८४३	२३१८.२
कनाडा	६४०	१८६०.०
न्यूज़ीलैण्ड	३५८	९८४.५
आस्ट्रेलिया	२७३	७५०.७
संयुक्त प्रदेश	२६६	७२१.५
स्वीडन	२०५	५६३.७
इटली	१५२	४१८.०
मार्क्से	१३७	३७६०.७
नेदरलैण्ड	१२३	३३८.२
भारतवर्ष ^१	२	५.५

भारतीय बीमा-कम्पनियाँ के पास सर्वसाधारण की २७ करोड़ के लगभग पूँजी है, जिसका ७६ प्रतिशत सरकारी ज़मानतों पर लगा हुआ है, लगभग १ प्रतिशत पोलिसियों की वसूल-शुदा रकम की ज़मानत पर उधार दे रखा है और ३२ करोड़ के लगभग भारत के बाहर लगाया हुआ है। विदेशी कम्पनियाँ के पास भारतवासियों की लगभग ३४ करोड़ की सम्पत्ति है। इसके

* Indian Finance Year-book 1932 P 113.

लिये ठीक तौर से नहीं कहा जा सकता कि यह किस किस मे और कहाँ कहाँ पर लगी हुई हैं, लेकिन यह अवश्य कहा जा सकता है कि इन विदेशी कम्पनियों में जमा की हुई भारतीय पूँजी का बहुत बड़ा भाग विदेशों में भेजकर उधार दिया जाता है। भारतीय सराफा-बाजार (Money-Market) को विदेशी कम्पनियों के पास की भारतीय पूँजी से कोई लाभ नहीं पहुँचता। सयुक्त राज्य अमेरिका में प्रीमियम का एक निश्चित भाग सरकारी जमानतों में रखना पड़ता है। यहाँ भी भारतीय कम्पनियों के लिये कानून में इस प्रकार का विधान है, लेकिन विदेशी कम्पनियों को इससे मुस्तसना रखा गया है। यह भेद-भाव भी भारतीयों के लिये लज्जाजनक है। दूसरे देशों में बीमा-कम्पनियाँ न केवल सरकारी जमानतों पर बल्कि शैदागिक डिवेश्वर और भूमि-वन्धक डिवेश्वर तक पर रुपया लगाती हैं। सयुक्त राज्य अमेरिका में तो ऐसी कम्पनियाँ कृपकों को जमीन खरीदने के लिये साधारण किस्तों पर उधार देती हैं। यदि यहाँ भी ये कम्पनियाँ इस प्रकार उद्योग धन्यों और कृषि की सहायता करें तो यहाँ के उद्योग-धन्ये शार्यिक सहायता के अभाव में असफल न हो सकें। हप्प की बात है कि सेण्ट्रल बैंकिङ इन्कावाइट्री कमेटी ने भी इस सम्बन्ध में सतोप-जनक सिफारिश की है।*

* We consider it essential for the economic development of the country that all insurance companies doing business in it, whether Indian or non-Indian

क्लियरिङ्ग हाउस

क्लियरिंग हाउस की स्थापना के पहिले बैंकों के फलक चेकों के बण्डल श्रप्ते साथ लेकर अनेक सम्बन्धित बैंकों में जाकर रुपया बस्तुल करते थे। इस प्रणाली से एक तो अधिक समय नष्ट होता था, दूसरे उन्हें मिहनत बहुत करनी पड़ती थी, इसलिये ये कलक कहीं एक जगह बैठकर इन चेकों का विनिमय करने लगे। इस प्रकार से क्लियरिंग हाउस की स्थापना का बीजारोपण हुआ। गिलवर्ट के कथनानुसार सर्वप्रथम लन्दन क्लियरिङ्ग हाउस सन् १७७५ ई० में स्थापित हुआ था। आरम्भ में बहुत से बैंकर उससे अलग रहे, लेकिन बाद में सुविधा देखकर शनैः शनैः सब शामिल हो गये। भारत में भी १० जगह क्लियरिङ्ग हाउस हैं :—बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, रूम, कराची, दिल्ली, लाहौर, शिमला, अहमदाबाद और कानपुर। ये क्लियरिङ्ग हाउस केवल स्थानीय चेकों का लेन-देन तय करते हैं न कि अपने नगर से बाहर के बैंकों पर जारी किये हुए चेकों का। ऐसे चेक सम्बन्धित बैंकों या पजेण्टों द्वारा संग्रह किये जाते हैं। यह धन्या इम्पोरियल बैंक की निगरानी और उसकी इमारतों में होता है।

should by a judicious investment of their funds assist in the promotion of public utility undertakings and the finance of the trade and industry of the country generally 'Para 660'

मेम्बर वैंक—वम्बर्ड क्लियरिङ्ग हाउस का मेम्बर वह वैंक हो सकता है, जिसको मेम्बर बनाने के लिये २ मेम्बर वैंडों के प्रस्ताव और अनुमोदन करने पर समस्त वैंडों ने लिखित मत (Ballot) द्वारा स्वीकार कर लिया हो। इस समय इसके निम्न लिखित वैंक और कम्पनियाँ मेम्बर हैं :—

१ इलाहाबाद वैंक, २ वैंक आवृ बडोदा, ३ वैंक आवृ इंडिया, ४ वैंक आवृ टैबन, ५ थोम्सो-प्राविन्दियल कोआपरेटिव वैंक लिमिटेड, ६ सेण्ट्रल वैंक आवृ इंडिया, ७ चार्टर्ड वैंक आवृ इंडिया, आस्ट्रेलिया और चाइना, ८ कोम्पटोयर डि पर्स्कोम्प्यूटी पेरिस, ९ थोमस कुक पेराड सन्, १० ईस्टर्न वैंक लिमिटेड, ११ श्रीएडले पेराड कम्पनी, १२ हॉगकॉग पेराड संघाई वैंकिंग कोरपोरेशन, १३ इम्पीरियल वैंक आवृ परसिया, १४ लोयड्स वैंक, १५ मरकेटाइल वैंक आवृ इंडिया लिमिटेड, १६ मिटसुई वैंक लिमिटेड, १७ नेशनल वैंक आवृ इण्डिया लिमिटेड, १८ नेशनल सिटी वैंक आवृ न्यूयार्क, १९ नेदरलैण्ड इण्डिया कमर्शियल वैंड, २० नेदरलैण्ड ट्रेडिंग सोसाइटी, २१ पी० पेराड ओ० वैंकिंग कोरपोरेशन, २२ पंजाब-नेशनल वैंक लिमिटेड, २३ सुमीटोमो वैंक, २४ यूनियन वैंक आवृ इण्डिया, २५ योकोहामा स्पेसी वैंक लिमिटेड।

लेन-देन तय करने का तरीका—नियत समय पर मेम्बर वैंडों के द्वारा क्लियरिंग हाउस के अन्दर पहुँचकर अपने स्थानों पर बैठ जाते हैं। धूर्धा प्रत्येक मेम्बर वैंक को क्लियरिंग

हाडस से एक विवरण-पत्रिका (Summary Sheet) दी जाती है, जिसमें प्रत्येक मेम्बर वैक के नाम का याता जमानावे के कालमों सदित होता है। प्रत्येक वैक-कलक अपनी-अपनी विवरण पत्रिका में दूसरे वैकों से उस पर आये हुए चेक आदि उन देने-वाले वैकों के कालन में जमा दाँघ लेता है और दूसरे वैकों पर आये हुए चेकों के बएडल वह अपने पास से उन्हें देकर उनको रक्ख उनके कालमों में नावे लिख देता है। समय समाप्त होने पर प्रत्येक वैक-कलक अपनी अपनी विवरण पत्रिका के कालमों का जोड़ लगाते हैं और दूसरे वैकों के साथ अपनी आवजाव का भीलान करके लेनी देनी की बकाया निकलते हैं। यदि बकाया देनी निकलती है तो वह इम्पीरियल वैक में अपने चल्लूखाते नावे लिखकर क्लियरिंग-बैंकर्स एकाउण्ट खाते जमा करवा देते हैं और यदि बकाया लेनी निकलती हो तो इम्पीरियल वैक उतनी रक्म क्लियरिङ बैंकर्स एकाउण्ट खाते नावे लिखकर उस वैक के चल्लूखाने जमा कर लेता है।

यदि चैक रुपया जमा न होने या इस्तावर न मिलने अथवा देचाण (endorsement) ठीक न होने आदि कारणों से वापस लौटाये जाते हैं तो उसी दिन दूसरी क्लियरिङ के अवसर पर वापस लौटा दिये जाते हैं और उनको रक्म कमर जी तरह दोनों वैक अपनी शीट में नावे जमा कर लेने हैं।

इन प्रकार क्लियरिङ कहाँ कहाँ दो बार और कहाँ एक बार होता है, लेकिन शनिवार को सब जगह १ बार होता है।

इन क्लियरिङ्ग हाउसों में वहुमत विदेशी वैंकरों का है; इसलिये इनमें भारतीय वैंकर मुश्किल से शामिल होने पाते हैं। कनाडा में क्लियरिङ्ग हाउस के नेम्बर वे ही वैंकर हो सकते हैं, जिनकी रजिस्ट्री उस देश में हुई हो। आम तौर से तमाम देशों में क्लियरिङ्ग हाउस का सचालन सेएट्रूल वैंक द्वारा होता है, लेकिन यहाँ सेएट्रूल वैंक के अभाव में क्लियरिङ्ग हाउस का सगठन विदेशी वित्तिय वैंकों का निजी है; इसलिये कनाडे की तरह नियम सेएट्रूल वैंक की स्थापना के बिना नहीं बन सकते।

क्लियरिङ्ग हाउस के प्रबन्ध से वैंकों का आपस में रूपया या नोट की भुगतान करने की दिक्कत से छुटकारा होता है और रोशन रखने की आवश्यकता भी बहुत कम रह जाती है। इससे सम्बन्धित लोगों के समय की बचत होती है और यह रिजर्व वैंक द्वारा वैंकिग स्थानों का सम्बन्ध स्थापित रखने के लिये बड़ा मूल्यवान साधन है। अस्तु, रिजर्व वैंक की स्थापना के बाद यह आशा की जाती है कि भारतीय क्लियरिङ्ग हाउसों की उच्चति संतोषजनक रूप में हो सकेगी जैसी कि दूसरे देशों में है।

चौथा अध्याय

प्रचलित साख-पत्र

आरन्भ काल में सर्वप्रथम वस्तु का वस्तु से विनिमय होता था, तत्पश्चात् मुद्रा ने जन्म लिया लेकिन जब मुद्रा को एक जगह से दूसरे जगह लाने ले जाने में अधिक स्वतंत्रा और असुविधा होने लगी तो संसार में साख-पत्रों की सृष्टि हुई। इस समय भारत में करेन्सी नोटों के अतिरिक्त निम्नलिखित साख-पत्र प्रचलित हैं :—

(१) हुंडी

(२) पुर्जा

(३) प्रोमेसरी नोट

(४) चेक

(५) बैंक-ड्रॉफ़र्ट

(६) विल आवृप्ति सचेज

हुंडी भारतीय बैंकिंग प्रणाली में अति प्राचीन साख-पत्री (Instrument of credit) है, जिसके द्वारा लेनदेन का भुगतान द्विंदी सरलता से होता रहा है। बेदों, सूत्रों और समृद्धियों में तो हुंडी शब्द नहीं आया है; लेकिन हुंडियों का व्यवहार भारतवर्ष में ग्रन्थात् काल से प्रचलित है। हुंडी शब्द की उत्पत्ति के सम्बन्ध

में भिन्न भिन्न मत हैं। “कलकत्ता के प्रोफेसर रामचन्द्र राव तो इसे फ़ारसी भाषा का शब्द बतलाते हैं, जिसका अर्थ है, संग्रह करना (To collect)। दूसरे मिस्टर सी० एन० कूक का कथन है कि यह शब्द हिन्दी और हिन्दू का अपभ्रंश है” * बम्बई के प्रोफेसर टेनम के शब्दों में हुंडी शब्द संस्कृत के ‘हुएड’ शब्द से बना है, इसका अर्थ करते हुए बंगला के शब्द कलपद्रुम कोष में लिखा है “राशिः करोतीत्यर्थः” अर्थात् धन संग्रह करना। हुंडी भी धन संग्रह करने का ही काम करती है। इसका लिखनेवाला अपना इधर उधर पड़ा हुआ रूपया बड़ी आसानी के साथ संग्रह कर सकता है। अस्तु, इसकी उत्पत्ति संस्कृत के ‘हुएड’ शब्द से होना अधिक सही है। इसके विशद प्रचार के सम्बन्ध में अति प्राचीन दोन्तीन कथायें भी लोक में प्रसिद्ध हैं।

कथायें—(१) वस्तुपाल ने एक हुंडी दस करोड़ रुपये की अहमदाबाद के एक नगरसेठ पर बारहवीं सदी में की थी। इसी रुक्म से दिलवारा का मन्दिर सन् ११६७ और १२४७ के बीच में बनाया गया है। (२) दूसरी प्राचीन और प्रसिद्ध कथा नृसिंह मेहता के नाम से प्रसिद्ध है, उसमें लिखा है कि जूनागढ़ के नृसिंह मेहता ने द्वारिका के साँवला सेठ पर लगभग २५०० घर्ष पहले भगवान् कृष्ण के ज़माने में हुंडी की थी। (३) इसके अतिरिक्त यह भी कहा जाता है कि शिवाजी के समय में सूरत के आत्मा-

* Journal of the Indian Institute of Bankers, Jan 1932, P 27

राम बुखानन् के यहाँ बड़ा विस्तृत साहूकारी धन्धा था। उसकी हुंडियाँ सुदूरस्थ स्थानों में सिकारी जाती थीं। उसकी ऊँची साख के सम्बन्ध में यह कथा प्रसिद्ध है— एक पुरुष को, जब वह जंगल में होकर गुजर रहा था, रुपये की आवश्यकता हुई। उसके पास आत्माराम बुखानन् की हुंडियाँ थीं।* उनमें से एक को उसने बृक्ष की पक शाखा से बाँध दिया। एक व्यापारी ने जो उसी मार्ग से होकर गुजर रहा था, यह समझकर कि वह एक बड़े साहूकार की हुएड़ी है, वहाँ उस हुएड़ी का रुपया दे दिया।

हुएड़ी की व्याख्या—यद्यपि हुएड़ी का विस्तृत व्यवहार एक बड़े प्राचीन काल से चला आता है, परन्तु असी तक इसकी कोई व्याख्या किसी कानून में उपलब्ध नहीं है, निगेशियेविल इन्स्ट्रूमेण्ट एकट की दफ्ता ५ में विस आवृ पक्सचेड़ज की व्याख्या की गई है, जो विल, प्रोमेसरी नोट, चेक और बहुधा हुंडियाँ पर लागू होती है। हुंडियाँ के भगड़े सिकारने के समय जहाँ जैसा रिवाज और अमल होता है, उसके अनुसार तय किये जाते हैं। जहाँ विशेष रिवाज नहीं होता है, वहाँ कानून में किये गये अर्थानुसार विल आवृ पक्सचेड़ज के तौर पर अमल किया जाता है, क्योंकि स्टाम्प ऐकट में

* पुराने ज़माने में रुपया साथ में ले जाना बड़ा जोखिम का काम था; इसलिये लोग बहुधा अपने साथ मोतविर साहूकारों की हुंडियाँ रखते थे।

बिल आवृ एक्सचेंज की व्याख्या के अन्तर्गत हुएडी को शामिल कर लिया गया है। साधारण शब्दों में हुएडी का अर्थ यह है—“हुएडी आम तौर पर शर्त-रहित एक आङ्ग पत्रिका होती है, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को आङ्ग देता है कि माँगने पर या कुछ निर्धारित समय पश्चात् एक खास रकम, जो उसमें लिखी गई हो, उस व्यक्ति को, जिसका नाम उसमें लिखा हो, दे दी जाय।” हुएडी की इस व्याख्या और बिल आवृ एक्सचेंज की व्याख्या में एक विशेष अन्तर है, क्योंकि अप्रेजी बिल सर्वथा शर्त या हिदायत रहित होता है और जोखमी हुएडी कुछ शर्त या हिदायत के साथ होती है, जिसके पूरा होने पर रूपया दिया जाता है। इस प्रकार की हुएडी पहले जमाने में बहुधा की जाती थी। आजकल इसका रिवाज नहीं है।

हुएडी का उद्देश्य—हुएडी न केवल अन्तर्राष्ट्रीय “विनियम पत्र” का काम करती है, प्रत्युन इनसे कई काम लिये जाते हैं। जो मुख्यत ये हैं (१) निश्चित समय पर वापिस किये जाने की शर्त पर उधार भी लिया जा सकता है। (२) दूसरे दिसावर भेजे जानेवाले माल पर उसकी विक्री होने से पहले हुएडी के द्वारा एडवान्स (पेशगी) लिया जा सकता है (३) इसके द्वारा एक दिसावर से दूसरे दिसावर में रूपये का भुगतान किया जा सकता है। हुएडी से केवल वे ही व्यक्ति लाभ उठा सकते हैं, जिनकी साख बाजार में अच्छी

होती है। हर एक व्यक्ति जो बाज़ार में अपरिचित हो अथवा प्रतिष्ठित न हो, लाभ मर्ही उठा सकता।

हुणिडयों की श्रेणियाँ—हुणिडयाँ दो प्रकार की होती हैं—(१) दर्शनी, (२) मुद्रनी। इनका लिखनेवाला कहलाता है “लिखनेवाला धनी (Drawer)”, जिसके ऊपर यानी जिसको रूपया चुकाने के लिये सम्बोधन करके लिखी जाती है, उसको “कपरवाला धनी (Drawee)” कहते हैं और जिसके हक् में लिखी जाती है, उसको “राख्यवाला धनी (Payee)” कहते हैं।

दर्शनी-हुणडी—दर्शनी-हुणडी उसको कहते हैं, जिसका रूपया माँगते ही या दिखाते ही दिया जाता है। अंग्रेज़ी में इसको (Sight or demand bill) कहते हैं। इस प्रकार की हुणिडयों में कई जगह रिवाज के अनुसार खरीदने, बेचने या लिखने के रोज़ से रूपया दिलाने की तारीख कुछ रोज़ बाद की लिखी जाती है, लेकिन हुणडी लिखने की तारीख भी वही लिखी जाती है, जो दिखाने की होती है; जैसे—१ मार्च को रत्नाम का १ व्यापारी रामलाल-शिवलाल, दूसरे व्यापारी को १०००) की घम्बई की दर्शनी हुणडी बेचता है तो वह घम्बई में रूपया देने की ६ तारीख दर्ज करेगा और नीचे भी जो लिखने की तारीख से मुराद है ६ मार्च दर्ज करेगा।

दर्शनी हुणिडयों पर पहले स्टाम्प छ्यूटी लगती थी; किन्तु अब बन्द हो गई है। दर्शनी हुणिडयाँ ४ प्रकार की होती हैं—(१) धनीजोग, (२) शाहजोग, (३) फरमानजोग, (४) देखाइनारजोग।

धनीजोग उस हुएडी को कहते हैं, जिसका रूपया केवल उसी व्यक्ति को मिल सकता है, जिसके हक्क में वह लिखी गई है या जिसके ऊपर लिखी गई है।

शाहजोग उस हुएडी को कहते हैं, जिसका रूपया मोतविर व्यक्ति या फ़र्म ही को दिया जा सकता है। 'मोतविर' उस व्यक्ति या फर्म से मुराद है, जो बाज़ार में जाना या जानो हुई हो या जिसको ऊपरवाला। धनी जानता पहचानता हो—यह एक प्रकार की क्रोस चेक की तरह होती है। यदि 'शाह' किसी अनधिकारी व्यक्ति की ओर से या खोई हुई, जाली यथवा भूठी हुएडी का रूपया संग्रह कर लेगा तो ६% सूद-सहित वह हुएडी का रूपया बापस देने का जिम्मेदार है।*

फरमान जोग—हुएडी का रूपया 'राख्यावाला' की हिदायत के अनुसार दिया जा सकता है, अप्रेजी में इसको Payable to Order bills कहते हैं।

* Bansidhar V/S Jwala Prasad 16 Bombay L R 434, 1 Lah 429 (1920)

देखाड़नार जोग—हुएडी का रूपया प्रत्येक हुएडी दिखानेवाले व्यक्ति को निल सकता है, यह Bearer चेक के तौर पर है। इसका रिवाज इसी सदी से बम्बई प्रान्त में चालू हुआ है। देखाड़नार हुएडी को रिवाज में लाने का श्रेय सर्फ़ा का प्रसोलियेशन बम्बई को है।*

इन उपरोक्त चार प्रकार की हुण्डियों में शाहज़रेग हुएडी ही अधिक व्यवहार में लाई जाती है; क्योंकि इसमें गुम होने पर या धोखा देकर अनज्ञान आदमी के रूपया बसूल करने की घड़त कम सम्भावना होती है। नमूने के लिये हुएडी का मज़मून परिशिष्ट न० १ में देखिये—

मुद्रिती हुएडी उस हुएडी को कहते हैं, जिसका रूपया उस मियाद के बाद मिलता है, जो उसमें लिखी हुई होती है। ऐसी हुण्डियाँ ११, २१, ४१, ५१, ६१ और इस तरह से ३६१ दिन तक की होती हैं। राजपूतना व सेण्टल इण्डिया में ४१ व ६१ दिन की मियादी, बम्बई में ४१, पजाब में १२१ और यू० पी० में ६१ व ११ दिन, बंगाल में ६१ दिन की अधिकतर व्यवहार में लाई जाती हैं। इनको अग्रेजी में Deferred and

* Bombay Provincial Banking Enquiry Committee
1929-30 para 194

Usance Bills कहते हैं। इन पर स्टाम्प ड्यूटी इस प्रकार ली जाती है :—

२००) तक	=)	५०००) से ऊपर ७५००) तक	६॥)
२००) से ऊपर ४००) तक	=)	७५००) " " १००००) "	६)
४००) " " ६००) -J	-J	१००००) " " १५०००) " १३॥)	
६००) " " ८००) III-J	III-J	१५०००) " " २००००) " १८)	
८००) " " १०००) III=)	III=)	२००००) " " २५०००) " २२)	
१०००) " " १२००) I=)	I=)	२५०००) " " ३००००) " २७)	
१२००) " " १६००) I)	I)	और ३००००) से ऊपर प्रत्येक	
१६००) " " २५००) २।)	२।)	१००००) या इसके किसी भाग	
२५००) " " ५०००) ४॥)	४॥)	पर ह) अधिक।	

ये हुएँड्याँ अधिकतर उधार या माल पर पड़वान्स लेने के लिये जारी की जाती हैं। इन हुएँड्याँ में और तो सभी वातें दर्शनी हुएँडी के समान होती हैं, केवल ये देखाडनार जोग नहीं होती हैं।

जोखमी हुएँडी—प्राचीन काल में जोखमी हुएँडी होती थी, जो भेजे हुये माल की क्रीमत के बदले में की जाती थी, जैसे अंग्रेजी में Documentary bill of exchange होते हैं। इसमें कई शर्तें दर्ज रहती थीं, उनके अनुसार अगर माल रास्ते में गुम जाय अथवा नष्ट हो जाय तो लेखक वा 'राख्याधाला' उस नुकसान को भुगतता था। ऊपरवाला धनी का हित सर्वथा सुरक्षित

रहता था। पेसी हुएडियों के खारीदनेवाले एक वीमा-कल्पनों के पजेण्ट के तौर पर होते थे। इसमें ३ आसामियाँ होती हैं।

- (१) माल भेजनेवाला या लेखक
- (२) हुएडी वाला (हुएडी का खारीदनेवाला)
- (३) मालवाला (माल पानेवाला)

मान लीजिये कि 'माल भेजनेवाला' एक दूकानदार कच्छ से बम्बई, जहाज़ के द्वारा अपने आढ़तिया को माल भेजता है। तब वह माल को कीमत बसूल करने के लिये एक हुंडी मालवाले (माल पानेवाले) के ऊपर उस माल की कीमत के बराबर लिखकर हुएडीवाले या वीमावाले को देता है और वीमा का शुल्क (Premium) काटकर बाकी रुपया नकद बसूल कर लेता है। हुंडीवाला हुएडी को बम्बई अपनी दूकान या आढ़तिया के नाम भेज देता है। वह हुएडी उस माल के, जिसकी कीमत के लिये वह की गई, बम्बई सुरक्षित पहुँच जाने पर मालवाले की दूकान पर उपस्थित की जावेगी। वह या तो उसमें लिखा रुपया चुकाकर माल छुड़ा लेगा या माल लेने की इच्छा न होने की हालत में उस माल को हुएडीवाले के द्वाले कर देगा। हुएडीवाला अपने नफा-नुकसान के लिये माल भेजनेवाले से रकम बसूल कर सकता है, लेकिन मालवाले (माल पानेवाले) पर कोई नालिश दायर नहीं कर सकता। यदि समय माल रास्ते में गुम जावे या नष्ट हो जावे तो हुएडी

उपस्थित नहीं की जावेगी और उसका नुकसान हुएडीवाले (हुएडी ख़रीदनेवाले) को भुगतना पड़ेगा ।

रिआयती दिन (Days of Grace)—इनको साहूकारी भाषा में गिलास के दिन कहते हैं । अंग्रेजी बिल आबू एक्सचेज में ३ दिन मिलते हैं, किन्तु मुहर्ती हुएडियों में रिआयत के दिनों का तरीका भिन्न है । दर्शनी हुएडी में, जो ११ दिन से कम की होती है, बिलकुल भी रिआयत के दिन नहीं मिलते । मुहर्ती हुएडी में ११ दिन या इससे ऊपर २० दिन तक की मुहर्ती हुएडी में ३ दिन रिआयत के मिलते हैं । २० दिन से ऊपर के दिनों की हुएडी में ५ दिन रिआयत के मिलते हैं ।

हुएडियों की लिया-बेची—एक जगह से दूसरी जगह पर सुरक्षित रीति से रुपया भेजने के लिये जैसे नोटों का व्यवहार होता है, उसी तरह व्यापारी लोग अपनी सुगमता के लिये हुएडी का व्यवहार करते हैं । नोटों में रजिस्ट्रेशन फ़ोस =) सैकड़ा अधिक लगता है तथा एक रजिस्टर्ड लिफ़ाफ़े का ३०००) से ज्यादा का बीमा नहीं चुकाया जाता; इसलिये अधिकांश में व्यापारी लोग हुएडियों ही द्वारा एक से दूसरे देश में रुपये भेजते हैं ।

नियमानुसार लिली हुई हुएडी बाज़ार भाव से हर वक़्, हर जगह और हर एक को बेची जा सकती है और हर एक ख़रीद सकता है । बेची हुई हुएडी पुनः बेची जा सकती है ।

इस तरह एक हुएड़ी कई दफा विक सकती है और सुदूरस्थ देशों में रूपया चुकाने के लिये भेजी जा सकती है।

मान लो अमरावती का एक व्यापारी कोटे से चने खरीदकर मँगाता है, अमरावती का दूसरा व्यापारी रुद्द खरीदकर बम्बई भेजता है और कोटे का एक व्यापारी बम्बई से शक्ति और कपड़ा मँगाता है। अब अमरावती के एक व्यापारी को चने की रकम कोटा भेजनी है, दूसरे व्यापारी को बम्बई से रुद्द की रकम मँगानी है और कोटे के व्यापारी को कपड़े और शक्ति की रकम बम्बई भेजनी है। इन तीनों जगह का भुगतान एक हुएड़ी से इस तरह हो सकता है कि अमरावती का चने मँगनेवाला व्यापारी अपने शहर के बम्बई रुद्द भेजनेवाले व्यापारी की हुएड़ी खरीद लेगा और रूपया उसको अमरावती में चुका देगा। यह हुएड़ी वह कोटे के व्यापारी के यहाँ भेज देगा। कोटे में चने भेजनेवाला व्यापारी इस हुएड़ी को बम्बई से कपड़ा और शक्ति मँगानेवाले अपने शहर के व्यापारी को बेच देगा और नक्कद रूपया ले लेगा। यह व्यापारी बम्बई के व्यापारी को, जिसके यहाँ से या जिसकी मारकृत इसने शक्ति व कपड़ा मँगाया है, भेज देगा। वह व्यापारी बम्बई में उस व्यापारी को, जिसके ऊपर हुएड़ी लिखी हुई है, दिखाकर रूपये ले लेगा और हुएड़ी पर रसीद लिखकर दे देगा। इस तरह तीनों स्थानों के व्यापारियों को अपना अपना रूपया आसानी से मिल गया और कोई दिक्कत महीं आई।

हुएडी के भाव में कमीवेशी का कारण—जब हुएडी खरीदनेवाले ज्यादा और बेचनेवाले कम होते हैं तो हुएडी का भाव १०० से ऊपर ॥) ॥) अधिक बढ़ जाता है और जब बेचनेवाले अधिक और खरीदनेवाले कम होते हैं तब १०० से ॥) ॥) तक नीचे गिर जाता है। इस कमीवेशी को 'हुएडावन' कहते हैं। लाभ उठाने के लिये व्यापारी लोग आवश्यकता न होने पर भी भविष्य में लाभ होने की दृष्टि से हुंडी की लियावेची करते रहते हैं।

हुएडी का लिखना, बेचाण करना

(ENDORSEMENT)

दिखाना, सिकारना इत्यादि

लिखना—हुएडी के लिखने का नमूना परिशिष्ट नं० १ में देखिये।

बेचाण करना (Endorsement)—बेचाण पाँच शकार की होती है; यथा :—(१) लेणी-भेजी, (२) बटावणी-भेजी (३) खरीद-भेजी, (४) हुएडी-बेची, (५) विशेष बेचाण।

(१) लेणी-भेजी उस हुएडी पर लिखते हैं, जो उसी जगह भेजी जाती है, जहाँके ऊपर वह हुएडी लिखी गई है अर्थात् जब बम्बई के व्यापारी पर की हुई हुएडी बम्बई भेजी जावेगी तब उस पर लेणी-भेजी लिखा जावेगा।

(२) बटावणी-भेजी उस हुएड़ी पर लिखते हैं, जो तोसरी जगह भेजी जाती है, जैसे बम्बई की हुएड़ी बम्बई न भेज-कर दिल्ली भेजी जाये, उस पर बटावणी भेजी लिखा जायगा ।

(३) खरीद-भेजी उस अवस्था में लिखा जावेगा जब कि हुएड़ी का भेजनेवाला हुएड़ी मँगानेवाले की जोखम पर हुएड़ी खरीद कर भेजेगा । उदाहरणार्थ—बम्बई के एक व्यापारी ने कोटे के एक व्यापारी के यहाँ बीस बोरी बादाम अपने घर बेचने के लिये भेजी और यह आदेश दिया कि इसकी विक्री की रकम की हुएड़ी खरीदकर भेज देना । कोटे का व्यापारी बादाम को विक्री की रकम, कोटे के किसी व्यापारी से हुएड़ी खरीदकर बम्बई भेजेगा । उसमें वह खरीद भेजी करके लिखेगा । इसमें हुएड़ी खरीदकर भेजनेवाला व्यापारी उसने न सिकारते की जोखम स सुरक्षित रहता है ।

(४) हुएड़ी-बेची उस बक लिखते हैं जब कि 'राख्या चाला धणी' या वह व्यक्ति, जिसके पास कारवार क सम्बन्ध में हुएड़ी पहुँची हो, नकद रुपया हेकर किसी को मुन्तकिल करे ।

(५) विशेष बेचाण उसको कहते हैं, जो लेणी भेजी के स्थान पर काम में लाई जाती है और उसमें यह दिलायत होती है कि इसका रुपया केवल अमुक व्यक्ति को दिया जावे । उस हालत में उस हुएड़ी का रुपया उस अमुक व्यक्ति ही को मिलेगा और वह दूसरे को मुन्तकिल न हो सकेगी ।

सिरा या अरण्डास—साधारण वेचाण के अतिरिक्त “ऊपरवाला धणी नहीं सिकारे तो अमुक धणी को दिखाई जावे” इवारत बढाई जाती है, इसको सिरा या अरण्डास कहते हैं। इस प्रकार सिरा मारने पर अर्थात् उक्त इवारत लिखने पर ऊपरवाला धणी नहीं सिकारे तो वह हुएडी उस व्यक्ति का दिखाई जायगी, जिसके लिये वेचाण में हिदायत की गई है। इसको अग्रेजी में भारतीय कानून के अनुसार Drawee in case of need कहते हैं। यह व्यक्ति ऊपरवाला धणी का स्थान ग्रहण करके वेचाण करनेवाले आसामी के खाते हुएडी सिकार देता है। यह सिरा इसलिये मारा जाता है कि हुएडी के न सिकरने पर निकराई सिकराई का, जो लिखनेवाले को हज़ेर के रूप में देनी पड़ती है, लाभ सिरा मारनेवाले को मिल जाता है। यदि जिसके नाम सिरा मारा गया है, वह भी हुएडी को नहीं सिकारे तो सिरा मारना कोई मूल्य नहीं रखता और साधारण वेचाण के समान उसका असर रहता है। खरीद भेजी वेचाण करनेवाले के सिवाय हर पक्ष प्रकार का वेचाण करनेवाला (Endorser) हुएडी के जायज़ काविज़ के प्रति रूपये का जिम्मेदार है।

निशाणी—निशाणी का अर्थ है ‘बाबत’ (On account of) इसके लिखने की हर घटक आवश्यकता रहती है। इससे ऊपरवाले धणी को यह मालूम करने में सुभीता रहता है कि हुएडी का रूपया किसके खाते नावें लिखा जायगा।

हुएड़ी का उपस्थित करना—जिस तारीख को हुएड़ी पहुँचती हो, उस दिन या बाद में कभी भी जिसके ऊपर वह हो उसे स्थानीय रिवाज के मुताबिक दिखाई जाती है। यदि ऊपरवाला धणी हुएड़ी सिकारना स्वीकार करेगा तो उसका रूपया उसी रोज़ या बाद में जैसा रिवाज होगा, भेज देगा। यदि उसको सिकारना मज्जूर न होगा तो खड़ी बोल देगा।

खड़ी रखना या नहीं सिकारना—हुएड़ी लिखने के साथ ही हुएडो का लेखक ऊपरवाले धणी को हुएड़ी की नकल लिखकर सिकारने की हिदायत करता है। नकल में साफ तौर से लेखक, राख्यावाला, ऊपरवाला धनी का नाम, अदायगी की तारीख, नम्बर व निशानी लिखो हुई होती है। जब तक नकल नहीं मिल जावे, ऊपरवाला धणी बिना उक बातें मिलान किये हुएड़ी नहीं सिकार सकता; इसलिये येसी हालत में खड़ी बोलना है। खड़ी बोली हुई हुंडी ३ या ६ दिन तक रिवाज के मुताबिक सिकारने के इन्तज़ार में, उपस्थित करनेवाले के पास रक्खी रहती है। इस अवधि के अन्दर तार छारा या पत्र छारा समाचार प्राप्त कर लिये जाते हैं और समाचार आने ही हुएड़ी सिकार दी जाती है। यदि लिखनेवाले धणी का रूपया ऊपरवाले धनी के पास हुएड़ी से कम हो या न हो और खड़ी रहने की अवधि के अन्दर भी रूपया न आये तथा ऊपरवाला धणी लेखक की रक्म से अधिक की हुएड़ी सिकारना न चाहे तो सिकारने से इंकार कर सकता है। इसके अलावा शगर

हुण्डी के लिखने में कोई चुटि जैसे दस्तखत वगैरह न करना या सूचना के अभाव में अन्य व्यक्ति के दस्तखत होना आदि रहने से भी सिकारने से इकार कर दिया जाता है। इस प्रकार हुण्डी न सिकारने से लेखक की स्थिति पर सन्देह उत्पन्न होता है और कभी कभी दिवालिया समझा जाने लगता है। हुण्डी के सिकारने से इकार होने पर हुण्डी पचायती दूकान या देशी बैंकर्स एसोसिएशन के यहाँ भेजी जाती है। वह ऊपरवाला धणी को बुलाकर उस हुण्डो पर तस्वीक को मोहर लगा देती है। यह मोहर इस बात का प्रमाण होती है कि ऊपरवाले धणी ने हुण्डी सिकारने से इकार कर दिया है। तत्पश्चात् हुण्डी सिल-स्लिले से तत्सम्बन्धी आसामियाँ के पास होती हुई लिखने-वाले धणी के पास वापस आ जाती है। उसको उसी बक हुण्डी की रकम, निकराई-सिकराई, व्याज तथा अन्य खर्च सहित देनी पड़ती है। निकराई सिकराई २० रु० सैकड़ा तक होती है।

हुण्डी की प्रतिलिपियाँ—असली हुण्डी के खो जाने पर लेखक से उसकी प्रतिलिपि मिलती है। उसको 'पेठ' कहते हैं। यदि 'पेठ' भी गुम हो जाय तो दूसरी प्रतिलिपि दी जाती है, जिसको 'पर-पेठ' कहते हैं। यदि 'पर-पेठ' भी गुम जावे तो तीसरी प्रतिलिपि और दी जाती है, जिसको 'मेजर' कहते हैं। पहली दो प्रतिलिपियाँ तो लेखक द्वारा ही लिखो जाती हैं, किन्तु तीसरी प्रतिलिपि (मेजर) जिस शहर से हुड़ी लिखो हुई होती है, वहाँ

के सर्वोक्ता पंचायत के पाँच पचों की ओर से ऊपरवाले शहर के पाँच पचों के नाम लिखी जाती है।

हुंडियों द्वारा व्याज कमाना—पाठकों को यह तो भली भाँति मालूम हो गया होगा कि हुणिडयाँ भारत में विनियम और भुगतान का उसी तरह का प्रधान साधन है, जैसे विदेशों में अंग्रेजी बिल आवृ एसचेझ; लेकिन ये व्याज पर रुपया लगाने के लिये भी अच्छा साधन बन रही हैं। देशी बैंकर्स में बहुत से ऐसे हैं, जो हुणिडयाँ बेचते नहीं हैं, बल्कि दो या तीन महीने की मुदती हुणिडयाँ खरीदकर रखते हैं और अच्छा व्याज कमाते हैं। बम्बई के मुलतानी बैंकर इस धन्ये को विशेष तौर पर करते हैं, ऐसी मुदती हुणिडयाँ ॥५ से ॥६॥ सैकड़ा मासिक तक कमी के साथ खरीदी बेची जाती हैं और पुनः इम्पीरियल बैंक द्वारा भी खरीद की जाती है। मुलतानी बैंकर च इम्पीरियल बैंक के पुनः खरीदने में भाव का जो अन्तर होता है, वही मुलतानी बैंकर कमाते हैं। भारतीय जाइरान-स्टॉक बैंक भी इन हुणिडयों का लेन-देन करते हैं, किन्तु विदेशी बैंक मुदती हुणिडयों से कोई सरोकार नहीं रखते।

पुर्जा

हुणिडयों के अतिरिक्त दूसरा प्राचान साख-पत्र पुर्जा है। इसका बड़ाल प्रान्त में अधिक चलन है। यह उधार लेनेवाले की ओर

से देनेवाले के नाम उसमें लिखी हुई रकम, उस व्यक्ति को और उस सूद की दर से, जिसका वर्णन उसमें होता है, देने के लिये एक प्राथना-पत्र होता है। अदायगी का समय उसमें नहीं लिखा जाता। इसका अनुमान या तो प्रचलित प्रथा के अनुसार किया जाता है या उस पुर्जे के साथ नत्यी किये हुए एक पर्चे पर समय लिख दिया जाता है। इस पर कोई गवाही नहीं होती। यह केवल उधार ली हुई रकम की रक्षीद के रूप में होता है। इसका उपयोग थोड़े अवसर पर अर्थात् अधिक से अधिक ३ महीने की मुद्रत के लिये ली हुई उधार के बास्ते किया जाता है।

प्रामेलरी नोट

प्रामेलरी नोट वह लिखित दस्तावेज़ है, जिसमें विना शर्त के लिखनेवाले के दस्तखत से केवल एक नियत सख्त्या में नक़द रूपये अदा करने की प्रतिशा इस प्रकार की गई हो कि एक स्नास मनुष्य को या जिसको वह दिलावे, उसको या उस दस्तावेज़ के उपस्थित करनेवाले (हामिल) को उसमें लिखा हुआ रूपया दिया जावेगा। यह भी हुड़ी की तरह दो प्रकार का बेचे जाने योग्य (Negotiable) साखपत्र होता है—दर्शनी और मुद्रती। मुद्रती प्रामेलरी नोट बहुत कम लिखे जाते हैं। यह साख-पत्र दूसरे तमाम साखपत्रों से आसान हैं। इसका मज़मून निश्चित सा है। इसमें कानूनी कार्रवाई बहुत थोड़ी होती है। गवाही

नहीं होती; किन्तु तारीख होना आवश्यक है। यह कागज के एक तरफ लिखा जाता है और माँगने पर अदा करने योग्य (on demand) होता है, इस पर २५०० रुपये तक -) आने का इससे ऊपर १०००) तक =) आने का ओर तदु उपरान्त।) आने का टिकट लगता है मुद्रती प्रामेसरी नोट पर मुद्रती हुंडी के अनुसार स्टाम्प लगाये जाते हैं। इसका प्रयोग मध्य प्रान्त, संयुक्त प्रान्त तथा भारत के अन्य प्रान्तों में पुराने ज़माने से था। अब इसको लगभग समस्त बैंकों ने थोड़ी बहुत भाषा में परिवर्तन करके विशेष रूप से अपना लिया है। इससे इसका चलन बहुत बढ़ गया है।

चेक

प्रचार—भारत में चेकों का प्रचार आधुनिक बैंकों के जन्म के साथ हुआ है। वैकों से लेन-देन रखनेवाले व्यक्तियों को इस साखपत्र से रुपया संग्रह करने और भेजने में हुडियों की भाँति बड़ी सुविधा होती है। प्रत्येक देश में साख का वृद्धि करने के लिये यह आवश्यक है कि मुद्रा का प्रयोग कम किया जावे और इसके स्थान पर चेकों का चलन बढ़ाया जावे। यही कारण है कि तमाम प्रमुख देशों में चेकों के प्रचार के लिये हर प्रकार की सुविधा दी जा रही है। हमारे देश में भी इन पर से स्टाम्प इटूटी हटाई जाकर इनके प्रचार को बढ़ाने का प्रयत्न किया गया है। फ्रियेरिङ्ग हाउसों की स्थापना से इनका लेना-देना बड़ी आसानी से निपट

जाता है; इसलिये इनका प्रचार उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है। लड़ाई से पहले अर्थात् सन् १९२३ ई० में पैंसठ हजार पैंतीस रुपये के चेक किलयेरिङ्ग हाउसों द्वारा सिकारे गये थे। उसके बाद बढ़ते बढ़ते उनकी तादाद सन् १९२४ ई० में तिगुनी हो गई अर्थात् दो लाख तीन हजार आठ सौ सात के चेक किलयेरिङ्ग हाउसों द्वारा सिकारे गये।

छायाख्या—चेक भी एक लिखित दस्तावेज़ होती है, जिसके द्वारा लेखक अपने बैंकर को यह हिदायत करता है कि उस व्यक्ति को, जिसका नाम उसमें लिखा है या उसकी हिदायत के अनुसार किसी दूसरे व्यक्ति को या उपस्थित करनेवाले किसी व्यक्ति को उसमें लिखी हुई रकम अदा की जावे, लेकिन इसमें प्रोमेसरी नोट की तरह सूद की दर लिखी हुई नहीं होती। इसमें भी हुएड्यॉ की तरह तोन आसामियाँ होती हैं :—

(१) लेखक।

(२) उपरचाला।

(३) राख्यावाला।

चेक तीन प्रकार के होते हैं :—

ओणियाँ—(१) बेरर (Bearer) इसका रूपया देखाड़नार हुएडी की तरह बैंक के काउण्टर पर हर एक उपस्थित करनेवाले को मिल जाता है।

(२) ऑर्डर (Order) यानी हिदायती चेक, इसका रूपया उस व्यक्ति को दिया जाता है, जिसके लिये बैंक को

हिदायत की गई हो या जिसके नाम अन्तिम बार मुन्तकिल हुआ हो।

(३) कॉस्ड (Crossed)—इसका रूपया किसी व्यक्ति या स्थाया को नक़द नहीं दिया जाता, बल्कि बैंक के खाते में जमा किया जाता है। वेयरर और आर्डर चेक में राख्यावाला (Payee) के नाम के अग्रे तत्सम्बन्धी शब्द लिखे हुए होते हैं। इन दोनों प्रकार के चेकों को कास किया जाता है। पहचान के बास्ते चेक के सीधी और पूरी चौडाई पर दो समानान्तर रेखाएँ खींच दी जाती हैं। इस प्रकार कॉस्ड किया हुआ चेक 'क्रोस्ड-चेक' कहलाता है। चेक वही लोग लिखते हैं, जिनके खाते बैंकों में होते हैं और उन्हीं फार्मों पर लिखे जाते हैं; जो बैंक द्वारा अपने खातेदारों को चेकबुक के रूप में दिये जाते हैं।

बैंक-ड्राफ्ट

हुरिडयों की भाँति बैंकों द्वारा जो ड्राफ्ट उनकी निजी ब्राउचों या एजेंटों पर लिखे जाते हैं, उनको बैंक-ड्राफ्ट कहते हैं। ये भी दर्शनी और सुहृतों दोनों प्रकार के होते हैं, लेकिन आम तौर पर दर्शनी लिखे जाते हैं। उनका मजमून हिदायती चेक की भाँति होता है। इन पर स्टाम्प नहीं लगाया जाता।

बिल आवृ एक्सचेञ्च

ये बिलाशर्ती सुहृती हुड़ी के समान और देशी या विदेशी दोनों प्रकार के होते हैं उदाहरणार्थ :—‘क’ एक व्यापारी ‘ख’

से १५०) रुपयों का माल एक महीने की उधार पर खरीदता है, इसलिये 'ख' वेचे मुझे माल के बीजक के साथ एक महीने की मुद्रती हुएडी 'क' पर लिखता है, उसको 'क' सिकारना स्वीकार कर लेता है तब माल या बिलटी 'क' के हवाले कर दी जाती है। यह माल के परिवर्तन में लिखी हुई हुएडी बिल आवृत्ति पक्सचेज़ कहलाती है। इसी प्रकार विदेशी बिल देश के बाहर रहनेवाले व्यापारियों पर लिखे जाते हैं। इनकी आम तौर पर ३ प्रतियाँ होती हैं, जो भिन्न भिन्न डॉक से इसलिये भेजी जाती हैं कि किसी एक प्रति के गुम जाने से रुपया मिलने में देर न हो और दूसरी प्रति से रुपया बसूल कर लिया जावे। तीनों प्रतियों में से किसी एक को सिकार देने पर शेष दोनों प्रतियाँ रद्द हो जाती हैं। ये आम तौर पर मुद्रती होते हैं।

एण्डोर्समेण्ट अथवा वेचान

हुंडियों की वेचान प्रणाली पर ऊपर पर्याप्त रूप से लिखा जा चुका है। 'पुर्जा' वेचाण योग्य (Negotiable) नहीं है। प्रोमेसरी नोट यदि देशी भाषा में लिखा हो तब तो उसके लिये किसी विशेष नियम की पावन्दी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अंग्रेज़ी भाषा में लिखा होने पर तथा अन्य साख-पत्र, जैसे—चेक, बैंक ड्राफ्ट, बिल आवृत्ति पक्सचेज़ पर, नियमित रूप से एण्डोर्स किया जाता है। अंग्रेज़ी में लिखे साख-पत्रों पर आम तौर से अंग्रेज़ी एण्डोर्समेण्ट स्वीकार किये जाते हैं। देशी भाषा के एण्डोर्समेण्ट


से लेनेवाले को बड़ी दिक्कत उठानी पड़ती है। एण्डोर्समेण्ट आम तौर पर ३ प्रकार के प्रयोग में आते हैं—खाली (Blank), विशेष (Special) और सीमित (Restrictive) ।

खाली एण्डोर्समेण्ट में केवल हस्ताक्षर पर्याप्त होते हैं।

विशेष एण्डोर्समेण्ट में जिसके पक्ष में एण्डोर्स किया जाता है, उसका नाम लिखा जाता है और उसको दूसरे के नाम पर मुन्तकिल (Transfer) करने का अधिकार होता है।

सीमित एण्डोर्समेण्ट में साख-पत्र का रूपया केवल वह व्यक्ति पा सकता है, जिसके पक्ष में एण्डोर्समेण्ट किया गया है। वह दूसरे को मुन्तकिल नहीं कर सकता।

- १—इस अध्याय में के सब साखपत्रों के नमूने परिशिष्ट नं० १ में देखिये।
- २—इन साखपत्रों के सम्बन्ध में विशेषकर कानूनी और व्यावहारिक बातें जानने के बास्ते लेखक की दूसरी पुस्तक “भारतीय वैकल्पिक का व्यावहारिक और कानूनी ज्ञान” की प्रतीचा कीजिये।



पाँचवाँ अध्याय

बैंक और उद्योग-धन्धे

भारत में जितने ज्वाइट-स्टाक-बैंक हैं, वे सब व्यापारिक शहरों और कस्बों में खजान्ची या रोकड़िया का काम करते हैं और थोड़ी-बहुत रूपयों के भुगतान में सुविधा और कुछ कुछ बड़ी बड़ी व्यापारिक फर्मों को मानी हुई जमानतों पर ग्राहिक सहायता देते हैं। इस देश के उद्योग धन्धों को न तो ज्वाइट स्टाक बैंकों से जैसी चाहिये वैसी सहायता मिल रही है और न इस्पीरियल बैंक ही इस सम्बन्ध में कुछ मदद करता है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि यहाँ के अधिकाश धन्धे एनपने नहीं पाते और जीवन के थोड़े समय बाद ही काल के ग्रास बन जाते हैं। इस सम्बन्ध में कभी कोई विशेष उल्लेखनीय उद्योग भी नहीं हुआ है। सन् १९१८-१० में मारतीय-इण्डस्ट्रीयल-कमीशन ने उद्योग-धन्धा-सहायक बैंकों की आवश्यकता पर विशेष प्रकाश ढाला था, जिसका अनु-करण करते हुए जैसा कि पीछे बताया जा सुका है, प्राइ-वेट प्रयत्न से टाटा इण्डस्ट्रीयल बैंक की स्थापना हुई थी, किन्तु दुःख है कि यह बैंक अपनी ५६ वर्ष की अवस्था में ही असफल होकर सन् १९२३ में सेण्ट्रल बैंक आवृ इण्डिया

में मिल गया। इससे भारतीय वैकिंग संसार में निराशा सी छा गई और इस प्रसार का फिर कोई प्रयास नहीं किया गया। वास्तव में वर्तमान ज्वाइट-स्टाक वैक अपने पिछले कदु अनुभवों के कारण भारतीय उद्योग-धन्धों को आर्थिक सहायता देने में असमर्थ है और जब तक इनकी पोठ पर सहायता करनेवाला वैक राष्ट्रीय-वैक स्थापित न हो जाय तब तक ये वैक सहायता कर नहीं सकते।

जर्मनी में उद्योग-धन्धों की सहायता करने के लिये घर्हाँ के बैंक संगठित रूप से भारी प्रयत्न करते हैं। उनके लिये यह भानो हुई बात है कि उनमें और उद्योग-धन्धों के बीच में गहरा प्रेम और सहानुभूति-पूर्ण सम्बन्ध स्थापित है। ये वैक जिस ढङ्ग से जर्मनी में उद्योग-धन्धे की सहायता करते हैं, उसका सहित विवरण इस प्रकार है—

सहायता इच्छुक प्रत्येक संस्था, दूकान या कम्पनी को सहायता माँगने से पहले फिसी वैक के साथ चल्लू खाता खोलना पड़ता है। चल्लू खाते के साधारण लेन-देन में कभी खातेदार के रूपये वैक में जमा रहते हैं और कभी खातेदार वैक का देनदार हो जाता है। ब्याज दोनों ही ओर से लिया दिया जाता है। लडाई के पहिले आम तौर पर जर्मन-बैंक चल्लू खातों के लिये वैक रेट से एक या डेढ परसेएट ब्याज कम देते थे और एक प्रति शतक बैंक रेट से अधिक; किन्तु कम से कम ५ प्रति शतक ब्याज खातेदार से बसूल करते थे। इस हिसाब की अवधि कम

से कम छुः माह रहती है; किन्तु बीच में भी दोनों पार्टियों में से किसी भी पार्टी को खाता बन्द करते और वाक़ी रूपया माँगने का अधिकार हर बक़ रहता है। यहाँ पर यह बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि यहाँ की अधिकांश दूकानें चललूखाते में जमा से अधिक रूपया उधार लेने की चेष्टा करती हैं। यह केवल इसलिये नहीं कि चल्ल काम के लिये रूपया मिल जाता है, बल्कि भविष्य में स्थायी रूप से सहायता प्राप्त करने के लिये पेश-बन्दी करते हैं।

पर्याप्त समय तक चल्ल खाता रख लेने पर यदि कोई कम्पनी अपना मूलधन बढ़ाना या स्थायी भूषण की बुद्धि करना चाहती है तो वह उसके लिये अपने बैंक को दरख़ास्त करती है। प्रायः एक बैंक नमाम जोखिम उठाना नहीं चाहता; बल्कि कुछ बैंक मिलकर जोखिम उठाते हैं। इस काम के लिये एक अस्थायी रूप से संगठित संस्था बनाते हैं, जिसको कन्सोर्टियून (Konsortium) कहते हैं। यौं तो इस सम्बन्ध में कई प्रणालियाँ प्रचलित हैं; किन्तु दूष्टान्त रूप से यहाँ एक प्रणाली का वर्णन किया जाता है। उस संस्था (Konsortium) का प्रत्येक सदस्य उस धन्धे में होनेवाले नफ़ा-नुक्सान का हिस्सा इच्छानुसार उठाना स्वीकार करता है और तदनुसार रक़म देता है। जैसे एक प्रार्थी कम्पनी को १००००० देना निश्चय हुआ और उस Konsortium में ५ सदस्य हैं, उनमें से प्रत्येक सदस्य १०, १५, २०, २५, ३० प्रतिशतक नफ़े-नुक-

सान का सामेश्वर क्रमश बनता है तो उनको १०००, १५००, २०००, २५०० और ३००० देने होंगे। बैंक सदस्यों में से एक बैंक, हिसाबात करने और सेन-देन करने के लिये डाइरेक्टर चुन लिया जाता है। इस भय से कि उन सदस्यों में से कोई नियम विरुद्ध काम न कर सके, प्राप्त जमानतें आपस में नहीं बाँटी जाती हैं, किन्तु जब तक निश्चित मूल्य की जमानतें न बिक जायें, सब जमानतें डाइरेक्टर बैंक के पास रखकी रहती हैं। यह बैंक मध्यस्थ बनकर पुरानी जमानतों को असली कीमत कायम रखने का प्रबन्ध करता है और तत्सम्बन्धी हिसाबात रखता है तथा आवश्यकतानुसार रकम संग्रह करने तथा बाँटने के लिये सदस्यों को बुलाता है। इस Konsortium के दूट जाने पर मेम्बर नफा नुकसान या बच्ची हुई जमानतें अपने अपने हिस्सों के अनुसार विभाजित कर लेते हैं। ये सम्पाद्य एक निश्चित अवधि के लिये कायम की जाती हैं, किन्तु बीच में भी तोड़ी जा सकती हैं और पुन इच्छा होने पर नवीन शर्तों के साथ फिर चालू की जा सकती हैं।

अमेरिका के बैंकोंने भी जर्मनी के बैंकों का अनुसरण किया है।

अगरेज़ी बैंकोंने भी तटस्थ रहने की अपनी पुरानी रूपार छोड़ दी है। इन्होंने बैंकस-इण्डस्ट्रियल डिवलपमेंट कम्पनी संगठित की है, जो श्रौद्योगिक सम्पाद्यों के चालू करने की स्कीम को तत्सम्बन्धी विशेषज्ञों से अनुसन्धान कराएँ। उस उद्योग की उपयुक्ता और लाभ हानि के सम्बन्ध में तस्वीक

करती है और इसकी सिफारिश पर उन उद्योगों को आवश्यक धन प्राप्त होता है।

जापानियों ने भी ५ करोड़ 'यन' के मूलधन से एक इण्डस्ट्रियल बैंक कायम किया है। इसको अपने मूलधन से १० गुने डिवेल्पर जारी करने का अधिकार है। यह औद्योगिक संस्थाओं के बोएड्स, डिवेल्पर, शेयर, जहाज़ और जहाज़ों के सामान की ज़मानतों पर उधार देता है। जापान के उद्योग-धन्धों की उन्नति करने में वहाँ को सरकार का पूर्ण रूप से सहयोग रहा है। यही कारण है कि जापान की काया एक दम पलट गई। सन् १८६८ में जापान की आर्थिक अवस्था भारत की सन् १७५७ की आर्थिक अवस्था से भी ख़राब थी; किन्तु अर्धशताब्दी के थोड़े से समय में यह देश जहाँ तक उद्योग-धन्धों से समझन्ध है, संसार के अत्यधिक उन्नतिशील देशों की श्रेणी में आ पहुँचा। सन् १८६८ में जापान के निर्यात व्यापार में बनी हुई चीज़ों का औसत १०१४ प्रतिशतक था। सन् १८२८ में यह औसत बढ़ कर ४२५२ प्रतिशतक हो गया। इसी तरह सन् १८६८ से बनी हुई चीज़ें बाहर से ६०५७ प्रतिशतक में आती थीं, जो सन् १८२८ में घट कर १५१६ प्रतिशतक रह गई। यह सब कुछ उन्नति योकोहामा स्पेशी बैंक (१८८०) और इण्डस्ट्रीयल बैंक आॅफ जापान (१८०२) के कायम होने के पश्चात हुई है। अस्तु, भारत के उद्योग-धन्धों की उन्नति के लिये भी इसी प्रकार के बैंकों की स्थापना की आवश्यकता है।

छठा अध्याय

बैंक और विदेशी व्यापार को आर्थिक सहायता

भारत के विदेशी व्यापार (आयान और नियर्णत दोनों) का जोड़ लगभग ६ सौ करोड़ रुपया वार्षिक है। सन् १९२८ रह में दस करोड़ से ऊपर का लेनदेन जिन देशों से हुआ है, वे इस प्रकार हैं —

(१) यूनाइटेड किंगडम्स	१८३ करोड़
(२) संयुक्त राज्य अमेरिका	५६ "
(३) जापान	५१ "
(४) जर्मनी	४७ "
(५) नीदरलैण्ड, डच और ईस्ट इण्डीज़	३० "
(६) फ्रान्स	२२ "
(७) इटली	२२ "
(८) बेलजियम	२० "
(९) स्लोवोन	१६ ,
(१०) स्ट्रेट सेटलमेण्ट्स	१३ "
(११) आस्ट्रेलिया	१५ "

इस विदेशी व्यापार को दो प्रकार से आर्थिक सहायता दी जाती है—(१) भारतीय बन्दरगाह से विदेशी बन्दरगाह तक या विदेशी बन्दरगाह से भारतीय बन्दरगाह तक, (२) भारतीय व्यापारिक शहरों से भारतीय बन्दरगाहों तक माल पहुँचाने या भारतीय बन्दरगाहों से भारतीय व्यापारिक शहरों को माल विभाजित करने में ।

विदेशी बैंक—प्रथम थ्रेणी में वर्णित व्यवसाय विदेशी हुएडियों द्वारा निपटाया जाता है, जो पूर्णतया विदेशी विनियम बैंकों के हाथ में है । जैसा कि पिछले पृष्ठों में वर्णन किया जा चुका है, इनकी संख्या १८ है । इनमें से दो मेसर्स थामस कुक पेरेड सन (बैंकर्स) और अमेरिकन एक्सप्रेस कम्पनी इन्कोरपोरेटेड विदेशी विनियम की आर्थिक सहायता-सम्बन्धी धन्दे में कोई विशेष उल्लेखनीय भाग नहीं लेते । यह अधिकतर यात्रियों के लेन-देन (Tourist traffic) हो से अपना सम्बन्ध रखते हैं । शेष में से निम्नलिखित ५ का अधिकांश व्यापार भारत में है (१) चारटर्ड बैंक आवृ इण्डिया, आस्ट्रेलिया और चाइना, (२) नेशनल बैंक आवृ इण्डिया, (३) पी० पेरेड ओ० बैंकिंग कोरपोरेशन, (४) ईस्टर्न बैंक, (५) मरकेटायल बैंक आवृ इण्डिया ।

बाकी ११ उन बड़े बैंक-संस्थाओं की शाखाएँ और पर्जेन्सियाँ हैं, जिनका अधिकांश व्यापार विदेशों में है । यह विनियम बैंक ग्रिटिश चेम्बर ऑफ़ कॉमर्स के मेम्बर हैं और ये जो कुछ भी खेल भारत में खेलते हैं, वह सब ग्रिटिश बैंकों के इशारे पर खेलते हैं ।

जातीय भेदभाव—इन वैकों के द्वारा जो सुविधा और आर्थिक सहायता विदेशी व्यापार को मिलती है, वह सेण्ट्रल बैंकिंग इंकायरी कमेटी वी वहुमत रिपोर्ट के शब्दों में व्यापारिक दृष्टि से संतोपजनक है; किन्तु अंग्रेज़ी और विदेशी व्यापारियों के दृष्टिकोण से है न कि भारतीय दृष्टिकोण से। इन वैकों का सभी जातियों के व्यापारियों के प्रति समान व्यवहार नहीं है। जहाँ ये साधारण से साधारण अंग्रेज़ व्यापारियों और कम्पनियों को अधिक से अधिक सहायता और सुविधा देने में प्रस्तुत रहते हैं, वहाँ भारत के बड़े से बड़े और अच्छी स्थितिवाले व्यापारी, वैक और कम्पनी की सहायता करने में सदा उपेक्षा करते हैं। यह विदेशी वैकों के लिये आम शिकायत है। इस सम्बन्ध में सेण्ट्रल बैंकिंग इंकायरी कमेटी के सामने भारतीय व्यापारियों, वैकों और कम्पनियों ने अनेक आपत्तियाँ प्रकट की हैं। उनमें से उदाहरणार्थ कुछ का सारांश नीचे दिया जाता है :—

(१) विदेशी माल, जो भारत में आता है और भारत से बाहर जाता है, की रकम दो प्रकार के बिलों (दुखियों) से बसूल की जाती है और चुकाई जाती है। इनको डी० प०* और डी० पी०† ड्राफ्ट कहते हैं। डी० प० का अर्थ है हुरडी को स्वीकार कर

* Documents against acceptance

† Documents against payment.

लेने पर ही तत्सम्बन्धी विलिट्र्याँ ऊपरबाले धनी को अर्थात् माल मँगवानेवाले को दे देना और डी० पी० का अर्थ है—रूपये चुकाने पर माल की विलिट्र्याँ देना। भारत से जो विदेशों में माल जाता है, उसको कीमत की हुएडी भारत का व्यापारी डी० प० श्रेणी को और तीन महीने की मुद्रती करता है और विदेशों से भारत में आनेवाले माल की कीमत की हुएडी विदेशी व्यापारी भारत के व्यापारी पर डी० पी० श्रेणी और ६० दिन की मुद्रती करते हैं। विदेशी व्यापारियों को डी० प० श्रेणी की हुएडीयों से यह सुविधा है कि विना रकम चुकाये केवल साख पर हुएडी सही करते ही विलिट्र्याँ मिल जाती हैं, जिससे माल बेचकर तीन महीने बाद इनका रूपया चुका देते हैं, लेकिन भारतीय व्यापारी को इस तरह केवल हुएडी लिकारना स्वीकार कर लेने पर विलिट्र्याँ नहीं मिलतीं; बल्कि रूपया चुकाने पर मिलती है। इस सुविधा के अभाव के कारण विदेशी वैकंक ही हैं; क्योंकि ये भारतीय व्यापारियों को अच्छी आर्थिक स्थिति का हवाला (Reference) विदेशी व्यापारी को नहीं देते। इसमें इनका स्वार्थ यह है कि डी० पी० श्रेणी के विलस प्रचलित रहने से विदेशों से आनेवाले माल की ज़मानत पर ऊँचे व्याज की दर से रूपया उधार देने पर इनको अच्छी आमदनी होती है।

(२) दूसरी शिकायत यह है कि साख-पत्र* प्राप्त करने के

* यह एक पत्र होता है, जिसमें भारत-स्थित वैद्युत, दूसरे किसी देश के व्यापारी या वैद्युत को यह लिखता है कि अमुक समय तक अमुक आसामी

लिये भारतीय माल मँगानेवालों ऊँचे दर्जे की कम्पनियों को भी माल की क्रीमत का दस से पन्द्रह रुपया सैकड़ा तक विदेशी विनियम वैकों में जमा करना पड़ता है; किन्तु कलकत्ते को अंग्रेजों कोठियों से इस प्रकार की जमा नहीं मांगी जाती।

(३) भारतीय बड़ी बड़ी और सुसंगठित फ़र्मों के लिये भी यह वैक संतोषजनक हवाला (Reference) विदेशी व्यापारियों को नहीं देते; लेकिन भारत-स्थित विदेशी फ़र्मों को, जिनकी आधिक स्थिति भारतीय व्यापारियों से कम दर्जे की होती है, संतोषजनक हवाला (Reference) मिल जाता है।

(४) जब विदेशी व्यापारों भारतीय व्यापारों पर हुएढ़ी करता है और वह हुएढ़ी भारत में स्थित विनियम वैकों के यहाँ रुपये संग्रह करने के लिये आती है तब माल मँगानेवाले भारतीय व्यापारी को थैक के बेचनेवाले दर्शनी हुएढ़ी के भाव पर रुपया जमा करना पड़ता है; किन्तु किसी दूसरे विनियम वैक की दर्शनी हुएढ़ी, जो अधिक अनुकूल भावों में मिल सकती है, खरीद-कर या श्रपने किसी लन्दन के आढ़तिया पर चेक जारी करके

के अमुक तादाद तक छारीदे हुए माल की क्रीमत के बदले बिलियों के साथ-वाली अमुक दिन की मुदती हुएढ़ी हमारे ऊपर की जा सकती है। उसको हम सिकाना स्वीकार करेंगे और ठीक समय पर उसका रुपया उकावेंगे। इस साख-पत्र को पाकर दूसरे देशों के व्यापारी यिनां कुछ पेशगी लिये मारत के व्यापारी को माल रखाना कर देते हैं।

अदायगी नहीं कर सकता। जहाँ तक कलकत्ते के व्यापार से सम्बन्ध है, भारतीय माल मँगानेवाला अपने ऊपर आनेवाली हुएडी की अदायगी में ऐसचेत्त वैकं प्रसोसियेशन के किसी दूसरे बैड़ को तार की हुएडी दे सकता है, उस पर कोई चार्ज नहीं किया जाता; किन्तु और जगह ऐसा नहीं होता। सेरड़ल वैकिङ्ग इंकायरी कमेटी के सामने विदेशी वैकों के प्रतिनिधि भी यह बात स्वीकार कर चुके हैं कि भारतीय माल मँगानेवाले से उसके ऊपर आनेवाली हुएडी की अदायगी में लन्दन-स्थित आढ़तिया पर खेक लेने के लिये इंकार करना न्यायोचित नहीं है।

(५) विदेशी वैकं भारतीय माल भेजनेवाले को अपने माल का बीमा विदेशी बीमा कम्पनी में कराने के लिये मज़बूर करते हैं और हिन्दुस्तानी बीमा कम्पनी में कराया हुआ बीमा स्वीकार नहीं करते।

इस जातीय भेद-भाव और पक्षपात के कारण विदेशियों को भारत के विदेशी व्यापार में भारतीयों की अपेक्षा अधिक सुविधा और सहायता दी जाती है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि विदेशी कोठियाँ अपने अनुलित साधनों से भारतीय व्यवसायियों के साथ प्रतियोगिता कर रही हैं और भारतीय व्यापारियों के हाथ में जो कुछ थोड़ा-बहुत धन्या रह गया है, उसको भी छीनने की कोशिश कर रही हैं।

इस व्यवसाय में विदेशी वैकों या अन्य व्यापारियों की आय का औसत कमीशन के रूप में दो प्रतिशत है। इससे दस-

करोड़ रुपये के लगभग विदेशी फ़र्मों को आय होती है। अतिरिक्त इसके, वे माल के क्रय-विक्रय की दलाली, विनियम और बोमा की दलाली आदि अनेक प्रकार से प्रतिवर्ष करोड़ों रुपया कमाती हैं। इससे भारतीय व्यापारियों की बड़ी हळतलफ़ी हो रही है।

दूसरी श्वेणी में वर्णित व्यवसाय अर्थात् उत्पादक क्षेत्र से बन्दरगाहों तक पैदावार पहुँचाना और बन्दरगाहों से आयात माल को भारत के भिन्न भिन्न स्थानों में विभक्त करना भारतीय व्यापारियों के हिस्से में आया है।

यहाँ हम यह मानने को तैयार नहीं हैं कि भारतीयों में विदेशियों के समान देशी और विदेशी व्यापार को किसी भी प्रकार से सुचारू रूप से सम्पादन करने की योग्यता और क्षमता नहीं है। अंग्रेजों के आगमन और विदेशी वैकंकों की स्थापना से पूर्व विदेशी व्यापार सोलहो आना भारतीयों के हाथ में था और अग्रेक लघ्वप्रतिष्ठित व्यापारी इस व्यवसाय को बहुत बड़े पैमाने पर, साधारण से डॉगों और लकड़ी के बने हुए जहाज़ों द्वारा संसार के भिन्न भिन्न देशों से सफलता-पूर्वक करने में सफल हुए हैं। इस पर यह प्रश्न होता है कि फिर क्या कारण है कि यह व्यवसाय इन सौ वर्षों में भारतीयों के हाथों में से विदेशियों के पास सिमट गया? इसके ग्रधान कारण हैं सारे जहाज़ों पर विदेशियों का अधिकार होना और विदेशी विनियम वैकंकों को सरकार द्वारा अनेक सुविधाएँ मिलते रहना।

जहाँ दूसरे देशों में विदेशी वैकंक खोलनेवालों के मार्ग में अनेक

रुकावटें तथा प्रतिबन्ध लगाये जाते हैं, जिनकी घजह से वे वहाँ के स्थानीय वैंकों से प्रतियोगिता करके उनका व्यवसाय अपहरण करने में असमर्थ हो पाते हैं; वहाँ दुःख है कि भारत में विदेशी कम्पनियों, फ़र्मों और वैंकों के लिये न केवल हर वक् दर्वाज़ा खुला हुआ है; बल्कि उनको उनके भाई-बन्धु द्वारा सब प्रकार की सुविधाएँ दी जाकर, फलने-फूलने का अवसर दिया जाता है। इस भेदभाव के कारण भारतीयों द्वारा होनेवाला व्यापार विदेशी कम्पनियों, वैंकों और व्यापारियों के पास पहुँच गया है। अब इन विदेशी संस्थाओं ने अपना संगठन व शक्ति इतनी बढ़ा ली है कि ये हर वक् भारतीय प्रयास को दबाने में सफल हो जाती हैं और भारत में भारतीयों द्वारा चालू की हुई संस्थाएँ पनपने नहीं पातीं। उदाहरणार्थः—(१) मौजूदा विनिमय वैंकों में से नेशनल बैंक आवृ इण्डिया रूपयों के मूलधन से भारत में कायम हुआ था और जिसके थोर्ड आवृ डाइरेक्टर्स में भारतीय डाइरेक्टर्स भी थे, इसको अपना मूलधन शीघ्र ही पौँडों में बदलना पड़ा और अपना हेड आफिल भारत से लन्दन ले जाना पड़ा। (२) अलाइन्स वैंक शिमला को, जो विदेशी विनिमय का खाता व्यापार करता था, सन् १९२३ ई० में अपने दर्वाजे बन्द करने पड़े। (३) टाटा इण्डस्ट्रीजल वैंक को भी, जिसने विदेशी विनिमय और व्यापार में अपना क़दम बढ़ाया था, छु वर्ष की आयु में सृत्यु की गोद में सोना पड़ा।

सातवाँ अध्याय

कृषि और वैंक

भारतवर्ष कृषि-प्रधान देश है। यहाँ का सबसे बड़ा, विस्तृत और प्रधान उद्योग-धंधा कृषि है। इस पर २३ करोड़ अर्थात् ७० प्रतिशत मनुष्यों का जीवन-लिंगाह निर्भर है। खेती के लिये भी दूसरे उद्योग-धंधों से धन की कम आवश्यकता नहीं होती है—यह निर्विवाद बात है और जिसको एक स्वर से सभी देशों ने माना है। भारतीय कृपकों को ऋण की पद पद पर आवश्यकता होती रहती है। उनका कोई कार्य ऐसा नहीं है, जो ऋण लिये बिना आरंभ और पूरा हो सके; क्योंकि उनके पास कुटुम्बी लनों के अनुपात से भूमि कम होती है, उत्पादन सदैव समयानुकूल और आवश्यकतानुसार वर्षा पर निर्भर रहता है। आये दिन अर्थात् तीन वर्ष में एक बार अतिवृष्टि और अनावृष्टि से ड्रेक्काल पड़ते रहते हैं, जिनके कारण उनकी आशाओं और परिव्रम का सर्वनाश हो जाता है और उनको राज का लगान चुकाने, महाजनों की क्रिस्त देने, आगे के लिये

खेती करने और अपने जीवन की प्रत्येक आवश्यकता की पूर्ति के लिये ऋण लेना पड़ता है। जैसा कि सर एफ निकोलसन ने उनकी इस कहण दशा का चित्र चित्रित करते हुए लिखा है :—

They Could not begin to Cultivate without borrowing seed, Cattle grain for maintenance etc, so that their crop is pledged in advance, so that on settlement of accounts the cultivator has little to go on with and must again borrow In famine years these men have practically no resource The raiyat must feed himself and his family He must pay his kists and if there is no money to pay them with as is usually the case and the Revenue officer stands at the door there is no alternative but to go to the *mahajan*

भारत में एक सचेंज वैंक हैं, वे केवल विदेशी व्यवसाय की सहायता करते हैं, ज्वाइट स्टॉक वैंक हैं, वे देश के भीतरी व्या पार के पोषक हैं और इम्पीरियल वैंक भी, जो कृपकों से सम्रहीत सार्थकनिक धन का विना व्याज उपभोग करता है, इनकी धात नहीं पूछता। इन्स्योरेन्स कपनियाँ अपना रूपया केवल सरकारी जमानतों पर लगाती हैं, रहे कोआपरेटिव वैंक—इनके द्वारा जो कुछ भी कृपकों को आर्थिक सहायता दी जाती है, वह

तदर्थ आवश्यकता को देखते हुए आटे में नमक के बराबर भी नहीं है* ।

कृषि को, जिस पर संसार के समस्त उद्योग-धंधे निर्भर हैं और जिसके बिना न व्यापारी न बैंकर और न सरकार जीवित रह सकती है, भारतीय वैकिंग संगठन से सहायता नहीं मिलती, यह आश्चर्य की बात है। इससे यह कहा जा सकता है कि भारत का वैकिंग संगठन अभी अपूर्ण है। दुख की बात है कि हमारी सरकार भी इस ओर जैसा चाहिये, वैसा ध्यान नहीं देती।

दूसरे देशों में कृषि को थोड़ी और लम्बी अवधि के लिये सहायता देनेवाली अलग अलग संस्थाएँ स्थापित हैं,

* The co-operative movement, therefore, provides about 7% of the finance required for this purpose. Bom P BK I C. 1929-30 p 227 The credit facilities now provided by co-operative movement to agriculturists cover but a very small proportion of their needs C.BK I Co P 199.

† When we have agriculture, which is by far the largest "INDUSTRY" in India, entirely out of touch, with the Commercial Banking ORGANISATIONS "Sir OSBORNE A Smith"

जिनको वहाँ की सरकारें सदैव आर्थिक, क्रानूनी और प्रबन्ध-सम्बन्धीयथोचित सहायता देती रहती हैं।

थोड़ी अधिके लिये

जर्मनी में सरकारी कृपि-बैंक (Presusische Central Geno.) को सरकारी पूँजी से २५ लाख पौँड सहायतार्थ प्रदान किया गया था।

फ्रान्स में सरकार सहकारिता के प्रचार को सरकारी अधिकारियों के बोर्ड द्वारा, जो Credit Agricole कहलाता है, विशेष सहायता प्रदान करती है। कुछ वर्ष पहले जब बैंक आवृत्ति फ्रान्स का संस्थापन पत्र संशोधित हुआ था, उसके द्वारा बैंक आवृत्ति Credit agricole बोर्ड को ४ करोड़ स्वर्ण-फ्रान्स बिना ब्याज उधार देने और अपने लाभ में से एक लाख बीस हजार पौँड प्रति वर्ष सहायता-स्वरूप देने के लिये वाध्य है। Credit agricole इस रूपये को Regisnal Banks (ज़िला कोशिकरेटिव बैंकों के समान होते हैं) को बिना ब्याज उधार देता है। ये पिछले बैंक आमीण सहकारी सभाओं को अधिक से अधिक ३% पर उधार देते हैं।

इंग्लैण्ड में कृपकों को थोड़ी अधिके लिये बैंक द्वारा उधार दिलाने के बास्ते सन् १९२८ ई० में एक विशेष क्रानून की रचना की गई है।

संयुक्त राज्य अमेरिका में उधार देनेवाली (Credit) और क्रयविकाय करनेवाली (Marketing) सहकारी समाप्त है, जिनको Federal Intermediate Banks और National agricultural credit Corporation कहते हैं। ये सब संस्थाएँ बैंकों को थोड़ी अवधि के बास्ते उधार देती हैं। इनकी स्थापना स्पेशल पश्चीकलचर कानून १९२३ के द्वारा हुई है। पहली प्रकार के बैंकों की संख्या १२ है, जो अपने अपने केन्द्र में कार्य करते हैं। प्रत्येक का मूलधन ५० लाख डालर है, जो सबका सब सरकार द्वारा खरीदा जाता है।

लम्बी अवधि के लिये

(१) इंग्लैण्ड में सरकार भूमि-बंधक बैंकों को The Agriculture Credit Act of 1928 के अनुसार सहायता-स्वरूप (१) ७५,००,००० पौंड तक ६० वर्ष के लिये बिना ब्याज उधार देने, (२) प्रबन्ध-बच्चे के लिये १०,००० पौंड वार्षिक सहायता देने और (३) १२,५०,००० पौंड के डिवेन्युर खुद खरीदने को वापस्य है। इसके अतिरिक्त ५ करोड़ पौंड के डिवेन्युर अंडर राइट करने में सहायता करती है। इन बैंकों के डिवेन्युर ट्रस्टी सिफारिशी माने जाते हैं।

(२) सीलोन में एक कमेटी ने स्टेट मोर्टगेज बैंक की स्थापना के बास्ते एक तजवीज उपस्थित की है और सिफारिश की है कि "सरकार २,५०,००,०००) रु० तक के

डिवेल्पर की असल रकम और व्याज की गारंटी लेखे, • ३०,००,०००) रु० तक के डिवेल्पर खुद ख़रीदे और बैंक को अपना रूपया ज़मानत में आई हुई जायदाद से कोर्ट में पुकार किये विना हो बसूल करने का पूर्ण अधिकार दे ।

(३) संयुक्त राज्य अमरीका में फ्रेडरल भूमि-बन्धक बैंकों को संख्या, फ्रेडरल इंटरमीजियट क्रेडिट बैंकों की भाँति १२ है । ये समस्त देश के १२ ज़िलों में बैंटे हुए हैं । प्रत्येक बैंक को कार्य प्रारम्भ करने से पहले ७,५०,००० डालर के मूलधन की आवश्यकता होती थी । इस पूँजी के हिस्से वेचना आरम्भ करने की तारीख से ३० दिन के अन्दर विना विके हुए हिस्से सब सरकार को ख़रीदने पड़ते थे ।

(४) फ्रांस में The Credit Foncier de France बैंक सन् १८४२ में स्थापित हुआ था, जिसको सरकार ने १ करोड़ स्वर्ण फ्रांक की सहायता दान के तौर पर दी थी । इसके बांड ट्रस्टी-सिक्योरिटी समझे जाते हैं ।

(५) जर्मनी में भूमि-बन्धक बैंकों के संचालन के बास्ते एक विशेष कानून है, जिसके द्वारा सरकार ऐसे बैंकों का प्रबन्ध करती है । सरकारी सहायता के कुछ उदाहरण यहाँ उद्धृत किये जाते हैं :—

(१) Preussische Central-Boden Credit Aktien-Gessellschaft बैंक जब सन् १८७० में स्थापित हुआ था तब सरकार और सरकार से सम्बन्धित बैंकों ने

इसके मूलधन में हाथ घँटाया था। बाद में जब वैंक अपनी उन्नतावस्था में पहुँच गया तब हिल्से बाज़ार में बैंचे गये थे।

(२) Kur-und Newmarkisches Ritterschaftliches Kredit Institut etc. बैंक फ्रैटरिक दी प्रेट द्वारा स्थापित किया गया था, जिसने इसको २०,००० डालर (जर्मनी का पुराना सिक्का १ डालर = ३ मार्क) दान के तौर पर प्रदान किये थे। आरंभ में यही इसका मूलधन था। इसका समस्त लाभ बैंक ही में रहता था और मूलधन में शामिल कर दिया जाता था। इस प्रकार बढ़ते बढ़ते इसका मूलधन सन् १९०८ ई० में ७० लाख स्वर्ण-मार्क हो गया। साधारण से अधिक लाभ होने की हालत में बैंक के अधिकारी अधिक लाभ को उधार लेनेवालों में बाँटकर उनके ऋण में जमा कर लेते थे।

(३) आस्ट्रेलिया में भी कृषि को सहायता देने के बास्ते खास तौर से सरकारी बैंक स्थापित किये गये हैं। ये अपनी पूँजी कुछ तो सरकार से प्राप्त करते हैं और कुछ डिवेन्चर जारी करते हैं। ग्रामीण सहायता (Rural Credit) भिन्न भिन्न प्रकार की सहकारी समितियों और कोमनवेल्थ बैंक के Rural Credit डिपार्टमेंट द्वारा दी जाती है। इस बैंक को ३० लाख पौंड तक तो इस कार्य के

लिये सरकार सहायता देती है और २० लाख पौंड स्वयं अपने पास से लगाता है।

(७) जापान में कृपि तथा दूसरे छोटे छोटे उद्योगों को छोटे छोटे कृपि और औद्योगिक बैंकों द्वारा सहायता दी जाती है। इन बैंकों को Hypothec Bank of Japan, जो कि उनका केंद्रीय बैंक है, सहायता देता है। इन बैंकों का मुख्य उद्देश्य जायदाद की ज़मानत पर अधिक से अधिक ५० वर्ष की अवधि तक के लिये उधार देना है। Hypothec Bank of Japan का मूलधन ७,४८,७६,०६० येन है और इसको अपने मूलधन से ५० गुने डिवेंचर निकालने का अधिकार है। इसके समस्त व्यवस्थाएँ सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं।

उक्त उद्भूत किये हुए उदाहरणों से स्पष्ट हो गया है कि कृपि-उद्योग को संसार के दूसरे देशों में कितना महत्व-पूर्ण स्थान दिया गया है और उसको उन्नत करने के लिये किस प्रकार से आर्थिक सहायता पहुँचाने के साधन जुटा रखे हैं। भारत जैसे कृपि-प्रधान देश में भी इसी प्रकार के कृपि-सहायक बैंकों की आवश्यकता है।

आठवाँ अध्याय

पिछड़ी हुई अवस्था और उसके कारण

पिछड़ी हुई अवस्था—पिछले अध्यायों में संक्षिप्त रूप से कई प्रकार की बैंकिंग संस्थाओं का, जो भारत में काम कर रही हैं, वर्णन किया जा चुका है। यहाँ पर यह घटलाये जाने का प्रयत्न किया जाता है कि भारतीय बैंकिंग धन्धा दूसरे देशों की तुलना में कहाँ पर स्थित है और कितना पिछड़ा हुआ है या जो कुछ इस समय है, वह कहाँ तक पर्याप्त है। अतिरिक्त इसके उन कारणों पर भी विचार करना आवश्यक है, जो भारतीय बैंकिंग की उन्नति में रोड़े अटकाते हैं।

पिछले अध्याय में भारत में ज्वाइएट स्टाक बैंकिंग तीन श्रेणियों में विभक्त हुई है—इम्पोरियल बैंक, ज्वाइएट स्टाक बैंक और विनियमित बैंक। इन तीनों के हेड ऑफिस और शाखाएँ इस प्रकार हैं :—

नाम	हेड आफिस	शाखाएँ
इम्पीरियल-बैंक	३	१६५
विदेशी विनियोग-बैंक	०	८८
ज्वाइट स्टाक बैंक	१७०	४८०
इलाहाबाद-बैंक	१	३२
जोड़	१७५	७६५

उक्त ७६५ बैंकों में विदेशी विनियोग वैकों को शाखाएँ और इलाहाबाद बैंक, जो विदेशियों द्वारा सचालित होता है, भारतीय बैंकिंग का वास्तविक भाग नहीं कहा जा सकता, की ३२ शाखाएँ भी शामिल हैं। भारत में लगभग २३०० शहर हैं। वैकों की उक्त सख्त्या केवल ३३९ शहरों में विभक्त है; परन्तु यह विभाजन समस्त देश में समान रूप से न होने के कारण इस देश का बहुत बड़ा भाग वैकिंग की सुविधाओं से लाभ उठाने से बच्चित रहता है।

विदेशों से तुलना—भारतीय बैंकों की उक्त सख्त्या को यदि हम जनसंख्या में बाँटते हैं तो ४,४०,००० मनुष्यों के पीछे एक शाखा का ओसत आता है। इन अकों की जब हम विदेशों के बैंकों की सख्त्या से तुलना करते हैं तो अपने आपको बहुत पीछे पाते हैं। इंग्लैण्ड और वेल्स में ४५०० मनुष्यों के पीछे और यूनाइटेड किंगडम में ३५०० मनुष्यों क पीछे एक बैंक है। अतिरिक्त इसके सन् २७ २८ १० में ससार के कुछ भाग बैंक—

देशों की बैंकिंग अवस्था का दिग्दर्शन “बैंकर्स-प्लमेनिक” इस प्रकार करता है:—

देश	बैंकों के दस्तर
संयुक्त राज्य अमेरिका	२५०००
ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैण्ड	१३१००
फ्रांस	४४००
जर्मनी	३१००
वेलजियम	१२००

यहाँ यह बात ज्यान देने की है कि संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत की जनसंख्या तिगुनी है; किन्तु वहाँ बैंकों के दस्तर भारत से ३३ गुने अधिक हैं। इस तरह वहाँ पर भारत से सौगुना अधिक बैंकिंग धन्धे का प्रचार है। यदि हम मूलधन और जमाशुदा अमानतों पर हृषि ढालते हैं तो अमेरिका को तुलना में भारतीय बैंकों का मूलधन २ प्रतिशत भी नहीं है और अमानतें ३ प्रतिशत से भी कम जमा हैं। जहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका में ८७ पौँड प्रति मनुष्य के पीछे रक्म जमा है, वहाँ भारतीय बैंकों में जमाशुदा अमानतों का ओसत १५ शिलिङ्ग प्रति मनुष्य आता है। पेसा ही परिणाम लगभग और देशों की तुलना से निकलता है। यह तो हुई एक देश से दूसरे देश के बैंकिंग की सामुहिक तुलना। अब हम कुछ विदेशों के प्रधान प्रधान बैंकों से भारत के बड़े बड़े बैंकों की तुलना करते हैं।

संसार के कुछ वैकों का पूँजी-चुचक कोष्ठक

नाम वैक	लाख पौराण में	
	मूलधन	जमा (अमानतें)
चारदंड वैक आवृहिण्या, आस्ते- लिया पौराण चाहना	७०'००	४४०
कर्णयद्वास वैक	२२८'१०	३८२१'६७
नेशनल सिटी वैक आवृन्यूयाकं कोम्पटायर नेशनल ढी एसकोम्प	३२६'४०	२७८१'४७
ढी पेरिस	१५७'८८	३६७०'६७
स्यूमीटोमा वैक	७१'०६	१४७'६१
पोकोहामा स्पेसी वैक	१६६'२०	४८३'६६
इक्काहायाद वैक	२'८६	८३'६४
वैक आवृहिण्या	७'५०	८३'०४
सेएट्रल वैक आवृहिण्या	१२'६१	१०६'२८
ज्याहंट स्टाक वैक ४ लाख से उपर मूलधनवाले	२१'६३	४८६'३०
ज्याहंट स्टाक वैक ४ लाख से कम तथा १ लाख से अधिक मूलधनवाले	६'३७	२४८'१
इम्पीरियल वैक	४०'२२	२६४'३४

पृष्ठ नं० ११५ का कोपुक यह बतला रहा है :—

मूलधन से तुलना

ब्रिटेन के वैंको में लॉयड्-स-वैंक का मूलधन इम्पीरियल वैंक से ८ गुना, सेएट्रल-वैंक आव् इण्डिया से २१ गुना और इलाहाबाद-वैंक से ८८ गुना अधिक है। इसी प्रकार चार्टर्ड-वैंक का मूलधन भी इम्पीरियल-वैंक से दूना, सेएट्रल वैंक से ५ गुना और इलाहाबाद-वैंक से २४ गुना अधिक है।

अमरीका के वैंको में नेशनल-सिटी वैंक आव् न्यूयार्क का मूलधन इम्पीरियल-वैंक से ८ गुना, सेएट्रल-वैंक से २६ गुना और इलाहाबाद-वैंक से ११० गुना अधिक है।

फ्रांस के वैंको में कोम्पटोयर नेशनल डा पेरिस का मूलधन, इम्पीरियल-वैंक से बौगुना, सेएट्रल वैंक से १२ गुना और इलाहाबाद-वैंक से ५३ गुना अधिक है।

जापान के वैंको में स्यूमीटोमा का मूलधन इम्पीरियल-वैंक से १॥। गुना, सेएट्रल-वैंक से ५ गुना और इलाहाबाद-वैंक से २५ गुना अधिक है। इसी तरह योकोहामा स्पेसी-वैंक का मूलधन इम्पीरियल-वैंक से ५ गुना, सेएट्रल-वैंक से १६ गुना और इलाहाबाद-वैंक से ६६ गुना अधिक है।

यदि हम एक लाख और इससे ऊपर मूलधनवाले समस्त जवाइए-स्टाक वैंकों का मूलधन मिलाकर तुलना करने वैठें तो भी चार्टर्ड-वैंक आव् इण्डिया, आस्ट्रेलिया और चाइना और

स्यूमीटोमा-बैंड में से प्रत्येक के मूलधन से हमारे समस्त ज्वाइएट-स्टाक-बैंडों का मूलधन कम है। यदि हम भारतीय ज्वाइएट स्टाक-बैंडों के मूलधन में इम्पीरियल-बैंड का मूलधन मिला देते हैं तो भी हमारे समस्त बैंडों के मूलधन से लॉयड्स-बैंड का मूलधन द्वाई गुना और नेशनल-सिटी-बैंड आवृ न्यूयार्क का सवा तीन गुना अधिक होता है।

अमानतों से तुलना

ब्रिटेन के लॉयड्स बैंड में इम्पीरियल-बैंड से ६ गुनी, सेंट्रल बैंड से सत्ताईस गुनी और इलाहाबाद-बैंड से बयालीस गुनी अमानतें अधिक जमा हैं।

अमरीका के नेशनल-सिटी-बैंड आवृ न्यूयार्क में इम्पीरियल बैंड से चौगुनी, सेंट्रल-बैंड से २१ गुनी और इलाहाबाद-बैंड से ३३ गुनी अधिक अमानतें जमा हैं।

यदि हम अपने १ लाख से ऊपरवाले समस्त ज्वाइएट-स्टाक-बैंडों की धरोहर से, जिनमें इम्पीरियल-बैंड से भी कम धरोहर जमा है, तुलना करें तो उससे कहीं अधिक जमा विदेशी के प्रत्येक अच्छे बड़े बैंड में पाई जाती है। कितना आकाश-पाताल का अन्तर है।

भारतीय-बैंडिङ की दुरवस्था की व्यष्टि-कदानी यहीं पर समाप्त नहीं हो जाती; बल्कि जब हम भारत के भिन्न-भिन्न श्रेणी के बैंडों के अद्वितीय पर दृष्टि डालते हैं तो शोचनीय दशा का नगरूप और भी सामने आ जाता है; यथा—

वैद्युत	मूलधन तथा रक्षित फँड	जमाशुदा अमानतें
	(१००० रुपयों में)	(१००० रुपयों में)
इस्पीरियल-वैद्युत	१,१०,१७२	७,६२,५३०
विदेशी विनिमय-वैद्युत	२५,०५,६४०	७,११,३८६
ज्वाइंट-स्ट्राक्चैंड	१,२२,६३६	६,६३,५०२
योग	<u>२७,३८,७४१</u>	<u>२१,६७,४१८</u>

उक्त तालिका से पता चलता है कि भारत-स्थित समस्त वैद्युतों में २१६.७ करोड़ रुपया जमा है। इनमें से ७१.१ करोड़ अर्थात् ३३ प्रतिशत विदेशी-विनिमय-वैद्युतों में, ७६.२ करोड़ अर्थात् ३६ प्रतिशत इस्पीरियल-वैद्युत में और ६६.३ करोड़ अर्थात् ३१ प्रतिशत ज्वाइंट-स्ट्राक्चैंडों में जमा है। पिछले वैद्युतों की जमा का बहुत कुछ भाग उम वैद्युतों में जमा है, जो विदेशी प्रबन्ध और पूँजी से संचालित होते हैं। केवल विशुद्ध भारतीय वैद्युतों में तो ४५ करोड़ के लगभग अर्थात् उक्त समस्त वैद्युतों की कुल भारतीय जमा का २० प्रतिशत जमा है। इतनी शोचनीय दशा संसार में किसी देश के वैकिङ्ग-धंघे की नहीं है।

कारण

भारतीय वैकिङ्ग व्यवस्थाय के इतना पिछड़ा हुआ होने के दैसे तो दई राजनीतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक कारण हैं; किन्तु उनमें चार ऐसे हैं, जिनका सुधार होने की अत्यन्त आवश्यकता है; यथा—

- (१) विदेशी-बैंडों द्वारा प्रतियोगिता और विरोध ।
- (२) बैंडों का प्रतिवर्ष अधिक संख्या में फैल होना ।
- (३) भारत सरकार की उदासीनता ।
- (४) अंग्रेजी भाषा का प्राधान्य ।

अब हम इन पर संहित रूप से पृथक्-पृथक् विचार करना चाहते हैं ।

विदेशी बैंडों द्वारा प्रतियोगिता और विरोध—इन विदेशी विनिमय-बैंडों के विस्तार, प्रतियोगिता करने की नीति और भारतीय व्योपारियों की अपेक्षा विदेशी व्यापारियों को सुविधा और साधन देने में तरजीह देने की संकुचित मनोवृत्ति आदि के सम्बन्ध में पिछले पृष्ठों में बहुत कुछ लिखा जा चुका है, जिसके यहाँ दोहराने की आवश्यकता नहीं है ।

इनका प्रभाव न केवल देश-विदेश के खाजारों ही पर है, प्रत्युत ये भारत सरकार और भारत मंत्री की कौंसिल तक मैं अपना प्रभाव रखते हैं । उन मामलात में, जिनका इन बैंडों पर असर पड़ता है, ये हमेशा अपना मतलब सीधा कर लेते हैं । इस प्रकार के अनेक उदाहरण ऐसे हैं, जहाँ इनका विरोध सफल हुआ है । श्री० मनु सूबेदार तो यहाँ तक कहते हैं—“जहाँ तक मैं जानता हूँ, इनका विरोध कभी श्रसफल नहीं हुआ । सरकार से इनका मेलजोल प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, दोनों ही रूप से बढ़ा हुआ है । पैशन-प्राप्त सरकारी अफसर इन विदेशी विनिमय बैंडों के होम-वार्ड्स को सुशोभित करते हैं, जो इंडिया कौंसिल

की फ़ाइनेन्स कमेटी-द्वारा, जिसको सलाह पर भारत मंत्री आमतौर पर काम करते हैं, अपने विवारों का दबाव डालने में सफल हो जाते हैं” ।*

“भारत सरकार इनके प्रतिनिधियों से मिलने में बड़ी दिलचस्पी लेती है। इंडिया आफिस के अफुसर भी इनको बड़ी हिमायत करते हैं, वहाँ उससे प्रजाहित की उपेक्षा क्यों न होती हो।”*

एक और इनका इस प्रकार बढ़ा हुआ प्रभाव है, दूसरी ओर ये केवल अपने ही लाभ की ओर दृष्टि रखते हैं। इनके हृदय में सार्वजनिक-हित का भाव अथवा इस देश (भारत) की भलाई का ध्यान किंचित् भी नहीं है; इसलिये इनका व्यवहार भारत की राष्ट्रीय दृष्टि से असतोषजनक है। इनकी बढ़ी हुई शक्ति और विरोधात्मक व्यवहार के जो परिणाम हो चुके हैं, उनमें से कुछ यहाँ दिये जाते हैं—

(१) टकसाल का बन्द होना ।

(२) प्रेसीडेंसी वैड़ों और बाद में इम्पीरियल-वैड़ को लन्दन में दफ्तर खोलने तथा बहाँ अमानतें लेने और विनियम का धन्या करने में वाधायें उपस्थित होना और मनाही होना ।

(३) कौंसिल ब्रिल की बिक्री की परिपाटी और परिमाण

* Minority Report Para 175.

T „—do—“, Para 174

भारत के हितों के विपरीत होना। इन्होंने चाहा है कि कौंसिल-बिल अधिक मात्रा में बेचे जावें, चाहे लंदन में रुपये की आवश्यकता न हो और यह इसलिये कि इनको सोना लाने का कष्ट न उठाना पड़े। साथ ही इन्होंने यह भी चाहा है कि भारत मंत्री कौंसिल-बिल इन्हीं के द्वारा बेचा करें।

(४) दाटा इंडस्ट्रियल-बैंक के कौंसिल बिल खरीदने के लिये ग्रहण करने योग्य बैंडों की नामावलि में स्थान प्राप्त करने में, वाधा उपस्थित होना।

(५) भारत में सोने का माध्यम तथा सोने का लिक्का स्थापित होने और स्वतंत्र रूप से सोने का सिन्का ढालनेवाली टकसाल के खुलने में वाधा पड़ना।

(६) दूसरे देशों के नमूने के समान “सेन्ट्रल-बैंक” की स्थापना में रुकावट होना।

ये सदैव उन उपायों का विरोध करते रहते हैं, जिनसे किसी दूसरी एजेंसी का लन्दन या किसी दूसरे अर्थ-केन्द्र (Financial centre) से रकम लाने में कदम बढ़ता हो या जिनसे भारत में रुपये का मूल्य घटता हो, यिशेष कर उस अवसर पर जब भारत से विदेशों में माल का निर्यात अधिक होता हो। इससे भारतवासियों को अपनी पैदावार सस्ते दामों में बेचकर गला कटाना पड़ता है।

उक्त वर्णन से स्पष्ट हो जाता है कि इनके प्रभाव और स्वच्छुंदता से भारतीय बैंकिंग को कितना धमका लग रहा है, इससे अधिक लिखना पुस्तक को विस्तार देना है :

बैंकों का प्रतिवर्ष अधिक संख्या में फेल होना—
 “भारत में आधुनिक बैंकिंग का आरंभ और विकास” शीर्षक अध्याय में बैंकों के फेल होने का विवरण विस्तृत रूप से दिया जा चुका है। सन् १३ के आर्थिक-संकट में अर्थात् सन् १३—१७ पाँच वर्षों में १७८ लाख की प्राप्त पूँजीवाले बैंक फेल हुए हैं, जो पिछले वर्ष के कुल ज्याइट स्टाक बैंकों की प्राप्त पूँजी से ५१ प्रति शत पूँजी के अधिपति थे। यह ठीक है कि इनमें अधिकांश बैंक बहुत छोटे और निर्वल थे; किन्तु बड़े बैंकों की संख्या भी कम नहीं थी। यथा*—

(१) दी इंडस्ट्रियल स्पेसी-बैंक	पूँजी ७५ लाख
(२) दी पीपल्स-बैंक	" १३ "
(३) दी केडिट बैंक आवृ. इंडिया	" १० "
(४) स्टैंडर्ड बैंक आवृ. बम्बई	" १० "
(५) दी बैंक आवृ. अपर-इंडिया	" १० "
	योग " ३८ "

इसके बाद फिर जडाई की समाप्ति पर भारतीय ज्याइट-स्टाक-कंपनियों के अधिक मात्रा में असफल होने के साथ साथ

अनेक बैड़ फेल हुए हैं। केवल सन् २३ में २० बैड़ों के, जिनकी प्राप्त पूँजी ४६५ लाख रुपया थी, दर्वाजे बन्द हुए हैं। इनमें प्रमुख-प्रमुख बैड़ ये थे ।*

(१) अलायंस-बैड़ आवृ शिमला प्राप्त पूँजी	=	लाख
(२) टाटा इंडस्ट्रियल-बैड़	"	२२६ "
(३) कलकत्ता इंडस्ट्रियल-बैड़	"	७६ "
	योग	" ३२३ "

इस प्रकार एक बार नहीं बार बार और प्रति वर्ष बैड़ों के फेल होने का तांता लग गया। सन् १९२२ से सन् १९३० तक १३६ बैड़ ५७५ लाख की प्राप्त पूँजी के फेल हुए हैं। इस प्रकार प्रतिवर्ष १६ बैड़ों के ६४ लाख की पूँजी ले लेकर हूँवते रहने के कारण भारतीय ज्वाइएट-स्टाक-बैंकिंग को धम्का लगना स्वाभाविक है। धरोहर रखनेवाले लोगों के मन मर गये और शेयर-होल्डरों का दिल हूँट गया; क्योंकि अधिकांश फेल होनेवाले बैड़ों के शेयर-होल्डरों को अपनी पूरी पूँजी से हाथ धोना पड़ा। फल-स्वरूप नये बैंक चालू करनेवाले लोगों का उत्साह भग हो गया और इनकी वढ़ती हुई प्रगति रुक ही नहीं गई, बलिक और पीछे को पिछड़ गई। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि सन् १९२२ से ३० तक बैंकों की संख्या और पूँजी में कोई उल्लेखनीय उत्तराधिकार नहीं हुई। इतना ही

* Minority Report Page 118.

नहीं; बल्कि सन् १९२१ की अवस्था के बराबर भी नहीं पहुँचे; जैसा कि निम्नलिखित तालिका* से प्रगट होता है:—

प्रगति-सुचक तालिका

सन् १९२१				सन् १९३०		
श्रेणी	बैंकों की संख्या	प्राप्त मूलधन	धरोहर	बैंकों की संख्या	प्राप्त मूलधन	धरोहर
अ ^१	२७	१२४०	७६६०	३०	११८५	६३२२
ब ^२	३८	१००	३२६	४४	१३७	४३१
योग	६५	१३४०	१०९६	८४	१३२२	६७५३

उक्त तालिका के अवलोकन से यह साफ़ ज़ाहिर होता है कि सन् १९२२ में “अ” श्रेणी के बैंकों की संख्या २७ थी, उनका मूलधन १२४० लाख था और उनमें ७६६० लाख रुपये की धरोहर जमा थी। सन् १९३० में केवल ३ बैंक बढ़कर बैंकों की संख्या ३०

*Statistical tables relating to Banks in India 1930, page 2.

१ “अ” श्रेणी—जिनका मूलधन और रचित फंड ८ लाख और कम है।
२ “ब” श्रेणी—जिनका मूलधन और रचित फंड १ लाख और ८ लाख के बीच में है।

हो गई; किंतु मूलधन और धरोहर की जमा में भारी कमी हुई है अर्थात् १९८५ और १९२२ लाल की पूँजी कमशः रह गई। हाँ, “व” श्रेणी के वैंकों में अवश्य थोड़ी सी वृद्धि हुई है, जिसको भारत जैसे विशाल देश के लिए संतोषजनक नहीं कहा जा सकता।

भारत-सरकार की उदासीनता—यह मानी हुई बात है कि सरकार को देश के वैंकों का माता की तरह संरक्षण करना चाहिये; किन्तु भारत सरकार जहाँ रेलवे, पास्ट, टेलीग्राफ आदि की उन्नति के लिए भरसक प्रयत्न करती है, वहाँ वैंकिंग की ओर कुछ भी ध्यान नहीं देती; विलिक वेसरोकार तमाशगीर की तरह विदेशी-वैंकों की बढ़ती हुई स्वच्छन्दता को, प्रति वर्ष फ्रेल होने-वाले भारतीय वैंकों की संख्या को और भारत की पिछुड़ी हुई अर्थिक अवस्था को देख रही है। “पहिले जब ऐसेम्बली के मानवीय मेम्बर कपनी-कानून के संशोधन के लिए प्रश्न पूछते थे तब उनको यह उत्तर मिलता था कि इङ्ग्लैंड में कंपनी कानून के विचार के लिए श्रीन्स-कमेटी बैठी हुई है, उसकी रिपोर्ट बन जाने पर भारत सरकार इस काम को हाथ में लेगी। सन् १९२६ में मानवीय फ्राइनेंस मेम्बर ने ऐसेम्बली के मेम्बरों को सूचित किया था कि इस विषय का विशेष कमेटी द्वारा विचार कराया जावेगा; किन्तु इन तमाम आश्वासनों के बाद कोई भी होने-वाली बात दिखाई नहीं दी। श्रीन्स कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुए ७ वर्ष हो गये, उसकी सिफारिशों के आधार पर इङ्ग्लैंड की

पालियामेंट ने सन् १९२४ में क्रानून भी बना दिया ; किन्तु यहाँ अभी तक उसके कोई चिह्न दिखाई नहीं देते।”* सन् १९३० में सैंट्रल-चैक्स्ट्राइंकवायरी कमेटी ने भी विशेष बैंक-क्रानून बनाने और सब प्रकार की बैंकिंग उन्नति के लिए अनेक सिफारिशें की हैं। इसे भी ३ वर्ष पूरे हो गये; किन्तु उसपर कोई अमल होता हुआ दिखाई नहीं देता।

अंग्रेजी भाषा का प्राधान्य—भारतीय ज्वाइएट स्टाक बैंकों का भी सारा हिसाब-किताब अंग्रेजी में होता है, नियम अंग्रेजी में छपते हैं, बैलेंस शीट अंग्रेजी में प्रकाशित होती है और हिंदुस्तानी खातेदारों से पत्र-व्यवहार भी अंग्रेजी में होता है। चेक अंग्रेजी में छपते हैं और लिखे जाते हैं। यहाँ तक कि रकम को जमा और बरामद भी अंग्रेजी के छपे हुए फ़ार्मौ द्वारा कराया जाता है और उन पर हस्ताक्षर भी अंग्रेजी में कराये जाते हैं। जो खातेदार अंग्रेजी नहीं जानते, उनको बैंकों के आफ़सर के सामने चेक पर दस्तख़त करने के लिये विवर किया जाता है तथा चेक पर देशी भाषा में वेचाण (Endorsement) होने की दालत में किसी बैंक की तसदीक (Confirmation) मार्गी जाती है। जो बैंक देशी भाषा के हस्ताक्षरों को श्रप्तनाते हैं, उनके यहाँ इस सम्बन्ध में ऐसे कड़े नियम हैं कि जिनके कारण चेक में

*Bombay Chronicle, 6th march 1931

T Vernacular signature on the cheques should be made in the presence of, and initialled by, one of the officers of

रहनेवाली त्रुटियों से होनेवाली हानियों के प्रति ज़िम्मेदारी खातेदार की रहती है और बैंक सुरक्षित रहते हैं। संसार में भारत ही एक ऐसा देश है, जहाँ चेक-सम्बन्धी कॉन-ड्रेन में देशी भाषा को नहीं अपनाया जाता। यह अड़चन येसी है कि अंग्रेजी नहीं पढ़े-लिखे लोग, जिनकी संख्या १०० में है, बैंकों के साथ व्यवहार करने से बंचित रहते हैं।

the Bank. The Bank reserves to itself the right to refuse payment of cheques bearing vernacular signatures not so authenticated—

Central Bank of India's Delhi Current Account rule 13

नवाँ अध्याय

सुधार के उपाय—वैकंकानून

पिछले अध्याय में भारतीय-बैंकिंग की वर्तमान पिछड़ी हुई अवस्था की कहणा-जनक कहानी पाठक पढ़ चुके हैं। अब स्वभावतः प्रत्येक पाठक के हृदय में यह प्रश्न उठता होगा कि भारतीय-बैंकिंग को इस निर्वाल, असहाय और अरक्षित अवस्था से मुक्त करके किस प्रकार सबल, सुदृढ़ और सुरक्षित बनाया जा सकता है? इसका उत्तर देना ही इस अध्याय का उद्देश्य है।

भारतीय-बैंकिंग को उन्नतिशील बनाने के लिये पहिली आवश्यकता इस बात की है कि भारतीय बैंकों की विदेशी बैंकों की प्रतियोगिता से रक्षा को जाय और भारतीय प्रजा के धन का, जो बैंकों में जमा हो, दुरुपयोग न हो और सुरक्षित रहे। दूसरी आवश्यकता पड़ने पर आर्थिक सहायता देकर आगन्तुक विपत्ति से बैंकों की रक्षा की जावे और फ्रेल होने से बचाने के उपाय किये जायें। तीसरी आवश्यकता है—भारतीय-बैंकों के प्रति भारतीय जनता का गहरा विश्वास स्थापित हो और विदेशी बैंकों की अपेक्षा भारतीय-बैंकों को अधिक अपनाया जावे।

ये तीनों आवश्यकताएँ इस प्रकार पूरी की जा सकती हैं:—
(१) नवीन बैंक-कानून की रचना की जावे, जिसमें (श्र)—

विदेशी-बैंकों के फैलाव और धन्धे पर आवश्यक प्रतिबन्ध हौं, (ब) भारतीय बैंकों का संगठन, प्रबन्ध और नियंत्रण उचित रूप से होने के नियम हौं और हिस्सेदारों तथा धरोहर जमा करनेवालों को अपने हितों की रक्षार्थ आवश्यक अधिकार हौं।

- (२) एक ऐसे बैंकों के बैंक राष्ट्रीय बैंक को स्थापना की जावे, जैसे कि दूसरे देशों में सेण्ट्रल-बैंक स्थापित हैं।
- (३) भारतीय विदेशी-व्यापार, उद्याग-धन्धों और कृषि को आर्थिक सहायता देने के बास्ते भारतीय विनियम-बैंक, औद्योगिक-बैंक, कृषि-सहायक बैंक स्थापित हौं।
- (४) भारतीय धन्धों का आपस में संगठन हो।
- (५) देशी भाषा को अपनाया जावे।
- (६) भारतीय जनता आतुरता त्यागकर धैर्य के साथ अपने बैंकों के प्रति विश्वास रखना सीखे। इसके लिये देश की सार्वजनिक संस्थाओं को ओर से बृहत् आनंदोलन किया जावे।

कानून की आवश्यकता—एक विशद और विमिश्र श्रेणियों से संयुक्त समाज में, जहाँ अधिकार, स्वत्व और कर्तव्यों के सम्बन्ध में अनेक प्रश्न भिन्न श्रेणियों के बीच में उठ मरम्त हैं या उठा करते हैं, वहाँ सामाजिक व्यवस्था, सुधार तथा शान्ति स्थापित रखने के उद्देश्य से समय समय पर परिस्थिति के अनुदृढ़ कानून की सुषिटि होती रहती है। कानून का यह भी उद्देश्य है कि यह आर्थिक आवस्था का यथावत् सञ्चालन करे, जिससे समाज

रूपी यन्त्र सुगमता के साथ चलता रहे। कानून का धर्म है कि वह न्याय-तुला को संतुलन पर स्थिर रखते और सदैव सबल से निर्बल को रक्षा करने में तत्पर रहे। यह निश्चित है कि यिन सब प्रकार के कानून के मनुष्य-समाज व्यवस्थित रूप से नहीं रह सकता; किन्तु इसके साथ ही आदर्श स्वतन्त्रता-वादियों का यह भी सिद्धान्त है कि यथासम्भव राज्य का कम से कम हस्तक्षेप होना चाहिये; पर इसके विरुद्ध प्रत्येक देश में विशेष कर युनाइटेड किंगडम में समाज के जीवन और हलचल के लिये अनेक कानून प्रचलित हैं। व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का, समष्टि की हित-रक्षा के सामने, गौण रूप से भ्यान रखता जाता है। जो राजकीय अधिक हस्तक्षेप के अनेक्षुक हैं, उनका यह कहना है कि “पालियामेंट के कानून द्वारा तुम किसी आदमी को संयमी नहीं बना सकते।”* इस पर भी बहुत कुछ विपरीत परिस्थितियों के वशीभूत होकर इस और अमरीका में नशीली चीज़ों का बनाना और बेचना कानून-विरुद्ध करार दिया गया है। भारत में इस कम से कम हस्तक्षेप के आदर्श को आधिक-समस्या के हल करते समय सामने रखने का यह अर्थ है कि भारत को संसार-व्यापी उन्नति की दौड़ में पीछा रखना है और बलवान संगठित और प्रभावशाली प्रतियोगिता

* “You can not make a people sober by an act of parliament.”

† अमरीका में मदिरा-निपेद-कानून अभी हाल में मंसूब हो जुका है।

से यहाँ के उद्योग-धनधे और व्यापार को चौपट करके इस दरिद्र देश को और भी दरिद्री बनाना है। बैंक कानून के सम्बन्ध में तो यह आदर्श रखना भारत-विरोधी प्रबल शक्तियों की काली करतूतों पर पर्दा डालना है और साथ ही भारतीय बैंकों के सचालकों को भनमानी करते रहने के लिये स्वच्छ-द छोड़ देना है।

बैंक देश के सार्वजनिक बोपागार हैं। इनके सुसगठन, सुप्रबन्ध और सदुव्यवहार का देश की आर्थिक अवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ता हे, इसलिये बैंकों के नियन्त्रण और सचालन के बास्ते उपयुक्त होना अनिवार्य है।

वर्तमान बैंक-कानून—इस समय भारतीय बैंकों का नियन्त्रण भारतीय कम्पनी कानून १९१३ के अनुसार होता है। इस कानून में ७ दफायें (४, ३२, १३२, १३६, १३८, १४५ और २५६) पेसी हैं, जो बैंकिङ् धनधा करनेवाली कम्पनियों का दूसरी प्रकार की कम्पनियों से पृथक्करण करती हुई बैंकों के लिये विशेष नियम होना सूचित करती हैं, जैसे—१० से अधिक व्यक्तियों को शामिल होकर बिना कम्पनी की भाति रजिस्ट्री कराये बैंकिङ्-धनधा करने से रोकना, ग्रतिवर्ष हिस्सेदारों की नामावलि रजिस्टर के यहाँ प्रेपित कराना, नियत किये हुए फार्म (एफ) के अनुसार बेलेन्स-शीट तय्यार कराना और स्थानीय सरकार (Local Government) को, जारी-गुदा पूँजी (Issued capital) के $\frac{1}{2}$ के मालिक हिस्सेदारान की ओर से दरब्बास्त प्राप्त होने पर

उस वैक के मामलात की, एक या अधिक हिसाब-निरीक्षक नियुक्त करके जाँच कराने का अधिकार होना, इत्यादि । इतना भर वैकों पर यथोचित नियन्त्रण रखने के लिये पर्याप्त नहीं है । प्रतिवर्ष फेल होनेवाले वैकों की संख्या इसका प्रबल प्रभाय है; अतएव वैक-सम्बन्धी कानून में सुधार की भारी आवश्यकता है । इसकी पूर्ति का प्रकार से की जा सकती है :—

(१) चर्तमान कम्पनी-कानून में वैक सम्बन्धी कुछ धाराएँ और जोड़कर ।

(२) विलकुल नया कानून बनाया जाकर ।

नया कानून—पहले की अपेक्षा दूसरा उपाय अधिक स्पष्ट और उपयुक्त प्रतीत होता है । सैद्धान्तिक दृष्टि से 'ज्वाइएट-स्टाक' का सिद्धान्त वैकिङ्ग और दूसरे धन्धों के लिये समान है, किन्तु व्यावहारिक दृष्टि से दोनों में गहरा भेद है । साधारण 'ज्वाइएट स्टाक' कम्पनी के धन्धों में कुप्रबन्ध तथा अन्य कारणों से होनेवाले नुकसान का असर सबसे पहिले हिस्सेदारों पर होता है । यदि कभी कम्पनी के पावनेदारों पर इसका असर पड़ता है तो प्रथम तो वे व्यापारिक सिलसिले में विचार-पूर्वक पावनेदार बनते हैं, दूसरे जो लोग इन कम्पनियों को उधार देते हैं, वे भी यह बात जानते हैं कि हम ऐसी कम्पनी को उधार दे रहे हैं, जो नफा नुकसान उठाने के लिये खुद का धन्धा बरती है और कभी भी व्यापारिक तेजी मन्दी के कारण असफल हो

सकती है। उन्हें कोई विवरण नहीं करता; बल्कि वे लोभ के कारण स्वयं जोखम उठाना स्वीकार करते हैं।

बैंक के पावनेदारों की स्थिति इससे बिलकुल मिन्न होती है। वैंकों के लिये लोगों का ऐसा ख़्याल होता है कि ये केवल कम ब्याज पर उधार लेकर कुछ अधिक ब्याज पर बड़े सांच-विचार के साथ सुरक्षित अवस्था में उधार देते हैं, खुद कोई नफे-नुकसान की जोखम उठाकर ब्यापार नहीं करते; इसलिये इनमें नुकसान होने की सम्भावना बहुत हो कम रहती है। इसके अतिरिक्त बैंक छोटो छोटी रकमें माँगते ही बापस देने के लिये ब्याज पर जमा रखते हैं और चेकों द्वारा छोटी छोटी रकमें श्रदा भी कर देते हैं। इन सुविधाओं से प्रेरित होकर लोग बैंक के साथ हिसाब रखने के लिये विवरण होते हैं। आम तौर पर इनमें रकमें सुरक्षित रहने की हृषि से जमा की जाती है न कि केवल ब्याज कमाने के लिये। इस प्रकार बैंक देश के व्यवसाय और उद्योग-धन्धों के लिये सर्वसाधारण की बचत (Savings) को संग्रह करने में समर्थ होते हैं। इनके फ़ैल होने का, दूसरे धन्धों की अपेक्षा, लोगों पर अधिक बुरा प्रभाव पड़ता है और देश के आर्थिक संगठन की लड़ी कमज़ोर होती है; अतएव बैंक-सम्बन्धी कानून कम्पनी-कानून से बिलकुल पृथक् होना चाहिये ताकि बैंक और प्रजा दोनों के बीच में एक दूसरे के साथ व्यवहार करने के लिये स्थिति स्पष्ट हो जावे।

भारत में बैंक-कानून की माँग “सन् १९१३ से की

जा रही है। सर्वप्रथम कर्त्तृची में होनेवाली भारतीय-इण्डस्ट्रीयल-कॉन्फ्रेन्स ने इसके लिये प्रस्ताव पास करके बैंकिंग-कानून बनाने के लिये सरकार का ध्यान आकर्षित किया था। इसके बाद सन् १९१३—१५ में फ़ैल होनेवाले बैंकों की संख्या से भारत सरकार की शाँखें खुलीं और उसने स्थानीय सरकारों और व्यापारिक संस्थाओं से इस सम्बन्ध में समझियाँ मार्गी, उनमें बहुमत जल्दी कानून बनाये जाने के पक्ष में था। तदै पश्चात् सन् १९२० में धैगाल चेम्बर आंड कॉमर्स की प्रार्थना पर एक कमेटी ने इस प्रश्न पर विचार किया। उसने मी मूलधन-सम्बन्धी पाबन्दियाँ लगाने और उचित निरीकण होने के लिये नियम बनाने की सिफारिश की थी।^{***} सन् १९३० में समस्त ग्रान्तीय बैंकिंग इंक्वाइरी कमेटियाँ ने और अन्त में सैंट्रल बैंकिंग इंकायरी कमेटी ने नवीन बैंक कानून बनाने की जोरी से सिफारिश की है।

कानून का उद्देश्य—कानून ऐसा सुगम, उपयुक्त और पूर्ण होना चाहिये, जिससे भारत-स्थित विदेशी बैंकों की प्रतियोगिता से भारतीय बैंकों की रक्षा हो, फ़ैल होने से बच और पिछड़ी हुई अवस्था दूर होकर भारतीय बैंकिंग धन्धा उन्नति को प्राप्त हो। इसके निम्नलिखित ५ उद्देश्य होने चाहिये :—

* Regulation of Banks in India by M L Tannan

- (१) विदेशी-बैंकों के कारोबार पर प्रतिबन्ध लगाना ।
- (२) भारतीय बैंकों का 'उपयुक्त संगठन' होना ।
- (३) भारतीय बैंकों का 'उच्चम प्रबन्ध' होना ।
- (४) भारतीय बैंकों का 'उचित निरीक्षण' होना ।
- (५) द्वेष-पूर्ण और भूढ़े आरोपों और आकमणों से बैंकों की रक्खा करना ।

विदेशी बैंकों के लिये प्रतिबन्ध

कार्य-क्षेत्र-सीमा—विदेशी बैंक, जो विनियम का धन्धा करते हैं, अपनी अपनी शाखायें उन देशों में, जिनसे उनके देश का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, खोलते हैं, ताकि व्यापारिक भुगतान और चुकौता आसानी से हो सके। इनका व्यवसाय दूसरे देशों में विनियम-सम्बन्धी लेन-देन तक ही सीमित रहता है। इनका काम केवल एक बन्दरगाह से दूसरे बन्दरगाह तक आने-जानेवाले माल को आधिक सहायता देना है; किन्तु देश के भीतरी व्यवसाय से इनका कोई प्रयोगन नहीं होता है। "सन् १९२९ ई० में एक अन्तर्राष्ट्रीय-कानून ऐरिस में बैठी थी, उसके सामने यह माँग पेश की गई थी कि विदेशियों के काम-काज और हलचल पर, जहाँ तक उसका अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय की आवश्यकता से सम्बन्ध है, कोई रुकावट नहीं होनी चाहिये। इस पर बाद-विवाद होने के पश्चात् यह बात मान ली गई है कि विदेशियों का अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय के अधिकारों

में देश के अन्दरूनी व्यापार से कोई सम्बन्ध नहीं होगा। इसको प्रत्येक राष्ट्र अपने देशवासियों के लिये सुरक्षित रख सकेगा।”* दूसरे शब्दों में यों कहना आहिये कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की सीमा केवल एक बन्दरगाह से दूसरे बन्दरगाह तक आयात-निर्यात से है, न कि उस माल को देश के भीतरी भागों में विभक्त करने और भीतरी भागों से संग्रह करके निर्यात के लिये बन्दरगाह तक पहुँचाने के व्यवसाय से।

“दूसरे देशों में विदेशी बैड़ों का फैलाव इस बात की पुष्टि करता है। जगभग सभी देशों में विदेशी बैड़ों का व्यावसायिक देव्र मुख्य मुख्य व्यावसायिक केन्द्र; जैसे—पेरिस, बर्लिन, मिश्र, आस्ट्रेलिया, ब्राजील, अर्जनटाइम आदि के बन्दरगाहों के शहरों में सीमित है। ये अपने विज्ञापनों में भी यही प्रकट करते हैं कि उनकी शाखायें समस्त मुख्य मुख्य बन्दरगाहों में हैं; किन्तु देशों के भीतरी व्यापारिक शहरों में शाखायें होने का दावा नहीं करते। योकोहामा स्पेसी बैड़ की ४० शाखायें हैं और सबकी सब बन्दरगाही शहरों में हैं। दी गारेटी ट्रस्ट कम्पनी आवृत्यार्क की शाखायें केवल लन्दन, लिवरपूल, पेरिस, दावर, ब्रुसेल्स और पेरिट्वर्प में हैं। दी कोम्पोयर नेशनल फान्स की चन्द शाखायें इंडिया, बेलजियम, आस्ट्रेलिया, भारत और इंजिन्यर में खुली हुई हैं। ये सबकी सब बन्दरगाही शहरों में

*Minute of Dissent by Nahm Ranjan Sarkar, Para 11,

है।” तात्पर्य यह है कि समस्त विनिमय बैंकों ने दूसरे देशों में अपना कार्य-क्षेत्र बन्दरगाही शहरों तक समझा हुआ है; लेकिन भारत में इनकी शाखायें बन्दरगाही शहरों की सीमा को छुलांग मारकर देश के भीतरी भाग; जैसे—अमृतसर, देहली, कानपुर, लाहौर, रावलपिण्डी, शिमला और श्रीनगर आदि अनेक शहरों में फैली हुई हैं, जो भारतीय बैंकों की उन्नति के मार्ग में अत्यन्त वाधक हो रही हैं।

अन्य प्रतिबन्ध—दूसरे देशों में केवल बन्दरगाही शहरों में विदेशी-बैंकों को खुलनेवाली शाखाओं पर, उस देश के बैंकों के साथ प्रतियोगिता, उस देश की पूँजी का दुरुपयोग और उस देश के निवासियों को उपेक्षा करना राक्षने के लिये, अनेक प्रकार के प्रतिबन्ध लगा रखे हैं; यथा—

डेनमार्क में विदेशी-बैंकों को अपना कारोबार फैलाने के लिये विशेष आज्ञा प्राप्त करनी पड़ती है। यह आज्ञा आसानी से नहीं दी जाती है, आज्ञा देने के साथ साथ कुछ शर्तें लगाई जाती हैं; जैसे—शाखाओं के कार्य-कर्ता, मैनेजर उस देश के निवासी (डेनिश) होने चाहिये।

फ्रान्स और इटली में शाखा खोलनेवाले विदेशी बैंकों पर उनके मूलधन और विनिमय के व्यवसाय पर विशेष टैक्स लगाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रतियोगिता रोकना होता है।

ज़ेको-स्लेवेकिया में वहाँ की सरकार विदेशी-बैंकों को शाखायें खोलने से रोकती है।

जापान में विदेशी बैंकों को वहाँ के अर्थ-सचिव (Finance Minister) से लाइसेन्स प्राप्त करना पड़ता है; किन्तु लाइसेन्स का देना या न देना उसकी इच्छा पर निर्भर है। वह चाहे तो इंकार कर सकता है या स्थानीय अमानतों के जमा रखने की रुकावट डालकर और ऐसे कर लगाकर, जो उसके नज़दीक आवश्यक हो, लाइसेन्स दे देता है। इस पर भी वे बैंक जापान में अपने नाम के साथ 'बैंक' शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। साथ ही जापानी सरकार विदेशी बैंक की प्रत्येक शाखा से १ लाख 'घेत' ज़मानत के तौर पर जमा कराती है।

टर्कों में कमाल पाशा की नवीन सरकार विदेशी-बैंकों की शाखाओं को ५० प्रतिशत तुर्कों नौकर रखने के लिये विवश करती है। यह नियम पुराने समय से स्थापित बैंकों पर भी उसी प्रकार लागू है जैसा कि नवीन खुलनेवाले प्रार्थी बैंकों पर।

संयुक्त राज्य अमरीका में विदेशी बैंकों की शाखाओं को अमानतें जमा रखने का अधिकार नहीं है।

आस्ट्रेलिया और कनाडा—धर के नज़दीक ब्रिटिश साम्राज्य की ओर में इन दो बड़े उपनिवेशों के उदाहरण भी मौजूद हैं। आस्ट्रेलिया में कोई विदेशी बैंक शाखा नहीं खोल सकता। 'चार्टर्ड-बैंक आवृ इण्डिया, आस्ट्रेलिया और चाइना' की शाखा

भी आस्ट्रेलिया में नहीं है, हालांकि यह बैंक अपने नाम में 'आस्ट्रेलिया' शब्द का प्रयोग करता है। कनाडा में भी विदेशी बैंकों पर कानून-दारा प्रतिबन्ध लगे हुए हैं।

इंगलैण्ड जैसा शक्तिशाली देश भी, जिसका बैंकिंग धन्या पूर्ण संगठित है और सुदृढ़ रूप से जमा हुआ है, व्यापारिक स्वतन्त्रता के विरुद्ध आवाज उठाने लगा है। कन्लिफ़ कमेटी ने, जो लडाई के बाद करेन्सी और विदेशी विनियम पर विचार करने के लिये बैठी थी, अपनी रिपोर्ट में कहा है—

"हमारे सामने चन्द गवाहों ने उस अवस्था की ओर ध्यान आकर्षित किया है, जो इस देश में विदेशी बैंकों के जमने के लिये खुला द्वार होने से उपस्थित हुई है; अतः हम प्रस्ताव करते हैं कि सप्राट की सरकार को इस ओर तुरन्त ध्यान देना चाहिये।"*

इस रिपोर्ट पर उक्त कमेटी के समस्त सदस्यों ने एक मत होकर हस्ताक्षर किये हैं, जिनमें हमारे भूतपूर्व फ़ाइनेंस मेम्बर

* "Several of our witnesses have called attention to the condition under which it is open to foreign banks to establish themselves in this country. We suggest that this is a matter which should receive the early attention of His Majesty's Government. "Organization of Indian Banking" by 'Thakur' page 249 "

सर बेसिल ब्लेकिट के, जो उस वक्त विटिश फ्रैंजरी के अर्थ-सचिव थे, हस्ताहर शामिल हैं।

लाइसेन्स की आवश्यकता—उपरोक्त पंक्तियों का सारांश यह है कि अधिकांश देशों में विदेशी बैंकों को अपनी शाखायें खोलने के लिये उस देश की सरकार से आज्ञा प्राप्त करनी पड़ती है। इस आज्ञापत्र ही को 'लाइसेन्स' कहते हैं। आज्ञा देना न देना उस देश के तत्सम्बन्धी अधिकारियों की इच्छा पर निर्भर होता है। आज्ञा देते समय कुछ बन्धन ऐसे लगा दिये जाते हैं, जिनसे वे बैंक वहाँ के देशी बैंकों के साथ प्रतियोगिता करके उनका व्यापार अपहरण करने में सफल न हो, सकें और वहाँ की राष्ट्रीयता को धक्का न लगे। इंग्लैण्ड जैसे जिन देशों में अब तक प्रतिबन्ध नहीं है, वहाँ अब लगाने के लिये सोचा जा रहा है। हालाँकि उनकी सुसंगठित बैंकिंग को देखते हुए किसी प्रकार के प्रतिबन्धों की आवश्यकता नहीं है। ऐसी हालत में भारत जैसे देश में, जहाँ का बैंकिङ धन्धा निर्वल अवस्था में है और जो विदेशी बैंकों के संगठन, प्रभाव और समृद्धि के आगे पतनने नहीं पाता और भी आवश्यकता इस बात की है कि स्थानीय बैंकों के संरक्षण के लिये, राष्ट्र द्वितीय की रक्तार्थ तथा यहाँ की आर्थिक अवस्था को उद्धत करने के हेतु, भारत-स्थित विदेशी बैंकों की स्वच्छन्दता को रोकने और भविष्य में नवीन विदेशी बैंकों की स्थापना के सम्बन्ध में कुछ आवश्यक प्रतिबन्ध लगाये जाकर लाइसेन्स-प्रथा जारी की

जाय। इसको भारतीय संहिता वैंकिङ्ग इंडियरी कमेटी (१९३१) ने भी एक स्वर से मान लिया है और साथ ही विदेशी बैंकों के प्रतिनिधि ने उस कमेटी के सामने गवाही देते समय स्वीकार कर लिया है; यथा—‘मैं यह कह सकता हूँ कि विनियम वैंक किसी भी प्रकार के लाइसेन्स को, जो सरकार-द्वारा नियत किया जा सके, पूर्ण रूप से स्वीकृत करने को तैयार हूँ।’*

लाइसेन्स की शर्तें—भारत की राष्ट्रीय दूषित से भारतीय बैंक और व्यापारियों की उन्नति के निमित्त तथा सार्वजनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये निम्नलिखित शर्तें उपयोगी मालूम होती हैं—

(१) विदेशी विनियम वैंकों की कार्यक्षेत्र-सीमा बन्दरगाही शहरों तक सीमित हो।

(२) इनका व्यवसाय केवल एक बन्दरगाह से दूसरे बन्दर-गाह तक आने-जानेवाले माल को आर्थिक सहयोग देने तक रहे। देश के भीतरी भाग के व्यवसाय से इनका कोई सम्बन्ध न हो।

(३) ये भारतीय प्रजा की मियादी ओर सेविंग बैंक खाते की अमानतें (Deposits) जमा न रख सकें, केवल चल्लू खाते में जमा रखने की स्वतन्त्रता हो।

* “ I can say that the exchange Banks are perfectly willing to agree to any licence which government may prescribe ”

(४) इनकी भारतीय शाखाओं के कर्मचारियों में केवल मैत्रेज़र को छोड़कर शेष अमला भारतीय हो।

(५) इनकी भारतीय शाखाओं के संचालन के लिये प्रत्येक शाखा के शहर में बहाँ के भारतीय व्योपारियों के बहुमत के साथ एक परामर्श-मंडल स्थापित करना आवश्यक हो।

(६) भारतीय कानून के अनुसार और भारतीय ड्वाइल-स्टाक-बैंकों के समान, भारतीय शाखाओं के सम्बन्ध का लेखा-जोखा प्रकाशित करने के लिये पाबन्द हों।

(७) इनके फ़ोल होने पर लेने-देने का चुकौता करने के लिये भारतीय हाईकोर्ट द्वारा रिसीवर नियुक्त हों, जिनको इनकी पैंडी अपने अधिकार में लेने का अधिकार हो और ऐसी पैंडी के विभाजन पर सर्वप्रथम भारतीय पाबनेदारों का स्वत्व रहे। यदि भारत-स्थित सम्पत्ति से भारतीय पाबनेदारों की रकम बसूल न हो सके तो विदेशों में होनेवाले सम्पत्ति-विभाजन में भारतीयों को हिस्सा बंटाने का अधिकार हो।

(८) इनको भी भारतीय बैंकों के समान इंकम-टैक्स देना पड़े।

पहली और दूसरी शर्तों के सम्बन्ध में ऊपर विस्तृत रूप से लिखा जा चुका है। इनसे यह लाभ होगा कि मौजूदा भारतीय बैंकों को उन्नति करने का अवसर मिलेगा और नवीन खुलनेवाले बैंकों को सफलतापूर्वक कार्य करने के लिये उत्तम हेत्र प्राप्त होगा। अतिरिक्त इसके उन भारतीय व्योपारियों के हितों की

रखा होगी, जो देश के भीतर का व्यवसाय करते हैं और अब तक विदेशी वैकंकों द्वारा सहायता-प्राप्त विदेशी कम्पनियों और व्यापारियों की प्रतिस्पर्धा से मुक़ाबला करने में समर्थ नहीं होते हैं।

अमानतों की रोक—यह माना हुआ सिद्धान्त है कि “सार्वजनिक प्रजा का धन सराफ़ा बाज़ार को धनी बनाने के काम आना चाहिये न कि विदेशी में भेजा जावे।”* संसार के समस्त देश इसका अनुकरण करते हैं। अमरीका में विदेशी वैकंकों का अमानतें जमा रखना कानून द्वारा वर्जित है। दूसरे देशों ने भी अन्य कई प्रकार के प्रनिवन्ध लगाकर इस सम्बन्ध में रुका-घटे ढाल रखी हैं, जिनका दिग्दर्शन ऊपर कराया जा चुका है।

“यह मानी हुई बात है कि भारत-स्थित विदेशी वैकंकों के पास भारतीय विदेशी व्यापार के लिये जितने धन की आवश्यकता है, उससे कहीं अधिक अमानतें जमा हैं। सन् १९२८ में इन वैकंकों में ६६^३ करोड़ में से ३८^{८६} करोड़ रुपया केवल भारतीय-प्रजा का जमा था, जब कि विदेशी-विनियम बिलों में केवल ११ करोड़ रुपया लगा हुआ था। प्रस्तावित-प्रतिबन्ध केवल भारतीय बचत (Savings) अर्थात् मियादी और सेविंग्स-वैकंक को अमानतों को जमा होने से रोकता है और भारतीय लोगों के चल्लू खातों की जमाओं को तथा विदेशी लोगों, कम्पनियों और संस्थाओं की सब प्रकार की ‘जमा’ रखने के लिये स्वतन्त्रता

* Minority Report, para 222, para 204

देता है; अतः विदेशी लोगों की हर प्रकार की 'जमा' २७ करोड़ और चल्लू खाते की भारतीय 'जमा' २० करोड़ मिलकर ४७ करोड़ के लगभग होती है, जो इन बैंकों के विदेशी धन्धे की आवश्य कताओं के लिये पर्याप्त ही नहीं, बल्कि अत्यधिक है। हाँ, यह अप्रश्य है कि सुफस्सलात से शाखाएँ हटा लेने पर इस जमा में आवश्य कमा आ जावेगी, लेकिन फिर भी चल्लू खाते की भारतीय 'जमा' में ११ करोड़ से कम हाने की सम्भावना नहीं है।"

सेएस्ल बैंकिंग इक्वाइरी कमेटी (१९३१) ने भी इस सम्बन्ध में पूर्ण विचार किया है। बहुमत रिपोर्ट में तो किसी भी प्रकार की 'जमा' पर प्रतिबन्ध लगाने की सिफारिश नहीं की गई है; लेकिन श्रीमन् सूबेदार ने अपनी अलपमत रिपोर्ट में जो सिफारिशें की हैं, उनमें चल्लू खातों की जमाओं पर भी प्रतिबन्ध लगाया है, किन्तु हमने चल्लू खाते की 'जमा' को प्रतिबन्धों से मुक्त रखा है। उसके कारण हैं :—

(१) जब तक भारतीय विनियम बैंक स्थापित होकर चल न निकले तब तक विदेशी व्यापार में गति रखनेवाले व्यापारियों को इन्हीं बैंकों से काम लेना पड़ेगा और एक बैंक को अपनी साथ का परिचय दिलाने के लिये अनेक साधनों के साथ साथ चल्लू खाता रखना भी एक आवश्यक साधन है।

(२) चल्लू खाते वी रकम सचित-धन (Savings) नहीं कही जा सकती और न यह देवल सूद कमाने के लिये ही जमा की जाती है। यह बाजार व्यापारिक रूपदा होता है, जो व्यापा-

रिक लेन-देन का चुकौता करने के लिये दैनिक उपयोग में आता रहता है। भारतीय विनिमय बैंक स्थापित होने पर भारतीय व्यापारियों का उससे लेन देन आरम्भ होने के साथ इन विटेशी बैंकों से अधिक सम्बन्ध न रहने के कारण भारतीय व्यापारियों के चल्लू खाते की जमा अपने आप कम होती चली जायगे, इसलिये इस 'जमा' पर प्रतिबन्ध लगाये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

जमा रखनेवाले का अधिकार—प्रत्येक मनुष्य अपने रूपये को अपनी इच्छानुसार उपयोग में लाने का पूर्ण अधिकारी है। बाजार में अनेक बैंक हैं, जो जनता का रूपया खींचने के लिये प्रतिस्पर्धावश एक दूसरे से उत्तम सुविधा उपस्थित करते हैं। इस विशेष साधन से जनता क्यों न विशेष लाभ उठावे? यह एक आवश्यक और महत्व पूर्ण प्रश्न है, जो सर ओस्बोर्न स्मिथ ने संग्रहीत किए इन्हाइरी कमेटी के सामने उठाया था।* इसका युक्ति-

* "There should be no interference with the deposit of Indian Money with foreign banks in India. I am strongly against any interference in matters on this sort, as people should have the right to invest their money as they wish. the more banks there are that compete for their money, the greater facilities the public will enjoy" Sir Osborne Smith (Minority Report, para 228).

युक्त और मार्मिक उसर श्रीमनु सूवेदार ने अपनी अल्पमत रिपोर्ट के पैरा न० २२८ में बड़ी योग्यता से दिया है।

व्यक्तिगत स्वतन्त्रता—अपने निजी हित के लिये इच्छा-नुसार कार्य करने के बास्ते प्रत्येक व्यक्ति स्वतन्त्र है। यह सिद्धान्त उचित अवश्य है; किन्तु फिर भी नियन्त्रण-रहित नहीं है। उदाहरणार्थ—इस समय चीन और जापान दो देशों में लड़ाई है। जापान के व्यापारी को युद्ध-सम्बन्धी सामान की कीमत जापान की अपेक्षा उसके शब्द-देश चीन से अच्छी मिलती है और उसको बेचने में निःसन्देह जापान के व्यापारी को बड़ा लाभ होता है, लेकिन वह ऐसा करने पर देशद्रोही समझा जाकर तुरन्त गिरफ्तार कर लिया जावेगा और उसको कठोर दंड दिया जायगा।

व्यक्ति और राष्ट्र—शान्ति काल में देश-विरुद्ध कार्यों की व्याख्या करना और उनसे मालूम करना अधिक कठिन होता है; लेकिन प्रत्येक सुर्संगठित राष्ट्र इस बात का सदैव इयान रखता है कि सामुहिक हित को व्यक्ति विशेष द्वारा हानि न पहुँचने पावे। इसकी घजह से कोई व्यक्ति ऐसा कोई काम नहीं कर सकता, जिससे राष्ट्र के सामुहिक कार्यों में बाधा पहुँचे। इस प्रकार देश के आर्थिक छिद्रों की ओर सचेत रहना प्रत्येक राष्ट्र का प्रधान कर्तव्य है। इसका ठीक ठोक पालन जापान, इटली और टर्की जैसे देशों ने किया है, जो किसी जमाने में भारत से भी अधिक पिछड़ी हुई अवस्था में होने पर भी उन्नति करते हुए

अन्तर्राष्ट्रीय जगत् में स्थान प्राप्त कर सके हैं। भारत-सरकार वर्ड कारणों से इस कर्तव्य का पालन करने में उपेक्षा कर रही है, जिनका विवेचन करना यहाँ अप्रासंगिक है।

उपस्थित प्रश्न राष्ट्र के विरुद्ध व्यक्तिगत अधिकारों का है। राष्ट्रीय जीवन का प्रथम उद्देश्य यह है कि समस्त व्यक्तियों को मिलकर विदेशी शक्तियों के विरुद्ध, चाहे लडाई का जमाना हो या शान्ति का, सभी बातों में एक दूसरे को सहायता पहुँचाने का भ्यान रखना चाहिये। चूँकि सब देश बासी मिलकर राष्ट्र और व्यक्तियों ने हितों की रक्षा करने के लिये वाप्त हैं, इसलिये राष्ट्र की काम में आनेवाली शक्तियों से, चाहे सामुहिक हो या व्यक्ति विशेष की, लाभ उठाने का पहला अधिकार उस राष्ट्र के निवा सियों का है। एतदर्थं राष्ट्र को सरकारी और निजी नौकरियों पर नियुक्त होने का सबसे पहले उस देश ने कदीमी नागरिकों का अधिकार है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दी जानेवाली सरकारी सहायता और रियायतों का उपभोग करने के एक मात्र अधिकारी उस देश के असली निवासी है। सरकार से सरक्षण पाने का केवल और सर्वोपरि अधिकार देश के पैतृक निवासियों का है। अस्तु भारत में भी देश के साधनों का उपभोग करने में पहला स्वतंत्र भारतीय जनों का है। चूँकि सर्वसाधारण की बचाई हुई पूँजी (Savings) देश की पूँजी है। इसकी देश को व्यापार और उद्योग-धर्धे बढ़ाने के लिये भारी आवश्यकता है,

इसलिये इसको कोई भारतीय जनों के अतिरिक्त, किसी दूसरे के हाथ में नहीं सौंप सकता।

सरकार और व्यक्तिगत सम्पत्ति—समस्त देशों में व्यक्तिगत सम्पत्ति पर मालिकाना अधिकार पहले राष्ट्र का और बाद में मालिक का माना गया है। अनेक देशों ने भगडे टटों से बचने और अधिक मात्रा में पराये स्वार्थ को दूर रखने के उद्देश्य से अपने यदाँ विदेशियों के लिये जायदाद खरीदने की मनाही कर रखी है। प्रत्येक राज्य के अन्दर व्यक्तिगत सम्पत्ति सरकार के दबल से सुरक्षित रहती है। जायदाद सम्बन्धी समस्त व्यक्तिगत अधिकार सरकार द्वारा बनाय हुए कानून के आधीन हाते हैं, जिनको सरकार देश के सम्मिलित हित के बास्ते हमेशा बदलने का अधिकार रखती है। जायदाद में मालिकाना अधिकार प्राप्त करने के लिये मालिक द्वारा चुकाया हुआ प्रत्येक 'बदल' उचित नहीं होता, बल्कि वह बदल उचित होता है, जिसको सरकार उचित समझती है। सरकारी कानून जायदाद की मिलकियत की परिपाठी नियत करता है, उसके स्वतंत्र-परिवर्तन और दाखिल खारिज होने के सिद्धान्त बनाता है। प्रत्येक सरकार को राष्ट्र के सम्मिलित हित के लिये जायदाद के लाभ में से टैक्स के रूप में द्विसा बँटाने का अधिकार होता है, जिसको चुकाना प्रत्येक व्यक्ति के लिये अनिवार्य होता है और ऐसा टैक्स व्यक्तिगत लोगों के सब प्रकार के निजी लेन देन से सर्वप्रथम घसूल किये जाने योग्य होता है। इस प्रकार कानून और टैक्स

को स्थापना करके भी सरकार व्यक्तिगत मिलकियत और उससे प्राप्त होनेवाले अधिकारों की सीमा बाँधने का अधिकार रखती है।

इन मौलिक सिद्धान्तों पर गहरा विचार करने के बाद यही परिणाम निकलता है कि एक व्यक्ति को अपनी वचाई हुई पूँजी पर देश के दूसरे व्यक्तियों के मुकाबले में अपनी इच्छानुसार उपयोग करने का अधिकार है, न कि राष्ट्र के मुकाबले में। सरकार राष्ट्र की संचालक है। वह राष्ट्र के खर्च से प्रत्येक व्यक्ति की पूँजी की रक्का करने का प्रबन्ध करती है; इसलिये वह राष्ट्र के सम्मिलित हित को सामने रखकर आज्ञा दे सकती है कि व्यक्ति-विशेष को अपनी वचाई हुई पूँजी का क्या उपयोग करना चाहिये और क्या नहीं।

इन्हीं सिद्धान्तों की दुहाई देकर भारत सरकार ने कॉन्फ्रेस के सत्याग्रह-आनंदोलन जारी कर देने पर उसके सहायकों को सहायता देने से रोकने के लिये हुक्म जारी किये थे। दुःख तो इस बात का है कि व्रिटिश-सरकार अपने या अपने देश (व्रिटेन) वासियों के हित के लिये तो इन सिद्धान्तों का अनुकरण कर लेती है, लेकिन जब व्रिटेन के विरुद्ध भारतीय-प्रजा के हित का प्रश्न सामने आता है तब व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का राग अलापत्ति है। अस्तु

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट हो गया है कि राष्ट्र के सम्मिलित हित की दृष्टि से संचालन करने के लिये सरकार का निजी

पूँजी के उपयोग-सम्बन्धी व्यक्तिगत अधिकारों में दखल देना सर्वथा उचित और दूसरे देशों में स्वीकृत नीति के अनुसार है; अतएव भारत सरकार को चाहिये कि विदेशी बैंकों में जमा होनेवाली भारतीय अमानतों को रोकने के लिये कानूनी नियम अवश्य बनाये।

कर्मचारी—विदेशी बैंक लगभग ७५ वर्ष से भारतीय पूँजी और व्यापार से लाभ उठाते आ रहे हैं, किन्तु इन्होंने इतने लम्बे समय के अन्दर एक भी भारतीय को उच्च पद पर नियुक्त नहीं किया। इससे अधिक भारतीयों की उपेता का और क्या प्रमाण हो सकता है? सेण्ट्रल-बैंकिंग इन्वाइटी कमेटी के समस्त सदस्यों ने भी इस पर बड़ा आश्चर्य प्रकट किया है और उन्होंने यह परामर्श दिया है कि इनको इंपीरियल बैंक की भाँति भारतीयों के लिये शिक्षण-योजना आरम्भ करनी चाहिये और काम के योग्य हो जाने पर उनको जिम्मेदारी के पदों पर नियुक्त करना चाहिये।* उक्त कमेटी के

* We are impressed by the fact that though the exchange banks have been operating in India for more than half a century, they have not employed a single Indian in the superior grades of their service. It can hardly be contended that the banks have been unable during all this time to find even one competent Indian who could be entrusted with a superior officer's position.

सदस्यों में से श्री० नलनिरंजन सरकार और श्री० मनुसूबेदार ने केवल परामर्श से सन्तुष्ट न होकर चौथी शर्त के अनुसार प्रतिबन्ध न लगाये जाने की सिफारिश की है। ऊपर टक्की का उदाहरण उद्भूत किया जा चुका है। वहाँ विदेशी-बैंकों के लिये कानूनी नियम है कि ५० फीसदी अमला तुर्की होना चाहिये। इसी प्रकार इटली में भी विदेशी-बैंक अपनी शाखाओं में अपने देश के मैनेजर कठिनता से रख सकते हैं। जब दूसरे उन्नतिशील देशों का यह हाल है तो भारत जैसे देश में कोरे उपदेशों से कैसे काम चल सकता है; अतएव इस सम्बन्ध में शर्त नं० ४ के अनुसार कानूनी नियम होना आवश्यक है।

परामर्श-मंडल—“बैंक और विदेशी व्यापार” शीर्षक अध्याय में बताया जा चुका है कि इन बैंकों का व्यवहार जातोय पक्षपात से पूर्ण और भारतीय-राष्ट्रीयता के विरुद्ध होता आ रहा है। ये सदैव विदेशी संस्थाओं को लाभ पहुँचाने के लिये भारतीय संस्थाओं की उपेक्षा करते रहते हैं; इसलिये भविष्य में इस कुटिल नीति पर अंकुश रखने के बास्ते आवश्यक है कि पाँचवीं शर्त के अनुसार परामर्श-मंडल की योजना का नियम हो।

in their organization. We recommend for the consideration of exchange banks that they should have scheme of probationary assistants on the model of the Imperial Bank of India Scheme (Majority Report, p 474)

लेखा-जोखा—ये वेक विदेशों में रजिस्टर होते हैं। इनका डाइरेक्टर विदेशी होते हैं। इनका नियन्त्रण बाहर होता है और ये भारतीय व्यापार का लेखा जोखा भी उपयुक्त मात्रा में प्रकाशित नहीं करते, इसलिये इनका सम्बन्ध में भारत वासियों को कोइ जानकारी नहीं होने पाती, अँधेरे में रहते हैं। अस्तु।

भारतवासियों को इनकी स्थिति से परिचित रखने के बास्ते आठवीं शर्त भी होनी चाहिये।

दिवाला निकलने पर—ऊपर लिखे हुए कारणों से भारतीय पाधनेदारों के हितों की रक्षार्थ इस शर्त का होना बहुत जरूरी है। इसके लिये स० ब० इ० कमेटी ने भी सिफारिश की है। *

ट्रैबस सम्बन्धी आठवीं शर्त इस प्रयोजन से होना चाहिये कि इन विदेशी बैंकों के साथ भारतीय बैंकों की अपेक्षा कोई विशेष रिआयत न हो ताकि ये प्रतियोगिता करके भारतीय बैंकों को हाति पहुँचाने में समर्थ न हो सकें।

चिशुद्ध भाव—जिन प्रतिदन्धों को लगाये जाने के लिये ऊपर जो प्रस्ताव किये हैं, वे द्वेष-बश नहीं किये हैं और न विदेशी बैंकों की बढ़ती हुई समृद्धि से हमें ढाह है। हम हृदय से चाहते हैं कि इनकी उन्नति दिन दूनी और रात चौगुनी होती रहे।

* Majority Report, Para 743

हमारी प्राचीन सभ्यता हमें यही सिखाती है कि हम स्वप्न में भी किसी का बुरा न चाहें; लेकिन साथ ही हम यह अवश्य चाहते हैं कि दूसरों के प्रदारों से हम अपनी रक्षा कर सकें। हमारा देश भी दूसरे देशों के समान समृद्धिशाली हो, उद्योग-धन्धों से भरा-पूरा और कला-कौशल का केन्द्र हो, हम अपनी आधश्यकताओं को पूरा करने में स्वयं समर्थ हों और परमुख ऐक्षी न रहें। भारतवासियों को भर-ऐट रोटी मिले, इनका मान-सम्मान और गौरव संसार की किसी जाति से कम न रहे। अस्तु, ये प्रतिबन्ध केवल आत्म-रक्षा और स्वदेश के लिये चाहे गये हैं। हमारा ऐसा चाहना कोई नई वात नहीं है। हमारी परिस्थिति के समान ही नहीं, घरन् हमसे अधिक समुन्नतायस्था में होते हुए भी दूसरे देशों ने इनसे भी अधिक कठोर प्रतिबन्ध लगाये हैं। स्वयं इंगलैण्ड ने इस सम्बन्ध में अधिक कठोरता का परिचय दिया है।

“लगभग चौदहवीं शताब्दी में लोम्बाडी लोगों ने अपने देश लोम्बाडी (इटली के उत्तरी भाग) को विदेशियों के लगातार आक्रमण से तंग आकर त्याग दिया था और वे मार्सी भूमि पर, जो उस समय लन्दन शहर का बाहरी हिस्सा था, बस गये थे। वहाँ उन्होंने बैंकिंग, बीमा और आयात-निर्यात का व्यवसाय आरम्भ किया था। इंगलैण्ड में बैंकिंग धन्धे के जन्मदाता ये लोम्बाड लोग ही थे। उन्होंने वहाँ थोड़ी ही अवधि में इंगलैण्डवालों से कमाई करके अपरिमित उन्नति

कर ली थी। यह अप्रेज़ों से सदा नहीं गया। फल-स्वरूप वहाँ के राजाओं ने उनके विरुद्ध प्रतिबन्धक कानून पास किये। इतना ही नहीं, रानी प्लिजावेथ ने तो उनको निकल जाने का हुकम दे दिया था।”* इस प्रतिहासिक घटना को हम अप्रेज़ी बैंकों के सामने, जो उन्हीं के देश की है, उपस्थित करते हैं और विश्वास करते हैं कि वे हमारे प्रस्तावित बहुत हल्के प्रतिबन्धों से रुष्ट न होंगे। विशेष कर इस अवस्था में कि जब इस प्रकार के प्रतिबन्ध आधुनिक उगत् के अनेक देशों में मौजूद हैं।

भारतीय-बैंक-सम्बन्धी कानून

दूर करने योग्य चटियाँ—बैंकों का उपयुक्त समाज, प्रबन्ध और निरीक्षण होने^१ के बास्ते कानूनी नियम तज्ज्बीज करने से पहले यह जानना आवश्यक है कि वे कौन सी चटियाँ हैं, जिनको कानून द्वारा दूर करना है। सेराफ़िल बैंकिंग इक्वाइरी कमेटी ने इस सम्बन्ध में गहरा अनुसन्धान करके निम्नलिखित चटियाँ प्रमुख बताई हैं। —

(१) प्रबन्ध में वेंसानी।

(२) डाइरेक्टरों की अयोग्यता, जो व्यावहारिक बैंकिंग या व्यावसायिक चारुर्य से विलकुल अनभिज्ञ होने के कारण चालाक

* Bombay chronicle, 2nd March, 1931

† Its Report Para, 674

प्रबन्धक, डाइरेक्टरों और मैनेजरों की कारस्तानियों को पकड़ने में असमर्थ पाये गये।

(३) खोटे और जोखमी धन्धों में रुपया लगाना।

(४) डाइरेक्टरों और उनसे सम्बन्धित संस्थाओं को बेरोकन्टोक अंदाधुन्ध रुपया उधार देना।

(५) असावधानी से रुपया उधार देना।

(६) अत्यपकालीन जमाओं को लम्बी अवधि के लिये उधार देना।

(७) प्राप्त पूँजी (paid-up capital) का अपर्याप्त होना और उसका बहुत बड़ा भाग अचल-सम्पत्ति में लगा देना।

(८) रक्षित फ़ंड (reserves) का कम होना।

(९) नक़दी के साधन कम होना। अस्तु,

इन त्रुटियों को ध्यान में रखते हुए ही आगे उपाय बताये गये हैं।

उपयुक्त-संगठन

लाइसेन्स की आवश्यकता—भारत में शिक्षा का गहरा अभाव है। केवल १५ प्रतिशत आबाल-वृद्ध ऐसे हैं, जो लिख-पढ़ सकते हैं। इन पढ़े-लिखे लोगों में बहुत कम संख्या ऐसे लोगों की है, जो वर्तमान आधुनिक वैकिन्ह प्रणाली से परिचित हैं। दुनिया में धोखा देनेवाले लोगों को कमी नहीं है। आजकल धोखेवाजी का कला की तरह प्रयोग होता है। मौजूदा कानून के

अनुसार कोई भी सात आदमी मिलकर एक बैंक कोल सकते हैं और रजिस्ट्रार उसकी रजिस्ट्री कर सकता है। इस सखलता का वेर्इमान लोग अनुचित लाभ उठाने में सफल हो जाते हैं। कितनी ही घटनायें ऐसी हुई हैं कि कुछ लोग बैंकिंग-संस्था खोलकर बैठ गये और थोड़े ही दिनों में जनता का रूपया खाँच कर दिवाला निकाल दिया; इसलिये इस घात की परम आवश्यकता है कि किसी भी प्रार्थी बैंकिंग-संस्था की रजिस्ट्री होने से पहले उसकी आर्थिक-अवस्था, उसके डाइरेक्टरों की योग्यता, क्षमता, मोतावेरी और निरीक्षकों की प्रतिष्ठा, आदि बातों की जाँच की जावे। ऐसी जाँच का परिणाम सतोष-जनक निकालने ही पर रजिस्ट्री कराने की आशा दी जावे। श्री० ठाकुर* और टेनन० का भी यही मत है। सेएट्टल-बैंकिंग-इवाइरी कमेटी[†] (बहुमत) ने भी लाइसेन्स-प्रथा चालू करने की सिफारिश की है; लेकिन श्री० मनुसुवेदार[‡] ने अपनी अल्प मत रिपोर्ट में भारतीय बैंकों के लिये लाइसेन्स-प्रथा के विरुद्ध सम्मति दी है। भारत जैसे देश में उपरोक्त कारणों को देखते हुए लाइसेन्स-प्रथा किसी अंश में भी हानिप्रद नहीं है। इससे भले और सत्पात्र लोगों के मार्ग में कोई वाधा उपस्थित नहीं होगी और साथ ही धोखेवाज़ और

* Organization of Indian Banking, P 214

† Regulation of Banks in India, P 8, 9

‡ Majority Report, Para 634.

Minority Report, Para 315

चालाक लोगों से भोलीभाली प्रजा की बहुत-कुछ अंश में रखा होगी।

जिस प्रकार लाइसेन्स की आवश्यकता नये खुलनेवाले बैंक के लिये है, उसी प्रकार हेड आफिस के स्थान के अतिरिक्त दूसरे स्थानों में ब्राञ्च खोलने के लिये भी लाइसेन्स लेना अनिवार्य होना चाहिये।

‘बैंक’ शब्द का प्रयोग—यह कई बार आ चुका है कि भारत में शिक्षा का अमाव है। यहाँ के अधिकांश लोग बैंक कानून से अपरिचित हैं और बैंकेन्स शोट इत्यादि समझने का ज्ञान नहीं रखते। जिस दूकान या कम्पनी के नाम के साथ ‘बैंक’, ‘बैंकिंग’ या ‘बैंकर’ शब्द देख लेते हैं, उसी पर विश्वास करने लग जाते हैं और अपना रूपया जमा कर देते हैं, लेकिन बाद में उसका दिवाला निकलने पर पछताते हैं; इसलिये कानून के अनुसार लाइसेन्स-प्राप्त करके रजिस्ट्री कराये बिना किसी दूकान या कम्पनी को अपने नाम के साथ बैंक, बैंकर या तद्रूप शब्द का प्रयोग करने की मनाही होनी चाहिये। जापान में ठीक-ऐसा ही नियम है। “बहाँ कोई ‘बैंक’ शब्द का प्रयोग नहीं कर सकता, सिवाय इसके कि वह ज्वाइएट स्टाक कम्पनी हो और उसकी बैंक-कानून के अनुसार रजिस्ट्री हो रही हो”*।

सेण्ट्रल बैंकिंग इंडियारी कमेटी ने अरजिस्टर्ड कम्पनियों

* Regulation of banks in India, P. 5,6.

और व्यक्तिगत फ़र्मों को 'बैंक' शब्द का प्रयोग करने के लिये स्वतन्त्र छोड़ देने की सिफारिश की है। श्री० टेनन ने व्यक्तिगत रूप से देशी बैंकरों के व्यापार के लिये राज-नियम होने के पक्ष में होते हुए भी फ़िलहाल उन्हें उक्त नियम से बाहर रखने ही की सलाह दी है।* हमें खेद है कि हम बहुत कुछ सोच-विचार और प्रयत्न करने पर भी इस विषय में उक्त प्रामाणिक महानु-भावों की सम्मति से सहमत होने में असमर्थ रहे। नवीन बैंक-कानून वन जाने पर लोगों का यह विश्वास और भी बढ़ जायगा कि बैंकों की राज पूरी देखरेख करता है और फल-स्वरूप वे प्रत्येक 'बैंक' शब्द का प्रयोग करनेवाली संस्था या दूकान को राज्य की देखरेख में समझकर धोखा खावेंगे और इस प्रकार लाइसेंस प्रथा का उद्देश्य पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सकेगा; बल्कि निरर्थक सिद्ध होगी। 'बैंक' या 'बैंकर' शब्द की मनाही होने से देशी बैंकर्स को कोई हानि नहीं हो सकती, क्योंकि ये भारत के प्राचीन शब्द नहीं हैं। भारत में इनका प्रयोग। शंगरेजों द्वारा बैंकिङ व्यवसाय प्रारम्भ होने के साथ साथ हुआ है। देशी बैंकर्स की प्रतिष्ठातों 'सेठ', 'साहूकार', 'बोहरा' इत्यादि शब्दों के विशेषण से ज्ञात हो जाती है, जिनका वे प्रयोग करते हैं और करते रहेंगे। इसके अतिरिक्त 'अन्य प्रयत्न' शोषक अध्याय में 'सर्व भारतीय बैंकर्स एसोसियेशन' के संगठन की

योजना बतलाई है। उसके मेम्बर, भारत के सभी प्रान्तों के प्रतिष्ठित देशी बैंकर भी हो सकेंगे और वे 'बैंकर्स-एसोसियेशन के मेम्बर' शब्द का प्रयोग करने में स्वतन्त्र होंगे। इससे उनकी प्रतिष्ठा सुरक्षित रहेगी।

इस नियम से केवल बाजार में अनजान और साधारण व्यक्ति नवीन आडम्बर के साथ दूकान पोलकर बैंकिङ व्यवसाय नहीं कर सकेंगे और ऐसा होना सर्वसाधारण के हित के लिये अच्छा भी है; अतएव यह नियम रजिस्टर्ड और वैयक्तिक फ़र्मों पर समान रूप से लागू होना चाहिये।

दूसरे धन्धे की रोक—दूसरी औद्योगिक-कम्पनियों की अपेक्षा वैंकों में कम सूद होते हुए भी लोग 'जमा' रखते हैं; क्योंकि इनमें रखा हुआ रूपया अधिक सुरक्षित समझा जाता है। यदि बैंक भी बैंकिंग धन्धे के अतिरिक्त दूसरे प्रकार के धन्धे करेंगे या करते रहेंगे तो औद्योगिक तथा व्यावसायिक कम्पनियों से इनका विशेषत्व जाता रहेगा। तीसरे अध्याय में ऐसे कई बैंकों के उदाहरण मौजूद हैं, जिनके दिवाले निकलने का कारण बैंकिंग धन्धे के साथ साथ व्यापार करना था। ताजा उदाहरण 'प्लाइन्स बैंक आवृ शिमला' का है, जो एक व्यापारिक फ़र्म से सम्बन्ध रखने के कारण झूबा है*; इसलिये वैंकों को

* सेण्ट्रल बैंकिंग इंस्चाइरी कमेटी की बहुमत रिपोर्ट, पैरा ६२२।

वैकिंग-धन्ये के सिवाय दूसरा धन्या करने की कानूनद्वारा सर्वथा ममाही होनी चाहिये।

मैनेजिंग-एजेन्सी-प्रधा ससार के विसी देश में नहीं है। इसका सूचपात भारत ही में हुआ है। पहले पहल इस देश में लों उद्योग धन्ये खुले, वे ग्रिटिश पूँजी और उन कम्पनियों के प्रयत्न से, जिनकी रजिस्ट्री इन्डिएट में हुई, ऐसी अवस्था में ज्ञात समुद्र पार इन्डिएट के रहनेवाले हिस्सेदार और उनके डाइरेक्टरों के लिये भारत स्थित कारखानों का सचालन करना यहाँ की उस समय की प्रचलित प्रणाली से कठिन था; इसलिये उन्होंने अपने सुभीति के लिये भारतीय कारखानों का सचालन करने के हेतु यहाँ की कुछ प्रतिष्ठित ग्रिटिश फर्मों को अपना मैनेजिंग प्लेट बनाना शुरू कर दिया। इन कार्य सचालक प्लेटों ही को 'मैनेजिंग प्लेट' कहते हैं।

भारतीय कम्पनियों के सामने उक समस्या उपस्थित नहीं था। इनमें यहाँ की पूँजी और यहाँ के डाइरेक्टर थे। इनका सचालन बोर्ड और डाइरेक्टर्स, एक होशियार मैनेजर के द्वारा भली प्रकार से कर सकते थे, लेकिन यह देखकर कि मैनेजिंग प्लेट्स का मध्येनु का काम करती है, हमारे व्यवसायी इस प्रणाली का यहाँ भी चलाने का प्रयत्न करते गये और शब्द इस का इतना विस्तार हो गया कि काइं कम्पनी ऐसी नहीं हाती, जिसमें मैनेजिंग प्लेट न हा। यहाँ कम्पनियाँ मैनेजिंग प्लेट तलाश नहीं करतीं, बल्कि मैनेजिंग प्लेट बनने की इच्छा रखते

बाले ही कम्पनी को जन्म देते हैं। मैनेजिंग एजेंटों को कम्पनी का कर्ता-धर्ता समझना चाहिये। बार्ड आव् डाइरेक्टर्स की मीटिंग केवल उसकी बातों पर मोहर लगाने के लिये होती है।

सम्भव है यह प्रथा अन्य कामों में चाहे उपयोगी हो, किन्तु बैंकिङ धन्धे के लिये यह हानिप्रद सिद्ध हुई है। आज-कल उद्योग-धन्धों के सम्बन्ध में भी इसकी खरी और आक्रोप-पूर्ण आलोचना होने लगी है। बैंकिङ व्यवसाय हेत्र में तो इस प्रथा के बिल्द एक भवर से आवाज आती है। इसमें सन्देह नहीं कि मैनेजिङ एजेंट एक संस्था के आरम्भ करने में अग्रगण्य होते हैं; परन्तु ये इतने स्वार्थी होते हैं कि संस्था का धन्धा चल जाने पर, अपने परिश्रम का उचित पारिश्रमिक लेफर भी पद नहीं छोड़ते; धर्मिक स्थायी रूप से अपना अधिकार और प्रभुत्व बनाये रखते हैं। यह इनके लिये बड़ा आसान होता है; क्योंकि कम्पनी की नियमावली और सिद्धान्त-पत्र इत्यादि ये अपनी मर्जी के बकीलों से इच्छानुसार बनवा लेते हैं, जो हिस्सेदारों के सामने स्वीकृति के लिये उपस्थित नहीं किये जाते। बाद में उनमें परिवर्तन होना असम्भव हो जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि ये लोग हमेशा के लिये पुश्त दर पुश्त उस संस्था के सर्वेसर्वां बन जाते हैं और उसके धन का मन-माना उपयोग करते हैं। एक बैंक का मैनेजिङ एजेंट दूसरी और भी कई श्रीयोगिक और व्यापारिक संस्थाओं का मैनेजिङ एजेंट होता है और वह इस नाते से बैंक की पूँजी का बहुत

बड़ा भाग उन उपयोग-धनधौं को खुले दिल से उधार दे देता है। जब कभी किसी वैक्क के मैनेज़िङ पर्जेन्ट से सम्बन्धित दूसरी कम्पनी की साथ में कमज़ोरी आती है, तब उस वैक्क पर जमा करनेवाले अपना रूपया घापस लेने के लिये टूट पड़ते हैं। इसके फल-स्वरूप कई वैक्क छूके हैं; इसलिये कानून-द्वारा यह प्रथा रोकी जानी चाहिये।

आपत्ति-जनक नियमों की रोक—यह ऊपर बताया जा चुका है कि कम्पनी के संस्थापक कम्पनी के नियम, सिद्धान्त पर अपनी इच्छानुसार तैयार करा लेते हैं। इन नियमों में वे ऐसे अधिकार ले लेते हैं, जो हिस्सेदारों के हितों के विपरीत होते हैं। इस अमल को रोकने की श्रत्यन्त आवश्यकता है। नमूने के तौर पर कुछ नियम परिणाम-सहित दिये जाते हैं:—

(१) एक हिस्सेदार को, जिस पर कम्पनी का किसी रूप में और किसी अवस्था में कुछ भी नुण हो, भत देने और सद-स्यता के किसी भी अधिकार का उपयोग करने से रोकना, विशेष आपत्ति-जनक है। यह रुकावट आवश्यकता से आगे बढ़ी हुई है। केवल चढ़ी हुई किस्तों के वाजिब होने पर न देने की अवस्था तक इसे सीमावद्ध कर देना उचित है। वैक्क के दिये हुए क़ज़ों के विरुद्ध अपने हिस्सों पर यह अधिकार (Lien) बरतना बाज़ार में अनजान हिस्से ख़रीदनेवालों के लिये बड़ा हानिकर होता है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि भारत और इंगलैण्ड दोनों जगह स्टाक एक्सचेंज का व्यापार

करनेवाले साहूकारों ने ऐसे बैंकों के हिस्सों की लिया-देची से हाथ खींच लिया है।

(२) बिना कारण बताये हुए हिस्से मुन्त्रिल करने से इंकार कर देने का सर्वथा अधिकार डाइरेक्टरों को रहता है। कानूनी फैसलों ने भी इसको उचित मान लिया है, इसलिये डाइरेक्टरों की इस मनमानी के विरुद्ध अदालत में तब तक दावा नहीं किया जा सकता, जब तक मनोविकार और कपट सावित न किया जा सके और ऐसा तहरीर में कारण बताये बिना सावित होना कठिन है। इम्पीरियल बैंक आद् इण्डिया का बोर्ड पूरा मूल्य चुकाये हुए हिस्सों को मुन्त्रिल करने से इकार नहीं कर सकता, फिर कोई कारण समझ में नहीं आता कि कम्पनी-कानून के अनुसार स्थापित बैंक ऐसा मनमाना अधिकार क्यों बरत सकते हैं। यदि कभी किसी मामले में उचित कारणों से इंकार करने की आवश्यकता हो तो डाइरेक्टर्स इंकार कर सकते हैं, किन्तु ऐसे इंकार के कारण उन्हें तहरीर में लाने चाहिये, ताकि खरीददार को अपने अधिकारों पर भगड़ने का मौका मिल सके। ऐसे अनेक उदाहरण मोजूद हैं कि जब कभी हिस्सेदारों ने न्यायोचित अधिकारों के अनुसार बहुत वाजिब तरीके से जनरल मीटिंग में डाइरेक्टरों के कार्य की करारी आलोचना की तो, उनको बाद में न केवल उस कम्पनी के हिस्से देना रोक दिया, बल्कि दूसरी कम्पनियों के हिस्से भी, जिनमें डाइरेक्टर वही लोग थे, जो आलोचित कम्पनी के डाइरेक्टर

थे, नहीं दिये गये। यह कितना अनुचित है। इगलैण्ड में लोयड्स मिडलैण्ड, वार्क्स आदि बैंकों की नियमावली में बेवल आशिक चुके हुए दिस्सों के लिये पेसा नियम है। पूरे चुके हुए दिस्सों के लिये ऐसी रुकावट नहीं है। ऐसे ही नियम यहाँ के बैंकों की नियमावली में होने चाहिये।

(३) नियमावली में बोर्ड आवृ डाइरेक्टर्स के लिये बे माँगी हिस्सा पूँजी (Uncalled Capital) रहने रखने का अधिकार भी ले लिया जाता है, जो औचित्य की सीमा से परे है। अमानतें जमा करनेवाले व्यक्तियों को यह पूँजी उनकी अमानतें सुरक्षित रहने का विश्वास दिलाती है। इसको रहने करने का अर्थ दुनिया को धोखा देना है, इसलिये कानून द्वारा बिना माँगी हुए मूलधन को रहने रखने की मनाही अवश्य होनी चाहिये।

मूलधन—इसकी सख्ता लोगों की अमानतें खींचने में बड़ी सहायक होती है, इसलिये प्रायः बेक मूलधन की एक बड़ी सख्ता नियत कर लेते हैं और बेचने के लिये उसका कम भाग रखते हैं। इसमें भी प्राप्त मूलधन की सख्ता बहुत कम होती है, यहाँ तक कि कई बैंकों में प्राप्त मूलधन नहीं होता और वे कार्य प्रारम्भ करने लग जाते हैं। सन् १९३० में फेल होनेवाले बैंकों की सख्ता १२ थी। उनमें ६ का व्योरा इस प्रकार है*:-

* The Statistical tables relating to banks in India for 1930 P 35

निराधार वैक

मूलधन (रप्ते में)

संख्या	नाम	निधिरित		विकाहुआ		तारीख रजिस्ट्री		तारीख दियाजा	
		प्राप्ति	प्राप्ति	प्राप्ति	प्राप्ति	प्राप्ति	प्राप्ति	प्राप्ति	प्राप्ति
१	पटिलक आ॰म्स देविका क० (पंजाब)	५,००,००७	+	+	+	७२३	७२३	३०३०	३०३०
२	फलकरा वैक (बंगाल)	५०,०००	+	+	+	८२४	८२४	१११०	१११०
३	विहार नेशनल वैक (बिहार)	२,००,००७	१७२०	१२३७	१२३७	८२३	८२३	१३३०	१३३०
४	रमा नाटकारा वैक (मद्रास)	५०,०००	४७७५	२५०	२५०	८२३	८२३	१०३०	१०३०
५	पृथिव्या कमारिंश्चल वैक (बिहार)	२०,००७	१०५०	१५०	१५०	४२४	४२४	१७३०	१७३०
६	देहली सिएटीकेट	२०,००७	१२५०	११५०	११५०	८२४	८२४	१०३०	१०३०

पृष्ठ नं० १६५ के कोष्टक से प्रगट है कि पहले दो वैंकों के तो हिस्से विलकुल ही नहीं विके, शेष चार के हिस्से बराय नाम विके हैं। उनमें भी ३ वैंक तो विके हुए हिस्सों की पूरी पूँजी भी बसूल नहीं कर सके और काल-कबलित हो गये। अब अनुमान लगाया जा सकता है कि इनमें जमाणुदा अमाततों का, दिवाला निरूलने पर क्या परिणाम निरूला होगा। ऐसे छोटे निराधार वैंकों के सुलने से, जो अधिक दिन तक जीवित नहीं रह सकते, इस व्यवसाय को भारी धक्का पहुँचता है; अतः घालयावस्था में काल-कबलित होनेवाले वैंकों की उत्पत्ति रोकने के लिये नवीन कानून में इस बात की परम अवश्यकता है कि निर्धारित, विके हुए और प्राप्त मूलधन की अलग अलग संख्या निश्चित कर दी जाय और तदनुसार धन संग्रह हो जाने पर धन्धा करने का प्रमाण-पत्र दिया जावे। इस सम्बन्ध में विदेशों में इस प्रकार नियम हैं :—

अमरीका में १९२३ में संशोधित नेशनल वैंक कानून के अनुसार वैंकों का मूलधन इस प्रकार होना चाहिये :—

शहर की जनसंख्या	कम से कम मूलधन
-----------------	----------------

निम्नलिखित हो या कम

३,०००	२५,०००	डालर
६,०००	५०,०००	„
५०,०००	१,००,०००	„
५०,००० से अधिक	२,००,०००	„

इसके साथ वहाँ पर बैंक तब तक धन्या प्रारम्भ नहीं कर सकता, जब तक आधो पूँजी वसूल न हो जाये।*

जापान में १० लाख येन से कम मूलधन का कोई बैंक स्थापित नहीं किया जा सकता। केवल छोटे कस्बों में, जिनकी जनसंख्या १० हज़ार से कम है, ५ लाख येन के मूलधन से बैंक खोला जा सकता है। बड़े बड़े शहरों में हुलनेवाले बैंकों का मूलधन अर्थ-सचिव के आदेशानुसार रखना पड़ता है, जो किसी भी हालत में २० लाख येन से कम नहीं होता।

- कर्नाटा में मूलधन की कम से कम संख्या ५ लाख डालर निश्चित है। इसके आधे का, धन्या प्रारम्भ करने से पहले वसूल होना अनिवार्य है।

भारत के लिये भी अमरीका और जापान के समान, जन-संख्या के अनुपात से मूलधन रखने की लोगों ने सलाह दी है। श्री टेनन ने इस प्रकार श्रेणीकरण किया है† :—

बैंकों की श्रेणियाँ	कम से कम विका हुआ मूलधन रूपयों में
---------------------	---------------------------------------

१—स्थानीय-बैंक :—

उन शहरों में, जिनकी आबादी

५,००० से अधिक न हो	३०,०००)
१०,००० „ „ „	६०,०००)

* Regulation of Banks in India by Tannan P. 7, 8

† Regulation of Banks in India P. 6

२०,०००	"	"	१,००,०००)
५०,०००	"	"	२५०,०००)
१ लाख से ऊपर डाइरेक्टर			
जनरल के आदेशानुसार; मिन्तु			
	कम से कम		१०,००,०००)
२—प्रान्तीय-बैंक			५,००,०००)
३—सर्व-भारतीय बैंक			१०,००,०००)
४—चार्व-भौमिक बैंक			३०,००,०००)

श्री० बी० टी० ठाकुर ने भी लगभग इसी प्रकार ध्येणी-करण किया है, केवल संरुपा में थोड़ा सा अन्तर है। * इसमें सम्भेद नहीं कि बैंकों की स्थिति सुदृढ़ बनाने के लिये और हैसियत से अधिक पाँच पक्षारने से रोकने के लिये उक्त महानुभावों की सम्मतियाँ महस्वपूर्ण हैं; परन्तु भारत में अभी तक ज्याइट स्टॉक बैंकिंग प्रणाली विश्व अवस्था में है; इसलिये उक्त प्रकार का थ्रेणीकरण अधिक प्रतिवृन्धों का चोतक है और इससे बैंकों की वृद्धि में भारी रुकावट होने की सम्भाप्ता है। मान लीजिये बीकानेर-निवासियों ने एक बैंक बीकानेर में खोला। इसका विना हुआ मूलधन १० लाख से कम है। इस बैंक को बीकानेर की सरकार ने अपने राज्य निवासी व्यापारियों को राज्य के भीतर और बाहर आर्थिक सहायता देने के लिये

* Organization of Indian Banking P 215

विशेष सहायता और सुविधा दे रखो है, अधिक संख्यक वीकानेरो कलकत्ते में व्यापार करते हैं; इसलिये वे अपने बैंक की शाखा कलकत्ते में खुलवाना चाहते हैं; क्योंकि उस बैंक पर उनका भी गहरा विश्वास है और बैंक भी उनके राज्य का होने से उनकी आर्थिक स्थिति से भली प्रकार अवगत है; अतएव कलकत्ता-प्रवासी वीकानेरियों को अपने यहाँ के बैंक से सहायता प्राप्त करने में बड़ी आसानी हो सकती है, लेकिन उक्त प्रस्तावित श्रेणीकरण से ऐसा नहीं हो सकता। ऐसी हालत में वीकानेरियों को यह एक प्रकार की वाधा अनुभव होगी; इस प्रकार की वाधायें इस समय, जब कि भारतीय बैंकिंग को उत्तेजना देना है, अधिकांश में हितकर प्रमाणित नहीं हो सकतो। अस्तु, कनाडे के समाज सेण्टल बैंकिंग इन्वाइरी-कमेटी की सिफारिश उपयुक्त है। उसके अनुसार एक बैंक के लिये धन्या प्रारम्भ करने से पहले ५०,०००) का प्राप्त मूलधन होना चाहिये। निर्धारित मूलधन विके हुए के दूने से अधिक और प्राप्त मूलधन विके हुए के आधे से कम नहीं होना चाहिये।* रही हैसियत से अधिक क़दम बढ़ाने से रोकने के लिये नियमों की आवश्यकता, उसकी भी पूर्ति लाइसेन्स प्रणाली से हो जाती है; क्योंकि व्यापक के लिये सी लाइसेन्स लेना आवश्यक रखा गया है। चूँकि लाइसेन्स दनेवाला अधिकारी प्रार्थी बैंक

की आधिक अवस्था, ब्रांच के स्थान को उपयुक्ता और आवश्यकता आदि पर चिचार करके ब्रांच खोलने के लिये लाइसेन्स देगा, इसलिये कोई निर्वल वैक अधिक ब्रांचें नहीं खोल सकेगा।

भारतीयकरण—पिछले पृष्ठों में भारत के प्रति विदेशियों की मनोवृत्ति क्या है, बताई जा चुकी है और विदेशी पैंजी से विदेशों में रजिस्टर्ड होनेवाले वैड़ों पर कुछ प्रतिबन्ध लगाने के प्रस्ताव भी लिख चुके हैं। यह सब व्यर्थ होगा, यदि भारत में रजिस्टर्ड होनेवाले वैड़ों में विदेशियों के प्रवेश को न रोका गया, अतएव भारत के हितों की रक्षार्थ, भारतीय वैकिंग को समुन्नत करने के लिये यह परम आवश्यक है कि भारतवर्ष में रजिस्टर्ड होनेवाले वैड़ों पर निम्नलिखित प्रतिबन्ध लगाये जावें :—

- (१) कुल पैंजों के ३५ हिस्से भारतीयों को देवे जावें।
- (२) डाइरेक्टरों की संख्या में ३५ भारतीय हों।
- (३) समस्त कर्मचारी भारतीय हों।

उत्तम प्रबन्ध

व्यवस्थापक-मंडल—वैड का कार्य संचालन करने के हेतु एक व्यवस्थापक-मंडल (Board of Directors) बनाया जाता है। इसमें प्रतिष्ठित और अनुभवी आदमी होते हैं, जिनको पृथक वैड के संस्थापक चुन लेते हैं, बाद में हिस्सेदारों को इसमें परिवर्तन करने का अधिकार होता है, लेकिन प्रायः वही लोग

तुन लिये जाते हैं। इस व्यवस्थापक-मंडल की नामाबली में प्रति-
ष्ठित और अनुभवी सज्जनों के नाम देखकर सर्वसाधारण उस
संस्था के सुप्रबन्ध साख़ और सफलता का अनुमान लगाते हैं;
इसलिये व्यवस्थापकों का कर्तव्य है कि उस संस्था (वैक) के
लेन-देन पर पूर्ण निगरानी रखें, उधार दी हुई रकमों और
जमानत में आनेवाली वस्तुओं के सम्बन्ध में पूरी सावधानी
और उनके मूल्य में कमीवेशी होने का पूरा ध्यान रखें, वैक
की उत्तरोत्तर उन्नति हो, ऐसे उपाय सोचते रहें, उनको कार्य
रूप में परिणत करने रहें और आधिक अवस्था की ओर सदैव
सचेत रहें। यह सब तभी हो सकता है, जब मंडल की होने-
वाली सब वैठकों में सब व्यवस्थापक उपस्थित हों; किन्तु दुर्भाग्य-
वश ऐसा नहीं होता। एक एक सज्जन पचास-पचास, साठ-
साठ कम्पनियों के डाइरेक्टर होते हैं, इसके अतिरिक्त अपने
निज के विस्तृत धन्धे भी करते हैं। यह निश्चित है कि एक
शरीर से जितना काम हो सकता है, उतना ही वह करेगा, उससे
आधिक को आशा करना भूल है। यही कारण है कि हमारे
डाइरेक्टरों को आधिक काम होने और समय कम होने के कारण
वैकों के काम में यथोचित भाग लेने का अवसर नहीं मिलता।
फलस्वरूप वैक उनके अनुभव और शक्ति से कोई लाभ नहीं
उठाने पाते। साथ ही जैसा चाहिये, वैसा नियन्त्रण भी नहीं होने
पाता। इसका परिणाम यह हो रहा है कि सारा काम मैनेजिंग-
एजेंट या कर्मचारी गण अपनी इच्छानुसार चलाते हैं।

युनाइटेड किंगडम में भी, जहाँ ज्वाइराट-स्टॉक-प्रणाली विस्तृत और उच्चतावस्था में है, अत्यधिक व्यवस्थापकता (Multiple Directorship) को बहुत ही अनुचित समझा जाता है और इसके विरोध में वहाँ गहरा वाचेला मत्ता हुआ है।* भारत में भी कानून-द्वारा इस नुटि को दूर करने की अत्यन्त आवश्यकता है; अतएव इस सम्बन्ध में यह कानूनी नियम होना चाहिये कि एक व्यक्ति अधिक से अधिक केवल दस कम्पनियों ही का व्यवस्थापक बन सकता है और उनमें भी बैंकिंग कम्पनियों में दो से अधिक का नहीं। इससे दो लाभ होंगे—एक तो अब तक व्यवस्थापक के पद पर केवल कुछ सीमित व्यक्तियों का ही अधिकार है, वह बढ़ जायगा और आधुनिक शिक्षित नव-युवकों को योग्य व्यवस्थापक बनने का अवसर प्राप्त होगा। दूसरे मौजूदा प्रतियोगिता के ज़माने में, एक कम्पनी के आन्तरिक भेद दूसरी कम्पनी को, जिसके साथ प्रतियोगिता है, दोनों में एक ही व्यवस्थापक होने से मालूम हो जाते हैं, न होंगे और कई कम्पनियाँ हानि उठाने से बचेंगी।

जमा करनेवालों का प्रतिनिधित्व—यह मानी हुई बात है कि प्रत्येक बैंकिंग संस्था में मूलधन से कई गुनी अमानतें जमा रहती हैं, जिनकी बदौलत बैंक को भारी लाभ होता है और हिस्सेदारों को अधिक से अधिक मुनाफ़ा मिलता है। हिस्सेदारों का बैंकों के प्रबन्ध में पूरा अधिकार है। इनके चुने हुए डाइरेक्टर

लोग बैड्क का सारा प्रबन्ध करते और अमानतदारों की अमानतों का अपनी इच्छानुसार उपभोग करते हैं। इनकी भूल, लापरवाही और वेर्इमानी का शिकार हिस्सेदारों के साथ साथ अमानतदारों को भी बनना पड़ता है और अमानतदार, अपना कोई प्रतिनिधि बोर्ड में न होने के कारण, चूँ तक नहीं कर सकते। सारांश यह है कि अमानतदारों को अपनो पूँजी जमा करने के एवज में केवल ब्याज मिलता है और बैड्क के प्रबन्ध में उनका कोई हस्त-क्षेप नहीं होता। यह अन्याय है। इसको दूर करने के लिये इस बात की आवश्यकता है कि व्यवस्थापक-मण्डल में अमानतदारों के भी कुछ चुने हुए प्रतिनिधि हों, जिनकी सख्ता समस्त बोर्ड के मेम्बरों में $\frac{1}{2}$ और कम से कम 2 नियत होनी चाहिये। इन डाइरेक्टरों की भी वही योग्यता हो, जो हिस्सदारों के डाइरेक्टरों की होती है, केवल हिस्सों की रकम के स्थान पर रकम जमा की सख्ता नियत कर दी जावे और इनका चुनाव जमा करनेवाले व्यक्तियों द्वारा हो; लेकिन ऐसी जमाओं पर उधार लेनेवालों में से नहीं होना चाहिये, यह अधिक कठिन नहीं है। करेगट एकाउण्ट के खातेदार लगभग स्थायी रूप से रहते हैं। मियादी अमानतों में अलवत्ता एक वर्ष या किसी निश्चित समय के लिये रकमें जमा होती है; किन्तु फिर भी उनका बहुत बड़ा भाग लगातार पुनः पुनः जमा (renew) होता जाता है। यह नवीन बात भी नहीं है। पीपल्स बैड्क श्राव नोदर्न इंडिया, के फ़ोल होने पर इसके पुनः चालू करने की स्कीम, जो ता० २२ दिसम्बर, सन् १९३१ ई० को हार्डकोर्ट से

स्वीकृत हुई है, मैं अमानत जमा करनेवालों को बोर्ड में ३ डाइरेक्टर चुनने का अधिकार दिया गया है। इसके अनुसार ५०) से अधिक जमा करनेवाले को डाइरेक्टरों के चुनाव में मत देने का अधिकार है और १५ हज़ार या इससे ऊपर रकम का अमानतदार डाइरेक्टर बनने का अधिकारी है। इसके अतिरिक्त वीमा कम्पनियों में भी पोलिसी-होलडरों द्वारा डाइरेक्टरों का चुनाव होता है; अतः यह प्रणाली किसी न किसी रूप में इस समय प्रचलित है और कुछ सशोधन के साथ बड़ी आसानी से चालु की जा सकती है। यह बड़ी लाभदायक साधित होगी और इससे वैकों पर विपत्ति के अवसर कम उपस्थित होंगे।

प्रोक्षणी (प्रतिनिधि)— घर्तमान कम्पनी-कानून के अनुसार प्रत्येक हिस्सेदार, कम्पनी के प्रबन्ध में भाग लेने के लिये उसमी जनरल मीटिंग में एक हिस्से पीछे एक मत देने का अधिकारी है। मत स्वयं उपस्थित होकर या प्रतिनिधि-द्वारा दिया जा सकता है। इस प्रतिनिधि-प्रथा का आजकल बड़ा दुरुपयोग होने लगा है। जहाँ जनरल मीटिंग होने का समय आता है कि बैड़ या कम्पनी के क़र्नल नगर में धूम धूमकर हिस्सेदारों से तत्सम्बन्धी संस्था के कर्मचारियों, डाइरेक्टरों और उनके पृष्ठ-पोषकों के नाम के प्रतिनिधि-पत्र संग्रह करते फिरते हैं। अधिकांश हिस्सेदार कम्पनी की कार्य-प्रणाली से अनभिज्ञ होने के कारण इन इस सोच-विचार के कि इस मत का क्या उपयोग

होगा, कम्पनी या वैड़ के कर्मचारियों या डाइरेक्टरों को प्रसन्न करने के लिये उनके नाम का प्रतिनिधि-पत्र लिख देते हैं। इसका परिणाम ठीक ऐसा ही हानिकारक होता है, जैसा कि अपने पास का शख्स, शत्रु को साँप देने पर निकलता है। यह बात यहाँ पर समाज नहीं होती, बलिक कम्पनी के प्रबन्धक अपने क़र्कों और असिस्टेंटों से, जो अधिकांश में बनावटी या स्वार्थी प्रबन्धकों के नियोजित (nominee) हिस्सेदार होते हैं, जनरल मीटिंग को भर देते हैं। ये लोग प्रबन्धकों के अनुकूल प्रस्तावों पर अपने अपने हाथ उठाकर प्रबन्धकों का अभिप्राय पूरा करने में सहायक होते हैं। इतना ही नहीं, ये लोग बीच में बाधा डालकर दूसरे हिस्सेदारों को भी स्वतन्त्र सम्मति देने से रोकते हैं; अतएव प्रतिनिधि-प्रणाली की आड़ में कम्पनी के प्रबन्धकों को अपनी मनमानी कार्यवाही करने का पूरा अवसर मिल जाता है। इससे हिस्सेदारों को कभी कभी गहरी क्षति उठानी पड़ती है। यह युराई केवल भारत ही में नहीं है, दूसरे देशों में भी येहद बढ़ी हुई है। वहाँ इसके रोकने के लिये उपाय भी किये गये हैं:—

‘इंग्लैण्ड में इस युराई को क़ानून-द्वारा रोकने के लिये बड़ा आनंदोलन हो रहा है। वहाँ के एक प्रसिद्ध पत्र ‘एकाउंटेंट’ ने इस प्रथा को युराई करते हुए लिखा है—“यह प्रणाली स्वयं शेष-पूर्ण है, क्योंकि प्रतिनिधि-पत्र देना, हस्ताक्षर-युक्त कोरा (Blank) चेक देने के समान है। ऐसा केवल दस्तूर पूरा करना समझकर किया जाता है; लेकिन अकस्मात् मीटिंग के सामने

ऐसे प्रश्न उपस्थित हो जाते हैं कि यदि इस समय प्रतिनिधि भेजनेवाला अनुपस्थित हिस्सेदार वहाँ उपस्थित होता तो वह प्रतिनिधि के मत के विरुद्ध सम्मति देता………। इस कुप्रथा को रोकने का एक मात्र उपाय है कि प्रवर्धक लोगों का ग्रोन्सी प्राप्त करना कानून-द्वारा रोका जावे” ॥

कर्नाटा में जब इस प्रतिनिधि-प्रथा का अधिक दुरुपयोग किया जाने लगा तब वहाँ की सरकार ने वैद्वक के वित्तमोगी कर्मचारी हिस्सेदारों के बास्ते यह नियम बना दिया—“वैद्वक का काई जनरल मैनेजर, मैनेजर, फ़र्क या दूसरे भातहत नौकर स्वयं उपस्थित होकर या प्रतिनिधि-द्वारा मत नहीं दे सकेगा और न मत देने के बास्ते प्रतिनिधि पत्र प्राप्त कर सकेगा ।” †

भारत में सेएल-वैद्विज्ञ-इंकाइरी कमेटी के सामने उपस्थित होनेवाले गवाहों ने कर्नाटे की भाँति नियम बनाने के लिये बड़ा ज़ोर दिया था; किन्तु उक्त कमेटी ने वैद्वक के कर्मचारी हिस्सेदारों का केवल प्रतिनिधि-पत्र प्राप्त करना रोकने के लिये सिफारिश की है, लेकिन उनको हिस्सेदार के लाते से खुद की सम्मति देने से रोकना उचित नहीं समझा । हमारी समझ में केवल इतने ही से इस प्रथा की वर्तमान बुराइयाँ दूर नहीं हो सकती ।

* Bombay Chronicle, 14th March, 1931.

† Bombay Chronicle, 18th March, 1931.

‡ Majority Report, Para 714

यहां पर मैनेजिङ्ड पजेएट कम्पनी का सर्वाधिकारी होता है। बैंक के कर्मचारियों की नौकरी, बेतन वृद्धि आदि उसकी इच्छा पर निर्भर होती है। ऐसी अवस्था में ये लोग अपनी स्वतन्त्र सम्पत्ति नहीं दे सकते, क्योंकि उनको हिस्सेदार की अपेक्षा अपने दूसरे स्वाधीनों का अविक ध्यान रखना पड़ता है, अतएव कनाडे की तरह यहां भी कर्मचारियों के लिये मत देने की सर्वथा मनाही होना ही उचित है।

वैयक्तिक मताधिकार—जेसा कि ऊपर बनाया गया है, एक हिस्से पीछे एक मत का अधिकार होता है। इस नियम से बैंक के ऊपर सारा अधिकार चढ़ हिस्सेदारों का हो जाता है। अधिकाश में बड़ी बड़ी सख्तियावाले हिस्सेदारों का बैंक के साथ हिस्सेदार होने के अलाया दूसरा स्वार्थ विशेष रूप से होता है, इसलिये वे सब काम अपने स्वाधीनों को सामने रखकर करते हैं। चूंकि बहुमत इनका होता है, इसलिये कम सख्तिया में हिस्से खरीदनेवालों की कोई सुनाई नहीं होती और उनक हितों की सदेव उपेक्षा होती रहती है, हालांकि कम्पनी की पूँजी के बड़े भाग के मालिक छोटे हिस्सेदार हो होते हैं, इसलिये एक हिस्सेदार को केवल एक मत देने का अधिकार होना चाहिये। चाहे हिस्से कितनी ही सख्तिया में ले रखें हों, यह नियम सहकारी बैंकों में है। वहां इससे अब तक कोई वाधा उपस्थित नहीं हुई। यदि इतना न हो सके तो कम से कम एक व्यक्ति को पांच से अधिक मत देने की मनाही अवश्य होनी चाहिये।

रोशन रखना, कृण देना और रुपया लगाना—बैंक की साथ, पावनेदारों को जुकाने के लिये पर्याप्त पूँजी रखने की अपेक्षा, अधिकतर अपने खातेदारों की माँग को पूरा करने पर निर्भर होती है। जो बैंक अपने खातेदारों की माँग को पूरा करने में असमर्थ होता है, उसको देने से अधिक पूँजी होते हुए भी अपने दरवाजे बन्द करने पड़ते हैं, इसलिये बैंकों को अपने पास उचित परिमाण में नकद रोशन रखनी चाहिये और पूँजी का बहुत बड़ा भाग इस ढंग से लगाना चाहिये कि आवश्यकता पड़ने पर खातेदारों की माँग को पूरा करने के लिये तुरन्त नकद में परिवर्तन किया जा सके। इसके लिये भी श्री ठाकुर ने कानूनी नियम बनाने के बास्ते प्रस्ताव करते हुए लिखा है* :—

रोशन—१ लाख और इससे कम जनसंख्या के नगरों में काम करनेवाले स्थानीय बैंकों को माँगते हो धापस देने योग्य जमा का १५ प्रतिशत और दूसरी प्रकार की जमाओं का ५ प्रतिशत, रोशन में नकद रखना चाहिये। दूसरे बैंकों को २० प्रतिशत माँगते हो धापस दी जानेवाली जमा का और ५ प्रतिशत दूसरी जमा का नकद, रोशन में रखना चाहिये।

इस रोशन को इस प्रकार वितरण करना चाहिये :—

(अ) कम से कम ३ बैंक की तिजूरों में।

(व) दूसरा हूँ सेग्डल वैक या स्थानीय क्रियरिंग वैक या अपनी ही तिजूरी में, जिस प्रकार सुविधाजनक हो ।

(स) बाज़ी हूँ दृमरे वैकों में ।

रूपया लगाना—उपरोक्त रोशन के अलावा ३० प्रतिशत माँगते ही वापस दो जानेवाली जमा का और १० प्रतिशत दूसरी प्रकार की जमा का, तुरन्त भुननेवाली जमानतों पर लगाना चाहिये, ताकि वैड आकस्मिक माँग को पूरा करने में समर्थ रहे ।

कृण देना—निजोंखिम (safety) तुरन्त भुनने योग्य (Liquid) जोखिम वितरण (Distribution of Risk) इन तीन सिद्धान्तों को सामने रखते हुए लिखा है :—

(१) अचल सम्पत्ति पर, प्राप्त पूँजी और रक्षित-धन या दिये हुए कुल अर्णुण में जो कम हो, उसके २० प्रतिशत से अधिक नहीं दिया जावे ।

(२) एक व्यक्ति या संस्था को प्राप्त पूँजी और रक्षित-धन के $\frac{1}{2}$ से अधिक नहीं दिया जावे ।

(३) सब प्रकार की कुल जमाओं के २० प्रतिशत से अधिक एक ही क्रिस्म की जमानतों पर नहीं दिया जाय ।

श्री० टेनन ने भी उपरोक्त बातों का समर्थन करते हुए थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ ऐसे ही प्रस्ताव किये हैं।* इस प्रकार के कानूनी नियम डेनमार्क, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका में भी है ।

इसमें सन्देह नहीं कि वैद्युतों का बुद्धिमत्ता पूर्वक संचालन करने के बास्ते उक्त नियम बड़े उपयोगी हैं, इसलिये वैकिंगों के प्रबन्धकों को रुपया लगाते समय सदैव इन बातों को ध्यान में रखना चाहिये, लेकिन इन्हें कानून का रूप देने की बात अधिक उपयुक्त नहीं ज़ंचती है। सेण्ट्रल वैकिंग इंफ्राइट्री कमेटी ने भी इस सम्बन्ध में पर्याप्त रूप से विचार किया है और घह भी इसी परिणाम पर पहुँची है।* कानून को वक के दैनिक धन्धे के सम्बन्ध में निर्णय करने की कस्टौटी नहीं बनाया जा सकता। यदि ऐसा करने की कोशिश की गई तो उससे लाभ का अपेक्षा हानि की अधिक सम्भावना है; यथोंकि कानून यह भिन्नतय नहीं कर सकता कि फिस धन्धे में जोखिम है और कौन सा निजोंखिम है। रोज़ाना आर्थिक अवस्थाओं में परिवर्तन होता रहता है, उसके अनुकूल कानून को तातारीख नहीं रखा जा सकता। जिस धन्धे में आज जोखिम ख्याल की जाती है, वहो कल निजोंखिम हो सकता है; इसलिये इन सब बातों को व्यवस्थापक-मंडल पर ही छोड़ा जाना अविक मुनासिब है। कानून में इस बात की व्यावट अवश्य होनी चाहिये कि वैद्युत के डाइरेक्टर, कर्मचारी और आँडिटर उनके या उनसे सम्बन्धित धन्धों के लिये वैद्युत की पूँजी का मनमाना उपयोग न कर सकें।

डाइरेक्टरों, कर्मचारियों और आँडिटरों को खूण—अनेक अच्छे अच्छे वैद्युत, डाइरेक्टरों को अन्धाधुन्ध शृण

देने के कारण, काल फवलित हुए हैं। “वर्मा-बैंक के लिखी-डेटरों की रिपोर्ट से प्रगट होता है कि बैंक की पूँजी का उपयोग उसके डाइरेक्टर मेसेसर के ख के घन्धों के लिये होता था। मिस्टर फिरडले सिरास भूतपूर्व डाइरेक्टर आवृ स्टेटिस्टस ने इण्डियल कमीशन को जो लिखित वयान दिया था, उसमें उत्तरो भारत के पक प्रमुख बैंक का उल्लेख करते हुए बतलाया था कि उसकी कुल उधार दो हुई पूँजी का ७० प्रतिशत से भी अधिक अर्थात् १,०७,०७,०००॥१॥ यह में से ७१,७२,६३७॥२॥ उन कम्पनियों और संस्थाओं को उधार दे रखा था, जिनसे चन्द डाइरेक्टरों का वैयक्तिक, सामें का या उनके भी डाइरेक्टर होने का सम्बन्ध था।”* अभी हाल १९३२ में दरवाजे बढ़ करनेवाले एपलस बैंक आवृ नार्दन इण्डिया की यही दशा थी। ताह ३१८३ को इसको अपने डाइरेक्टरों की तरफ दृष्टिगति॥३॥ अर्थात् मूलधन से दूना और जमाशुदा अमानतों का हुआ भाग था।

डाक्टर बाल्टर लीफ के शब्दों में “डाइरेक्टर न केवल हिस्सेदारों के, बल्कि अमानतदारों के भी दृस्टी हैं। द्रृस्टियों का इस तरह से अपने विश्वास कर्ताओं की सम्पत्ति का दुरुपयोग करना विश्वास-घातकता है।” डाइरेक्टर ही बैंक के सचालक होते हैं और जब वे ही उधार लेने लगें अर्थात् ‘वाड हो खेत को खाने

* The Journal of the Indian Institute of Bankers, January, 1931, Page 89

लगें' तो उसे कौन रोक सकता हे ? कोई भी नहीं । डाइरेक्टरों की इस स्वतन्त्रता से बैड हबते हे और अभागे अमानतदार, जिनमें अधिकाश गरीब होते हे और जो समय कुसमय के बास्ते अपनी गाढ़ी कमाई में से बचा बचाकर जमा करत हे, दिन धोले लुट जाते हे । खेद है कि उनकी रक्षा के लिये भारत में कोई कानून नहीं है ।

इंगलैण्ड में "डाइरेक्टरों की इस प्रकार की चालाकी को मालूम करने के बास्ते कम्पनी-कानून सन् १९२९ में इस सम्बन्ध में कुछ नियम बने हुए हे । उनके अनुसार प्रत्येक ज्वाइल्ट स्टॉक कम्पनी के लिये अपनी बैलेन्स-शीट में, तत्सम्बन्धी वर्ष के अन्दर समय समय पर जो ऋण डाइरेक्टरों और अफसरों को दिया गया हो, उसका व्योरा और बैलेन्स शीट की तारीख को रही हुई बकाया, प्रगट करना अनिवार्य है ।" अर्थात् न केवल बैलेन्स शीट की तारीख को रही हुई बकाया ही बतलाई जाती हे, बल्कि तत्सम्बन्धी वर्ष के अन्दर दिया हुआ कुल कर्जा बताना पड़ता है । इससे डाइरेक्टरों को बैलेन्स शीट तैयार होनेवाली तारीख के दिन अपनी ओर की बकाया रकम जमा कराकर और दूसरे रोज फिर उधार लेकर बास्तविकता छिपाने का अवसर नहीं मिलता । डाइरेक्टरों के ऋण में वह ऋण भी शामिल किया जाता है, जो उन्होंने उन दूसरी स्थानों से लिया हुआ है, जिनकी कि बैलेन्स शीटवाली कम्पनी जामिन देती है । यह कानून, बैंकिंग कम्पनी हो अथवा दूसरे प्रकार

की, सब पर समान रूप से लागू है।* इन नियमों से हिस्सेदारों को अपने चुने हुए डाइरेक्टरों को करतूत मालूम हो जाती हैं और दूसरे चुनाव के समय वे उन्हें निकाल बाहर करने में समर्थ हो जाते हैं।

कनाडा में “बैंक एक्ट में डाइरेक्टरों को ऋण देने की हदें नियत करने का अधिकार केवल हिस्सेदारों की जनरल मीटिंग को है और समस्त डाइरेक्टरों को दिये हुए ऋण की संख्या उस बैंक की प्राप्त पूँजी के $\frac{1}{2}$ से अधिक बढ़ाने की सख्त मनाही है।”†

भारत में मध्य प्रान्तीय बैंकिंग इंकाइरी कमेटी ने डाइरेक्टरों को ऋण देने की प्रथा को बहुतई रोकने के बास्ते कानूनी नियम बनाये जाने को सिफारिश की है। श्री० मनुसुदेवार ने भी अपनी अल्पमत रिपोर्ट में यही सम्मति दी है।‡ बम्बई शेयर-होल्डर-एसोसियेशन ने इस पर खूब ज़ोर लगाया है। खेद है कि से० बैंकिंग इंकाइरी कमेटी ने इस सम्बन्ध में कानूनी रोक लगाने की आवश्यकता नहीं बतलाई। इस पर आलोचना

* Bombay chronicle, 20th March, 1931.

† The journal of the Indian Institute of Bankers, April 1931, Page 70.

‡ The Journal of the Indian Institute of Bankers, April 1931, Page 70.

करते हुए उक्त स्थान के तीसरे वार्षिक अधिबोधन के अध्यक्ष श्री० काजी जी ने अपने भाषण में कहा है :—

“इस घृणित प्रथा को रोकने के, सर्वविदित कारण कमेटी के सामने बहुत आग्रह के साथ उपस्थित किये गये थे, किंतु आश्चर्य है कि बहुमत ने इस प्रणाली को विलकुल ही रोकने के पक्ष में सम्मति दी नहीं दी, हालाँकि ऐसे प्रमाण मौजूद हैं कि डाइरेक्टरों के लिये हुए मृण ने अनेक बैड़ों को छुबोया है। दुख की बात है कि बहुमत ने कानून द्वारा इसको रोकने के लिये सिफारिश करना उचित नहीं समझा”।

श्री० काजी जी का कहना यथार्थ है। बैड़ों को सुव्यवस्था की दृष्टि से डाइरेक्टरों का मृण लेना अनुचित है और इसकी कठई रुकावट क बास्ते कानूनो नियम होना आवश्यक है। यदि इतना न हो सकतो कमाडे क समान नियम अवश्य होना चाहिये, तभी यह अति को पहुँची हुई प्रथा कावृ में आ सकेगी, अन्यथा नहीं।

अपने हिस्सों की जमानत पर बृहत—एक बैक के बास्ते अपने ही दिस्सों की जमानत पर मृण देना अज्ञानता है। दी हुई उधार की जमानत में आई हुई जमानतें ऐसी होती चाहिये कि जिन्हें तुरन्त भुनाया जा सके, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर निज बैक हिस्से बेच लेना न केवल बहुत कठिन, बल्कि कभी दभी असम्भव हो जाता है। “यहले बनारस

बैंक* का दिवाला निज के हिस्सों की जमानत पर उधार देने के कारण ही निकला था। इम्पीरियल बैंक ने अपने हिस्सों की जमानत पर उधार देना आरम्भही से बन्द कर रखा है, हालांकि दूसरे बैंक उनको प्रथम श्रेणी की जमानत समझते हैं। कनाडे में तो बैंकों के लिये न केवल निज के हिस्सों की जमानत पर, बल्कि दूसरे बैंकों के हिस्सों वी जमानत पर भी उधार देना कानून द्वारा बर्जित है†”, अतएव भारत में भी इसकी रुकावट होना अत्यन्त आवश्यक है और इसके लिये ऐसा कानूनी नियम होना चाहिये कि कोइ बैंक न तो अपने निज के हिस्से खरीद सके न उनकी जमानत पर उधार दे सक, सिवाय इसके कि ऐसे हिस्से नेक नीयती के साथ दिये गय पूर्व मूण की वसूली में लिये जायें। इस प्रकार आये हुए हिस्से भी छँ महीने के अन्दर लाजिमी तोर पर विक जाने चाहिये।

एजेन्सी—इस आधुनिक जगत् में बैंक, बैंकिङ धनधेर क अतिरिक्त अपने खातेदारों के बास्ते दूसरे कई काम करते हैं, उनमें पजेन्सी का धन्धा विशेष स्थान रखता है, जैसे—विनियमसाम्य हिस्से, जमानतें तथा चाँदी सोने के पाट खरीदना और बेचना, दिराया, बीमा की किस्तें डिविडेंड (लाभ) चुमाना आर प्राप्त करना, साख यन्हों का सम्रद करना और दूसरी बनना

* Minority Report, Para 381

† Regulation of Banks in India by Tannan, P 15

इत्यादि। इंगलैण्ड, अमरीका और जर्मनी के ब्याज कमानेवाले लोगों (investors) ने वैकों द्वारा ज़मानतें ख़रीदने और बेचने के लाभ को अच्छी तरह समझ लिया है। इस प्रथा को उत्तरोत्तर बढ़ाने के उद्देश्य से वहाँ के बैंक आम तौर पर अपने खातेदारों से इस काम के लिये कोई अलग ख़र्चा बसूल नहीं करते हैं, सिर्फ दलालों से आधा हिस्सा बैटा लेते हैं। चूँकि दलालों को वैकों द्वारा बहुत बड़ी सख्त्या में काम मिलता है; इसलिये वैकों द्वारा बैटाये हुए हिस्से की बे परवाह भी नहीं करते। वैकों के खातेदारों को अपने वैकों की मारकत जमानतें ख़रीदने, बेचने में सबसे बड़ी सुविधा यह होती है कि रुपया देने और लेने की भंडाट से बच जाते हैं और कोई विशेष ख़र्चा नहीं लगता। इसके अतिरिक्त जब खातेदार उन ख़रोदशुदा जमानतों को बैंक में ही रक्कार्य जमा कर देते हैं और उनको लाभ और ब्याज बसूल करने का अधिकार दे देते हैं तब जमानतों के खोने, जलने इत्यादि के भय और ब्याज या लाभ प्राप्त करने के लिये उपस्थित करने की तारीखों को याद रखने की चिन्ता से मुक्त हो जाते हैं। इसके साथ साथ जमानतों का भेजने और मँगाने में होनेवाले डाकख़र्च की बचत भी होती है। इसी प्रकार दूसरे कामों में भी खातेदारों को वैकों से आराम मिलता है। वैकों के लिये भी इस धन्धे में लाभ के सिवाय किसी प्रकार की आर्थिक हानि होने की कोई सम्भावना नहीं है। भारत में भी कुछ वैक इन कामों को करते हैं, लेकिन अभी इस धन्धे को बहुत उत्तेजना

देना है; इसलिये इस सम्बन्ध में वैकंकों को स्वतन्त्र छोड़ देना चाहिये। किसी प्रकार के कानूनों नियम बनाकर अडचन पैदा करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

ट्रस्ट व्यवसाय—किसी एक आदमी या आदमियों के हाथ में, किसी दूसरे आदमी या आदमियों, एक संस्था या संस्थाओं के लाभार्थ, जायदाद वसीयत से छोड़ना 'ट्रस्ट' कहलाता है। संयुक्त राज्य अमेरीका में ट्रस्ट-कम्पनियों को ट्रस्ट-व्यवसाय के साथ साथ वैकिंग धन्वा करते हुए देखकर यहाँ के वैद्वाँ ने भी ट्रस्ट-व्यवसाय करना ग्राम्म कर दिया है। इसका अनुकरण दूसरे देशों के वैद्वाँ ने भी किया है। इज्लैण्ड के 'बड़े पाँच' वैद्वाँ ने इस व्यवसाय को करने के लिये अपने यहाँ या तो पृथक् विभाग खोले हैं या अपने स्वामित्व और प्रबन्ध में सहायक कम्पनियाँ स्थापित की हैं।

इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि वैद्व इस काम के लिये बहुत दी उपयुक्त संस्था है। प्रथम तो वैकं व्यक्तियों के समान नाशवान् नहीं होते हैं। किसी व्यक्ति को ट्रस्टी बनाने की हालत में यदि ट्रस्टी, वसीयत-कर्ता से पहले मर गया तो वसीयत-कर्ता के सामने फिर वही ट्रस्टी तलाश करने की मुसीबत आ जाती है, जो अच्छे वैकं को ट्रस्टी बनाने की हालत में नहीं आ सकती। यदि खातेदार यह चाहे कि वैद्व वसी (executor) के मरने पर काम करे तो कई वैद्व इसके लिये उद्यत हो सकते हैं, जिनमें से किसी को भी मरनेवाले वसी या

दूसरी का स्थानापन बनाया जा सकता है और ऐसा परिवर्तन आसानी से तितम्मा बसीयत (Codicel) द्वारा हो सकता है। दूसरे कई मित्रों में कुछ ही ऐसे होते हैं, जिन पर विश्वास किया जा सकता हो, लेकिन वैकं आमतौर पर व्यक्तिया की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय माने जाते हैं। तो सरे दूसरे में आई हुई जायदाद का प्रबन्ध करने को समस्या बड़ी कठिन होती है, इसके लिये विशेष अनुभव और व्यापारिक कुशलता की आवश्यकता है, जिसकी पूर्ति, वैकं अधिक काम मिलने के कारण अपने अमले में तत्सम्बन्धी काम के विशेष अनुभवी नौकर रखकर कर सकते हैं। इस प्रकार दूसरों का प्रबन्ध व्यक्तियों की अपेक्षा वैकं द्वारा लगातार, सुचारू रूप से और कम सर्वे में हो सकता है। इसके अलाया बसीयतकर्ता को अपने मित्रों की, इस काम को हाथ में लेने के लिये खुशामद नहीं करनी पड़ती है। भारतीय वैकं ने जहाँ तक मेरा अनुमान है, इस व्यवसाय को और ध्यान नहीं दिया है, लेकिन भविष्य के लिये यह धन्या उपेक्षा करने योग्य नहीं है, इसलिये भारतीय वैकं के कानून में वैकं के लिये इस काम के करने की आज्ञा होनी चाहिये।

रक्षार्थ वस्तुयें जमा करना—भारतीय वैकं को अपने खातेदारों से जमानतें (Securities) और मूल्यवान् वस्तुयें, रक्षार्थ प्राप्त करने की पूरी स्वतन्त्रता होनी चाहिये। दूसरे देशों के आधुनिक वैकं इस धन्ये को बढ़ाने के बास्ते नित्य नई सुवि-

धाएँ प्रस्तुत करते रहते हैं। यदि कोई बैंक का खातेदार जमानतें या दूसरी मूलयवान् वस्तुएँ बैंक के दफ्तर का समय समाप्त हो जाने के बाद प्राप्त करता है और रात में अपने पास नहीं रखना चाहता है तो उसके लिये कुछ बैंकों ने 'रात्रिन-रक्षा' का प्रबन्ध कर रखा है, जिसमें दूसरे दिन दफ्तर खुलने के समय तक के लिये वस्तुयें रख ली जाती हैं। इस प्रकार बैंक अपने खातेदारों की मूलयवान् वस्तुओं की रक्षा करने में सहायक हो रहे हैं। भारत में इस धन्ये के लिये अच्छा क्षेत्र है। यहाँ पर बहुत लोग घर से बाहर जाने की हालत में अपनी मूलयवान् वस्तुओं को अपने मित्रों और रिश्तेदारों के यहाँ रक्षार्थ रखने के अभ्यस्त हैं। इसमें कभी कभी उनके साथ विश्वासघात हो जाता है और वे अपनी रक्षी हुई वस्तुएँ वापस नहीं पाते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ अधिक जन सख्ता देहात में रहती है, यहाँ जब कभी छूतदार रोग फैलते हैं या किसी प्रकार का कोई विद्रोह खड़ा हो जाता है तब बहुत से लोग उस गाँव या कस्बे का नियास थोड़े दिन के लिये छोड़ देते हैं। ऐसी अवस्था में उनके पास अपनी बहुमूल्य वस्तुओं को हिफाजत से रखने का कोई साधन नहीं होता। यातो वे अपने मकान में कहीं गाड़ देते हैं या साथ में लिये लिये फिरते हैं। इससे बहुधा उन्हें हानियाँ उठानी पड़ती हैं। यदि बैंक इस काम को द्वाध में लेने लग जावें तो धीरे धीरे उनके प्रति विश्वास बढ़ने से भारत की अधिकाश जनता, बैंकों द्वारा उपलब्ध इस सुविधा से लाभ उठाना बहुत

पसंद करेगी। देहात में ददा का समुचित प्रबन्ध करना हर एक बैंक के लिये आसान नहीं हो सकता, लेकिन बड़े बड़े नगरों में बड़े बड़े बैंकों की निगरानी में पृथक् रूप से अच्छे मज़बूत 'राशित-गृह' स्थापित किये जा सकते हैं, जिनमें मुफ्सस-लात के बैंक रद्दार्थ आई हुई वस्तुओं को लेकर भेज सकते हैं और जमा करनेवाले के बापत माँगने पर मँगवाकर दे सकते हैं। इस प्रकार यह धन्धा छोटे बड़े बैंकों के सहयोग से अच्छी तरह चल सकता है।

लाभ-वितरण—बैंकों के पास हिस्सा पैंजी (Share Capital) कम होती है। इनकी कार्यशील पैंजी (Working Capital) में अधिक संख्या अमानतों की होती है, जिनको ये व्याज कमाने के हेतु सरकारी, रेलवे, म्युनिसिपल कमेटी तथा नगरोन्नतिकारिणी-समिति (Improvement Trust) के कँड़े, बोएड और अन्य प्रथम-श्रेणी की ज़मानतों पर, निजी और सार्वजनिक ज्याइएट स्टॉक कम्पनियों के हिस्सों और डिवेश्वर पर, अबल और चल सम्पत्ति की ज़मानत पर तथा प्रतिष्ठित कोठियों या कम्पनियों को उनकी वैयक्तिक ज़मानत पर भी उधार देते हैं या लगाते हैं। इस बड़े धन्धे में ज़मानती वस्तुओं का भाव घटने-बढ़ने या उधार लेनेवाली कम्पनियों और कँड़ों के फ़ोल होने से कभी कभी बैंकों को भारी हानि हो जाने की सम्भावना रहती है। ऐसी आकस्मिक हानियों को बिना अपने हिस्सा या अमानतों को छाति पहुँचाये, सह सकने में समर्थ होने के

लिये आम तौर पर वेंक कई प्रकार के रक्तित और हानि पूरक कोष—रक्तित-कोष (Reserve fund) अमुण परिशोधन-कोष (Sinking fund) आकड़िमन-व्यय कोष (Contingency-fund), साखपत्र मूल्य हास पूरक कोष (Investment Depreciation Reserve), अचल सम्पत्ति मूल्य-हास पूरक कोष (Landed properties Depreciation Reserve) बढ़ा खाता पूरक कोष (Bad Debt fund) आदि नाम से स्थापित करते ह, जिनमें प्रति वर्ष अपनी आय में से सर्वप्रथम कुछ निश्चित भाग निकालकर जमा करते रहते हैं, तत्पश्चात् वचा हुआ लाभ हिस्सेदारों में बांटते हैं। कुछ वर्षों में इन कोषों में इतनी अच्छी रकम हो जाती है कि बैंक भारी से भारी हानि को भी सहने में समर्थ हो जाते हैं और उनकी स्थिति बड़ी मजबूत समझी जाने लगती है।

इस सम्बन्ध में वेंकों के सचालकों के सामने लाभ विभाजित करते समय दो समस्याएँ आती हैं। एक और यदि उक्त वर्णित कोषों में रुपया ले जाते हैं तो हिस्सेदारों को कम लाभ मिलता है। इससे हिस्सों का मूल्य पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता और हिस्सों का मूल्य घटने के साथ वेंक की कमजोरी की डॉडी पिट जाती है, फलस्वरूप अमानतें कम होने लगती हैं। दूसरी ओर अमानतें बढ़ाने की दृष्टि से हिस्सों का मूल्य बनाये रखने या बढ़ाने के खातिर अधिक लाभ विभाजित करते हैं तो उक्त कोषों के बढ़ाने में उपेक्षा होती है, इसलिये बहुत से नप्रीन

खुलनेवाले बैंक पिछली बात को ही अपनाना अधिक पसंद करते हैं।

वर्तमान आर्थिक संसार में फैली हुई व्यापारिक मंडी के कारण बैंकिंग संस्थाओं पर आयेदिन आर्थिक संकट आते रहते हैं, जिनका सामना करने के लिये पहली आवश्यकता इस बात की है, वैंक अपने धन्ये में होनेवाली हानियाँ को सहने में समर्थ हो, ताकि अपनो हस्ती काथम रख सकें। व्याज से मूल पैंजी की रक्षा अधिक अपेक्षित होती है; इसलिये लाभ अधिक बाँटने के छातिर रक्षित और हानि पूरक कोपों को बढ़ाने की उपेक्षा करना बुद्धिमानी का काम नहीं है। दूसरे देशों में इसके लिये कानूनी नियम मौजूद हैं :—

अमरीका—“मेशनल बैंक एंट्री आवृ अमरीका के अनुसार प्रयोक बैंक के लिये यह आवश्यक है कि वह अपने निःखुर्चीं-लाभ में से सर्वप्रथम १०० प्रतिशत रक्षित कोष में प्रतिवर्ष जमा करता जावे, जब तक कि वह कोष मूलधन का २० प्रतिशत न हो जावे। बाद में करण्डोलर के निर्णय पर निर्भर होता है।”*

जापान में “मवीन कानून सन् १९२७ के अनुसार कोई बैंक तब तक लाभ नहीं धाँट सकता, जब तक निःखुर्चीं लाभ का १० प्रतिशत रक्षित फँड में न ले जावे।”*

* Regulation of Banks in India, page 12.

कर्नाटा में “बैंक कानून की धारा ५६ के अनुसार वहाँ के बैंक न प्रतिशत से अधिक लाभ नहीं घाँट सकते, जब तक कि तमाम आनुसारिक और निश्चित हानियों की पूर्ति के निमित्त यथोचित रकम न रख ली गई हो और रक्षित-कोष में प्राप्त-पैंजी के १० प्रतिशत के बराबर रकम जमा न हो जुको हो।”*

इटली में “बैंकों के लिये अपने लाभ में से १० प्रतिशत प्रति वर्ष रक्षित कोष में ले जाना अनिवार्य है, जब तक कि वह कोष मूलधन के ४० प्रतिशत के बराबर न हो जावे।”**

भारत में बैंकिंग धन्या न केवल शिशु-अवस्था में है; बल्कि कमज़ोर भी है। इसको शक्ति देने के लिये ऊपर प्रस्तावित अन्य नियमों के साथ साथ रक्षित कोष को बढ़ाने रहने के लिये भी कानूनों नियम होने की अत्यन्त आवश्यकता है ताकि लाभ का विभाजन करने समय उसका भाग निकालने की उपेक्षा न की जाय; यथा—

(१) लाभ घायित करने से पहले निःखर्ची लाभ में से १० प्रतिशत रक्षित कोष में प्रतिवर्ष ले जाया जावे, जब तक कि प्राप्त पैंजी के बराबर रकम न हो जावे, बाद में कम से कम ५ प्रतिशत।

(२) जब तक रक्षित काप विकी हुई द्विसापैंजी के $\frac{1}{2}$ के बराबर न हो जावे तब तक ६ प्रतिशत और इसके बाद $\frac{1}{2}$ के बराबर होने तक ४ प्रतिशत से अधिक लाभ न बांटा जावे। तत्पश्चात्

* Regulation of Banks in India, page 12

इ प्रतिशत से अधिक लाभ लाइसेन्स देनेवाले अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके बाटा जा सकता है।

उचित निरीक्षण

निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य हिस्सेदारों के साथ साथ जमा करनेवालों के हितों की भी रक्ता करना है, इसलिये केवल हिस्सेदारों के खुने हुए निरीक्षकों या हिताव परीक्षकों द्वारा की गई जाँच को पर्याप्त न समझकर कई देशों की सरकारें, वे को का निरीक्षण अपने निरीक्षकों से कराती है :—

कर्नाटा में “मिनिस्टर को सिफारिश पर सपरिषदु गवर्नर जनरल, इन्सपेक्टर जनरल आव् वे क्ष को नियुक्ति करते हैं, जिसको कुव्यवहार, अयोग्यता तथा सुपुर्द किये हुए काम को पूर्ण रूप से सम्पादन न करने आदि कारणों से अलहदा करने का अधिकार भी सपरिषदु गवर्नर जनरल ही के हाथ में है। इन्सपेक्टर जनरल पूरे समय का अफसर होता है, उसकी आधीनता में आवश्यकतानुसार शिक्षित और अनुभवी अमला रहता है, जो वैकों का निरीक्षण करता है। उसका यह काम होता है कि पूरी छान बीन और पूँछ ताँच द्वारा यह मालूम करे कि कामून वी उन शर्तों का, जो हिस्सेदारों और अमानतदारों के हितों की रक्षार्थ लागू की गई है, ठीक ठीक पालन किया जाता है या नहीं और वैड की आविष्क अवस्था सन्तोष जनक है या नहीं। अमले से इस प्रकार जाँच की प्राप्त रिपोर्टों के

आधार पर इंसपेक्टर जनरल वर्ष में एक बार मिनिस्टर की सेवा में अपनी रिपोर्ट प्रेपित करते हैं। इसके अलावा जब कभी इंसपेक्टर जनरल को किसी बैंक की हालत निर्वल (Insolvent) मालूम होती है तो वह तुरन्त उस बैंक को हालत की सविगत रिपोर्ट मिनिस्टर को दरता है। वहाँ से उस पर विचार होकर अति शीघ्र, बैंक के द्वारा बन्द होने की प्रतीक्षा किये विना ही आवश्यक कार्यदाही आरम्भ कर दी जाती है”।*

जापान में “अर्थ-सचिव बैंकों के कारोबार पर पूरी निगरानी रखते हैं। वहाँ के कानून के अनुसार बैंकों के हिसाब-परीक्षक (auditor) उसके धनधे का गहरा अनुसन्धान करके उसकी चास्तिक स्थिति की रिपोर्ट अर्थ-सचिव के सामने वर्ष में दो बार प्रेपित करते हैं। इन रिपोर्टों में कानून-द्वारा घाँचित महों का यरिखाम भी दर्ज किया जाता है। सन् १९२७ई० के संशोधन के अनुसार अर्थ-सचिव अपने ही निरीक्षकों से धैँडँओं की जांच करते हैं। इसके लिये वहाँ १८ निरीक्षक और ५४ उनके असिस्टेंट नियुक्त हैं, जो पाँच डिवीजन में घैंटे हुए हैं”।†

संयुक्त राज्य अमरीका में “कलोलर आब् करेन्सी, नेशनल बैंकों के काम-काज की जांच के लिये जब वे उचित

* The Journal of the Indian Institute of Bankers, January 1931, Page 86-87

† Regulation of Banks in India, by M. L TANNAN, Page 20

समझते हैं, अच्छे व्यक्तियों को निरीक्षक नियुक्त करते हैं और उनसे बैंडों को स्थिति के बाबत रिपोर्ट लेते हैं। ये निरीक्षक बिना किसी पूर्व सूचना और अनिश्चित समय में पहुँचते हैं और बैंडों के तमाम कारोबार की जांच करते हैं; जैसे—रोशन गिनना, डिस्काउंट किये बिल, क्रेड़िट और दूसरी प्रकार से लगी हुई रकमों के लिये यह छान-बोन करना कि उनकी ज़मानत में प्राप्त ज़मानतें संतोषजनक हैं न, ये डाइरेक्टरों की ओर लेनी रकम की विशेष रूप से देखभाल करते हैं। इस प्रकार ये निरीक्षक बैंडों के व्यवसाय से पूरे तौर पर वाक़िफ़ होकर निर्णय करते हैं कि बैंड कहाँ तक सुरक्षित अवस्था में चल रहे हैं और इसकी रिपोर्ट कर्गोलर आवृ करेन्सी और सम्बन्धित बैंडों में भेजते हैं। यदि आवश्यकता होती है तो कर्गोलर आवृ करेन्सी खास खास बातों की ओर बैंडों का ध्यान आकर्षित करते हैं और उनको हिदायत करते हैं कि सन्देहजनक और हँडी हुई पूँजी को बटा खाते लिखकर उसकी क्षति-पूर्ति रकित-कोप को कम किया जाकर की जावे।*

इन सरकारी निरीक्षकों और परीक्षकों को वेतन सरकार से मिलता है। इस खर्चों को सरकार बैंडों पर कर लगाकर वसूल करती है।

* Regulation of Banks in India, by M. L. Tannan,

भारत में वैकों के काम-काज पर सरकारी हस्तक्षेप बहुत ही सूख्म रूप में है। कम्पनी कानून की धारा १३७ के अनुसार ज्वाइंट स्टाक कम्पनियों के रजिस्ट्रार ज्वाइंट स्टाक कं० से विशेष हालात मालूम कर सकते हैं। यदि उन हालात से वह सन्तुष्ट न हो या पूछे हुए हालात न बताये जायें तो वह उस मामले की रिपोर्ट स्थानीय सरकार को कर सकता है। इसका व्यवहार में कोई प्रभाव नहीं हुआ। इसी प्रकार स्थानीय सरकार को, मूलधन के दू द्विस्तरों के मालिक हिस्सेदारों के प्रार्थना करने पर, वैक के हालात की जाँच कराने का अधिकार होने के नियम से भी कोई वास्तविक लाभ दिखाई नहीं दिया। भारतीय वैकों के हिसाबात की परीक्षा कम्पनी-कानून की धारा १४४ को मद नं० ३ के अनुसार हिस्सेदारों की जनरल मीटिंग में चुने हुए हिसाब-परीक्षकों के द्वारा होती है। इन हिसाब-परीक्षकों को इसी कानून की धारा १४५ के अनुसार वैक की सब हिसाब की कितायें और वाउचर देखने के अधिकार हैं। ये समस्त हिसाबात की जाँच करते हैं और वैक के आवज्ञाय का मिलान करके वैलेन्स शीट तैयार करते हैं, जिसको तस्वीक करते हुए लिखते हैं— “यह वैलेन्स शीट कानून के अनुसार दिखाई हुई हिसाब की किनायों से प्राप्त उत्तम से उत्तम सूचना और दिये हुए जवायात के आधार पर तैयार की गई है, जो कम्पनी के कारबाह की सभी हालत प्रकट करती है।” यह व्यवस्था लगातार फ़्रेज होने-वाले वैकों की सहया और उसके कारणों को देखते हुए सन्तोष-

जनक सावित नहीं हुई। कई काल-फवलित बैड़ों के ऐसे उदा-दरण मौजूद हैं, जिनमें पेशेवर ऊँची योग्यता-प्राप्त अनुभवी हिसाब-परीक्षक जाँच करते थे, जो व्यवस्थापकों के किञ्चित् विरोध पर गम्भीर से गम्भीर अनियमितताओं और बुराइयों को निर्भीकता-पूर्वक हिस्सेदारों के सामने रखने के बजाय छुपा गये। इसका रूपष्ट कारण यह है कि इन पेशेवर निरीक्षकों की दूकानें व्यवस्थापकों की अनुप्रह ही पर निर्भर रहती हैं; क्योंकि उनको न केवल उन बैड़ों के निरीक्षण का काम मिलता है, बल्कि कई दूसरी कम्पनियों का, जिनके भी डाइरेक्टर वे ही व्यक्ति होते हैं, काम मिलता है। यह माना कि इन हिसाब-परीक्षकों का चुनाव हिस्सेदार करते हैं, जो उन्हें अलहदा करने का भी अधिकार रखते हैं, लेकिन यह सब कुछ सिद्धान्त ही सिद्धान्त है, व्यवहार में आम तौर पर डाइरेक्टरों द्वारा ही चुने जाते हैं; इसलिये ऐसा प्रबन्ध होने की आवश्यकता है कि जिससे निरीक्षण निर्भीकता-पूर्वक हो और कार्यकर्ताओं की तमाम अनुचित कार्यवाइयों की सच्चोरिपोर्टें सरकार और हिस्सेदारों को प्राप्त हो सकें ताकि समय पर उचित कार्यवाही की जा सके। इसके लिये सरकारी निरीक्षक नियुक्त होने के अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं है।

सरकारी निरीक्षण का प्रश्न भारत में नया नहीं है। सन् १९२३ ई० के अर्थसंकट के बाद और सन् १९१४ ई० के पहले जब इम्पीरियल कौन्सिल में, उस समय फ्रेल होनेवाले

बैंडों के सम्बन्ध में जाँच करने के लिये एक कमेटी नियुक्त करने के निमित्त सर गगाधर चिन्तामणि के प्रस्ताव पर विचार हो रहा था, उस समय फजली भाई करीम भाई ने इस बात पर जोर दिया था कि भारत में बैंडों के लिये सरकारी निरीक्षण की गहरी आवश्यकता है। बम्बई के ऐड्योकेट जनरल सर थामस्टेगमेन ने भी बन्डई सरकार से, बैंडों का सरकारी निरीक्षण होने की सिफारिश की थी। इसके अतिरिक्त आज्ञाम बैंकिंग इन्वाइटी कमेटी ने भी जिधा है:—

“हम उत्तम समझते हैं कि ज्ञानद स्वाक्षर-बैंडों का निरीक्षण सरकारी निरोक्तक द्वारा हो, जो उस निरीक्षक की अपेक्षा अधिक स्वतन्त्र होगा, जिसका किपुनः निर्वाचन हिस्से-दारों और मैनेजिंग डाइरेक्टरों की इच्छा पर निर्भर है।”*

खेद है कि संएन्डल बैंकिंग इन्वाइटी कमेटी ने निरीक्षण-सम्बन्धी बर्तमान कानूनों नियमों में परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं बतलाई है किन सारके दूसरे देशों के विवाज और भारतीय बैंडों की हालत को देखते हुए वैंडों और सर्व-साधारण के द्वित को दृष्टि से सरकारी निरीक्षण का होना अधिक उत्तम मालूम होता है।

* The Journal of the Indian Institute of Bankers, January 1931, Page 87-88

† Report, Para 718

सरकारी निरोक्षण से लाभ—इससे न केवल अनिय-
मित कार्यवाइयाँ और बुराइयाँ; जैसे—अधिकारों का दुरुपयोग
करना व कानून-विरुद्ध काम करना आदि की खाकाट होगी,
बल्कि जमा रखनेवालों के दिलों में वैकों के साथ व्यवहार करने
के लिये गहरा विश्वास हो जायगा। फल-स्वरूप जो रूपया इस
समय यत्र तब शटका हुआ है, वैकों में जमा होगा। यह निरी-
क्षण लगातार हिस्साव की जाँच का भी काम करेगा, जिसका
प्रबन्ध करने में वैक समर्थ नहीं हो पाते। इससे विशेष लाभ
यह होगा कि वैड़ों की ग्रांचों के हिसाबात को जाँच भी हो जाया
करेगी, जो इस समय नहीं हो पाती और हेड आफिस के हिसाब-
परीक्षक (auditors) ग्रांच मेनेजरों के हस्ताक्षर-नुक्त हिसाब
ही को सही समझकर स्वीकार कर लेने हैं।

प्रस्ताव—भारत सरकार के ग्रर्थ-विभाग के आधीन प्रत्येक
प्रान्त में एक इंसपेक्टर जनरल आवृ वैक्स नियुक्त होने चाहिये
और उनके आधीन आवश्यकतानुसार निरोक्षक नियुक्त किये
जाने चाहिये, जो अपने अपने डिवीजन के वैकों की, बिना किसी
पूर्व सूचना और निश्चित समय के भास्तिक जाँच करते रहें और
देखते रहें कि वैकों का धन्या कहाँ तक सुरक्षित है, सब कार-
धार विवेक-पूर्ण और नियमानुसार होता है न। इस जाँच की
रिपोर्ट समर्थ समय पर इंसपेक्टर जनरल आवृ वैक्स के पास
पेश होती रहे। वहाँ से ब्रुटियाँ, ग्रलतियाँ और नियम-विरुद्ध
कार्यवाइयों के लिये वैकों से जवाब लिये जावें, भविष्य के लिये

उनको सावधान किया जाय और हिस्सेदारों तथा अमानतदारों के हितार्थ प्रत्येक उचित कार्यवाई की जावे ।

बैलेन्स शीट—बैंक के हिस्सेदारों और अमानतदारों को यह जानने का अधिकार है कि उनका रूपया किस प्रकार लगाया हुआ है। एक ऐसे बैंक के लिये, जो सावधानी से सुरक्षित और मजबूत अवस्था में काम कर रहा है, अपने लेने देने का स्पष्ट और पूरा हिसाब प्रकाशित करने में डर की कोई बात नहीं है; बल्कि इससे उसके प्रति खातेदारों का विश्वास बढ़ता है। इसी वास्ते इंडियाई बैंक में प्राइवेट बैंक भी अपने हिसाबात की प्रमाणित हिसाब परीक्षकों से ज़ाँच फ्राकर पर्याप्त सूचना के साथ बैलेन्स शीट प्रकाशित करते हैं, लेकिन भारत के सार्वजनिक बैंक कानून के अनुसार स्थिति सूचक बैलेन्स शीट प्रकाशित करने में भी मिळते हैं। विटिश भारत के बैंकों से देशी राज्यों द्वारा सहायता प्राप्त बैंक, जैसे—मार्ट्सोर बैंक, बैंक आवृद्ध, बडोदा, ट्रायन कोर स्टेट पर्डेड बैंक और कोटा स्टेट कोअपरेटिव बैंक अपनी बैलेन्स शीट अधिक स्पष्ट प्रकाशित करते हैं। ऐसी हालत में भारत सरकार पर इस बात की जिम्मेदारी आती है कि वह बैंकों को, जनता के प्रति उनके इस कर्तव्य का पालन करने को, विवश करे।

बैलेन्स शीट बैंक की सच्ची स्थिति सूचक और सरलता से समझने योग्य होनी चाहिये। इसकी पूर्ति के लिये धर्तमान

प्रचलित फ़ार्म 'एफ़' अपूर्ण है; अतः इसमें सुधार होना आवश्यक है:—

अमानतों का पृथक्-करण—आजकल वैक सब प्रकार की जमानुदा अमानतों को; जैसे—मियादी सेविंग्ज वैक और चलू जमाओं को मिश्रित करके बैलेन्स शीट में दिखाते हैं, यह अनुचित है। मियादी और माँगते ही वापस अदा करने योग्य अमानतों में गहरा अन्तर है। पहली प्रकार की अमानतें शान्तिदायक होती हैं, लेकिन दूसरी प्रकार को जमायें चिन्ता-जनक होती हैं; क्योंकि इन्होंने की माँग की अधिकता होने और उसको पूरा कर सकने में असमर्थ रहने पर ही वैकों के दिवाले निकलते हैं; इसलिये बैलेन्स शीट के पढ़नेवाले को यह ज्ञात होने के लिये कि वैक माँगते ही वापस करने योग्य जमाओं को चुकाने के लिये कहाँ तक पर्याप्त साधन रखता है, दोनों प्रकार की जमाओं को पृथक् पृथक् दिखाना चाहिये। इसी प्रकार वैक छारा उधार ली हुई रकम और अमानतें मिश्रित महों होनी चाहिये। अमानतें वैक में बिला माँगे जमा होती हैं और उधार वैक खुद आवश्यकता पड़ने पर कोशिश करके लेता है। दोनों का रूप अलग अलग है और दोनों भिन्न भिन्न प्रकार की सूचना देती हैं। इनको मिश्रित करने से लोगों को ग़लतफ़ूदमी होती है, इसलिये इनको अलग अलग ही दिखाना चाहिये।

लगे हुए रूपयों का पृथक्करण—वैक कई प्रकार की जमानतों पर रूपया लगाते हैं, इन सबको मिश्रित करके

इकजाई रकम दिराजे से धार्सनिकता मालूम नहीं होती, क्योंकि सबकी कीमत समान रूप में घटती बढ़ती नहीं है। एक प्रकार की जमानत की कीमत घटती है तो दूसरी की बढ़ती है, ऐसी हालत में सबके मिश्रित हो जाने से यह नहीं मालूम होता कि बेंक के पास किस प्रकार वी जमानतें कितनी सख्त्या की हैं और उनमें कितना टोटा नफा है, इसलिये जमानतों पर लगे हुए रूपये (Investment) के बेटे में इस प्रकार पृथक्करण होना चाहिये:—

(१) सरकारी, अर्ध सरकारी या दूसरी प्रकार की इस्ती जमानतों पर।

(२) रेलवे तथा अन्य सार्वजनिक कार्यकर्त्ता कम्पनियों की जमानतों पर।

(३) आधोगिक और व्यावसायिक कम्पनियों के डिवेलपर, हिस्से आदि पर।

नोट—इन जमानतों का मूल्य असली जागत या बाजार भाव से दोनों में जो कम हो, वह बतलाना चाहिये।

इसके अतिरिक्त उधार दिया हुआ रूपया भी उधार (Loan) के बेटे में इस प्रकार अलग अलग दिखाना चाहिये:—

(१) माल या माल के स्वत्व पत्र (Documents of title) की जमानत पर।

(२) डाइरेक्टरों या बेंक के दूसरे अफसरों को या उनसे सम्बन्धित कम्पनियों द्वारा उनकी जमानत पर।

(३) ज्वाइरट स्टाक कम्पनियों या दूसरे व्यक्तियों को व्येक्तिक जिम्मेदारियों (personal guarantees) पर ।

इन रकमों में जितनी रकम सन्देह-जमक हो, वह और उसकी पूर्ति के लिये कितना साधन है या नहीं है, स्पष्ट दिखाया जावे ।

फार्म का नमूना—बैलेन्स शीट के फार्म का एक नमूना शेयर-होल्डर्स एसोसियेशन बम्बई ने सेण्ट्रल बैंकिङ इकाइयी कमेटी के सामने पेश किया है । बास्तव में यह नमूना बड़े परिवर्त्म से छपे हुए ४ पृष्ठों में तैयार किया गया है और सविगत स्थिति सूचक है, लेकिन इसमें लेने और देने की विगत इतनी विस्तार के साथ लिखी गई है कि उसने 'अति' का रूप धारण कर लिया है, इसलिये 'अति सर्वत्र वर्जयेत्' के लिदान्त का अनुकरण करते हुए उक्त कमेटी ने इस फार्म को स्वीकार नहीं किया और इस सम्बन्ध में आये हुए समस्त प्रस्तावों पर विचार करते हुए अपनी रिपोर्ट के पारा ७३० में इसका एक नमूना तज्ज्ञीज किया है ।

इसमें शक नहीं बैलेन्स शीट, हिस्सेदारों के अतिरिक्त सर्व साधारण के सामने आती है और विरोधी स्थायाओं के हाथों में भी पहुँचती है, अतपव भारतीय बैंकों के लिये जो विदेशी बैंकों की प्रतियोगिता के कारण बहुत ही प्रतिकूल दशा में काम कर रहे हैं, अपने धन्धे की विगत, विदेशी बैंकों की विगत (जो अपने

देश में प्रकाशित करते हैं) से अधिक स्पष्ट प्रकाशित करना कभी कभी हानिप्रद सिद्ध हो सकता है। इस बात का ध्यान रखते हुए बैंलैन्स शीट का जो नमूना (देखो परिशिष्ट न० २) सें० बैं० इ म्वाइरी कमेटी ने तज्जीज किया है, उपयुक्त है। वह वर्तमान फार्म 'एफ' की अपेक्षा अधिक स्थिति सूचक है और उसमें सर्वसाधारण क जानने योग्य ऊपर बताई हुई लगभग सभी आवश्यक बातों का समावेश कर दिया गया है।

मासिक स्थिति-सूचक पत्र—वर्तमान कानून के अनुसार बैंक वर्ष में २ बार बैंलैन्स शीट प्रकाशित करते हैं—इन्हें में यद्यपि कानूनी नियम नहीं है तो भी वहाँ वैंक प्रतिमास स्थिति-सूचक पत्र प्रकाशित करने रहते हैं। बैंलिन के बैंक अपनी स्वतन्त्र इच्छा से दो महीने में एक बार स्थिति-सूचक पत्र प्रकाशित करने पर स्वयं ही राजी हुए हैं। न्यू बैनियुऐलिन बैंक कानून (८ जुनाई, १९२७) के अनुसार वहाँ के बैंक मासिक बैंलैन्स शीट प्रकाशित करते हैं। सयुक्त राज्य अमेरिका में बैंकों के लिये आवश्यक है कि वे अपने सामाजिक स्थिति सूचक पत्र उस क्लियरिंग हाउस में, जिसके बैंक में भैंक हैं, प्रेपित किया करें। इन पत्रों में कर्ज और डिस्काउंट, अन्य लगी हुई रकमें, नकद रोशन अपने पास और बैंकों में जमा—मियादी और माँगने पर चुकाने योग्य, अलग अलग और अन्य देने तथा पुन डिस्काउंट आदि के श्रेष्ठ प्रकाशित किये जाते हैं। इस प्रकार बार बार स्थिति-सूचक पत्र प्रकाशित होते रहने से

वैंकों को वास्तविकता छिपाने का अवसर नहीं मिलता। भारत के कई भौज़दा वैंक अपनी स्थिति को अधिक सुन्दर रूप से रखने के लिये अर्ध-वर्ष के अन्त पर अपनी लगे हुई पूँजी का काफ़ी हिस्सा घस्त कर लेते हैं और वास्तविकता को छिपाते हुए बहुत मज़बूत हालत दिखाने में सफल हो जाते हैं; इसलिये भारतीय ज्वाइएट स्टॉक वैंकों के लिये कानून-द्वारा यह आवश्यक होना चाहिये कि वे मासिक स्थिति-सूचक पत्र प्रकाशित किया करें (नमूना परिशिष्ट नं० २ में दिया है ।) लाभ-हानि-सूचक पत्र वर्तमान की भाँति वर्ष में दो बार ही प्रकाशित होते रहे, हेकिन इस समय इनका प्रकाशित करना कानून में अनिवार्य नहीं है सो होना चाहिये । इसके साथ ही यह भी उचित प्रतीत होता है कि वैंकों को इस बात के लिये भी विवश किया जावे कि उक्त पत्र अंग्रेजी के अतिरिक्त प्रान्तीय देशी भाषाओं में भी प्रकाशित किये जावें । यह नई बात नहीं है । आजकल भी सेल्फल वैंक आवृ इण्डिया लि० और वैंक आवृ बड़ोदा अपनी वैलेन्स शीटें अंग्रेजी और गुजराती में प्रकाशित करते हैं । ट्रावनकोर-स्टेट-पडेड-वैंक, अपनी वैलेन्स शीट अंग्रेजी में मलायम भाषा के अनुवाद-सहित प्रकाशित करता है, कोटा-स्टेट-कोआपरेटिव-वैंक लि० केवल हिन्दी ही में वैलेन्स शीट प्रकाशित करता है । इसी ही प्रकार अन्य कई कोआपरेटिव वैंक प्रान्तीय भाषाओं में वैलेन्स शीटें प्रकाशित करते हैं । इसके अलावा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये उक्त पत्र संक्षिप्त रूप से सानीय समाचार

पत्रों में सप्ताह भर तक छुपते रहने चाहिये। इसमें बैंकों को कोई हानि नहीं है; बलिक उनको अधिक जनसंख्या जानने लगेगी और फलस्वरूप अधिकाधिक काम मिलने लगेगा।

बैंकों की रक्खा

हमलों से—पिछले पृष्ठों में अनेक बार लिखा जा चुका है कि 'विश्वास' बैंकिंग धन्ये का 'प्राण' है; इसके कम होने से बैंकिंग-संगठन को गहरी ज़ति पहुँचती है; इसलिये द्वेष-वश या भ्रमवश बैंकों के विरुद्ध उडाई जानेवाली गप्पों को रोकने की महत्ती आवश्यकता है। "इन गप्पों के कारण जापान में १५ मार्च से लेकर २१ अप्रैल (स० २७) तक फेल होनेवाले बैंकों की संख्या लगभग ३० थी और उनमें ६० करोड़ 'येन' जमा थे।" * भारत में भी इन निराधार गप्पों के कारण आये दिन बैंकों पर संकट आते रहते हैं। सेण्ट्रल बैंक आवृ इण्डिया लिंग की जनरल मीटिंग ता० २५ फरवरी, १९३० में सर फ़ीरोज़ सेठना ने अपने अध्यक्ष-पद से दिये हुए भाषण में कहा था कि "हमारी साख़ को ज़ति पहुँचाने के लिये थार बार हम पर बुरी तरह हमले हुए हैं"। इसके बाद सन् १९३३ के अन्तवर के प्रथम सप्ताह में सेण्ट्रल बैंक आवृ इण्डिया आदि घम्बूइ के

* Regulation of Banks in India, by M. L. Tannan,
Page 17.

कई बैड़ों पर पावनेदारों ने ज़ोर का धावा बोला था, उस समय पहले बैड़ के मैत्रेजिंग डाइरेक्टर श्री० एस० एन० पोचखाना-वाला ने एक प्रेस-प्रतिनिधि को बयान देते हुए कहा था—“ऐसा मालूम होता है कि कुछ ग्रप्प-स्वार्थी लोगों ने ऐसी गप्प उडाई है कि बैड़ के कुछ वैक, करीम भाई के मिलों और रुद्द भी एक बड़ी फ़र्म पर—जिन्होंने गत सप्ताह में देना चुकाने से इंकार किया है—अधिक लेना होने के कारण, गहरे नुकसान में आ गये हैं। फ़ज़न्वरूप अमानितदार अधीर हो उठे हैं। सेण्ट्रल वैक करीम भाई की मिलों से बहुत असें से लेन-देन नहीं कर रहा है, केवल कुछ हज़ार के द्विसौं पर उधार दिया हुआ है। रुद्द की फ़र्म पर तो इस वैक का कुछ भी बाकी नहीं है, इस-लिये सेण्ट्रल वैक पर यह धावा अकारण और अनुचित है इत्यादि।*

पाठको ! सेण्ट्रल वैक, भारतीय ज्वाइरट स्टॉक वैकों में सबसे बड़ा और सोलह आमा स्वदेशी संस्था है। इसकी आर्थिक स्थिति भी बड़ी मज़बूत है। उसके साथ भारतीय जमा करनेवालों का यह व्यवहार है तो दूसरे वैकों के प्रति कैसा हो सकता है ? इसका अनुमान आप स्वयं लगा सकते हैं। भारतीय जमा करनेवालों की इस नादानी के कारण कई अच्छे वैक काल-कघलित हुए हैं। इसको रोकने के लिये सरकार को

अवश्य प्रयत्न करना चाहिये। अमरीका जैसे उभयं देश में भी वैंकों के काम-काज के सम्बन्ध में भूठी खबरें फैलानेवालों को दफ्तर करने के लिये एक वर्ष की कैद और एक हजार डालर जुर्माना नियत किया हुआ है। यदि भारतीय-वैंक कानून में भी इस प्रकार का कार्द विधान रख दिया जावे तो वैंकों पर शकारण होनेवाले हमलों की घटना कुछ रुकावट होगी।

मुकद्दमों से— वर्तमान कम्पनी-कानून के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को दूसरी प्रकार की कम्पनियों के समान ही वैंकिंग कम्पनी पर फ़ोजदारी दावा करने की स्वतन्त्रता होने से कई वैंकों पर आये दिन मुकद्दमे चलते रहते हैं। यद्यपि वैंक सम्मान-पूर्वक वरी होते हैं, लेकिन उन्हें लम्बी तहकीकात की पैरवी में भारी द्वंद्वि उठानो पड़ती है और लोगों का आलोचना का शिकार बनना पड़ता है।* इसलिये वैंकों पर भूठे दावे दायर होना

* "In fact it (Central Bank of India) has been the target, for over a decade, of a virulent campaign of civil and criminal suits brought against it for most frivolous reasons. The Bank has come out successful in all this vexatious litigation. But suits are still being persisted in, and this means distraction of the attention of its officers, heavy expenses and constant worry" Indian Finance year Book, 1932, page 101

रोकने के लिये कानूनी सहायता की अत्यन्त आवश्यकता है। इसके लिये माननीय चीफ जस्टिस सर अम्बरसन मार्टन ने शामदसानी बनाम टाटा आयरन एण्ड स्टील क० लि० के मुकद्दमे में फैसला देते हुए लिखा है—“वर्तमान कम्पनी-कानून की दफा २३२ में, विशेष कर बैंकिंग कम्पनियों की भूठे मुकद्दमों से रक्ता करने के लिये, परिवर्तन होने की गहरो आवश्यकता है, क्योंकि दूसरी कम्पनियों की अपेक्षा व को की साथ अधिक कोमल होती है” ।*

इस सम्बन्ध में यह उपाय बतलाया जाता है कि मुकद्दमा चलाये जाने से पहले, इन्स्पेक्टर जनरल आवृत्ति के साथ एड्वोकेट जनरल या रजिस्ट्रार ज्वाइट स्टॉक कम्पनीज से प्रार्थी को आज्ञा प्राप्त करनी चाहिये, लेकिन कुछ अनुभवी सउजनों का इसके विरोध में यह कहना है कि केवल किसी अधिकारी से मुकद्दमा चलाने की आज्ञा हो जाने की खबर पार्ना ही लोगों के हृदय विचलित हो जावेंगे और बिना अदालत के फैसले की प्रतीक्षा किये, उस बैंक पर धावा बोल दिया जावेगा, इस लिये इस नियम से बैंक वर्तमान की अपेक्षा अधिक सकट में पड़ेंगे, क्योंकि बाजार और गलियों में रहनवाले लोग ऐसी आज्ञा का कानूनी प्रभाव नहीं जानते। सेहटल बैंकिंग इन्वाइटी कमेटी ने इस प्रश्न को गहरे विचार के पश्चात् धारा सभा पर

*Regulation Banks in India, by M. L. Tannan, page 25

छोड़ दिया है। हमारे ख्याल में मुकदमा चलानेवाले के लिये इस प्रकार की पावन्दियाँ लगाई जावें कि उनसे भय खाकर कोई व्यक्ति किसी बैंक पर झूठा मुकदमा चलाने का साहस न करे, जैसे—मुकदमे को सुनवाई करने से पहले ऐसी भारी जमानत लेना, जो बैंक की पैरबो के खर्च व ज्ञाति पूर्ति के लिये मजिस्ट्रेट के नजदीक आवश्यक हो और बैंक के बरी होने पर भूठे बादी को सख्त कैद की सजा देना। इसके अतिरिक्त तहकीकात और तज्बीज जलदी से जलदी होने के लिये भी विशेष नियम होने चाहिये, जेने कि चुनाव न्यूनत्वी भगड़ों को निष्ठाने के लिये हैं।

दसवाँ अध्याय

सुधार के उपाय—भारतीय विनियमय बैंक

“The extent of a nation’s participation in its foreign trade depends considerably on the facilities which the Banking system gives to its traders” *

अर्थात्—एक राष्ट्र का अपने विदेशी व्यवसाय में अधिक हाथ बँटाना, उन सुविधाओं पर निर्भर है, जो बैंकिंग प्रणाली से उसके व्यापारियों को प्राप्त होती हैं।

भारतीय सेण्ट्रल बैंकिंग इंकडाइरी कमेटी का उक्त कथन सत्य से ओतप्रोत है। जापान ने इस सम्बन्ध में जो उन्नति की है, उसका श्रेय योकोहामा स्पेसी बैंक को है। यह बैंक सन् १८८० ई० में स्थापित हुआ था। इसकी सहायता से जापान के विदेशी व्यापार में जापानियों का, जहाँ सन् १८७४ ई० में एक प्रतिशत से भी कम हाथ था, वहाँ सन् १९२२ ई० में ६४·६ और ८६·६ प्रतिशत निर्यात और आयत व्यवसाय पर कमशः अधिकार हो गया। भारत का विदेशी व्यवसाय भी भारतीयों के हाथ में १५ प्रति शत से भी कम है। शेष सधका सब विदेशी व्यापारियों और कोठियों के अधिकार में है। इसका कारण भारत स्थित विदेशी-विनियमय-बैंकों की भारतीयों के प्रति तंगदिली और सहानुभूति-रहित व्यवहार है। यदि वर्तमान विदेशी बैंकों ने

* Indian Central Banking Enquiry report, Para 478

विदेशी और भारतीय व्यापारियों के साथ समान रूप से व्यवहार किया होता और भारतीय व्यापारियों को वे तमाम सुविधाएँ, जिनके प्राप्त होने की एक स्वदेशी बैंक से आशा की जाती है, दी होतीं तो निस्सन्देह आज भारतीयों के हाथ में इस व्यवस्थाय का बहुत बड़ा भाग होता। उक्त चर्चित कमेटी के सामने भारतीय व्यापारियों और प्रमुख-प्रमुख भारतीय व्यापारिक संस्थाओं की गवाहियों से यह सिद्ध हो गया है कि चर्तमान विदेशी-विनियम बैंक जातीय पक्षपात से काम करते हैं। इसके कल-स्वरूप भारतीयों की हानि हो रही है; इसलिये अब यह अनिवार्य हो गया है कि भारत को विदेशी-विनियम बैंकों के काम निभंर न रहकर विदेशी व्यापार में गति रखनेवाले व्यापारियों को समुचित सुविधा और सहायता देने के लिये योकोहामा स्पेसी बैंक जैसा एक भारतीय विनियम बैंक की स्थापना करनी चाहिये। इस सम्बन्ध में सेहट्ल बैंकिङ इफ्वाइरी कमेटी ने भी यह सम्मति दी है कि “हमारे विचार में यह उचित नहीं है कि यह देश, विदेशी व्यापार के लिये विदेशी बैंकों द्वारा प्रस्तुत की हुई सुविधाओं पर ही निभंर रहे”। *

भारत में अब तक स्वतन्त्र रूप से विनियम बैंक स्थोलने का तो विचार नहीं हुआ; लेकिन प्रेसीडेंसी बैंकों और इम्पीरियल बैंक को

* “ We have come to the definite conclusion that it is not desirable that the country should be dependant for all times on the facilities afforded by non-Indian institutions for the financing of foreign trade ” Report, para 481.

लंदन में अपनो शाखा रखते हुए भी विनिमय-व्यवसाय करने की आज्ञा प्राप्त नहीं हुई। इसका कारण एक तो यह बताया जाता है कि “विदेशी-विनिमय” के धन्धे में अधिक जोखम है; इसलिये जब तक भारत सरकार का रूपया ईपीरियल बैंक में जमा रहे तब तक वह इस बैंक को ऐसो जोखम उठाने की आज्ञा नहीं दे सकती। दूसरा कारण यह है कि इपीरियल बैंक विनिमय बैंकों का रूपया जमा रखता है, इसलिये उनका रूपया उम्हीं से प्रतियोगिता करने के काम में लाया जाना उचित नहीं समझा जाता। कुछ भी हो, भारत सरकार ने यह प्रत्येक विदेशी बैंकों की अनुचित मार्ग के आगे सर भुकाकर लगाई है, ताकि कोई भी भारतीय संस्था विदेशी बैंकों के अधिकृत मार्ग में बाधक न हो।

अपने ख्याल से यह धन्धा जितना जोखमी ख्याल किया जाता है, उतना जोखमी नहीं है। जोखमी धन्धा होने का अनुभान ऐसा धन्धा करनेवाले बैंकों के क्षेत्र होने को संदेश से लगाया जा सकता है। इसके लिये सेरट्टल बैंकिंग इंक्वाइरी कमेटी, अपनी बहुमत रिपोर्ट के पैरा ४५२ में लिखती है—“No case of a non-Indian Bank going into liquidation with resultant loss to the Indian depositors has been brought to our notice” अर्थात्—“किसी विदेशी बैंक (जो विनिमय का धन्धा करता है) का कोई ऐसा उदाहरण हमारे सामने उपस्थित नहीं किया गया, जिसने दिवाला निकाला हो और फल-स्वरूप भारतीय अमानतदारों को हानि उठानी पड़ी हो।” इसके अतिरिक्त यह भी देखने

में आया है कि इनमें भारतीय ज्वाइंट स्टॉक बोर्कों की अपेक्षा कम सद्द देने पर भी अधिक अमानतें जमा हैं और उत्तरोत्तर बढ़ती जाती हैं। यदि यह धन्या जोखमी होता तो इसके करने-वाले बोर्कों के फेल होने की संख्या अधिक होती और लोग उनमें अधिक जमा नहीं रखते। हाँ, इतना अवश्य कहा जा सकता है कि विनियम का धन्या भिन्न भिन्न प्रकार के देशों से होता है, जहाँ भिन्न भिन्न भाषायें, भिन्न-भिन्न कानून और भिन्न-भिन्न प्रकार को मुद्रायें हैं, इसलिये इस धन्ये में उलझन अवश्य है। इसक सत्तालत के बास्ते अधिक चाहुर्य, कौशल और अनुभव की आवश्यकता है, लेकिन काई ऐसा खतरा नहीं है कि जिससे भय खाकर इस धन्ये को छुआ हो न जावे।

इपकी बात है कि भारतीय अर्थ-साक्षी और व्यापारी इस बात में एकमत हैं कि भारतीय विनियम का धन्या करनेवाली एक बलवान संस्था—भारतीय विनियम-बैंक जल्दी से जल्दी संगठित की जावे, लेकिन उसकी संगठन प्रणाली के सम्बन्ध में थोड़ा सा मतभेद है। कुछ लाग कहते हैं कि इसका समस्त मूलधन सरकारी हो और कुछ चाहते हैं कि सरकार और ज्वाइंट स्टॉक बोर्कों दोनों में विभाजित हो, लेकिन सब इस बात को मानते हैं कि इस प्रकार के बैंक का विना सरकारी सहायता के चलना यदि असम्भव नहीं तो अत्यन्त कठिन अवश्य है।

इसमें सन्देह नहीं कि सरकारी सहायता और प्रदन्ध-युक्त बैंक को साख और प्रतिष्ठा अच्छी होगी और उसको ज्वाइंट स्टॉक

वैकों के कार्य-क्षेत्र में हस्तक्षेप करने से पूरे तौर पर रोका भी जा सकेगा, लेकिन साथ में यह बात भी नहीं भुलाई जा सकती कि नवीन भारतीय विनियम वैक की सफलता के लिये यह आवश्यक होगा कि वह अपने ग्राहकों के लिये देश के भीतरी व्यापारी और आद्यात-निर्यात के व्यापारी के बीच में सीधा सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयत्न करे। उसका यह कार्य ज्वाइंट-स्टॉक वैकों के साथ प्रतियोगिता करनेवाला समझा जावेगा, क्योंकि इससे पिछले वैकों को हानि पहुँचना सम्भव है और जिसका रोका जाना अव्यावहारिक है। ऐसी परिस्थिति में विनियम वैक की पूँजी में वर्तमान भारतीय ज्वाइंट स्टॉक वैकों के हिस्से रखना अधिक उपयुक्त है। इससे ज्वाइंट स्टॉक वैकों को जो कुछ विनियम वैक के कार्य-विस्तार से हानि होगी, उसकी पूर्ति उनके द्वारा ख़रीद किये हुए हिस्सों पर ग्राप्त लाभ (डिविडेंड) से हो सकेगी; अतएव भारतीय-विनियम-वैक का मूलधन इस प्रकार विभाजित होना चाहिये :—

(१) आधा मूलधन सरकारी हो ।

(२) आधा मूलधन ज्वाइंट-स्टॉक वैकों में विभाजित किया जावे। नियत अधिक की समाति पर ज्वाइंट-स्टॉक वैकों के ख़रीदने से जितने हिस्से शेष रहें, वे अधिक बढ़ाई जाकर सर्व-साधारण को दिये जावें। इसमें पहला अधिकार भारतीयों का हो, लेकिन विसी भी हालत में वबे हुए हिस्से पठबोस प्रतिशत से अधिक विदेशियों को न दिये जावें ।

सेएडल वैक्सिन इंज्वाइरी कमेटी (बहुमत) द्वारा प्रस्तावित और उक्त विधित मूलधन के विभाजन में थोड़ा ही अन्तर है, उसने तभाम मूलधन भारतीय ज्वाइट स्टॉक वैकों के लिये प्रस्तुत करने को कहा है। उनसे वचे हुए हिस्से सरकार के लिये छोड़े हैं। इसमें सरकार के माग का परिमाण अनिश्चित है। वैक को साख और प्रतिष्ठा की बृद्धि के लिये और इसलिये कि भारत सरकार की विदेशी भुगतान का काम केवल इसी वैक का मिल सके, आधे मूलधन का सरकारी होना अधिक उत्तम है।

भारत को वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह वैक पेसा शक्ति-शाली होना चाहिये कि मौजूदा विदेशी वैकों का पूर्ण रूप से मुकाबला कर सके, इसके लिये मूलधन की सख्ता अच्छी होनी चाहिये। इस सम्बन्ध में भिन्न भिन्न लोगों ने भिन्न भिन्न सख्तायें बतलाई हैं, जो २ और १० करोड़ के बीच में हैं। अधिक मूलधन के पृष्ठयोग्यक सर्वांश में पश्चिमक वैक के प्रस्तावक हैं, जिसकी प्रतिष्ठा केवल मूलधन पर ही अवलम्बित होती है। जो कम सख्ता के प्रस्तावक हैं, पे सरकारी वैक के अनुयायी हैं, जिसकी साख और प्रतिष्ठा अबल मूलधन पर ही अवलम्बित न होकर राज्य की सहायता और गारंटी के अश पर निर्भर रहती है। उक्त प्रस्तावित वैक सरकारी और पश्चिमक दोनों का मिश्रित होगा। इसके लिये केवल पश्चिमक वैक के समान बहुत अधिक मूलधन को आवश्यकता नहीं है, पांच करोड़ की पूँजी पर्याप्त होगी।

इस वैक के फलने-फूलने के लिये यह परमावश्यक है कि

सरकारी विदेशी भुगतान का काम इसी बैंक को दिया जाय। जापान के अर्ध सरकारी याकोहामा स्पेसी बैंक की सफलता का श्रेय न केवल जापान बैंक-द्वारा दी गई दो करोड़ येन की आर्थिक सहायता को है, वहिंक उसके विदेशी लहने-पावने की भुगतान करने के सिपुर्द किये तुए अधिकार को है। वह विदेशी अृण जारी करने, उसका सूद चुकाने और जापानी सरकार के लेने, वसूल करने आदि में बैंक श्रौंव जापान की सहायता करता है। इसी सीमा तक यह सरकारी बैंक है और इसीलिये सरकार इसके प्रबन्धक अमले में डाइटेस्टर, गवर्नर और डिप्टो गवर्नर की नियुक्ति में पूण् रूप से हाथ रखती है। भारत के लिये भी लग भग इन्हीं कामों के लिये और ऐसा ही प्रबन्ध युक्त बैंक उपयोगी जैवता है। बिना इस प्रकार की रिआयत और प्रबन्ध के देसा बैंक उभति नहीं कर सकता। इस सम्बन्ध में विदेशा विशेषज्ञों का मत विरुद्ध है, उमका कहना है कि यह अव्यावहारिक है। विदेशी भुगतान का समय और परिपाटी का निर्णायक अधिकारी श्रकेला रिजर्व बैंक ही है। यदि इसका प्रबन्ध दूसरा स्थान के सिपुर्द किया तो विनियम की नीति में दानों स्थानों के बीच झगड़ा होने की सम्भावना है। इसके उत्तर में मिस्टर अर्थर का यह कहना अधिक युक्तियुक्त है:—“भारतीय विनियम बैंक, रिजर्व बैंक व स्थापित हो जाने पर उसके पजेल्ट के रूप में काम करेगा। रिजर्व बैंक अपनी आधश्यकतानुसार खरीदे जानेवाले स्टर्लिंग की तादाद और दर से उसे (विनियम बैंक को) सूचित कर देगा, वह जितने

स्टर्लिङ् खुद बेचना चाहेगा, उतने अपने पास से बेच देगा, शेष दूसरे बैंकों से खरीदकर दे देगा। इसमें विदेशी-विनिमय बैंकों में आपसी प्रतियागिता बैसी ही होगी, जैसी आजकल होती है। ऐसे खरीदे हुए स्टर्लिङ् पर वह रिजर्व बैंक से कोई कमीशन नहीं होगा और खरीदे हुए भाव पर ही ही दे देगा”।

“ऐसा ही उस हालत में भी ही सहेगा, जब कि रिजर्व बैंक स्टर्लिङ् खरीदना, खुद अपने पास ही रखेगा। उस बक वह जिस सख्ता में स्टर्लिङ् खरीदना चाहेगा, उसके लिये सूचना प्रकाशित करके टेंडर मांगेगा। आये हुए टेंडरों में से पहले भारतीय विनिमय बैंक के टेंडर को पूरी रकम स्वीकार करेगा और शेष का दूसरे बैंकों में विभाजित कर देगा। इसी प्रकार जब रिजर्व बैंक स्टर्लिङ् बेचना चाहेगा तो पहले भारतीय विनिमय बैंक को बेचेगा, उससे बचे हुए दूसरे बैंकों को”।

“यह भी हो सकता है कि रिजर्व बैंक मौजूदा टेंडर प्रणाली से खुले तोर पर स्टर्लिङ् की लिया बेची न करे तो भी भारतीय विनिमय बैंक को दो हुई रिश्रायत में कमी नहीं आ सकती। पत्र-व्यवहार-द्वारा भाव तय किया जाकर उस भाव पर अवलभ भारतीय बैंक को अवसर दिया जावेगा, उससे बचने पर दूसरे बैंकों का नम्रत आवेगा। इस प्रकार काम घड़ी आसानी से चल सकेगा और झगड़ा हाने की नौशत उपस्थित नहीं होगी”।*

* Foreign Exchange in India, by N Sankara Iyer,
Page 316-317

यह वैङ्क दूसरे ज्वाइंट स्टॉक वैङ्कों के साथ अतियोगिता न कर सके, इसलिये इसकी शाखाएँ बन्दरगाहों और बड़े बड़े शहरों तक सीमित कर दी जावें। भारत के दूसरे स्थानों में एजेन्सी-द्वारा काम करे, एजेन्सी किसी एक वैङ्क को न दो जावे, किन्तु यह काम इस प्रकार प्रमुख-प्रमुख भारतीय वैङ्कों में विभाजित किया जावे कि किसी वैङ्क को किसी प्रकार की कोई शिकायत करने का अवसर प्राप्त न हो। इसके साथ-साथ ज्वाइंट-स्टॉक वैङ्कों का भी यह कर्तव्य होना चाहिये कि वे इस वैङ्क को हर प्रकार का सहयोग देने में तत्पर रहें और सबसी यही लगत हो कि इसको पूर्ण सफलता प्राप्त हो। इसके लिये यह आवश्यक है कि ज्वाइंट-स्टॉक वैङ्क अपना ध्यान केवल देश के भीतरी व्यवसाय की ओर ही रखें और विदेशी विनियम-संबंधी तमाम काम इस वैङ्क के लिये छोड़ दें; क्याकि भिन्न-भिन्न सम्पाद्यों-द्वारा थोड़ा-थोड़ा कार्य होने की अपेक्षा एक प्रमुख और शक्तिशाली सम्पाद्य काम का सगठित रूप से सचालन होना अधिक श्रेयष्ठ है। इसमें सदैह नहीं कि इससे ज्वाइंट-स्टॉक वैङ्कों को कुछ हानि होगी और सभव है उसकी पूर्ति शेयरों पर प्राप्त मुनाफ़े से न हो तो भी एक भारतीय सम्पाद्य को शक्तिशाली और सफल बनाने के लिये थोड़ा स्वार्थ-त्याग करना चाहिये।

यदि भारतीय ज्वाइंट-स्टॉक वैङ्कों और भारतीय व्यापारियों ने इसकी सब्जे हृदय से सहायता की तो चाहे जितनी शक्ति इसके विरुद्ध काम करे, इसकी सफलता निश्चित है।

ग्यारहवाँ अध्याय

सुधार के उपाय—सेंट्रल या रिजर्व बैंक*

मुद्रा वस्तुओं का मूल्य निर्धारित करने के लिये मध्यस्थ होती है; इसलिये इनमें घटा-बढ़ी होने से उत्पादकों और क्रय-विक्रय-कर्त्ताओं को बहुत हानि-लाभ होता है; अतः मुद्रा का संचालन, उसका मूल्य स्थिर रखने के लिये, देश के हित को ध्यान में रखते हुए होना चाहिये।

अब तक भारतीय करेंसी की बाग-डोर भारत सरकार के हाथ में चली आ रही है। सरकार ने इसका संचालन भारत के हित में नहीं किया, यह सर्वविदित बात है। सन् १८९३ ई० में फ्राउलर कमेटी ने निश्चित रूप से स्वर्ण-माध्यम स्थापित करने और स्वर्ण-मुद्रा का प्रचार करने की सिफारिश की थी, इसको उचित मानते हुए भी भारत-सरकार ने कार्य-रूप में परिणत नहीं किया। इसके बाद चेम्बरलेन कमीशन ने सन् १९१३ ई० में सिफारिश की थी कि सरकार को करेंसी का बही रूप रखना चाहिये, जो जनता चाहती है। इसकी बात भी अनसुनी रही। इन दानों कमेटियों ने जो कुछ कहा था, उसमें थोड़ा-बहुत भारत का हित सम्बलित था—इसलिये सरकार ने इनकी सिफारिशों पर अमल नहीं किया। इनके बाद

* यह अध्याय इंडियन फ्राइनेन्स के 'रिजर्व बैंक स्प्रीमेंट' नामक दिरोपांक भी सहायता से लिखा गया है।

वेविंस्टन स्मिथ कमेटी ने रुपये का मूल्य २ शिलिंग कायम करने की बहुत ही असंगत सिफारिश की थी। उसको सरकार ने गहरे विरोध के उपरात भी व्यावहारिक रूप देने में बड़ी तत्परता दिखाई। इस दुराग्रह के फल-स्वरूप देश का ५ करोड़ रुपया स्वाहा हुआ और अंत में सरकार भी इस मूल्य को कायम रखने में समर्थ नहीं रही। इसी प्रकार डिल्टन यंग कमीशन ने भी सन् १९२६ ई० में रुपये का मूल्य १ शिलिंग ६ पैस निश्चित करने की सिफारिश की थी। उसको मानते हुए सरकार ने तुरन्त कानून बना दिया। इसका देश ने, हानिकारक सिद्ध करते हुए, एक स्वर से विरोध किया था, किंतु सरकार ने उसकी कुछ भी परवाह नहीं की।

३१ सितम्बर, सन् १९३१ ई० को जब इन्डियन ने स्वर्णाधार का त्याग किया था, उस समय रुपये का सम्बन्ध भा स्वर्णाधार से विच्छेद हो गया था और वह अपने पैराँ पर खड़ा रहने के लिये स्थतन्त्र हो गया था, लेकिन भारत-सरकार ने दुराग्रह-पूर्वक इसका सम्बन्ध उसी मूल्य पर, स्वर्णाधार-रहित कागजी मुद्रा (Sterling) से जोड़ दिया। यह भारतीय करेंसी का पुराना इतिहास है।

इसके अतिरिक्त जब से प्रिटेन की सरकार ने स्वर्णाधार तोड़ा है तब से उसको सोने की गहरी आवश्यकता आ रही है, उसकी पूर्ति के लिये भारत ने अपनी अतुलित स्वर्णराशि को सप्ताह प्रति सप्ताह जहाजों में लाद लाइकर लदन भेजा है। फल-स्वरूप २०० करोड़ का सोना भारत से बाहर जाचुका है।

इससे ही प्रिटेन अपने स्वर्ण-कोप में ७-८ करोड़ पौड़ सोने की वृद्धि कर सका है। इस पर भारत में बड़ा असताप फैला, लोगों ने एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगाया कि स्वर्ण का निर्यात यदि किया जाये, लेकिन सरकार ने एक नहीं सुनी, बलिक यह कहा कि अधिकाश देशों ने स्वर्णधार छोड़ दिया है, जिनका निकट भविष्य में स्वर्णधार पर आना दुश्मार है। ऐसी हालत में भारत का सोना खरीदना निरी मूर्खता है। कैसी विचित्र यात है कि एक आर प्रिटेन तो अपना स्वर्ण-कोप अधिकाधिक बढ़ाता जा रहा है, इसलिये कि वह पहले से भी अधिक मजबूती के साथ स्वर्णधार पर बहुत जल्द बापस आ जाये, दूसरी ओर भारत आशा रहित होकर अपनो स्वर्ण राशि को लुटाता जा रहा है। जो सरकार इस देश के हितों की इतनी उपेक्षा करती हो, उससे समार वी हालत सुधरन पर भी भारत की मुद्रा प्रणाली में समयानुकूल और उचित परिवर्तन होने की कोई आशा नहीं की जा सकती।

सरकार की आर स करेसी का सचालन करने के लिये एक कर्ट्रोलर आवृ करेसी नियुक्त किया जाता है, जो आम तौर पर इंडियन सियिल सर्विस की मडली में से लिया जाता है और वह करेसी सचालन का शान कपल कर्ट्रोलर आवृ करेसी के पद पर आकर ग्राप्त बरता है, उससे पहल से ग्रत्यक्त रूप से मुद्रा सम्बन्धी और दूसरे बाजारों की स्थिति का कोई उत्तम शान नहीं होता, इसलिये उससे समय समय पर बहुत

बड़ी ग़लतियाँ होना स्वामाविक है। इसमें करेन्टोलर आॅफ् करेन्सी का कोई दोष नहीं है, बल्कि वह प्रणाली दोष-पूर्ण है, जिसमें एक सरकारी अधिकारी को, जिसे मुद्रा सम्बन्धी पूर्ण ज्ञान और पर्याप्त अनुभव नहीं होता, ऐसा विभाग सिपुर्द कर दिया जाता है, जिसके सचालन के लिये गहरे चातुर्य, दूरदर्शिता, तत्सम्बन्धी स्वामाविक ज्ञान और हाजिर जवाबी की आवश्यकता है, इसलिये करेन्सी के उत्तम और उपयुक्त सचालन को दृष्टि से इस वात की गहरी आवश्यकता है कि यह काम सरकारी अधिकारियों के हाथ में से तुरन्त हटाया जाकर एक ऐसी सेंट्रल बैंकिंग संस्था को लौप्ता जावे, जिसका अमला बड़ा होशियार और इस विषय का विशेषज्ञ हो।

क्रेडिट और करेन्सी का सम्बन्ध—वर्ष के एक भाग में सरकार बाजार से टैक्स के रूप में बहुत बड़ी रकम घसूल करती है और उसका धीरे-धीरे वेतन तथा अन्य वातों में ख़र्च करती है। पतदर्थ वर्ष के कुछ महीनों में सरकार के पास बहुत रूपया इकट्ठा हो जाता है। उस समय में व्यापार भी गहरा होता है, अतएव सरकार के उस रूपये से बाजार के सहायता मिलनी चाहिये। इस काम को इस समय इम्पीरियल बैंक करता है, लेकिन करेन्सी और क्रेडिट एक के हाथ में न होने से सर्वका बाजार का उचित रूप से काम नहीं चल सकता; इसलिये मुद्रा जारी करना और सरकारी रोपन का रखना दोनों काम एक ही अधिकारी के पास होना चाहिये,

ताकि रकम का सचय और वितरण-समय और स्थिति के अनुसार एक ही स्थान से हो सके।

स्वर्ण, मुद्रा का आधार है, मुद्रा वैक को साख का आधार है। एक व्यक्ति के पास एक हजार रुपया है, उसमें से वह अपने पास २०० मुद्रा के रूप में रखता है। शेष ६८० वैक में जमा कर देता है, वैक इस रकम से उन लोगों को आर्थिक सहायता पहुँचाता है, जिनको कि इसकी आवश्यकता है। दूसरे शब्दों में ६८० की साख के आधार स्वरूप २०० की मुद्रा है और इस मुद्रा के स्वर्णांवार का मूल्य बेवल ७० है। जब उक्त व्यक्ति का वैक पर से विश्वास उठ जाता है तब वह ६८० वैक से निकाल भर करेंसी के रूप में समझ करता है। उस वक्त वैक केंडिट का सकाच होता है और मुद्रा का विस्तार, फल-स्वरूप बहुत से साने को आवश्यकता उपस्थित हो जाती है।

साना वह सम्पत्ति (Reserve) है, जिसको सेंट्रल वैक अपनी करेंसी क लिये जुटाता है। करेंसी वह सम्पत्ति है, जिसको वैक सम्पूर्ण वैक केंडिट क लिये जुटाते हैं, अस्तु करेंसी और केंडिट का सचालन एक ही स्थान से होने पर बाजार में मुद्रा आवश्यकता से अधिक कम नहीं हो सकेगी और मुद्रा का मूल्य हिपर रह सकेगा, इसलिये यह परम आवश्यक है कि एक उपयुक्त सम्पादन उद्देश्य से स्थापित की जावे कि वह जहाँ तक रिजर्व, केंडिट और करेंसी का सबध है, बाजार को भली प्रकार सतुलन पर रख सके।

इसके अनिरिक्त यह सम्भव होगी, जब व्यापार अच्छा होगा और व्यापारी के पास अधिक उधार लेने के अवलम्बन होंगे। ऐसे अवसर पर यदि दूसरे वैंक से एट्रूल वैंक की नीति और उद्देश्य के विवर्द्ध कोई पड़यत्र रखें तो उसका असफल करने के लिये सेराहूल वैंक को समर्थ हाना चाहिये। उस हालत में सेराहूल वैंक बाजार में सीधी उधार देकर पड़यत्र के प्रभाव को निरर्थक कर सकता है।

अस्तु, सेंट्रल वैंक की आवश्यकता इत्तिलिये है कि —

(१) सरकारी लेन-देन का धनधा, जिसका बाजार से सम्बन्ध है, ऐसी पर्जेसी के द्वारा होना चाहिये, जो इसमें निपुण हो।

(२) करेंसी और क्रेडिट का एकीकरण हो।

(३) एक ऐसी सम्भवता हो, जो एक ओर तो वैंक को आवश्यक और पर्याप्त सुविधायें प्रदान करे और मुद्रा का सम्राह इस रूप में रखें कि देने की माँग की पूर्ति कर सके और दूसरी ओर वैंकिंग संस्थाओं के कायां पर पूर्ण कृप से निगरानी रख सके, ताकि सर्वसाधारण के दिल में यह विश्वास उत्पन्न हो जाय कि वैंकों की ठेय-रेख भली प्रकार से होती है और वह निधंडक होकर वैंकों के साथ धधा करने लगें।

करेंसी और क्रेडिट की संचालन-विधि—योरोपियन वैंक करेंसी और क्रेडिट का संचालन सरकारी जमानतों, वित्त

और डिस्काउन्टरेट द्वारा करते हैं। वे कुछ प्रतिबन्धों के साथ सर्वसाधारण से व्यवसाय करने, जमा रखने, उधार देने में स्वतंत्र हैं, लेकिन वे इस प्रकार के व्यवसाय को केवल क्रेडिट का मूल्य स्थिर रखने की हृषि से ही करते हैं न कि व्यापारिक वेकों की भाति लाभ कमाने के लिये। इन वेकों का सबसे पहला और प्रमुख उद्देश्य देश के सामान्य दितों को ओर देखना होता है और कमाई करने का उद्देश्य गौण रूप से होता है। इनकी पूँजी नकदी में या अलपावधिवाली या स्वयं भुगतान योग्य (self-liquidating) जमानतों में रहती है, जिनका हर समय नकद में तुरन्त परिवर्तन किया जा सकता है। जब कभी बाजार में नाणे की अधिकता (inflation of credit) होती है तब सैंट्रल वेक मुद्रा का संकोच (contract) करता है ओर जमानतें घेचकर या नियमानुसार किसी दूसरे प्रभार से बाजार का फालतू रुपया (surplus money) संग्रह करता है, इसी प्रकार जब बाजार में नाणे का कमी होती है तब वेक मुद्रा का प्रसार करता है ओर बाजार में जमानतें और विल खरीदकर रुपया फैलाता है। जब कभी रुपया देश की आवश्यकता से अधिक और लाभ के विपरीत विदेशों में निर्यात होता दिखाई देता है तब सैंट्रल वेक अपना डिस्काउन्टरेट घटाकर रुपये का बाहर जाने से रोकता है। इसी प्रकार जब देश में व्यापारिक आवश्यकताओं से अधिक रुपया फालतू होता है तब सैंट्रल वेक डिस्काउन्टरेट घटाकर रुपये को देश से बाहर ऊँची दर का व्याज

कमाने के लिये निर्यात होने का अवसर देता है। बाजार के लिये बैंक-रेट का अनुकरण करना अनिवार्य होता है, क्योंकि सेंट्रल बैंक नोट जारी करनेवाली अकेली स्थिति होती है, जो बाजार को करेंसी और क्रेडिट प्रदान कर सकती है। सेंट्रल बैंक चह जगह है, जहाँ देश की नकद रोशन और स्वर्ण राशि जमा रहती है। जब बैंक रेट ऊँचा जाता है तब बाजार की व्याज की दर बढ़ती है। फज स्वरूप दूसरे देशों में व्याज की दर कम होने से रुपया बाहर जाने से रुक जाता है, इतना ही नहीं बल्कि अधिक व्याज मिलने के कारण विदेशों से उलटा रुपया लिंचता है, ऊँचे व्याज की दर क्रेडिट को धटाती भी है, इसलिये वह रुपये की माँग और सप्लाई के बीच समतुल्यता लाने में समर्थ हो जाती है। इसी प्रकार विरुद्ध परिस्थिति में कम व्याज की दर का उपयोग किया जाता है। नोट जारी करनेवाला बैंक अपने पास विदेशी बिल रखता है, उनका उपयोग क्रेडिट की माँग और सप्लाई को समतुल्य करने के लिये किया जाता है। जब देश में करेंसी या क्रेडिट को बाहुल्यता होती है तब फालू रकम विदेशों में लगाई जाती है और जब कभी आती है तब विदेशी बिल बेचकर रकम मँगाई जाती है।

भारत में सेण्ट्रल बैंक की माँग

भारत में सेण्ट्रल बैंक की माँग सन् १९३६ ई० से की जा रही है। इसके प्रधान आन्दोलनकर्ता थी० जे० विलसन सेम्पुल

लोंग, सर जे० अग्राहामस और पम० किन्स हैं। इनमें पिछले महाशय ने सन् १९१३ ई० में इस सम्बन्ध में बड़े परिच्छम और विद्वत्ता के साथ एक नोट तय्यार किया था। उसमें आपने भारत में सेंट्रल बैंक स्थापित करने के लिये बड़ा और दिया था। इसके बाद सन् १९२६ ई० में हिल्टन यंग कमीशन ने भी इस सम्बन्ध में बड़ी जोरदार सिफारिश की थी, जिसके आधार पर सन् १९२७ ई० में एसेम्बली में रिजर्व बैंक विल पेश हुआ था। उस समय एसेम्बली का बहुमत स्टेट-बैंक चाहता था और सरकार शेयर-होल्डर बैंक। इसी झगड़े में विल उठा लिया गया। अभी हाल में सन् १९३० ई० में सेंट्रल बैंकिङ इन्डियनी कमेटी ने भी हिल्टन यग कमीशन के भत का समर्थन करते हुए लिखा था :—*

“हम रोयल कमीशन सन् १९२६ ई० से इस बात में सहमत हैं कि भारत में कर्ऱसी और क्रेडिट के सचालन की बागडोर सरकार और इपारियल बैंक के हाथों में क्रमशः है, दोप पूर्ण है और हमारा निश्चय है कि जब तक कर्ऱसी और क्रेडिट का सचालन किसी एक अधिकारी के हाथ में न सौंपा जायगा तब तक वास्तविक उन्नति समय नहीं है, इसलिये हम सेण्ट्रल बैंक को स्थापना को बैंकिंग सुविधाओं की उन्नति को दृष्टि से अत्यत महत्व पूर्ण समझते हैं और आम तौर से इसको बैंकिंग की उन्नति का प्रधान साधन मानते हैं, अतः एक सेण्ट्रल या रिजर्व बैंक यथासम्भव शीघ्र स्थापित किया जाना चाहिये।” अन्त में

* Its report, Para 605

भारतीय राउण्ड-ट्रेवल कान्फ्रैंस, लंदन ने इस प्रश्न को बहुत महत्व दिया, यहाँ तक कि भारत में नवीन सुधारों का देखा और न देना भी रिज़र्व वैंक पर आन अटका। फल-त्वरूप सरकार को भारत में रिज़र्व वैंक स्थापित करने की जलदी हुई और उसने तत्सम्बन्धित लोगों से सलाहभाशविरा करके सितम्बर, सन् १९३३ ई० में भारत की लेजिस्लेटिव प्रसेम्बली में, भारतीय रिज़र्व वैंक विल सन् १९३३ ई०, उपस्थित करके पास करा लिया। इस पास-शुदा विल के अनुसार भारतीय रिज़र्व वैंक का संगठन इस प्रकार होगा।”

रिज़र्व वैंक का संगठन

मूलधन—यह शेयर-होल्डर्स वैंक होगा और इसका मूलधन ५० करोड़ रुपया होगा। जो १००), १००) के हिस्सों में विभक्त किया गया है। इस मूलधन को समस्त भारत में बांटने के लिये ५ रजिस्टर कायम किये गये हैं, जिनके द्वारा नीचे लिखे अनुसार हिस्से देखे जावेंगे:—

बम्बई रजिस्टर से १४० लाख

कलकत्ता	,	,	१४५	“
दिल्ली	,	,	११५	“
मद्रास	,	,	७०	“
रंगून	,	,	<u>३०</u>	“
जोड़			५००	“

हिस्सेदार—इस बैंक के हिस्से, वे व्यक्ति या कम्पनियाँ या सहकारी समितियाँ प्रतीद सकेंगी—

(अ) जो भारत-निवासी होंगे, चाहे सम्राट की प्रजा हों चाहे देशी राज्यों की ।

(ब) जो इंग्लिस्तान की प्रजा हों और साधारणतया भारत में रहते हों और युनाइटेड किंगडम या सम्राट के किसी उपनिवेश के निवासी हों ।

(स) यह कम्पनी, जो भारतीय कम्पनी कानून सन् १९१३ ई० के अनुसार रजिस्टर्ड हो या कोशापरेटिव सोसाइटी कानून सन् १९१२ ई० के अनुसार रजिस्टर्ड सोसाइटी हो या किसी दूसरे कानून के अनुसार, जो इस समय विद्या भारत में सहकारी समितियाँ या स्वीकृत नामावली में वर्णित बैंकों के सम्बन्ध में हो या यह कोरपोरेशन या कम्पनी हो, जो पार्लियामेंट के किसी कानून के अनुसार, जो इस समय सम्राट के उपनिवेशों में चालू हो, स्थापित हुई हो और विद्या भारत में एक ब्रांच रखती हो ।

सेण्ट्रल-बोर्ड—इसके सचालन के लिये एक सेण्ट्रल बोर्ड होगा, जिसके डाइरेक्टरों का चुनाव इस प्रकार होगा :—

(अ) एक गवर्नर और दा डिप्टी गवर्नरों को सपरिषद गवर्नर जनरल बोर्ड की सिफारिश पर विचार करके नियुक्त करेंगे ।

(व) चार डाइरेक्टर स्पष्टिपद्ध गवर्नर जनरल द्वारा नियो-
जित होंगे ।

(स) आठ डाइरेक्टर हिस्सेदारों-द्वारा चुने जावेंगे । इनमें
बम्बई, कलकत्ता और दिल्ली के रजिस्ट्रॉर्स से दो-दो
और मद्रास तथा रंगून के रजिस्ट्रॉर्स से एक-एक
डाइरेक्टर लिया जावेगा ।

(द) एक सरकारी अफ़सर स्पष्टिपद्ध गवर्नर जनरल-द्वारा
नियुक्त किया जावेगा ।

स्थानीय बोर्ड—रजिस्ट्रॉर्स के अनुसार स्थानीय में एक-एक
स्थानीय बोर्ड होगा । उसका संगठन इस प्रकार होगा :—

(अ) पाँच मेम्बर उस क्षेत्र के हिस्सेदार अपने में से
चुनेंगे ।

(ब) तीन मेम्बर तक सेण्ट्रल बोर्ड उस क्षेत्र के हिस्सेदारों
में से चुन सकेगा । इनके चुनाव में वह सम्बन्धित
क्षेत्र के आर्थिक हितों के प्रतिनिधित्व का, विशेष कर
कृषि-सम्बन्धी और कोशापरेटिव वैद्युतों के प्रतिनिधि
लेने का ध्यान रखेगा ।

जनरल मीटिंग—वैद्युत की जनरल मीटिंग, उसके वार्षिक
हिसाब के समाप्त होने के बाद छः सप्ताह के अन्दर-अन्दर, जहाँ
उसका दफ़्तर होगा, वहाँ किसी एक स्थान पर बुलाई जावेगी ।
उसमें प्रत्येक हिस्सेदार को उपस्थित होने का अधिकार होगा,
लेकिन मत वही हिस्सेदार दे सकेगा, जो पाँच या उससे अधिक

हिस्सों का मालिक होगा। एक हिस्सेदार को पांच हिस्से पीछे एक मत देने का अधिकार होगा, लेकिन इस प्रकार एक हिस्सेदार १० से अधिक मत नहीं दे सकेगा। मत प्रोक्सी-द्वारा भी दिये जा सकेंगे।

शाखायें—बैंक स्थापित होते ही बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास और रंगून में अपने दफ्तर और एक शाखा लंदन में स्थापित करेगा। यह भारत में और जगह भी शाखायें खोल सकता है। दूसरी जगह शाखायें खोलने के लिये सपरिपद गवर्नर जनरल से पहले आवाज़ लेनी होगी।

फौंय—(१) यह बैंक रिज़र्व बैंक-विल की दफा १७ में वर्णित बन्धनों के साथ विना व्याज जमा रखना, प्रोमेसरी नोट व विनिमय विल डिस्काउंट करना और उधार देना आदि बैंकिंग धन्धा करेगा और—

(२) नोट जारी करने का अकेला अधिकारी होगा।

(३) सरकारी खज़ानी का काम करेगा।

(४) सार्वजनिक अर्थ का प्रबन्ध करेगा।

(५) रुपये का मूल्य १ शिलिंग ६ पैस स्थिर रखने के घास्ते सीमान्तरित स्ट्रिंग की लियान्देबी करेगा।

(६) देश के बैंकों का रिज़र्व रखेगा। रिज़र्व बैंक-विल की धारा ४२ के अनुसार स्वीकृत नामावली में वर्णित बैंकों को, अपने माँगते ही चुकाने-योग्य देने का ५ प्रतिशत और मियादी

देने का २ प्रतिशत, इस बैंक में अनिवार्य रूप से जमा करना पड़ेगा।

कृषि की सहायता—यह बैंक धारा १७ की मद २ के अनुसार प्रान्तीय कोआपरेटिव बैंकों के हस्ताक्षर-युक्त बिल डिस्काउण्ट करने और मद नं० ४ (उ) के अनुसार उधार देने के अतिरिक्त एक कृषि-क्रेडिट-विभाग भी अपने यहाँ खोलेगा, जो कृषि को, कृषि-बैंकिंग संस्थाओं-द्वारा आर्थिक सहायता पहुँचाने का प्रयत्न करेगा।

समालोचना—संसार के बड़े बड़े देशों के सेंट्रल बैंक शेयर-होल्डर्स बैंक हैं। अब तक जितनी भी अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों से हुई हैं, उन सबने सेंट्रल बैंक का स्टेट बैंक होना दानिकारक अनुभव करते हुए शेयर-होल्डर बैंक के पक्ष में ही सम्मति दी है;* इसलिये भारत में रिज़र्व बैंक का शेयर-

* "The dangers attending the establishing of a state Bank have during the course of time been so universally admitted that all the great international economic conferences held during the past six years warnings have been sounded against a State Bank and it was recommended that in countries where a state Bank was established, it should be converted into an independent private Bank, naturally, however, under sufficient supervision by the state." Dr. G Visering President of Netherlands

होल्डर वैक होना कोई बुरा नहीं है, लेकिन इसमें कई ऐसी अन्यूनतायें रह गई हैं, जिनकी बजाए से भारत के हितों की पूर्ण रूप से रक्षा होने में सद्देह हो गया है, यथा—

(१) वैक आवृ इगलेंड और नेटरलैंड वैक के शेयर होल्डर के बीच उनके असली देशवासी ही हो सकते हैं। इसी प्रकार भारतीय रिजर्व बैंक के हिस्से भी बैंक भारतवासियों के लिये ही सुरक्षित रहने चाहिये थे। यह माना कि भारत में अगरेजी राज्य होने के कारण इगलिस्तान वासियों का यहाँ काफी व्यापार है और उनकी यहाँ धनुत सी पूँजी लगी हुई है। इस नाते से उनको हिस्से देना आवश्यक है, लेकिन उनके लिये हिस्सों की एक सख्त निश्चित होनी चाहिये थी, जो कुल मूलधन के १५ प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिये थी। इसके अलावा सेटल बोर्ड व स्थानीय बोर्डों में भारतीय डाइरेक्टरों का बहुमत रहने के लिये भी कोई विधान नहीं है। भारत के हितों की पूर्ण रक्षार्थ इस बात की अन्यतम आवश्यकता थी कि पक गवर्नर और दो डिप्टी गवर्नर्स की तीन जगहों में से कम से कम दो जगह अवश्य भारतीयों के लिये सुरक्षित रखी जाती और किसी भी अवस्था में सेटल बोर्ड के समस्त डाइरेक्टरों में, (गवर्नर और डिप्टी गवर्नरों को

शामिल करते हुए) विदेशी डाइरेक्टर तीन से अधिक न होने का नियम होता ।

(२) कृषि-प्रतिनिधित्व—कृषि को उत्तम रूप से आर्थिक सहायता पहुँचाने के लिये कृषि-उधार-विभाग पृथक् रूप से स्थापित किया गया है । कृषि के प्रतिनिधि लेने के लिये सेण्ट्रल बोर्ड स्थानीय बोर्डों के डाइरेक्टरों के चुनाव के बक् विशेष तौर पर ध्यान रखेगा; किन्तु यह पर्याप्त नहीं है । भारत कृषि-प्रधान देश है, यहाँ कृषि की उन्नति पर ही देश की उन्नति निर्मर है; इसलिये इसके हितों की रक्तार्थ पैरवी करने के लिये सेण्ट्रल बोर्ड में कम से कम दो प्रतिनिधि प्रान्तीय कोआ-परेटिव वैकॉ-द्वारा चुने हुए लिये जाने चाहिये थे ।

(३) प्रबन्ध—रिजर्व बैंक की स्थापना का प्रधान उद्देश्य यह है कि करेंसी और क्रेडिट का धन्धा सरकारी अधिकारियों के हाथों से निकालकर वैकिंग के अनुभवी और देश-विदेश के बाज़ारों की गति से सुपरिचित व्यक्तियों को सौंपा जाय; इसलिये इस बैंक के गवर्नर वे ही व्यक्ति होने चाहिये, जिनको व्यापारिक और वैकिंग संसार का पूर्ण अनुभव हो, न कि केवल सरकारी अफ़सरी का; अतः ऐसा नियम होना चाहिये था कि कोई भी भारतीय या अंग्रेज़ी सिविल सरविस का मेम्बर, बैंक के गवर्नर के पद पर नियुक्त होने योग्य नहीं समझा जावे ।

(४) रुपये का मूल्य—रिज़र्व बैंक के कर्तव्यों में रुपये का अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य स्थिर रखना भी एक कर्तव्य है। भारतीय व्यापार, उद्योग-धन्धों और कृषि की दृष्टि से रुपये का क्या मूल्य उपयुक्त हो सकता है, इसका निषंय रिज़र्व बैंक के अनुभवी और इस विषय के पंडित गवर्नर्स ही भली प्रकार कर सकते थे; इसलिये इसको रिज़र्व बैंक के सेलट्रल बोर्ड पर ही छोड़ना चाहिये था, लेकिन भारत सरकार ने इसके विपरीत अपनी पुरानी ज़िद के अनुसार विल में रुपये का मूल्य १ शिं० ६ पै० निश्चित कर दिया और इसको परिवर्तन करने पर विल को बापिस्त लेने और नवीन सुधार न देने की धमकी से पास करा लिया। इस दर का भारत में सन् १९२७ ई० से बड़े ज़ोरों के साथ विरोध हो रहा है। यह दर भारत के व्यापार, उद्योग-धन्धों और कृषि के लिये बड़ी घातक सिद्ध हो चुकी है। इसी दर की बदौलत भारत की अपार स्वर्ण-राशि विदेशों को बहती चली जा रही है। दुःख है कि इतनी अपरिमित हानि-कारक होते हुए भी भारत सरकार इसको क़ायम रखने का हठ कर रही है। यह ठीक है कि यह दर अस्थायी रूप से नियत की गई है, लेकिन भारत सरकार की मनोबृत्ति को देखते हुए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-स्थिति सुधरने पर भी इसमें परिवर्तन होने के लक्षण दिखाई नहीं देते। अस्तु,

अब रिज़र्व बैंक विल पास हो गया है, जो कुछ होना या सो हो गया “विंध गये सो माती है”; लेकिन सरकार और सर्वसाधारण

का यह कर्तव्य दोना चाहिये कि इस बैंक को मौजूदा नियमों के अनुसार अधिक से अधिक भारत के हितों की रक्षा का साधन बनाया जाय। यहले सेण्ट्रल बोर्ड का चुनाव सपरिपद गवर्नर जनरल के हाथों में है और बाद में भी लगभग आधे बोर्ड का चुनाव साहब मौसूफ के हाथ में रहेगा। आशा है सपरिपद गवर्नर जनरल कभी भा. आई० सो० एस० के मेम्बरों में से गवर्नरों का चुनाव करने की भूल नहीं करेंगे और इस विषय के जानकार लाएं को लेने की रूपा करेंगे। इसके अतिरिक्त भारतवासियों को भी चाहिये कि उनमें से प्रत्येक अपनी शक्ति के अनुसार इसके हिस्से ख़रीदने की कोशिश करें। जो पाँच हिस्से ले सकता हो, उन्हें अवश्य पाँच हिस्से ख़रीदकर इस राष्ट्रीय संस्था में देश के हितार्थ भत देने का अवसर प्राप्त करना चाहिये। बोर्ड आवू डाइरेक्टर्स से भी हमारा निवेदन है कि यह कम तादाद में हिस्से ख़रीदनेवालों का विशेष ध्यान रखने की रूपा करें ताकि इस संस्था के मेम्बरों को संख्या अधिक हो और यह सब्जे अर्थ में राष्ट्र की संस्था बना सके।

वारहवाँ अध्याय

सुधार के उपाय—कृषि-सहायक बैंक

एक चीती विद्वान् ने कहा है—“मनुष्य-समाज का जीवन एक वृत्त के समान है, कृषि उसकी जड़ है, उद्योग-धर्धे उसकी शाखायें और प्राण हैं। यदि जड़ को हानि पहुँची तो पत्ते भड़ जायेंगे, शाखायें टूटकर गिर पड़ेंगी और वृत्त मर जावेगा”। यह उदाहरण भारत के लिये पूर्ण रूप से लागू होता है। वास्तव में कृषि की हानि में हमारा धिनाश और उसकी उन्नति में हमारा मुख सन्निहित है। कृषि केवल उत्पादन बढ़ाकर धन कमाने की वस्तु नहीं है और न यह उद्योग-धर्धा तथा व्यवसाय ही है। यह राष्ट्र को जीवित रखने का साधन है। कृषकगण इस धर्धे के द्वारा राष्ट्र का हित कर रहे हैं; इसलिये कृषकों को कृषि की उन्नति के लिये, दूसरे शब्दों में संसार को जीवित रखने के लिये, हर प्रकार की सहायता देना परमावश्यक है।

इस धर्धे को कई प्रकार की सहायता की आवश्यकता है, उनमें आर्थिक सहायता भी एक प्रमुख स्थान रखती है। आर्थिक सहायता देने के लिये पेसी संस्थायें होनी चाहिये, जो स्वार्थ-रहित होकर सच्चे रूप में कृषकों के हित की दृष्टि से सहायता देने का कार्य वर्तें। साहकारों से इस प्रकार की

आशा नहीं की जा सकती। जवाइंट-स्टॉक बैंक भी सेवा-भाव से सहायता करने में असमर्थ हैं। इस समस्या को हल करने के हेतु विशेष प्रकार की संस्थायें होनी चाहिये। अमरीका, जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान आदि देशों में कृपि को सहायता देने के लिये अलग बैंक स्थापित हैं। इंग्लैण्ड ने भी इस ओर ध्यान देकर विशेष प्रकार की संस्थायें स्थापित की हैं, जिनका दिग्दर्शन कृपि ओर बैंक शीर्षक अध्याय में कराया जा चुका है। भारत में कृपि प्रमुख धंया है; इसलिये इसको आर्थिक सहायता देनेवाली उपयुक्त संस्थाओं को स्थापित करने की यहाँ गहरी आवश्यकता है।

कृपि को दो प्रकार की आर्थिक सहायता की आवश्यकता हैः—

(१) योड़ी अवधि के बास्ते।

(२) लम्बी अवधि के बास्ते।

पहली प्रकार की सहायता—बीज और खाद खरीदने, जुताई, दकाई और कटाई की मजदूरी चुकाने, दूसरे घरेलू खर्च चलाने तथा मालगुजारी चुकाने के लिये चाही जाती है। यदि सब खर्च उपस्थित फूसल से सम्बन्ध रखते हैं; इसलिये इन खर्चों के लिये ली हुई रकमें फूसल पक्ते ही बाज़ार में बेचकर चुकार जा सकती है।

दूसरी प्रकार की सहायता—भूमि में स्थायी उन्नति करने, पैदावार को बढ़ाने के लिये बहुमूल्य मशीनें खरीदने, नई भूमि खरीदने और पुराना कड़ा चुकाने के बास्ते माँगो जाती

है। इन कामों में आरम्भ में इतना स्थिता लग जाता है कि जो एक या दो साल की फ़सलों से नहीं चुकाया जा सकता, इसलिये दोनों प्रकार की उधार को वापसी की अवधि में गहरा श्रंतर है; अतः दोनों के लिये भिन्न-भिन्न प्रकार की संस्थायें स्थापित होनी चाहिये।

थोड़ी अवधि के लिये

कृषि को सहायता देने के लिये किस प्रकार को संस्थायें होनी चाहिये ? इस पर विचार करने के लिये देश और विदेश में कई कमीशन और कमेटियाँ बैठी हैं। उन सबने एक स्थर से सहकारी समितियाँ को स्थापित करने की सिफारिश की है :—

“सहकारी समितियाँ कृषि-उद्योग को आवश्यक आर्थिक सहायता देने के लिये एक मात्र उपयुक्त साधन हैं।”

“अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सम्मेलन”

“कृषि को ठोक प्रकार से आर्थिक सहायता पहुँचाने का संतोषजनक मार्ग सहकारी समितियाँ हैं।”

“भारतीय कृषि रोयल कमीशन”*

“भिन्न-भिन्न धेणियों के लोगों ने हमारे सामने गयाहियों पर गयाहियाँ देते हुए यह मत प्रकट किया है कि ग्रामीण अर्थ (Rural Finance) की समस्या को हल करने के लिये संतोष-प्रद साधन केवल सहकारी समितियाँ हैं और लगभग सब इस

* Its report, page 436.

वात को मानते हैं कि चाहे दूसरे साधन व्यावहारिक साबित हों, लेकिन वे सफल प्रमाणित नहीं हो सकते, इसलिये हम सिफारिश करते हैं ओर यह हमारी प्रधान मिफारिश है कि जहाँ तक हो सके, निकन समय में प्रत्येक उपयुक्त और इच्छुक ग्राम में सहकारी समिति स्थापित करने का भरसक प्रयत्न करना चाहिये ।

“पजाव प्रातीय बैंकिंग इ क्वायरी कमेटी”^{*}

सहकारी समितियाँ और साहूकारों में अन्तर— साहूकार, व्यापारिक सिद्धातानुसार अपने लाभ के अतिरिक्त दूसरी वात नहीं सोचता, लेकिन सुखगठित सहकारी समिति अपने सदस्य का समान रूप से लाभ चाहती है । साहूकार जहाँ तक रूपया सुरक्षित रहता है, वहाँ तक वह आवश्यक और अनावश्यक सभी कामों के लिये विना किसी साच विचार के उधार दे देता है, वह न कबल वापस जलदी वसूल करन की चिन्ता करता है, बल्कि उत्तरोत्तर उधार तन के लिये दृथक को उकसाता रहता है । सहकारी समिति काम की उपयुक्तता, आवश्यकता और आय व्यय की तुलना करक रूपया उधार देती है । अपव्यय करन और कमाई की गुआइशा के बाहर उधार लेन से मेम्बरों का रोकती है । इसके अतिरिक्त समय पर चुकान के लिये भी दृथक का विवश करती है । इसका मृण पर कबल नियन्त्रण ही नहीं हाता, बल्कि यह उधार देन के साथ साथ उपयोग

* Its report para 136

एर भी निगरानी रखती है। साहूकार सूद इतना अधिक लेता है कि रकम २-३ वर्ष ही में दूनी हो जाती है, लेकिन सहकारी-समितियाँ बहुत वाजिव सूद लेती हैं। सारांश यह है कि साहूकार व्यक्त का सदेव मृण-ग्रस्त देखने में प्रसन्न होता है और सहकारी समिति उसका मृण मुक देखकर प्रसन्न होती है। अस्तु, आत्मीयता और परकीयता अथवा स्वार्थ और परार्थ में ज़ितना अतर होता है, उतना साहूकार और सहकारी-समिति में होता है।

सहकारी-समिति और ज्वाइंट स्टॉक बैंक में अतर— ज्वाइंट स्टॉक बैंक भी वही काम करता है, जो सहकारी-समिति करती है, लेकिन दोनों की प्रणाली और भावों में गहरी भिन्नता है। पहली सम्पत्ति लाभ का अपन सदस्यों (हिस्सदारों) में विभक्त करती है, दूसरी अपने सदस्यों की वचत में जमा करक उनक रक्षित काप को बढ़ाती है। पहली सम्पत्ति पूँजी का सघ है, दूसरी मनुष्य का सघ (union) है। सहकारी-समितियाँ पूँजी का उपयाग करती हैं, ताकिन वह उस पर निश्चित दर से व्याज देती हैं। पहली प्रणाली में पूँजी के आधीन मनुष्य होते हैं, दूसरी में मनुष्य के आधीन पूँजी हातो है, इसलिये पहली प्रणाली धन सत्तात्मक है, दूसरी सहयाग पूर्ण। पहली प्रणाली में शासनाधिकार का आवार हिस्सों की सख्ता है, इसलिये वहाँ एक हिस्से पीछे एक मत है। दूसरी का आधार समानता है, इसलिये वहाँ एक सदस्य को केवल एक ही मत

देने का अधिकार है, चाहे वह एक से अधिक कितने ही हिस्सों का मालिक हो। सबसे बड़ा अन्तर यह है कि उवाइंट-स्टॉक कम्पनी सफलता प्राप्त करने में अपने ही समाज दूसरी संस्थाओं से प्रतिस्पर्धा रखती है, लेकिन सहकारी समितियाँ सहयोग रखती हैं और समाज द्वित का ध्यान रखती हैं। इनमें व्यक्तिगत स्वार्थ (Individualism) नहीं होता है। सहकारी समितियाँ का प्रधान उद्देश्य है—उस संस्था में शामिल होनेवाले व्यक्तियों के दिल और दिमाग के विरोधी विचारों का परिवर्तन करके उनके स्थान पर पारस्परिक प्रेम, सहायता, सहानुभूति और सेवा के भाव संचार करना। इसमें प्रत्येक व्यक्ति सबके लिये और सब प्रत्येक व्यक्ति के लिये शामिल होते हैं।

भारत और सहकारी—भारत में सहकारी का प्रचार तीस वर्ष से है। इस देश की आवश्यकता को देखते हुए, इसका प्रचार बहुत ही कम हुआ है तब भी इसके प्रचार से आमीण जनता को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक लाभ बहुत कुछ अंश में पहुँचे हैं :—

आर्थिक लाभ—सहकारी-समितियों के द्वारा कृषकों को बहुत बड़ी रकम वाजिब सूद पर उधार मिल सकी है और आमीण-साख़-प्रणाली का सगठन उत्तमता के साथ जम गया है। इसने निर्धन कृषकों की उस ऊँचे व्याज की दर के बोझ से रका की है, जिसको वे जीवन भर बेवसी के साथ सहते रहते थे। इन समितियों से सहकारिता के ज्ञान में बहुत बृद्धि हुई है।

मितव्ययिता और बचाकर जमा करने की आदत को उत्तेजना मिली है। धन का सदुपयोग करने की शिक्षा और प्रारम्भिक घैंकिंग विद्या का प्रचार हुआ है। जहाँ पर सहकारी संगठन की जड़ पूरे तौर पर जम गई है, वहाँ पर साहूकारों के ऊँचे व्याज की दर बहुत कम हो गई है। फल-स्वरूप पूँजीपतियों का चक्कर ढोला पड़ गया है और ग्रामीण जनता के जीवन में भारी परिवर्तन हो आया है।

सामाजिक लाभ—सहकारी-समिति ने ग्रामीण जनता को जातीय और धार्मिक भेद-भाव भुलाकर आपस में मिलकर अपनी भलाई-नुराई सोचने और एक दूसरे की सहायता करने का पवित्र पाठ पढ़ाया है, जिसके कारण आज समितियों की बैठकों में लोग बिना किसी ऊँच-नीच के भेद-भाव के प्रेम-पूर्वक एक साथ बैठते-उठते हैं और सलाह-मशविरा करते रहते हैं।

राजनीतिक लाभ—सहकारी-समितियों ने राजनीतिक दोनों भी भारी सेधायें की हैं, जो हाजाँकि प्रत्यक्ष में नहीं आई हैं, परन्तु किसी स्थिता से कम नहीं हुई हैं, ग्राम की सहकारी समिति एक बड़ा शिक्षक है, जिसने सदियों से नौद में सोये हुए कृषक-समुदाय को मत का प्रयोग करना, सुसंगठित रूप से काम करना, अपने पैरों खड़े होना, स्वयं पर विश्वास करना, आपस के झगड़े आपस में निवाटाना और निर्वाचन-प्रथा आदि उन्नतिशील देशों की मार्गरिक शिक्षा-सम्बन्धी अनेक बात सिखाई हैं और ग्रामीण जनता को जाग्रत करने में गहरा हाथ

वँटाया है। जब राजनीतिक संगठन का अभाव था, उस समय समितियों ने राजनीतिक और नागरिक शिक्षा देने के सम्बन्ध में बड़े-बड़े विद्यालयों का काम किया है।

यह सब कुछ होते हुए भी इस प्रणाली में अनेक दोष ऐसे आ गुस्से हैं, जिनके कारण इसकी उपयोगिता के प्रति लोगों का विश्वास शनैःशनैः कम होता जा रहा है। बहुत से लोग उन दोषों के आधार पर विना किसी सोच-विचार के सहस्रा कह उठते हैं कि सहकारिता असफल हो गई और इससे कृषकों की उन्नति की आशा करना निरर्थक है। ऐसे लोग ग़लती पर हैं, जिस दिन सहकारिता असफल हो जावेगी, उस दिन कृषि रोयल कमीशन के शब्दों में भारतीय कृषकों की उन्नति की आशा भी अवशेष नहीं रहेगी। (If Co-operation fails there will fail the best hope of rural Indian) *

सहकारिता के असफल होने की सबसे अधिक गूँज संयुक्त प्रान्त से आती है, वहाँ इसका प्रचार भी कम हुआ है, वहाँ की प्रान्तीय वैकिंग इंक्वारी कमेटी ने इस सम्बन्ध में अपना मत देते हुए अपनी रिपोर्ट के पैरा १४१ के अन्त में लिखा है “In short, co-operation has not only been unsuccessful but to some extent even positively injurious.” अर्थात् सारांश यह है कि सहकारिता न केवल असफल हुई है, अद्वितीय किसी तक हानिशक्त भी सिद्ध हुई है। ऐसा मत रखते

* Its report, para 374.

हुए भी इस कमेटी ने गहरे विचार के बाद दूसरे ही पैरा नं० १४२ के अन्त में यह स्पीकर किया है, “ We believe that any improvement in that (Rural credit) system depends mainly on more or better co-operation ” अर्थात्—हमारा विश्वास है कि ग्रामीण साख़ प्रणाली की उन्नति मुख्यतया विस्तृत और उत्तम सहकारिता के ऊपर ही निर्भर है।

इसके अलावा सेण्ट्रल बैंकिंग-इंक्वाइरी कमेटी को परामर्श देने के लिये भारत सरकार ने विदेशों से तीन प्रमुख विशेषज्ञ यहाँ बुलाये थे। उन्होंने इस सम्बन्ध में अपना मत देते हुए लिखा है :—*

The co-operative movement in spite of imperfections and of unavoidable set backs deserves every possible assistance from all quarters, because there is no better instrument for raising the level of the agriculturists of this country (India) than the co-operative effort ”

अर्थात्—सहकारिता बहुत से दोषों और दूर न हो सकने योग्य त्रुटियों के हांते हुए भी चारों ओर से प्रत्येक उचित सहायता पाने की अधिकारिणी है; क्योंकि इस देश में कृषकों

*Their memorandum on Commercial Banking, attached with Central Banking Enquiry Committee's report, Page No 628

की दशा सुधारने के लिये सहकारिता के अतिरिक्त दूसरा कोई उत्तम साधन नहीं है।

जब समस्त प्रामाणिक व्यक्ति बहुत गहरे विचार और पूर्ण अनुसंधान के पश्चात् कृपि की सहायता के लिये एक मात्र उपाय सहकारी समितियाँ ही बतलाते हैं तो बिना सोच-विचार और निराधार बातों पर इसके विरुद्ध कहनेवालों की बातें कोई मूल्य नहीं रखतीं : अस्तु,

भारतवर्ष में सहकारी-समितियाँ (ग्राम्य वैक) के बेग-पूर्ण प्रचार की गहरी आवश्यकता है। भारत सरकार ने इसके लिये जैसा चाहिये, वैसा उद्योग नहीं किया है, लेकिन अब सरकार को इसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिये। व्यापारिक हास और वस्तुओं के भावों के असाधारण रूप से घट जाने के कारण कृपकों की स्थिति उत्तरोत्तर धुरी से धुरी होती जा रही है। यदि कुछ असें नक और ज्ञान नहीं दिया गया तो इनकी हालत लाइलाज़ हो जायगी और उसके फल-स्वरूप सरकार को भी भारी आपिक सङ्कट का सामना करना पड़ेगा; इसलिये प्रत्येक ग्राम्य सरकार को यथासम्भव शीघ्र प्रत्येक उपयुक्त गाँव में सहकारी-समिति स्थापित करने के उद्देश्य से निश्चित और पूर्ण स्कीम स्वीकार करनी चाहिये।

२० साला स्कीम—सहकारिता-विस्तार-स्कीम अधिक से अधिक २० साला होना चाहिये। इसकी पूर्ति के लिये प्रत्येक प्रांत में सहकारिता के लिये सत्याग्रह, उपयुक्त और इच्छुक ग्रामों

को एक नामावली तय्यार कराई जावे और उसके अनुसार ५ प्रतिशत ग्रामों में प्रति वर्ष^१ सहकारी समितियाँ बढ़ाते रहने से २० वर्ष^१ के भीतर-भीतर प्रांत भर में सहकारिता का विस्तार किया जा सकता है। यह बात असम्भव नहीं है। इस प्रश्न पर पंजाब प्रांतीय बैंकिंग-इंक्वाइरी कमेटी ने बहुत विचार किया है और उसने अपने प्रांत में पिछले पाँच वर्षों की प्रगति को देखते हुए लिखा है कि “यदि सरकार सहायता करे तो एक हजार ग्रामों में प्रति वर्ष^१ नई समितियाँ खोलते हुए पन्द्रह वर्ष^१ के अन्दर समस्त प्रांत के प्रत्येक पात्र ग्राम में सहकारी समितियाँ स्थापित की जा सकती हैं”।* जब पंजाब प्रांत में ऐसा हा सकता है तो कोई कारण नहीं कि दूसरे प्रांतों और देशी रियासतों में ऐसा न हो सके। सब जगह सब कुछ हो सकता है, केवल आवश्यकता है सरकारी लगान की।

पिछला अनुभव—पिछली असफलता से बहुत महँगा अनुभव हुआ है; इसलिये सरकार, सहकारी-विभाग के कर्मचारी और अन्य सहयोगियों को चाहिये कि सहकारिता के भावी प्रचार में पिछली बुराइयों को न आने दें। इसके लिये नीचे लिखी साधानियाँ रखनी चाहिये :—

(१) **रजिस्ट्रार—सहकारिता की उन्नति रजिस्ट्रार की योग्यता, जमता और कार्य करने की लगान पर निर्भर है।** रजिस्ट्रार सहकारिता की बुनियाद है; इसलिये सरकार इस

* Its report, para 162.

पद पर ऐसे योग्य व्यक्तियों को नियुक्त किया करे, जिनमें सहकारिता व ज्ञान के साथ साथ वैकिंग और व्यापार का भी गहरा अनुभव हो और ग्राम की आर्थिक अवस्था तथा लोगों के रीति रिवाज व आदतों का ज्ञान हो।

(२) न्यून्य कर्मचारी—लगभग सभी प्रातीय वैकिंग इक्वाइरी कमेटियों ने सहकारिता की असफलता का एक खास कारण यह बतलाया है कि सहकारी का अमला स्वयं सहकारिता के निष्ठान्त, नियम और उसक आदर्श उद्देश्यों से अपरिचित है, इसलिये वह समितियों के मेम्बर्स को इनका समुचित ज्ञान नहीं करा सका, अतएव रजिस्ट्रार के आधीन कर्मचारी भी सहकारिता के कानून और सिद्धान्तों से भली प्रकार परिचित होने चाहिये। इन कर्मचारियों का उन लोगों में से चुना जाना ज्यादा ठीक होगा, जिनको ग्राम सुधार की लगन है और जो देश-सेवा के इच्छुक हों। कर्मचारियों के ज्ञान को सदा नवीन रखने के लिये उन्हें सहकारी विभाग की आर स आवश्यक साहित्य देत रहना चाहिये और वर्ष में एक बार १५ दिन या १ माह के लिये व्याख्यानों का ऐसा प्रबन्ध करना चाहिये, जिससे वे नवीन वातें मालूम कर सकें।

(३) ग्राम—जिस ग्राम में समिति खोलने की आवश्यकता हो, पहल वहाँ के लोगों का चाल-चलन और व्यवहार दखना चाहिये। यदि उसमें वहुमत भल अद्वियों का हो तो उसका सहकारी समिति की स्थापना के लिये चुनना चाहिये अन्यथा नहीं।

(४) मेम्बर—प्रारम्भ में मेम्बरों का चुनाव करते समय पात्र-कुपात्र का ध्यान नहीं रखा गया, इसकी बजह से बहुत से खराब मेम्बर आ गये, जिनमें बहुत सा रुक्या उलझ गया; अतः भविष्य में नवीन मेम्बर बहुत देख-भाल करके अच्छे, भले और साफ लेन देन करनेवाले लिये जावें।

(५) (अ) उधार—सोसाइटी को अधिक से अधिक उधार लेने की सीमा एक नियमित सिद्धान्त से निश्चित करना चाहिये। यह सीमा समस्त मेम्बरों की पूँजी के $\frac{1}{2}$ भाग से अधिक नहीं होनी चाहिये।

(ब) व्यक्तिगत मेम्बरों को अधिक से अधिक उधार देने की सीमा उनकी कुल पूँजी के ५० प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिये।

उधार देते समय ऋण का उद्देश्य चुनाने की शक्ति और अन्य खास-खास बातें ध्यान में रखनी चाहिये।

(स) योड़ी अप्रधि के बास्ते बर्णित कार्यों के अतिरिक्त अनुपादक कामों और व्यर्थ के खर्च के बास्ते ऋण नहीं देना चाहिये। इसके अतिरिक्त उधार लेने की आवश्यकता की अच्छी तरह छान-चीन करनी चाहिये।

(द) मेम्बरों को आपस में एक दूसरे पर इस बात की निगरानी रखनी चाहिये कि लो हुई उधार लाभप्रद कार्यों में खर्च की जाती है या नहीं और साथ ही समय पर सभा का रुक्या चुकवाने की चिन्ता भी करनी चाहिये।

(इ) उधार की वापसी की क्रिश्टें मेम्बर के चुकाने की अधोचित शक्ति के अनुसार निश्चित करनी चाहिये। ऐसी क्रिश्टें तोन वर्ष से अधिक लम्बी नहीं होनी चाहिये। जब कभी किसी उचित कारणवश, जैसे—फ़सल विगड़ना आदि, अृणी अृण चुकाने में असमर्थ हो तो उसे उचित मोहलत देनी चाहिये। किसी प्रकार का अनुचित दबाव डालकर अृणी को दूसरी जगह से अृण लाने के लिये विवश नहीं करना चाहिये।

(फ) निरीक्षण—निरीक्षक (auditor) को सभाओं के हिसाबात की जाँच के साथ-साथ नीचे लिखी वार्ताओं की विशेष रूप से जाँच करके रिपोर्ट करनी चाहिये :—

(१) सभाओं के नक्शा हैसियत को, उनकी जनरल मीटिंग में और स्वतन्त्र रूप से अनम्बन्धित आदमियाँ से मालूम करके ठीक जाँच करना। इस सम्बन्ध में जाँच कुनिन्दा को तहरीर करनी चाहिये कि उसने किस आधार पर निर्णय किया है।

(२) जो अृण वादे पर अदा नहीं हुआ हो, उसकी सविगत रिपोर्ट लिखना और अपना मत लिखना कि वह कहाँ तक उचित और अनुचित है। साथ ही उसको यह भी प्रकट करना चाहिये कि उसकी वसूली की क्या कार्रवाई चल रही है।

(ज) ब्याज—ब्याज की दर हलकी होनी चाहिये। आज़ कल सूद अधिक मात्रा में लिया जाता है, जैसा कि निम्नलिखित कोष्ठक से मालूम होता है :—

ब्याज को दर*

प्रान्त	सहकारी समितियाँ		सेंट्रल बैंक	
	ऋण लेने की दर	ऋण देने की दर	कम से कम ऋण लेने की दर	ज्यादा से ज्यादा ऋण देने की दर
मद्रास	७½	८	४ ले ७	८
बम्बई	६।)	८	६।) से ७।)	२५ से ४३
बङ्गाल	१०॥)	१५।)	२।) से ८।)	३।) से १२।)
विहार श्रौर				
उडीसा	१२॥)	१५२	४।) से ८।)	७।) से १२॥)
संयुक्त प्रदेश	१२।)	१५।)	५।) से ७।)	१२।)
पंजाब	८।) से ६।)	१२॥)	२।) से ६॥।) ६॥) से ६।)	
ब्रह्मा	१०।)	१५।)	८।) से १०।)	१०।) से १२।)
मध्य प्रदेश	१०।) से १२।)	१२।)	४।) से ७।)	७।) से १२।)
आसाम	१०॥)	१८।) से १५॥।)	६।) से ८।)	१०॥।) से १२।)

उक्त कोष्ठक से मालूम होता है कि अधिकांश प्रान्तों की सहकारी-समितियाँ अपने सदस्यों से १५ प्रतिशत वार्षिक तक ब्याज लेती हैं। सिर्फ़ बम्बई और मद्रास प्रान्त ऐसे हैं, जहाँ ४३ प्रतिशत वार्षिक ब्याज लिया जाता है। यह ठीक है कि यह दर भी साहूकारों की अपेक्षा कम है; किन्तु किसानों की आर्थिक

दशा सुधारने के उद्देश्य से काम करनेवाली संस्थाओं के लिये ये दरें बहुत अधिक हैं, जब कि बैड़ रेट ३ प्रतिशत है। धीरे वीजैसियाँ को अधिक लाभ प्राप्त करने की नीयत से इतना व्याज लेना उचित नहीं है; अतः इन सहकारी बैड़ों को अपने खर्चों कम करने चाहिये। हिस्सेदारों को अधिक लाभ बांटने की कोशिश नहीं होना चाहिये। इस सम्बन्ध में व्यक्तिगत (individual) हिस्सेदारों की स्वार्थपरता को रोकने के लिये ऐसा कानूनी नियम होना चाहिये, जिससे कोई भी सहकारी धैर के द्वारा प्रतिशत से अधिक लाभ अपने हिस्सेदारों में विभाजित न कर सके। इसके अतिरिक्त सहकारी समितियाँ को भी अपने मैम्बरों से धैर प्रतिशत से अधिक व्याज छरगिज भी बस्तूल दरने की आज्ञा नहीं करनी चाहिये। यदि सभायें इससे अधिक बस्तूल करें तो स्थानीय सरकारों को जाँच करके उसको कम करना चाहिये। इसके लिये अवैतनिक कार्यकर्त्ताओं को सरकार का भ्यान आकर्षित करते रहना चाहिये।

सरकारी अफ़सरों का सहयोग—सहकारी समितियाँ आर्थिक सहायता पहुँचाने के अतिरिक्त दूसरी सामाजिक और शिक्षा-सम्बन्धी उन्नति में भी बहुत भाग लेती है। ये ग्रामों की हर प्रकार से उन्नति करने के लिये सुखंगठित साधन हैं। सरकार जो ग्रामीण जनता को आर्थिक उन्नति के कार्यों से गहरी दिलचस्पी रहती है, इसलिये उसके तमाम महरूमे जात के अफ़सरान् का कर्तव्य है कि सहकारिता के प्रचार और कार्यों में हर समय

और हर प्रकार से प्रत्येक उचित सहायता देते रहे। इनके सहयोग, सहानुभूति और उत्साह का ग्रामीण जनता पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। बिना इनके, खास कर जिला अफसरों के सहयोग न इसके प्रचार में यथोचित सफलता नहीं हो सकती। जहाँ कहीं दूसरे जिला अफसरों और सहकारी विभाग के अफसरों न बोच म निजी या सरकारी तौर पर किसी भी बात पर मनमुदाव हाता है, वहाँ सहकारिता के प्रचार में बड़ी बाधा पहुँचती है। इसमें अफसरों में से किसी का कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन ग्रामोन्नति के कार्य में रुकावट आती है और कृषकों को भारी बढ़ों का सामना करना पड़ता है; अतएव कृषि रोयल कमीशन के शब्दों में “हम यह बहुत आवश्यक समझते हैं कि स्थानीय सरकारें अपने तमाम महकमे जात के अधिकारियों पर जोर डालें कि वे सहकारिता के प्रत्येक कार्य में व्यावहारिक रूप से और पूर्ण दिलचस्पी के साथ भाग लें”।*

सार्वजनिक सेवकों का सहयोग—जो लोग देश सेवा करने के लिये उत्सुक हैं, उनको चाहिये कि वे सहकारी विभाग के सहयोग से सहकारिता के प्रचार में सहायक वनें। भारत, ग्रामों में यमा हुआ है, इसलिये देश सेवा का सर्वोत्तम स्वरूप ग्राम-सेवा है। ग्रामीण जनों में विद्या का अभाव है, इसलिये उनकी धुँदि का विकास नहीं हुआ है। ये भोल हैं और अन्धकार में सोये हुए हैं। महकारी समितियाँ उन्हें उठाकर प्रकाश में लाने का

* Its report, para 380

प्रथल कर रही हैं, इनके द्वारा ग्रामीण जनों का संगठन बना-बनाया मिलता है, सेवा के सब प्रकार के साधन उपलब्ध होते हैं, लेकिन इनमें विशुद्ध सेवा-भाव का अभाव है; इसलिये इनको पूरी सफलता नहीं मिल रही है। यह सारा धन्धा राजकर्मचारियों के आधीन है, जिनमें न सेवा-भाव है, न सुधार को लगान, केवल राजसत्ता का अहंकार है, इसलिये प्रत्येक कार्य दूसरे विभागों के समान राज-काज की तरह होता है। यदि देश के सच्चे सेवक, चालू राजनीति से दूर रहकर ग्राम-सेवा के इस ठोस, शान्त और अपर्याप्ति-रहित कार्य में लग पड़ें तो सहकारिता की दूर भागती हुई सफलता जल्दी-जल्दी समीप आ सकती है। सहकारी और विभाग के कर्मचारी सच्चे और शान्त सेवकों की सेवाओं का बड़ी प्रसन्नता से स्वागत करते हैं और करेंगे। मद्रास, बम्बई, पंजाब आदि प्रान्तों में अवैतनिक कार्यकर्ताओं ने अपने-अपने संघ बना रखे हैं, जो प्रान्तीय-सहकारी संघ या इसके तद्रूप नामों से प्रसिद्ध हैं। सहकारी-विभाग उनसे पूरा-पूरा सहयोग रखता है। ऐसे सेवा-संघ धनुत थोड़े हैं। इनकी अधिक आवश्यकता है। देश के कष्ट-रहित सेवा करनेवाले नवयुवकों को चाहिये कि इस और ध्यान दें और देश की सच्ची सेवा का पुण्य करावें।

यदि सरकार, उसके कर्मचारी, सहकारी विभाग और सार्व-जनिक कार्यकर्ता, चारों मिलकर लगान से सहकारिता के प्रबार में झुट पड़ें तो इसकी सफलता निश्चित है। इनमें से एक

का भी सहयोग ग्राम न होने पर इसकी सफलता में बाधा उपस्थित होना सम्भव है।

समय पर अदायगी न होने का प्रश्न—सहकारिता की असफलता का प्रमुख कारण यह बतलाया जाता है कि सभाओं के सदस्यों पर ऋण प्रतिदिन बढ़ता जाता है और रुपया ठीक समय पर जमा नहीं होता, यह सत्य है। सन् १९२८-२९ ई० में समस्त अदा होने-योग्य ऋण की २१३ प्रतिशत रकम चाकी रही थी, सन् १९२९-३० ई० में यह रकम और बढ़कर २४८ प्रतिशत हो गई। यह दोष सहकारी-समितियों के जन्म-काल से ही चल पड़ा है और अब इसने इतना भीषण रूप धारण कर लिया है कि सहकारिता की असफलता का सारा कलंक इसी के सिर मँडा जाता है, जैसा कि मेरुलोगन फ्रेटी ने लिखा है—

There is no defect more prominent or more dangerous in the management of cooperative societies in India than the exceeding laxity and unpunctuality in the repayment of loans.....unless loans are repaid punctuality, cooperation is both financially and educationally an illusion अर्थात्—भारत की सहकारी-समितियों के प्रबन्ध में, अदायगी में सुस्ती होने के अतिरिक्त, दूसरा कोई प्रमुख और भयकर दोष नहीं है। जब तक अदायगी ठीक समय पर भां० वै०—१७

न होगी तब तक सहकारिता, अर्थ और शिक्षा दोनों दृष्टि से इन्द्रजाल के समान बनी रहेगी। *

यह बात पंद्रह वर्ष पहले की है। इसने बाद जितने कमीशन और कमेटियों ने सहकारिता के प्रश्न पर चिचार किया, मब्बने इसकी भर्यकरता को स्वीकार करते नुए समय पर बल-पूर्वक बसूली करने के लिये सम्बन्धित अधिकारियों को जोरों के साथ चेतावनी दी है। सर के० एम० मेक्डोनल्ड (इमरियल बैंक के गवर्नर) ने तो यहाँ तक लिखा है कि जो मेम्बर समय पर रुपया अदा न करे, उससे मेम्बरी के लाभ द्वीन लिये जावें और जो सभा रुपया अदा न करे, उसको तोड़ दिया जावे। हमारी राय में सर मेक्डोनल्ड का कथन अव्यावहारिक है। यह उपाय उस समय सफल हो सकते हैं, जब कृषक देने में समर्थ हों और न देते हों। ऐसा कभी कभी होता है, लेकिन आम तौर पर नहीं होता। वास्तव में बात तो यह है कि कृषकों के पास इतना पैदा ही नहीं होता कि वह कृषि-सम्बन्धी सुर्च निकालकर अट्ठा चुकाने के लिये कुछ बचा सकें; क्योंकि शब्द कृषि का धन्या लाभ का नहीं, किन्तु घाटे का रह गया है।

कृषि घाटे का धन्या है—भारतवर्ष में कृषक-परिवार के पास बहुत अल्प भूमि (Small holdings) होती है। यह भी संघर्ष प्रकृति देवी की रुपा पर निर्भर है। कभी वर्षा होती है,

* Coop Movement in India, by Eleanor M. Hough, page 228

कभी नहीं होती और कभी आवश्यकता से अधिक हो जाती है तो कभी ओले पड़ जाते हैं। अगर इन्द्र भगवान् नहीं रुठते हैं तो कभी टिही दल, गेरिया आदि कृषि-शब्दों का दौर दौरा हो जाता है और फ़सल चौपट हो जाती है; इसलिये भारतवर्ष ऐसा अभागा देश है, जहाँ पैदावार का औसत सदसे कम है। इस सम्बन्ध में जयपुर-निवासी श्री हीरालाल जी शाखी, जो सच्चे ग्राम सेवक हैं, अपना स्वयं का अनुभव वर्णन करते हुए लिखते हैं, “भारतवर्ष में खेती लाभदायक व्यवसाय नहीं रहा है। यह सुनी हुई बात थी, जिसका प्रत्यक्ष अनुभव हो गया, दानों साल की खेती में ६०J-७०J का नुकसान रहेगा और कृषि विभाग में सहायक कार्यकर्त्ताओं का घेतन २००J के लगभग अलग। हमारा कृषि विषयक अनुभव चित्त को भयभीत करनेवाला है, खेती का व्यवसाय इतना निराधार हो गया है कि किसान ही की हिम्मत है कि वह इसे लिये बैठा है, अथवा दूसरा उपाय नहीं है, इसलिये लिये पड़ा होगा।”*

सेएल वैंकिंग इंज्वाइटी नेटोर्ने एक कृपक की आमदनी का औसत सन् १९२८ ई० के मूल्याधार (Price level) पर ४२J लगाया है। इसके बाद कृष्युत्पादक वस्तुओं का मूल्य ५० प्रति-शत के लगभग गिर गया है, इसलिये आजकल एक कृपक की आमदनी २१J होती है। युर्च का हिसाब लगाते हुए

* डीपन कुटीर यनस्थली P. O. Niwai (Jaipur) का प्रथम कार्य-विवरण, पृष्ठ ८।

मि० के० टी० शाह ने अपनी पुस्तक (Sixty years of Indian finance) में लिखा है कि भारत में एक कँदी की खुराक का खर्च, जो यहुत सूलके दर्जे की शरीर और आत्मा को क्रायम रखने के लिये दी जाती है, ६०० होता है। यह औसत १० वर्ष पहले का है। इस समय इस खर्च का आधा भी गिना जावे तो ४५० प्रति मनुष्य पीछे केवल खाने में खर्च होता है, कपड़ा-लत्ता, बीड़ी-तम्बाकू और छुतरी, जूता इसमें शामिल नहीं है, याह और ग़मी के खर्च भी इससे अलग होते हैं। इस हालत को देखकर पाठक स्वयं सोच सकते हैं कि जब आमदनी से खर्च तिगुमा और चौगुना हो और जिसको किसी भी तरह से कम नहीं किया जा सकता हो, उग्रण का उत्तरोत्तर बढ़ता कौनसी आश्चर्य की बात है और इसमें कृपकों का घ्या दोष है।

ऋण का भारी बोझ—घाटे का व्यवसाय करते-करते कृपकों पर न केवल सहकारी समितियों का ऋण बढ़ा है, बल्कि दूसरे तरीकों से भी यहुत ऋण हो गया है और उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है। इसकी अधिक वृद्धि अंगरेजी साम्राज्य स्थापित होने के बाद और विशेष कर पिछली अर्धशताब्दी के अन्दर हुई है। सेण्टल वैकिंग इंक्वाइरी कमेटी सन् १९३० ई० ने भारत के समस्त किसानों के ऋण का औसत ६०० करोड़ रुपया लगाया है। श्री० जमना-शास पम० मेहता ने २८ अक्टूबर, सन् १९३३ ई० में होनेवाले डेमोक्रेटिक स्वराज्य पार्टी के अधिवेशन के स्वागताभ्यंतर के एद से भाषण देते हुए, कृपकों के कुल ऋण का शुमार

१२०० फरोड़ रुपया लगाया है। इसका व्याज १२ प्रतिशत वार्षिक के हिताय से १४४ करोड़ के लगभग होता है। समस्त भारत की मालगुजारी की आमदनी का वार्षिक औसत लगभग ३५ फरोड़ रुपया है अर्थात् कृपकों पर व्याज का योग मालगुजारी के बोझ से चौगुना है। ऐसी अवस्था में सहकारी-समितियों का बड़ा हुआ ग्रृण एक दम घसूल नहीं हो सकता। इस प्रश्न पर दिल्ली कोआप-रेटिंग फानफ्रून्स सन् १९३४ ई० ने बहुत विचार किया है और उसने सिफारिश की है कि मौजूदा छोटी अवधि के ग्रृण को लम्बी अवधि के ग्रृण में परिवर्तन कर दिया जावे और वार्षिक क्रियतों से घसूल किया जाय। इसके साथ-साथ उक्त कानफ्रून्स ने यह भी प्रस्ताव किया है कि सहकारी वैंक और समितियों को इस ग्रृण पर अपने व्याज की वर्तमान दर भी कम करनी चाहिये। वास्तव में वर्तमान यहे हुए ग्रृण की आसानी से घसूली का इसके सियाय और कोई दूसरा उपाय भी नहीं है; लेकिन ऐसा करने से सहकारी वैंकों की समितियों में लगी हुई रकम का बहुत बड़ा भाग अटक जावेगा और व्याज कम करने से इनको गहरी हानि होगी; इसलिये इसकी पूर्ति के वास्ते प्रान्तीय सरकारों को सहकारी वैंकों की, कम सूद पर रुपया उधार देकर, सहायता करनी चाहिये।

बड़ी कठिन समस्या—एक और तो कृषि का धन्धा घाटे का है, दूसरो और कृपकों पर भारी ग्रृण है। इससे कृपकों की दशा अति शोचनीय हो गई है। इस सम्बन्ध में कृषि रोयल-कमीशन

और भारतीय सेंट्रल तथा प्रान्तीय बैंकिङ्ग इंक्वाइरी कमेटियों का मत है कि यह जटिल समस्या केवल सुलभ और सस्ती उधार के साधन उपलब्ध होने से नहीं दुधर सकती, क्योंकि अंग्रेजी उधार घाटे के धन्धे को लाभ में परिवर्तन नहीं कर सकती, इसको हल करने के लिये पहले किसानों को ख़ुल्ला-मुक्त करना चाहिये, लेकिन स्थायी लाभ के लिये यह भी पर्याप्त नहीं है, जब तक कि इनकी आय बढ़ाने और ख़र्च घटाने के उपाय नहीं किये जायें।

आमदनी बढ़ाने के लिये इनकी भूमि के छोटे-छोटे टुकड़ों को मिलाकर एक करना, उपज बढ़ाने का उपाय करना, खेती के अतिरिक्त दूसरे एक दो सहायक धन्धे करना सिखाना और उनके लिये उपयुक्त साधन उपस्थित करना आदि प्रयत्न करने की आवश्यकता है। ख़र्च कम करने के लिये खेती के योग्य भूमि का उचित परिमाण हो, उसकी मालगुजारी की दर निश्चित करने के लिये उपयुक्त और ठोस प्रणाली निश्चित की जावे। सामाजिक अनावश्यक ख़र्चों करने के लिये उपदेश-द्वारा विचार परिवर्तन किये जावें और विशेष कर शिक्षा का प्रचार किया जावे, जिससे कृपक हानि-लाभ समझने और धोखेवाज़ लोगों से बचने में समर्थ हों।*

* कृपकों को अखण्ड-मुक्त करने और इनकी आय बढ़ाने तथा ख़र्च घटाने के उपाय लेखक ने “कृषि सुधार-योजना”, नामक छोटी पुस्तक (Pamphlet) में अलग बताये हैं।

तेरहवाँ अध्याय

सुधार के उपाय—भूमि-वन्धक वैंक

छपकों को लम्बी अवधि के लिये सहायता की भारी आवश्यकता है। इसके बिना छपक-नमुदाय की अर्थ-सम्बन्धी आवश्यकताएँ पूरी नहीं हो नकर्ता। भारत में लम्बी अवधि के लिये उधार देने के बास्ते साधन उपस्थित करने के लिये सरकार-द्वारा नियत की गई कई कमेटियों ने पूर्ण विचार किया है और उन सबकी सम्मति है कि कृषि को लम्बी अवधि के लिये उधार देने के बास्ते विशेष प्रकार की संस्थायें 'भूमिवन्धक वैंक' स्थापित होने चाहिये।

भारत के अनुकूल प्रणाली—भारत में इस समय कुछ प्रान्तों में सहकारी-भूमि-वन्धक वैंक स्थापित हैं; बिन्तु वे अभी बहुत छोटे पैमाने पर काम कर रहे हैं। सेठ वै० ई० कमेटी ने छोटे छपकों के लिये तो सहकारी-भूमि-वन्धक वैंक ही उपयुक्त बताये हैं और वडे-वडे जमांदारों के लिये ज्याइएट स्टॉक भूमि-वन्धक वैंक स्थापित करने की सलाह दी है।

जहाँ तक योड़ी अवधि की उधार का प्रश्न है, सहकारी सिद्धान्त बहुत ही उपयुक्त है, लेकिन लम्बी अवधि के लिये इस सिद्धान्त को अपनाने से यथोचित सफलता नहीं मिल सकती, यद्यि कभी-कभी यह दानिप्रद तिद दो सकता है,

क्योंकि सहकारी-समितियों का संगठन असीमित और पारस्परिक जिम्मेवारी के आधार पर होता है। लम्बी अवधि की उधार के लिये जिम्मेवारी लेना धातक है। भूमि-बन्धक वैकों के द्वारा इतने लम्बे समय के लिये उधार दी जावेगी, जो मनुष्य की औसत आयु से अधिक हो सकता है; इसलिये यह बहुत कठिन है कि लोग इतनी लम्बी अवधि के लिये सम्मिलित और पृथक् पृथक् जिम्मेवारी लेने को तैयार हो जावें। इस दिव्यकृत को देखते हुए भूमि-बन्धक वैकों का संगठन ज्वाइंट स्टॉक-प्रणाली पर होना ज्यादा उपयुक्त मालूम होता है। इसके लिये भारत के समस्त प्रान्तों में एक-एक प्रान्तीय भूमि-बन्धक वैक होना चाहिये, जो आवश्यकतानुसार उस प्रान्त में अपनी शास्त्रार्थी खोलकर या सहकारी-सेंट्रल वैकों के द्वारा उस प्रान्त के इच्छुक किसानों को लम्बी अवधि के लिये उधार देता रहे। उसका संगठन इस प्रकार होना चाहिये :—

प्रान्तीय भूमि-बन्धक वैकों का संगठन*

मूलधन—प्रत्येक प्रान्तीय वैक का मूलधन २५ लाख रुपया होना चाहिये, जो १००) प्रति हिस्से के हिसाब से २५ हज़ार हिस्सों में विभक्त किया जावे। ये हिस्से दो श्रेणियों—'अ' और 'ब' में विभक्त किये जावें :—

* यह स्वीम इण्डियन फ़ाइनेंस के बैंकिंग इंवेस्टमेंट अंक में प्रकाशित Land mortgage bank शीर्षक खेत से ली गई है।

(१) 'अ' थेणी के हिस्सों की रकम, २५) दखर्चास्त के साथ, २५) स्वीट्हन होने पर, शेष एक घण्टे के अंदर अन्दर दो किशतों में बसूल का जावे। इन थेणी के हिस्से जनता, वेंक और कोआपरेटिंग सासाइटीज आदि सबको दिये जाने चाहिये, इसके लिये इम्पीरियल वेंक, रिजर्व वेंक, बड़े बड़े ज्याइट स्टाक वेंक, जो उस प्रान्त में काम करते हों और प्रान्तीय कोआपरेटिंग वेंक आदि को अच्छी सख्त्या में हिस्से खरीदने के लिये उत्तेजित करना चाहिये। हिस्से बेचना प्रारम्भ करने की तारीख से दो महीने के अंदर अन्दर कुल हिस्से न बिँचें तो प्रान्तीय सरकारों को चाहिये कि वचे हुए हिस्से खरीद लें।

(२) 'अ' थेणी के हिस्सों के द्वारा सगृहोत पूँजी के अतिरिक्त धन वदान के लिये प्रत्येक उधार लेनेवाले के लिये यह अनियार्य हा कि यह उधार ली हुई रकम के ५ प्रतिशत के हिस्से खरीदे और ऐसी रकम उधार दी जानेवाली रकम में से बसूल की जावे। इस प्रकार के हिस्से 'व' थेणी के होंगे। इनसे धैङ्क का धन्या बढ़न के साथ-साथ मूलधन भी बढ़ता जायगा।

हिस्सेदारों का अधिकार—'अ' थेणी के हिस्सेदार धैङ्क के असली मालिक होंगे। उनको डाइरेक्टर चुनने, लाभ निश्चित बरन और दूसरे खास-खास मामलों में निर्णय बरने का अधिकार होगा, लेकिन उनका हिस्सों पर लाभ मिलने के अतिरिक्त दूसरा कोई कायदा नहीं मिलेगा। 'व' थेणी के हिस्सेदार जनरल-मीटिंग में शामिल हो सकेंगे और वादविवाद

मैं भाग ले सकूँगे, लेकिन उनको मत देने का अधिकार नहीं होगा, वे केवल परामर्श-समिति नियुक्त कर सकूँगे, जो बोर्ड को समय-समय पर उनके हितों की रक्षार्थ उचित बातें सुझाती रहेंगी।

बोर्ड का संगठन—बोर्ड के कुल १२ डाइरेक्टर होंगे, जो इन प्रकार चुने जावेंगे :—

(१) चार डाइरेक्टर 'अ' श्रेणी के हिस्सेदारों-द्वारा—ऐसे डाइरेक्टर वही लोग चुने जायेंगे, जिनके पास ५ हजार के हिस्से होंगे।

(२) एक डाइरेक्टर प्रान्तीय क्षेत्रापरेटिव बैंक की ओर से—ऐसा बैंक कम से कम ५० हजार रुपये के हिस्से खरीदेगा।

(३) एक प्रान्त के तमाम व्यावसायिक बैंडों को ओर से—इसके लिये वही बैंक मत दे सकेगा, जिसके पास १००००) के हिस्से खरीदे हुए होंगे।

(४) एक रिजर्व बैंक की ओर से—इसके लिये रिजर्व बैंक को कम से कम १,००,०००) रुपये के हिस्से खरीदने होंगे।

(५) एक डाइरेक्टर प्रान्तीय धारा सभा से।

(६) दो सपरिषद् गवर्नर जनरल द्वारा, जिनमें एक मैर सरकारी होगा।

(७) एक डाइरेक्टर आवृत्ति क्लबर या दूसरा प्रमुख सरकारी अफसर, जो भूमि सम्बन्धी मामलात से सम्बन्ध रखता हो Ex officio डाइरेक्टर होगा।

(८) एक लैण्ड-क्रेडिट बोर्ड (Land Credit Board) द्वारा—इसके लिये आगे वर्णन किया गया है ।

बैंड अपना चेयरमैन स्वयं चुन सकेगा । महं नं० २ से उत्तर में वर्षित डाइरेक्टरों की अवधि २ वर्ष की होगी । महं न० १ में वर्षित डाइरेक्टरों की अवधि ४ वर्ष की होगी । इनमें एक डाइरेक्टर प्रति वर्ष अलग होता जावेगा, लेकिन उसका पुनः निर्वाचन भी हो सकेगा ।

प्रबन्ध—भूमि वन्धक बैंड का सचालन ऐसे वैतनिक मैनेजर-द्वारा होगा, जिसको बैंकिंग और आर्थिक स्थितियों का पर्याप्त अनुभव होगा और बैंड का, सफलता-पूर्वक संचालन करने के लिये भारत एवं विदेशों के प्रमुख प्रमुख व्यापारिक देन्द्रों को मुद्रा (Monetary) और म्टार सम्बन्धी वाजारों की गति का पूरा-पूरा ज्ञान होगा । इसकी नियुक्ति डाइरेक्टरों के हाथ में होगी, लेकिन उसकी स्वीकृति सपरिषद् गवर्नर जनरल से ली जावेगी । मैनेजर के आधीन अक्सर भी ऐसे नियुक्त किये जायेंगे, जिन्हें छपि और भूमि का मूल्य निर्धारित करने, प्रबन्ध करने और तत्सम्बन्धी कानूनी अधिकारों का ज्ञान होगा ।

उधार—यह बैंड निम्नलिखित कामों के लिये उधार दे सकेगा :—

१—भूमि में स्थायी उन्नति करने के लिये ।

२—मरीन भूमि में खेतों करने के लिये (re-clamration of land) ।

३—पुराने ऋण को चुकाने के लिये ।

४—भूमि खरीदने के लिये ।

५—ऐसे काम बढ़ाने के लिये, जो भूमि की उपज बढ़ाने में सहायक हों; जैसे—नहर या बाँध बनाना ।

६—खेती की उपज में वास्तविक सुधार करने के उद्देश्य से खेती के काम के लिये मरीनें और अन्य आवश्यक ओजारों के खरीदने के लिये ।

इस दिये हुए ऋण के सम्बन्ध में बैड़ यह देखता रहेगा कि लिया हुआ ऋण ठीक उसी काम में खर्च किया जाता है, जिसके लिये कि मंजूरी दी गई है । जब कभी आवश्यकता हो, खरीद किये हुए सामान व भूमि का रखवा ऋण लेनेवाले की ओर से वैक स्वयं चुकावे ।

उधार की जमानत—उधार दी हुई रकम की जमानत में जायदाद रहन रहेगी । इसमें ज़र्मीदारों (land lords) और भूमि के मालिकों के लिये कोई अड़चन नहीं आती । केवल किरायेदारों का उपयोगाधिकार (occupancy right) को सहकारी-समितियों और भूमि-बन्धक वैद्वों के नाम बेचे जाने और परिवर्तन किये जाने के लिये कानून में उचित संशोधन होने की आवश्यकता है । इसके अतिरिक्त किरायेदारों (tenants) को दिये हुए ऋण को उन सहकारी-समितियों और सेंट्रल कोऑपरेटिव वैद्वों की ज़िम्मेवारी (Endorsement) से सुरक्षित रखा जाना चाहिये, जिनके द्वारा किरायेदार कृपक दरखास्तें भिजवाया करें । ज़र्मीदारों

और भूमि के मालिकों की दरख़ास्तें सीधी भी ली जा सकती हैं और उनको सम्मति प्राप्त करने के लिये सहकारी-समितियाँ और सँगूल-कोशिशपरेटिव बैंकों में भेजा जा सकता है।

मार्जिन—उधार, भूमि की वाज़ार कीमत का ५० प्रतिशत या वार्षिक खरी पैदावार के दसगुना (इसका औसत पिछले ५ वर्षों की पैदावार से लिया जावेगा) से जो कम होगी, वो जायगी। किरायेदारों को उनकी दस वर्ष की खरी बचत के औसत में से उनके गुज़ारे का सब रक्च घटाने पर जो बचेगा, उसके दसगुना से अधिक नहीं दिया जावेगा।

भूमि का मूल्य निर्धारित करने का आधार यह होना चाहिये :—

१—पिछले ५ वर्षों की खरी पैदावार के औसत और उसी समय उस व्याज की दर के औसत से, जिस पर भूमि-बन्धक बैंक ने उधार दिया हो। प्रारम्भ में इसके लिये इम्पी-रियल बैंक और वाद में रिज़र्व बैंक के बैंक-रेट का औसत लेना चाहिये।

२—आस-पास की भूमि की विकी के औसत से—इस प्रकार औसत निकालते समय भूमि की भिन्न-भिन्न श्रेणियाँ, तथा अन्य उपयोगिताओं; जैसे—रेलवे स्टेशन या मंडी का नज़दीक होना आदि और पैदावार की विशेषताओं का ध्यान रखना चाहिये।

उक्त वर्णित आधार भूमि की सही कीमत जानने के लिये कस्टोटी के रूप में है। यदि अन्य कोई कारण ऐसे हों, जिनका भविष्य में भूमि की कीमत पर अच्छा या बुरा असर पड़ता हो तो कीमत का निश्चय करते उक्त उनको भी गिनना चाहिये।

ऋण की वापसी वरावर की वार्षिक या हु माही किश्तों के द्वारा हानी चाहिये। वार्षिक किश्त ब्याज के रकम के ऊपर १ प्रति शत से अधिक नहीं होना चाहिये।

अवधि—ऋण की वापसी की अवधि जमीदारों और भूमि के मालिकों के लिये साधारणतया ५० वर्ष और किरायेदारों के लिये २५ वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये।

कार्यकारी पूँजी प्राप्त करने के तरीके—वैकं नीचे लिखे अनुसार पूँजी सब्रह कर सकता है :—

(अ) अमानतें और सेविंग्ज-स्टोरफिकेट-द्वारा—

इस वैकं को ५ वर्ष से कम की मियाद के लिये जमा स्वीकार नहीं करना चाहिये। इसे सेविंग्ज स्टोरफिकेट भी ५, १०, १५ वर्ष या इससे लम्बी अवधि के लिये जारी करने का अधिकार होना चाहिये, लेकिन कुल जमा और जारी किये हुए सेविंग्ज-स्टोरफिकेट की इकजाई रकम वैकं के मूलधन और रक्षित फ़ाइंड के दसगुने से अधिक नहीं होना चाहिये।

(ब) डिवेझ्चर—यह वैकं अपनी जनरल पूँजी भी जमा नह पर debentures भी जारी कर सकता है।

(स) उधार—यह बैंक अन्य साधनों के साथ-साथ अपनी जनरल पूँजी को ज़मानत पर दूसरे बैंकों, सरकार और विदेशी बाज़ारों से भी उधार ले सकता है।

सरकारी सहायता—एहले हुजु वर्षों के लिये आवश्यक है कि डिवेन्चर की रकम की अदायगी को पूरा करने के लिये सरकार गारंटी लेवे।

कानूनी सुविधायें—बैंक अपने धनधेरों को सस्ता और सुगमता-पूर्वक चला सके और साथ ही यह दुःखदायी मुकदमे-बाज़ी से बच सके। इसके लिये निम्नलिखित कानूनी सुविधायें प्रदान की जानी चाहिये—

(१) भूमि-बन्धक बैंकों के debentures ट्रस्टी चिन्हूरिटी में गिने जावें और उनको सरकारी महरमां में ज़मानतों के लिये स्वीकार किया जावे।

(२) स्टाम्प छ्यट्टी, फ्रीस रजिस्ट्री आदि सब सहकारी समितियों की भाति माफ़ होना चाहिये।

(३) बैंक, स्थानीय पश्च और सरकारी गज़ट में प्रकाशित फराकर और दफ़तर रजिस्ट्री में नोटिस चिपकाकर सर्वसाधारण का यह सूचित करेगा कि वह अमुर-अमुर भूमि को रहन रख-कर रूपया उधार दे रहा है। जिस किसी को उस जायदाद पर अधिकार और स्वत्य-सम्बन्धी कोई उच्च हो तो उसको चाहिये कि तीन महीने के अन्दर-अन्दर बैंक को सूचित कर दे। इससे

चुकने पर बैड़ के पक्ष में होनेवाले रहन का, सब प्रकार के लेने-देने से, (विमा किसी लिहाज़ के) प्रथम हक्क होगा ।

इस सम्बन्ध में बैड़ रुपया देने से पहले प्रत्येक साधानी चरतने की कोशिश करेगा और यह मालूम करेगा कि उधार लेनेवाला उस जायदाद को रहन रखकर उधार लेने का अधिकारी है कि नहीं और जो जायदाद वह रहन रख रहा है, हर प्रकार के भगड़ों-टंटों से बरी है और उसके सम्बन्ध में अदालत में कोई भगड़ा तो नहीं है; लेकिन उक्त वर्णित नोटिस देना बैक के हितों की रक्षार्थ अनितम और पर्याप्त साधन माना जायगा ।

(४) बैक को यह अधिकार होना चाहिये कि जूणी की प्रतिक्षा भग होने पर रहन-शुदा जायदाद को बिला अदालती कार्रवाई किये अपने कृबजे में ले सके । राहिन के किसी प्रकार का विरोध करने पर निकटवर्ती अदालत, जिसके अधिकार द्वेष में वह जमीन हो, का कर्तव्य होगा कि बैक की ओर से सादी दरपानाल प्राप्त होने पर कृबजा दिलाये जाने की कार्रवाई करे । इसके लिये बैक को कोर्ट-फोस माफ़ होना चाहिये ।

(५) समय पर रुपया न चुकने की हालत में बैक को अधिकार दो कि वह रहन शुदा जायदाद का खुद प्रबन्ध कर सके, उसको बेच सके और किराये पर उठा सके ।

(६) बैक के हिसाबात की नक्लें कर्ज़ों के शौचित्र्य और जायदाद के प्रबन्ध की गवाही में सही स्वीकार की जावेंगी ।

(७) उपरोक्त रिक्तायतों के अतिरिक्त वैंक को हर प्रकार के टैक्स व लागतों की माफी होनी चाहिये ।

लाभ का विभाजन और रिज़र्व फंड—वैंक का खरा लाभ इस प्रकार विभाजित होना चाहिये —

(अ) दस प्रतिशत रक्षित कोष में, जब तक कि वह मूलधन के बराबर न हो जावे ।

(ब) शेष में से ५ % लगातार बढ़नेवाले लाभ (Cumulative) में, जो 'अ' श्रेणी के दिसस्तों पर बाँटा जायगा । ५ % सादा (non-Cumulative) लाभ में, जो 'ब' श्रेणी के दिसस्तों पर बाँटा जायगा बताते हैं कि :—

(१) सरकार की कोई रकम पेसी देनी न हो, जो उसने गारण्टी के अनुसार वैंक के debentures के चुकाने में दी हो या इसके लिये वैंक को उधार दी हो ।

(२) प्रतिज्ञा भग होने पर वैंक-द्वारा प्राप्तेदारों में खरीदी हुई जायदाद, उसके मूलधन व रक्षित फंड के बराबर और उससे अधिक शेष न रही हो ।

(३) उस कर्जे की तादाद, जिसके समय पर न चुकने के कारण वैंक ने जायदाद का इन्तज़ाम अपने हाथ में लिया हो, उसके मूलधन और रक्षित कोष के ५ % से अधिक न हो ।

(४) नं० २ व ३ के अनुसार उलझी हुई कुल रकम की तादाद उसके मूलधन और रक्षित कोष की तादाद के बराबर या उससे अधिक न हो ।

(स) शेष लाभ व्यवस्था-व्यवस्था दो भागों में विभक्त होगा। एक भाग सरकार को दिया जावेगा और दूसरा हिस्सेदारों में बांटा जावेगा। सरकार बैंक के देने की जिम्मेदारी लेती है, इसलिये उसका बैंक के लाभ में भाग लेना उचित है।

(द) महंन० 'स' के अनुसार हिस्सेदारों में विभक्त होने वाले लाभ के तीन भाग होंगे। दो भाग 'अ' श्रेणी क और एक भाग 'ब' श्रेणी के हिस्सेदारों में बांटा जायगा। 'अ' श्रेणी के हिस्सों के लिये यह रिश्रायत हिस्सा खरीदन के लिये लोगों का उत्तेजित करने के बास्ते नहीं है, बल्कि आर्थिक सिद्धान्तानुसार है। 'अ' श्रेणी के हिस्सों की पूँजी सर्वप्रथम और एक दम सग्रह होगी और वह असेली ही बैंक का काफी काम बढ़ावेगी। 'ब' श्रेणी के हिस्सों की रकम धीरे-धीरे आवेगी। इनकी अधिक रकम उस वक्त सग्रह होगी, जब 'अ' श्रेणी के हिस्सों के कारण पर्याप्त मात्रा में रक्तिकोष जमा हो जायगा। ऐसी अवस्था में 'अ' श्रेणी के हिस्से अधिक लाभ पाने के अवश्य अधिकारी हैं।

लैंड-फोडिट-बोर्ड—समस्त प्रान्तीय भूमि वन्धक बैंक, लैंड-फोडिट-बोर्ड नामक एक संस्था के समान हप से आधीन रहेंगे। इस बोर्ड को प्रान्तीय बैंकों के सब प्रबार के काम का नियन्त्रण और नियन्त्रण करने का पूर्ण अधिकार रहेगा। यह समय-समय पर बैंकों को मार्गनिंदेंश के लिये सुचनाएँ देता रहेगा और अपने प्रभाव द्वारा सब बैंकों की नाति,

कार्य प्रणाली और व्यवहार को एक समान रखने का हर प्रकार से प्रयत्न करेगा।

बोर्ड का तमाम व्यय भूमि-वन्धक वैंक, प्रान्तीय सरकारें और भारत-सरकार किसी उचित आधार पर चलावेंगे।

बोर्ड में छुः मेम्बर और एक सकेटरी होगा। सेक्रेटरी एक अनुभवी बनेंकर और अर्थशास्त्री होगा, जिसकी नियुक्ति बोर्ड से और स्वीकृति सपरिषद् गवर्नर जनरल-द्वारा होगी।

मेम्बरों का कार्य-काल ३ वर्ष होगा; परन्तु कार्य व नीति को निरन्तर चलाये रखने के लिये दो मेम्बर प्रतिवर्ष वृत्तकम से अलग होते जावेंगे। बार्ड अपने जलसे, जिस प्रकार और जब भी आवश्यक हा, करेगा; परन्तु कम से कम ३ मास में एक जलसा आवश्यक होगा। बोर्ड अपना चेयरमेन स्वयं चुनेगा।

बोर्ड के छु मेम्बरों का चुनाव इस प्रकार होगा :—

(अ) एक मेम्बर—सपरिषद् गवर्नर जनरल द्वारा।

(ब) एक मेम्बर—केन्द्रीय व्यवस्थापक सभा द्वारा।

(स) एक मेम्बर—प्रान्तीय सरकारों-द्वारा।

(द) एक मेम्बर—प्रान्तीय भूमि वन्धक वैंकों द्वारा।

(ह) एक मेम्बर—डिपाइट स्टॉक, विनियम, इम्पीरियल, प्रान्तीय कोआपरेटिव वैंक स द्वारा—इसके लिये प्रत्येक वैंक फो एक मत देने का अधिकार होगा और इसके लिये प्रत्येक

वैक के पास २०-२० हज़ार के हिस्ते
और एक-एक लाख के डिवेश्वर होना
आवश्यक हैं। ऐसे मेम्बर के लिये
रिज़र्व बैंक की स्वीकृति होना चाहिये।

(फ) एक मेम्बर या सेक्रेटरी—भारत-सरकार-द्वारा वह
व्यक्ति होगा, जिसको भूमि, लृषि और
आर्थिक समस्याओं का ज्ञान होगा
और जो एक स-आँकिशो मेम्बर समझा
जावेगा।

चौदहवाँ अध्याय

सुधार के उपाय—ओर्योगिक बैड़ं

परम कृपालु परमेश्वर ने भारत को सब प्रकार की निधियाँ, अपरिमित रूप से प्रदान की हैं। यहाँ पर कच्चे माल की वाहुल्यता है, भूमि-माना का गर्भ माना प्रकार के खनिज पदार्थों से भरपूर है। इस कच्चे माल को निकालकर घनी हुई वस्तुओं में परिवर्तन करने के लिये अनेक कारखानों की ओर उनको चलाने के लिये अपरिमित धन की आवश्यकता है।

भारत में धन की कमी नहीं है। यहाँ इस समय भी अनेक कल, कारखाने और मिलें चल रही हैं। उन सबको पूँजी मिल रही है और वह काम कर रही हैं, लेकिन नियमित रूप में ओर्योगिक आर्थिक सहायता का समुचित प्रबन्ध नहीं है; इसलिये करोड़ों रुपये का कच्चा माल विदेशों को जाता है और यहाँ से घनी हुई वस्तुयें यहाँ आती हैं। इसमें सुदूरस्थ स्थानों से माल के आने-जाने का खर्च पड़ता है, यहाँ की मज़दूरी पड़ती है। लेने, भेजने, घनाने, मँगाने और घेचनेवाले दूकानदारों का लाभ मिथित होता है। यह सब भारत और उसकी सर्वसाधारण जनता को भुगतना पड़ता है और यहाँ के करोड़ों लोग येकार रहते हैं। यदि ओर्योगिक संस्थाओं को आर्थिक सहायता देने की सुव्यवस्था हो जाय तो यहुत-कुछ श्रंश में भारत में

उद्योग-धंधे बढ़ सकते हैं। इस सम्बन्ध में इंडस्ट्रियल कमीशन ने पर्याप्त विचार किया है और उसने शौद्योगिक (Industrial) बैंक स्थापित करने की सलाह दी है। इसके लिये प्राइवेट प्रयत्न सफल नहीं हुए हैं, इसके लिये टाटा इंडस्ट्रियल बैंक का उदाहरण भौजूद है; अतएव प्राइवेट प्रयत्न के अतिरिक्त दूसरे प्रयत्न की आवश्यकता है, जैसा कि जर्मनी इत्यादि देशों में हुआ है, इसका बर्णन वैक और उद्योग-धंधा शीर्षक अध्याय में किया गया है। इस प्रथन पर भारतीय सेंट्रल बैंकिंग इंक्वायरी कमेटी ने भी अच्छी तरह विचार किया है। उसने एक सलाह तो मन्त्रालय स्थितिवाले ज्वाइंट स्टॉक बैंकों को दी है कि वे जर्मन बैंकों की भाँति (देखो पृष्ठ नं० ३२) सहायता पहुँचावें*। दूसरी सलाह ग्रान्तीय सरकारों को जम्मी अधिक की सहायता के लिये “ग्रान्तीय इंडस्ट्रियल-कारपोरेशन” स्थापित करने की दी है। †

भारत के उद्योग-धंधों को दो श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है:—(१) छोटे घरेलू धंधे, (२) बड़े धंधे। पहली प्रकार के धंधों को सहकारी समितियाँ-द्वारा सहायता दी जानी चाहिये, दूसरी प्रकार के धंधों के लिये दो प्रकार की सहायता चाहिये:—

(१) स्थायी सहायता की नवीन चालू होनेवाले धंधों—इमारत बनाने और मशीनरी खरीदने आदि—के लिये ज़रूरत होती है।

* Its report, para 391.

† Para 401.

(२) कार्यर्थ सहायता—इसकी कच्चा माल खरीदने, उसकी चीज़ें बनाने के लिये मज़बूरी चुकाने, उनका स्टॉक रखने और प्रत्येक दैनिक खर्च को पूरा करने के लिये ज़्हरत होती है।

पहली प्रकार की उधार को चुकाने की अवधि बहुत लम्बी होती है और दूसरे प्रकार की उधार की अवधि थोड़ी होती है, लेकिन इसमें भी कुछ रकम तो ऐसी होती है, जो हमेशा ही लगी रहती है और लम्बी अवधि की उधार में आती है। कुछ का आव-जाव बना रहता है, वह छोटी अवधि की उधार में आती है, जैसा कि एक नवीन लेखक ने लिखा है—“कच्चा माल और बनी तथा अधबनी वस्तुओं का स्टॉक कम नहीं होता है। इस स्टॉक का कुछ भाग ऐसा होता है, जो हमेशा बना रहता है; इसलिये इसमें जो रूपया लगता है, वह स्थायी लागत में आता है। इससे कपर के स्टॉक में लगी हुई रकम थोड़ी अवधि की लागत में आती है”। *

थोड़ी अवधि के लिये भारतीय-सेंट्रल-बैंकिंग-इंक्वायरी कमेटी की सिफारिश के अनुसार भारतीय ज्वाइंट-स्टॉक वैंकों को सहायता पहुँचानी चाहिये और लम्बी अवधि के लिये प्रान्तीय श्रौद्धोगिक वैंक होने चाहिये। तभाम प्रान्तीय श्रौद्धोगिक वैंकों को एक सूत्र में बांधने के लिये एक सेंट्रल-बोर्ड स्थापित किया जाना चाहिये, जिसके द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार समस्त प्रान्तीय वैंकों का संचालन होता रहे।

* Central Banking Enquiry Committee Report, Para 336.

प्रान्तीय औद्योगिक बैंकों का संगठन*

(१) मूलधन—प्रत्येक अच्छे, बड़े प्रान्त में एक बैंक हो और उसका मूलधन दो करोड़ रुपया हो। इसका आधा तो कार्य प्रारम्भ होने से पहले वसूल कर लिया जावे और आधा सुरक्षित जिम्मेदारी के रूप में या आवश्यकता पड़ने पर माँगने के लिये बाकी रखा जावे। इस मूलधन को जैसेन्जैसे आवश्यकता हो, बाद में भी बढ़ाया जा सकता है। इसके हिस्से बैंक, प्रजा, कम्पनी आदि सबके सामने खरीदने के लिये उपल्ब्धित किये जावें; लेकिन मूलधन के $\frac{1}{2}$ से अधिक हिस्से विदेशी लोगों व संस्थाओं को न दिये जावें। हिस्से बेचने की तारीख से छः महीने के अन्दर-अन्दर जितने हिस्से बिकें, उतने बेचे जावें, शेष रहे हुए हिस्सों को प्रान्तीय सरकार खरीद ले।

(२) बोर्ड आवृद्धाइरेक्टर में बारह मेम्बर होंगे, जिनका चुनाव इस प्रकार होगा :—

(अ) तीन हिस्सेदारों द्वारा।

(ब) एक औद्योगिक कम्पनियों द्वारा।

(स) एक उस प्रान्त में काम करनेवाले बैंकों द्वारा।

(ड) एक प्रान्तीय कोआपरेटिव बैंक द्वारा।

(इ) एक रिजर्व बैंक द्वारा।

* यह स्कीम थी० थी० टी० डाकुर की पुस्तक (Organisation of Indian Banking) के दूरदूरियों बैंक नामक १३वाँ अध्याय से दी गई है।

(फ) एक ग्रान्तीय धारा सभा द्वारा ।

(ज) दो सपरिषद् गवर्नर जनरल-द्वारा, लेकिन इनमें एक से अधिक सरकारी अफ़सर नहीं होना चाहिये ।

(ह) एक इंडस्ट्रियल-कोडिट घोर्ड द्वारा ।

(य) एक डाइरेक्टर आॅव् इंडस्ट्रीज़ एन्स-आॅफ़िशिश्नो मेम्बर होगा ।

(३) बैंक का काम—उद्योग-धन्धों को उत्तरति देना और इसके लिये सब प्रकार के आर्थिक साधन नीचे लिखानुसार उपस्थित करना—

(अ) माँगते ही वापस चुकाने-योग्य श्रमान्ते स्वीकार करना, इस शर्त के साथ कि पाँच धर्ष से कम अवधि की श्रमान्ते प्राप्त मूलधन और रक्षित बोप के बराबर से अधिक न हो । लम्बी अवधि के लिये सेविंग्ज़ सर्टी-फ़िकेट जारी करना ।

(ब) भारत और विदेशों में सीधे तौर पर बोर्ड जारी करके उधार लेना और इसके लिये बैंक के पास जो भी ज़रूरत हो, रहन रखना । ऐसे बोर्ड की तादाद एक समय में कभी भी प्राप्त मूलधन और रक्षित कोप के बीस गुने से अधिक न हो ।

(स) श्रौद्धोगिक कम्पनियों को उधार देना या खाता पेटे वाली रखना; लेकिन पेसी उधार धीस वर्ष से अधिक मियाद के लिये नहीं होनी चाहिये ।

- (ड) श्रौद्योगिक वर्षपनियों के हिस्से और डिवेल्पर खरीदना और जब कभी आवश्यकता हो, उन्हें इराडर-राइट करना ।
- (इ) उम कर्मपनियों के लिये व्यावहारिक वैक्लिफ़ धन्धा करना, जिनको आर्थिक सहायता दी गई हो या जिनके लिये उधार का प्रबन्ध किया गया हो ।
- (फ) महान् 'स' और 'ई' में वर्णित धन्धा विसी स्थानीय सम्पत्ति (Local body), सरकार तथा अन्य संस्थाओं के साथ भी करना यदि इराडस्ट्रियल बोर्ड स्वीकृति दे दे ।*
- (ज) जब आवश्यकता हो, श्रौद्योगिक संस्थाओं को अपने अधिकार में लेना, उनका प्रबन्ध, सचालन और सुधार करना ।
- (ह) स्टॉक पक्सचैंज का मेम्बर होना और स्टॉक पक्सचैंज सिस्ट्रोरिटी का धन्धा करना ।
- (झ) दूसरे वे काम करना, जिनके लिये इराडस्ट्रियल बोर्ड इजाजत दे ।
- (क) दूसरे वैक्लों के साथ हिसाब रखना और देश के क्षियरिंग हाउसों का मेम्बर बनना ।
- (४) वैक्ल के बोर्ड ट्रस्ट इन्वेस्टमेंट के लिये और रिजर्व बैंक की लगती हुई रकम के जमानत-पत्र के तौर पर स्वीकार किये जावें और पहले दर्जे की जमानतों में समझे जावें ।

* जब वैक्ल के पास प्राज्ञिल रूपया हो तो वह न्याय के नुकसान से बचने के लिये उचित जमानत-पत्रों पर रूपया लाग सके, इसलिये यह नियम रखा है।

(५) रिज़र्व बैंक—इस बैंक को जब और जिस प्रकार आवश्यकता हो, सहायता देवे ।

(६) इस प्रकार के बैंकों को सफलता दिलाने के लिये प्रान्तीय सरकारों को निम्नलिखित तरीकों पर सहायता करनी चाहिये :—

(अ) हिस्सेदारों को दस या अधिक धर्यों के लिये पांच प्रतिशत लाभ देने की गारण्टी करना ।

(ब) बैंक के बोएड की गारण्टी लेना, जब या जिस प्रकार भी उन्हें सर्वप्रिय बनाने के लिये ऐसा करने की आवश्यकता हो ।

(स) विदेशी बाजारों से रुपया उधार लेने के लिये बैंक को अपनी साख उधार देना ।

(द) अल्प या दीर्घ कालिक उधार देना, जब भी ऐसी सहायता देना आवश्यक और सम्भव हो । इसके बोएड्स भी ख़्वारीदना ताकि उनपर जनता का विश्वास मज़बूती से बढ़े ।

(ह) बैंक को उसके लाभालाभ के प्रश्नों के परीक्षण या देख-भाल करने में सहायता देने के लिये अपने कला या उद्योग-सम्बन्धी जानकार अधिकारियों को, बिना किसी मुआवज़े के या नाम-मात्र के मुआवज़े पर (जो परिस्थितियों पर निर्भर होगा) बैंक के आधीन रखना ।

(७) बैंक का लाभ इस प्रकार बाँटा जाये :—

(अ) गारण्टी दिये हुए हिस्सों का पांच प्रति-शत लाभ बाँटने में ।

(ब) सरकार के उस देने के चुकाने में, जो उसने गारण्टी लिये हुए मुनाफ़े को आदायगी में दिया हो, पर्वत प्रतिशत व्याज-सहित ।

(स) शेष में से पूरे वार्षिक लाभ का दस प्रतिशत, (इस-से अधिक नहीं) विना श्र, व में बर्णित रकमें घटाये, रक्षित कोष में से जाने में, जब तक वह प्राप्त मूलधन के बराबर न हो जाय ।

(द) वाकी वचा हुआ भाग ३ः १ के हिसाब से सरकार और हिस्सेदारों में बाँट देना चाहिये । इस लाभ का भाग सरकारी आमदनी में नहीं से जाना चाहिये, वित्तिक कला-सम्बन्धी शिक्षा और औद्योगिक सुविधाओं की उन्नति करने के उपायों में, औद्योगिक बैंकों और सहकारी समितियों को उधार देने में तथा अन्य लाभदायक कायों में लगाना चाहिये । बैंक को उन सब करों को देने के लिये बाध्य होना चाहिये, जो उस प्रान्त के दूसरे बैंक या कम्पनियाँ देने को बाध्य हैं ।

इण्डस्ट्रियल-क्रेडिट-बोर्ड—समस्त प्रान्तीय-ओद्योगिक बैंक इस बोर्ड के समान रूप से आधोन रहेंगे । इसके सात मेम्बर होंगे और उनका चुनाव इस प्रकार होगा :—

(अ) २ समस्त प्रान्तीय बैंकों और प्रान्तीय सरकारी-द्वारा सम्मिलित रूप से उने हुए प्रत्येक बैंक और

सरकार को एक-एक मत देने का अधिकार होगा। इन दोनों में से एक से अधिक सरकारी अफ़सर नहीं होगा।*

(व) १ देश के इण्डस्ट्रियल प्रसोसियेशन-द्वारा।

(स) २ देश के दूसरे अच्छे बड़े बैंकों-द्वारा। एक बैंक को केवल एक मत देने का अधिकार हो।

(द) ३ रिज़र्व बैंक-द्वारा।

(य) ४ केन्द्रीय धारा सभा-द्वारा।

(फ) ५ सपरिषद् गवर्नर जनरल द्वारा।

(घ) इन सात मेम्बरों के अतिरिक्त एक प्रश्न-ओफ़िशो मेम्बर होगा, जो गवर्नर जनरल की कौसिल का उद्योग-धनधौं का दृचार्ज मेम्बर होगा।

(ह) बैंक का काम एक मैनेजर चलायेगा, जो बोर्ड आॅफ़-डाइरेक्टर्स-द्वारा नियुक्त होकर इण्डस्ट्रियल क्रेडिट बोर्ड-द्वारा स्वीकृत होगा। उसके नीचे आवश्यकतानुसार अफ़सर नियुक्त होंगे।

(१०) इस बैंक को अपने प्रान्त में अपनी शाखायें खोलने के सम्बन्ध में स्वतंत्रता होनी चाहिये।

* यदि ऐसा सम्भव न हो तो प्रान्तीय सरकार और प्रान्तीय श्रौद्धोगिक बैंक भलग-अलग एक-एक मेम्बर चुन सकते हैं।

पन्द्रहवाँ अध्याय

सुधार के उपाय—अन्य प्रयत्न

पोस्ट आफ्रिस सेविंग्ज बैंक*

पोस्ट आफ्रिस सेविंग्ज बैंक के सम्बन्ध में तीसरे अध्याय में प्रकाश डाला गया है, वहाँ पर बताया गया है कि इनके बढ़ने की अभी बहुत गुजारी है। इनके बढ़ाने के लिये निम्नलिखित सुधार होने की आवश्यकता है :—

चेक द्वारा जमा व बरामद—अभी भारत में सेविंग्ज बैंक के खातेदार अपने खातों में चेक-द्वारा लेन-देन नहीं कर सकते। सरकार को चेक-प्रणाली को उत्तेजना देने के लिये यह बाधा दूर करनी चाहिये। विदिशा पोस्ट आफ्रिस में रकम चेक-द्वारा जमा की जाती है, केवल उन चेकों को रकम दस रुपये तक बरामद नहीं कराई जा सकती, इसलिये कि इस असें में पोस्ट आफ्रिस चेकों का परिणाम मालूम कर सके। ऐसा ही अमल भारत में होना चाहिये।

दापिक जमा की सीमा—इस समय एक खातेदार अपने सेविंग्ज बैंक के खाते में ५५०) प्रति वर्ष से अधिक जमा नहीं कर

*यह माग बी० टी० ठाकुर की Organisation of Indian Banking नामक पुस्तक के अध्याय १४ से लिया गया है।

सकता। यह रुकावट अनावश्यक है। मान सीजिये एक ग्रीष्म आदमी को इत्तिफ़ाक से कुछ हज़ार रुपये मिल जाते हैं। उनमें से बहु पोस्ट आफ़िस सेविंग बैंक के खाते में देवल ७५०) ही जमा कर सकता है। शेष के लिये बहु दूसरा इन्तज़ाम करेगा या गाड़ेगा। विटिश पोस्ट आफ़िस में यह सीमा ५०० पौंड तक है। इसकी तुलना में ७१०) बहुत कम है; इसलिये यह सीमा ५०००) वार्षिक होनी चाहिये।

अधिक से अधिक जमा की सीमा—इस समय एक खाने में ५०००) से अधिक रकम कभी भी जमा नहीं की जा सकती। यदि खाता नायालिंग के नाम से खोला जावेगा तो उसमें १०००) से अधिक जमा नहीं हो सकता। इन सीमाओं से बचत करने की आदत को यथोचित उत्तेजना नहीं मिल रही है। विटिश पोस्ट आफ़िस में इस प्रकार की सीमा नहीं है। इसके पहले में यह दबील दी जाती है कि यदि जमा करनेवाले तोग पोस्ट आफ़िस से एक दम अधिक तादाद में रुपया माँग लें तो उसको बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। इस कठिनाई का निराकरण एक निश्चित रकम—कम से कम ५०००) से अधिक माँगने की दालत में एक सप्ताह पहले नोटिस दिया जाने का नियम रखया जाकर किया जा सकता है।

जमाशुदा रकम की कुर्की—भारतीय पोस्ट आफ़िस सेविंग बैंक में जमाशुदा रकम की उचित अदालत के हुकम से कुर्की हो सकती है। इसके लिये विटिश पोस्ट आफ़िस में

स्पष्ट नियम यह है—A Deposit Book is not a proper Security for money lent, and no claim by any person holding a deposit book in respect of a loan can be recognised. Deposits in the post office savings banks are not liable to 'attachment' or to its Scottish equivalent 'arrestment'.
अर्थात्—"एक जमा बुक उधार दी हुई रकम के लिये उचित सीम्यास्ती नहीं है, इसलिये किसी जमा-बुक पानेवाले व्यक्ति का उधार-सम्बन्धी कोई दावा उचित नहीं माना जावेगा। पोस्ट आफिस सेविंज बैंक में जमा-शुदा रकमें, कुर्की होने योग्य नहीं हैं।"

भारत में नियंत्रण कानून की पूरी नकल करने को आवश्यकता नहीं है, इससे लोग अपन पावनेदारों को श्रधिक धोखा दे सकेंगे, लेकिन फिर भी लोगों को अपने कुटुम्ब के आकस्मिक ख़र्च के लिये कुछ बचाकर रखने के लिये कम से कम ५०००) की रकम ऐसी हानी चाहिये, जिसको कुर्क न कराया जा सके। बहुधा देखने में आया है कि जब एक व्यक्ति किसी कारण से बहुत कर्जदार हो जाता है और अदालतें उसकी सारी जायदाद कुर्क करने का हुक्म दे देती हैं तो उस समय वह और उसका परिवार निःसहाय हो जाता है, उसके बच्चों को शिक्षा नहीं मिलने पाती और वह दाने-दाने को तरसते रहते हैं। ऐसी भीषण परिस्थिति में पड़कर वह परिवार उदार-पोषण के लिये नाना प्रकार के पाप करने को उतार हो जाता

है और समाज में अशान्ति पेश करने का कारण यह जाता है। अतएव बढ़ती हुई दरिद्रता का रोकने के लिये पोस्ट आफिस में जमा युद्धा प्रस्तावित रकम को कुक्की से मुक्तस्ता रखना अनुचित नहीं है, जब कि प्रियेन जैसे न्याय निपुण देश में भी पेश कानून है।

ग्रामीण जनों को सुविधा—प्रत्येक गाँव में पोस्ट आफिस न होने से ग्रामीण जनता अपनी व्यवस्था को अधिकांश में जमीन में गाड़ देती है, क्योंकि वह दूर के गाँव में रुपया ले जाकर जमा कराना दिक्षित तलब समझती है, इसलिये पोस्ट मेन द्वारा सेविंग्स-बैंक में रुपया जमा व वरामद कराने की उचित सुविधा होनी चाहिये।

वेङ्कस-एसोसियेशन

भारतीय उदाइट स्टार वैंकों के प्रतिवर्ष^१ फेब्रुअरी होने की वर्षण कथा पिछले पाँच में पूणरूप से वर्णन की जा चुकी है। इसमें अनेक कारणों में से एक कारण मारतीय-बैंकों के बीच में आपनी सहयोग का अभाव है। जब फिसी एक पर आपत्ति आती है तो दूसरे उसको और उदासीन होकर तमादा देखते रहते हैं, लम्भन उसको येन इन प्रकारेण सहायता देकर व्यवसाय को चेष्टा नहीं करते। यही कारण है कि अनेक भारतीय-बैंकों का, सतोष जनक पौँजी रहत हुए भी, नकद रुपये व अभाव में दिवाला निम्न जाता है, अतएव मारतीय वैंकों का कर्तव्य है कि वे एक सूत्र में घैंघनर रहें और विपक्ष काल में एक

दूसरे 'की' सहायता करने के हेतु तत्पर रहें। इसके लिये आवश्यक है कि ब्रिटिश वैकर्स-एसोसियेशन के समान भारतीय वैकर्स का भी एक एसोसियेशन स्थापित किया जावे, जो इस धन्धे की रक्षा और उन्नति के लिये हमेशा प्रयत्नशील रहे। जहाँ हमारे देश में अनेक व्यापारिक एसोसियेशन-चेम्बर ऑफ कामर्स, मिल-ओफर्स-एसोसियेशन, शेयर-होल्डर्स-एसोसियेशन और काटन-एसोसियेशन आदि हैं, जो अपने-अपने व्यवसाय की वृद्धि और रक्षा के लिये सदैव उद्योग करते रहते हैं वहाँ भारतीय वैकर्स को शक्ति का, संयुक्त-हितों की रक्षार्थ समर्थित न होना दुःख की बात है। जिस दिन यह संगठित होकर एक दूसरे के लाभ और भलाई के लिये प्रयत्न करेंगे और यह सोचेंगे कि विस प्रकार अपनी और अपने धन्धे की उन्नति करनी चाहिये, उस रोज़ निश्चय ही भारतीय वैकिंग की पिछड़ी हुई अवस्था उन्नति की ओर क़दम बढ़ाना शुरू कर देगी; क्योंकि व्यकिंगत प्रयत्न की अपेक्षा सम्मिलित और संगठित शक्ति अधिक प्रभावशाली होती है।

एसोसियेशन की स्थापना के लिये यह अधिक उपयोगी प्रतीत होता है कि प्रत्येक प्रांत में वैकिंग-एसोसियेशन स्थापित हो और उस प्रांत के समस्त वैकर्स ज्याइंट-स्टाक वैक व देशी वैकर्स उसके नियमानुसार सदस्य हों और समस्त प्रांतीय एसोसियेशन मिलकर अग्रिम भारतवर्षीय वैकर्स-एसोसियेशन की स्थापना करें। इसका प्रांतीय एसोसियेशन-द्वारा निर्धारित

एक कार्यवाहक योर्ड हो, जिसका वर्ष भर में एक बार या जव भी आवश्यक हो, अधिवेशन बुलाया जावे। इन प्रान्तीय प्रस्तोत्रियों के मेम्बरों को अपने नाम के आगे “वैकर्स प्रस्तोत्रियों के मेम्बर” शब्द का प्रयोग करने की आज्ञा होनी चाहिये।

देशी भाषाओं को अपनाया जावे

सातवें अध्याय में भारतीय-वैकिंग की पिछुड़ी हुई अवस्था के बताये हुए अनेक कारणों में से एक कारण अंगरेजी भाषा का प्राधान्य बतलाया गया है। वास्तव में अंगरेजी न पढ़े हुए लोग बैंडों से लेन-देन करने में असमर्थ रहते हैं, क्योंकि उनके लिये अनेक प्रकार की अवचन्ने उपस्थित होती हैं। इम्फीरियल बैंड तो इस सम्बन्ध में बहुत ही सफ़्ती से काम लेता है। इसलिये सर्व साधारण और बैंडों के बीच निकटतम सम्बन्ध स्थापित करने के लिये यह आवश्यक है कि तमाम भारतीय-वैक अंगरेजों न जाननेवालों के साथ देशी भाषा में व्यवहार करें। पास खुक्के, चेक खुक्के, और अन्य आवश्यक फार्म देशी भाषा में दृपदावें और उनमें इन्द्राज देशी भाषा में करें। देशी भाषा में आये हुए पत्रों का उत्तर देशी भाषा में देवें। कम्पनियों के नियम (articles of association) संस्थाओं के प्रस्ताव देशी भाषा में स्वीकार किये जावें।

देशी भाषा से अभिग्राय प्रांतीय भाषाओं से है जैसे बङ्गाल में बंगला, गुजरात में गुजराती, संयुक्त प्रान्त में हिन्दी व उर्दू, पंजाब में उर्दू, महाराष्ट्र में मराठी आदि, लेकिन हिन्दी भाषा को सब प्रान्तों में अपनाया जावे; क्योंकि यह भाषा बहुत सरल है इसलिये हर जगह आसानी से बोली और समझी जा सकती है तथा भारतीय कांग्रेस के मिशनयानुसार देश की राष्ट्रीय भाषा होने की अधिकारिणी है।

इसमें वैद्वाँ को कोई असुविधा और कष्ट नहीं होगा। कोया स्टेट कोआपरेटिव बैंक लिंकोटा अपने जन्म-काल से ही हिन्दी में काम करता है। यह वैद्वा भी जवाइट्ट-स्टॉक और प्रान्तीय कोआपरेटिव चैंकों के समाज सब प्रकार का वैकिंग घन्था करता है। जैसे—सेविंग्ज-बैंक, चलत-खाता और मियादी-अमानतें जमा रखना, अपने मेम्बरों को छपोत्पादक बस्तुओं, सोना, चाँदी, और उनके गहने तथा अन्य आवश्यकता की बस्तुओं पर उधार देना, चेक, हुणडी, विलस का संग्रह करना और देश के अन्दर भुगतान का काम करना आदि। इसको अब तक कोई दिक्कत नहीं आई और न कभी कोई जाल हुआ। बड़ी सुगमता से काम चल रहा है। अतः कोई कारण नहीं है कि दूसरे वैद्वाँ में इस प्रकार काम न चले। यदि बैंक के कर्मचारी भारतीय हैं और उस प्रांत के नहीं हैं जहाँ के वैद्वाँ में काम करते हैं तो वह बहुत जल्दी उस प्रांत की भाषा को सीख सकते हैं।

सौलहवाँ अध्याय

उपसंहार

पिछड़ी हुई भारतीय-बैंकिंग को उन्नत करने के कुछ प्रयत्न इस पुस्तक के पिछले पन्नों में वर्ताये गये हैं। उनमें अधिकांश सरकार पर निर्भर हैं। उनके लिये यह मान भी लिया जावे कि सरकार तदनुसार सुधार कर देगी तो भी वह पर्याप्त नहीं होगा। भारतीय-बैंकिंग की वास्तविक सफलता भारतीय प्रजाजनों के हाथ में है। बिना इनके विश्वास और सहायता के इस धन्ये की पूर्ण रूप से उन्नति होना नितान्त अशरूप है। क्योंकि इसकी दुरावस्था के अनेक कारणों के साथ-साथ भारतीय-प्रजा का अपने बैंकों के प्रति कम विश्वास रखना भी एक प्रधान कारण है। यह ठीक है कि जो व्यक्ति श्रपनी गाढ़ी कमाई से वचार सुन्हे पूँजी संग्रह करता है, वह उसको कमज़ोर बैंकों में जमा रखने की जोखम उठाने से डरता है; लेकिन यह समझ में नहीं आता है कि एक बैंक देश के इस आधार पर कि उसका संचालन अंगरेज़ों द्वारा होता है अच्छी स्थिति वाला समझा जाता है और दूसरा बैंक भारतीय प्रबन्ध के आधीन होने से कमज़ोर दृष्टाल किया जाता है। भारतीय लोगों की इस भीखता का

कारण भारतीय वैकों का फेज होना बतलाया जाता है और जिसको विदेशी स्थानों के हितैषियों ने अधिक महत्व दे दिया है। यदि विचार पूर्वक देखा जावे तो भय खानेवाली कोई बात नहीं है। भारतीय प्रबन्ध के आधीन वेवल एक दो उदाहरण ही पेसे मिलेंगे जिनमें वेईमानी या मूर्खता हुई हो। वेईमानी या कुप्रबन्ध का टेका अकेले भारतवासियों ने तो ले ही नहीं लिया, ससार के समस्त देशों में ऐसा ही नहीं बल्कि इससे भी अधिक होता है। ग्रेट-ब्रिटेन में भी उसके व्यापारिक विस्तार के अनुसार अनगिनत सख्त्या में घैड़ फेज हुए हैं। अमेरिका में व्यापारिक मंदी के साथ-साथ उत्तरोत्तर वैक फेल होते जा रहे हैं।

अतएव भारत के लिये यह कोई विशेष बात नहीं है। यहाँ चढ़ घैड़ों का दिवाला निकलना, दूसरे देशों की तुलना में कुछ भी नहीं है। इसके अतिरिक्त सबसे अधिक घैड़ पंजाब में फेल हुए हैं वहाँ इनकी जांच के लिये सन् १९१३ ई० में एक कमेटी बैठी थी, उसकी सम्मति है कि सन् १९१३ ई० में वैकों के फेल होने के कारण में भारतीय कर्मचारियों की श्रयोग्यता या अकर्मण्यता नहीं थीं, बल्कि ऐसे अनिवार्य कारण थे जो ऐसे उद्योगों की प्रारम्भिक अवस्था में प्रत्येक देश में होते हैं।

एक और तो हमारी यह दशा है कि वेईमानी इत्यादि कोई विशेष शिकायत नहीं होते हुए भी हम अपने वैद्यों पर डैसा चाहिये वैसा विश्वास नहीं करते, हालांकि भारतीय वैकों की

धैलेंस-शीट विदेशी पैकॉ की अपेक्षा अधिक स्थिति-सूचक होती है, जिससे इनकी आन्तरिक अवस्था का बहुत कुछ ज्ञान हो जाता है। इनके हेड आफिस भारत में ही हैं। इनके आर्यिक अधियेशन में जाकर इनकी स्थिति के संबंध में और आवश्यक बातें मालूम की जा सकती हैं। दूसरी ओर विदेशी-बैड़ों पर विना किसी सोच-विचार के सहज ही विश्वास कर लिया जाता है। इनकी धैलेंस-शीटों से इनकी वास्तविक स्थिति का मालूम करना आसान नहीं है। इनके हेड आफिस विदेशों में हैं, जहाँ हम में से अधिकांश भारतीयों की पहुँच नहीं है और न हम इनके व्यवस्थापकों के सम्बन्ध में कुछ जानकारी ही रखते हैं। ये सब बातें ऐसी हैं, जिनसे दोना ता यह चाहिये था कि हमारा विदेशी-बैड़ों पर संदेह और कुछ कम विश्वास होता; किन्तु जो कुछ हो रहा है, वह उल्टा है। हमारे इस खबर से हमारे देश के राष्ट्रीय उद्योग-धर्ये आर्यिक सहायता के अभाव से परनपते नहीं पाते हैं और विदेशी उद्योग-धर्ये फलते-फूलते जाते हैं।

तात्पर्य यह है कि भारतीय-बैरिंग का उत्थान भारतीय प्रजा-जनों के हार्दिक सहयोग और सहानुभूति-पूर्ण व्यवहार पर निर्भर है। इसके लिये आवश्यकता है कि हमारी मनोवृत्ति में स्थायी परिवर्तन हो और हम अपनों को, अपनामा सीखें। हमें चाहिये कि संकट के समय हम अपने धैड़ों की सहायता करें ताकि उनके पैर टूटता के साथ जम जावें, न कि घररा कर उनके दूधने के कारण बनें।


प्रचार की आवश्यकता

भारतीय प्रजा-जनों की उक्त मनोबृत्ति को उचित रूप में परिवर्तन करने के लिये गहरे प्रचार की आवश्यकता है, जिसका कि अभी तक पूर्ण अभाव रहा है। दुख की वात है कि भारत को प्रभावशाली संस्था काँग्रेस ने भी यह अनुभव नहीं किया कि जिस प्रकार आर्थिक-स्वतंत्रता के बिना राजनैतिक-स्वतंत्रता कुछ भी नहीं है, उसी प्रकार वैकिंग-स्वतंत्रता के बिना आर्थिक-स्वतंत्रता भी कुछ नहीं है। स्वदेशी की सीमा केवल उद्योग-धर्धों तक ही सीमित नहीं है, बलिक उसमें उद्योग-धर्धों को पालन-पोषण करनेवाले वैद्वत, बीमा और जहाजी कम्पनियाँ भी शामिल हैं, इसलिये स्वदेशी के प्रचार के समान भारतीय-वैद्वतों को अपनाने के सम्बन्ध में काँग्रेस तथा दूसरी संस्थाओं के अधिवेशनों पर गहरा प्रचार होना चाहिये। प्रत्येक स्वदेशी-प्रचारक-संस्था और भारतीय-व्यापारिक-संस्था को चाहिये कि वह अपने यहाँ पेसे प्रस्ताव पास करे कि जिससे उनके सब मेम्बर अपना लेन-देन केवल भारतीय-वैद्वतों से रखने के लिये वाल्य हॉ, जैसे कि स्वदेशी वस्तु व्यवहार की प्रतिशा कराई जाती है।

पाठकों ! जिस रोज़ हम अपने वैद्वतों पर पूर्ण विश्वास करने लग जावेंगे, निश्चय जानिये कि उस रोज़ इस देश का आर्थिक

संकट टल जावेगा, उद्योग-धंधों की उन्नति होगी और वेकारी नौ दो न्यारह हो जावेगी।

अंत में वैद्हों के कार्य-कर्त्तश्रीं संचालकों और निरीक्षकों से भी निवेदन है कि देश का आर्थिक-जीवन आपके हाथ में है। इस देश को धनराशि का देश के हित में उपयोग होना केवल आपकी कार्य-कुशलता, साधानी और इमानदारी पर अवलम्बित है, इसलिये वंधुओं आपकी ओर से कोई ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिये, जिससे भारतीय वैद्ह वदनाम हों और इस धन्धे को डेस पहुँचे।



परिशिष्ट नं० १

साल-पत्र

दर्शनी हुन्डी

श्री

१। सिद्ध श्री धर्मदेव धर्मदर सुभ स्थाने भाई नारायण दास
गणेशदास जोग श्री कोटा सूलखतूं गणेशदास शिवप्रसाद को
जै गोपाल धंचावजो उपरंव हुन्डी एक रुपया १०००) अक्तरे
रुपया एक हजार की नेमे रुपया पाँच सो का दूषा पूरा इठे
राख्या भाई सोभागमल चांदमल पास मिती आसोज बदी
१ सं० १९७९ पूर्या तुरत साह जोग रुपया हुन्डी चलण का
दीज्यो समवत १९७९ आसोज बदी १॥

दर्शनी हुगड़ी की पुश्त

रु० १०००।

नेमे नेमे रुपया दो सो पचास का चोगणा पूरा रुपया एक
हजार कर दीजो ।

भाई नारायण दास गणेश दास
बस्बई

मुहती हुण्डी

श्री परमेश्वर जी

१॥ सिद्ध श्री बम्बई बन्दर शुभ स्थाने भाई नारायण दास
 गणेशदास जोग श्री कोटा से लखतूं गणेश दास शिव प्रसाद को
 जै गोपाल धंचावजो उपरच हुण्डी १ रुपया १०००) अक्तरे रुपया
 एक हजार का नेमे रुपया पाँच सो का दूणा पूरा इठे राख्या भाई
 सोभागमल चाँद मल पास मिती आसोज यदी १ सम्मत १६७६
 से ६१ दिन पीछे पाँचे दाम को नामे धनो शाह जोग ठिकाना
 लगाये चोकसी कर दाम देना । हुण्डी लिखो मिती आसोज यदी
 १ सम्मत १६७६ ॥

मुहती हुएडो की पुण्य

रु० १०००]

नीमे का नीमे रुपया दो सौ पचास का चोगना पूरा रुपया
एक हजार कर दीजो

भाई नारायण दास गणेश दास
बम्बई

(५)

(स) पैठ

श्री

सिद्ध श्री वस्तु वन्दर शुभ स्थाने भाई नारायण दास गणेश
 दास जोग श्री फोटा से लखतूँ गणेशदास शिवप्रसाद को जै
 गोपाल वंचायजो उपरंच हुएडी १ रुपया १०००) अक्षरे रुपये
 एक हजार की नीमे रुपया पाँच सौ का दूरा पूरा इठे राख्या
 सोभाग मल चाँदमल पास मिती आसोज बदी १ सम्बत् १९७६
 पूर्णां तुरत नामे धनी साह जोग ठिकाना लगाय चोकसकर सिकार
 दाम देना । मिती आसोज बदी १ सम्बत् १९७६ को लिखी थी
 सो उपर चाला धनी कहता है कि हुएडी यो गई सो हुएडी यो गई
 होये तो श्रपना रोकड नमल रोजनामचा सब यहियां देयकर इस पेठ
 परमाणे सिकार दाम दीजो । यदि हुएडी सिकर गई होये तो पेठ
 रह समझना और पेठ सिकर जावे तो हुएडी रह समझना । सनद
 नग दो तुम्हारे क्षपर कीनी द्युं जिसमें १ सनद का दाम मुजरा
 देस्यां सम्बत् १९७६ आसोज सुदी ।

(६)

येठ की पुश्त

येठ छुः

नीमे का नीमे रूपया दो सो पचास का चोगणां पूरा रूपया
एक हजार कर दीजो ।

भाई नारायण दास गणेश दास
बम्बई

परपेठ

श्री

सिद्धै श्री वन्देऽ वन्दर शुभ स्याने भार्द नारायण दास
 गणेश दास जोग श्री काटा सूँ लम्बतैँ गणेत दास शिव प्रमाद
 को जैगोपाल वचारजो उपरंच हुएडी १ स० १०००) अक्षरे रुपया
 एक हजार का नीमे रुपया पाँच सो का देवणा पूरा इठे राख्या
 सोभागमल चाँदमल पास मिती आसोज बदो १ स० १६७६
 पूर्णा तुरत नामे धनी शाह जोग डिनाना लगाय चोकस कर रुपया
 हुएडी चलण की लिखी हतो जिणा की पेठ लिखी मिती आसोज
 सुदो १ स० १६७६ मो राख्या नाला धनी कहना है कि हुएडी
 तथा पेठ दोनों खो गई है सो हुएडी तथा पेठ दोनों खो गई
 होये तो अपना रोकड, नस्ल, राजनामचा सब वहियाँ चोकस
 कर इन परपेठ प्रमाणे सिकार दाम दोजो । यदि हुएडी सिकर
 गई हो तो पेठ और पर पेठ रह है, पेठ सिकर गई हो तो
 हुएडी और परपेठ रह है, और यदि परपेठ सिकर जाये तो
 हुएडी और पेठ रह है । सनद नग ३ तुम्हारे उपर कीनी
 जिनमें मनद नग १ का दाम मुजर भर देस्या । सम्बत् १६७६
 आसोज सुदी ११ ।

(=)

पुस्त परयेठ

परयेठ

नीम का नीमे रूपया दो सौ पचास का चोगणां पूरा रूपया
एक हजार कर दोजो ।

भाई नारायण दास गणेश दास
बम्बई

मेजर

थी

१॥ सिद्ध थी यमर्ह बन्दर शुभ स्थाने सरब ओपमान
लायक सकल सराफे का पच समस्त, जोग थी कोश से लखतूं
सकल पच समस्त का जोहार वाच जो । उपरच हुएडी १
रुपया १०००) अद्वारे रुपया पक दजार की नारायण दास गणेश
दास उपर लिखी, इठा सूँ गणेश दास शिव प्रसाद की, राख्या
साभागमल चादमल पास आसोज घदी १ सम्मत् १६७६ की
पूरणा तुरत नामे धनी शाह जोग हुएडी चलण की थी, जिसकी
पेठ लिखी मिती आसोज सुदी १ और परपेठ आसाज सुदी ११ की
लिखी थी सो राख्या वाला धनी ददता है कि हुएडी तथा पेठ
तथा परपेठ तोनों पो गई है सो हुएडी, पेठ तथा परपेठ या
गई होये तो उनका रोकड, नश्ल रोजनामचा तथा सब विद्याँ
चोकस कर इस मेजर परमाणे सीकार दाम दीजो । यदि
हुएडी, पेठ तथा परपेठ में स दोइ पहले सिकरी होये तो मेजर
रह है वाच कर फेर दीज्यो । सनद नग ४ तुम्हारे उपर करी
है जितमें से सनद नग १ का दाम भर देस्या । सम्मत् १६७६
वाती घदी १ ।

साथ १—मगनी राम यमून सिद्ध की

साप १—नद्यमन दास समीर मल की

साथ १—गणेश दास विमना जी की

साप १—शिव लाल मोती लाल की

साप १—धनदूष मल राज मल थी

प्रोनोट (Pronote)

र० J

बगवाई ता०

मैं/हम

इकरार करता हूँ/करते हैं कि तलब करते ही दी स्वदेशी बैंक
 लिमिटेड को अक्षरे रुपये
 जो मैं/हम ने उक्त बैंक से उधार लिये हैं) प्रति सैकड़ा
 मासिक व्याज सहित (जो छु माही चक्रवृद्धि व्याज से होगा)
 अदा कर दूँगा/देंगे ।

द० उधार लेने वाले के

(मय पता)

No. _____

Bombay _____ 1934.

The Swadeshi Bank Limited Bombay.

Pay _____ or bearer.

Sum of Rs. _____

Rs. [=====]

(११)

(१२)

देशी-विनिमय बिल

Stamp.	No. 390.	Kotah January 16 1932.
	Rs. 10000	

One month after date pay to J. M. Mehta
or order the sum of ten thousand rupees Value
received

Gupta & Sons

To

Messers, Roy Martin & Co,

53 Simla street.

CALCUTTA

(१३)

विदेशी-विनिमय विल

पहली प्रति

Stamp.	No 139 £ 5000.	Calcutta, January 19, 1932 43, 2, Clive Street
--------	-------------------	---

Thirty days after Sight of this First of Exchange, Second and Third of the Same Tenor and date unpaid, pay to the order of Messers, Aukland & Co., the Sum of Five Thousand Pounds. Value received

Ghosh and Midland
H Ghosh

To,

M/S. James Wallis & Co,
50 Lindsey Avenue
LONDON.

(१४)

विदेशी-विनिमय बिल

दूसरी प्रति

Stamp	No 139.	Calcutta January 19, 1932
	£ 5000.	43, 2. Clive Street.

Thirty days after Sight of this Second of Exchange,
First and Third of the same Tenor and date unpaid,
pay to the order of Messers Aukland & Company
the Sum of Five Thousand Pounds Value received

Ghosh & Midland

L Ghosh

To,

Messers James Wallis & Co,
50 Lidney Avenue,
LONDON.

(१५)

विदेशी-विनिमय विल

तीसरी प्रति

Stamp.	No 139. £ 5000.	Calcutta, January 19, 1932. 43, 2, Clive Street.
--------	--------------------	---

Thirty days after Sight of this Third of Exchange, First and Second of the Same tenor and date unpaid, pay to the order of Messers Auklaud & Co., the Sum of Five Thousand Pounds Value received

Ghosh & Midland

H Ghosh

To,

M/S James Wallis & Co ,
Lidney Avenue,
LONDON.

परिशिष्ट नं० २

स्थिति-सूचक-पत्र

मासिक-स्टेटमेन्ट

अमुक यैक**

मानिक-स्टेटमेन्ट

ता० —————— ₹१३४ ह०

देना	रुपये	देना	रुपये
यिका हुआ मूलधन	...	रोशन	रोशन हाथ में और सैद्धल तथा फिलपरिंग घंकों में
ग्राम मूलधन	...	रोशन हृतरे घंकों में	...
उद्दित कोप	...	लगी हुई पूँजी—	...
जमा	...	हुंत नकद में परिचर्तन होने योग्य जमानतों पर	...
चलता	...	हुसरी तरह पर	...
सेविंग	...	डिस्काउण्ट किये हुए विलेष	...
मियादी	...	जाता पेटे और ओवर ह्राफ्ट	...
दोगर देना	...	ऋण	...
मीज़ान	—	दोगर सम्पत्ति	...
		मीज़ान	...

* Organization of Indian Banking by B T Thakur page 239

परिशिष्ट नं० ३

शुद्धि-पत्र

४८	लाइन	अगुद्ध	गुद्ध
३६	२१	घैड़ में	घैड़ के
"	२२	का बहुमत	में बहुमत
४४	१७	उधार को हुई	उधार ली हुई
४६	७	दिया जावेगा	दे सकेगा
५०	३	लेने वालों का	लेने वालों की
५४	६	चुकाती हैं	लेती हैं
६४	६	फलक	फलक
१००	४	को	की
"	"	अप्रेज़ी	अप्रेज़ी
११७	१९	दुरावस्था	दुरावस्था
१३१	१०	उपयुक्त होना	उपयुक्त कानून होना
१५१	३	न लगाये जाने	लगाये जाने
१७०	६, ८, ११	रजिस्टर्ड	रजिस्ट्री
१८०	"	घक	घैड़
१८०	१४	प्रयाल	प्रयाल
१८५	७	वर्जित	वर्जित
१८६	१७	ज़मानतों का	ज़मानतों को
१९०	२१	अपने हिस्सा	अपनी हिस्ता—पूँजी

पृष्ठ	लाइन	अंग्रेज़ी	शुद्ध
२०१	११	वैड-कानून	वैड, कानून
२२४	१७	दोनों	दोनों
२२५	१८	अधिक कम	अधिक व कम
२३३	१०	फॉय	कार्य
२३४	७	लागों	लोगों
२४४	१५	राजनीतिक	राजनैतिक
२४५	१४	"	"
२४६	१,२	"	"
२५४	१२	करती	होनी
२५६	११	सहकारी और विभाग	सहकारी विभाग
२६६	१३	उसी समय	उसी समय के
२७०	२१	पूँजी भी	पूँजी की
समर्पण की पहली लाइन में श्री० ए० के बजाय श्री० एजी० पटिये			

— — — — —

भारतवर्षीय हिन्दी-अर्थशास्त्र-परिपद

(सन् १९२३ ई० में संस्थापित)

सभापति

श्रीयुत पंडित दयाशङ्कर दुवे, पम० ए०, एल-एल० यो० अर्थशास्त्र अध्यापक, प्रयाग विश्वविद्यालय, प्रयाग।

मंत्रीः—

- (१) श्रीयुत जयदेव प्रसादजी गुप्त, पम० ए०, यी काम०, एस० एम० कालेज, चंदौसी।
(२) साहित्यरत्न पंडित उदयनारायण जी त्रिपाठी एम० ए० अध्यापक, दारागंज हाई स्कूल, दारागंज, प्रयाग।

इस परिपद का उद्देश्य है जनता में हिन्दी द्वारा अर्थशास्त्र का ज्ञान फैलाना और उसका साहित्य बढ़ाना। कोई भी सज्जन १) प्रवेश शुल्क देकर इस परिपद का सदस्य हो सकता है। जो सज्जन इसे कम से कम १००) की आर्थिक सहायता देते हैं, वे इसके संरक्षक समझे जाते हैं। प्रत्येक सदस्य और संरक्षक को परिपद द्वारा प्रकाशित या संपादित पुस्तकें पैने मूल्य पर दी जाती हैं।

परिपद की संपादन समिति द्वारा सम्पादित होकर निम्न लिखित पुस्तकों प्रकाशित हो सुकी हैं:—

- (१) भारतीय अर्थशास्त्र (दो भाग)।
(२) विदेशी विनियम।
(३) अर्थशास्त्र शब्दावली।
(४) कौटिल्य के आर्थिक विचार।
(५) भारतीय वैकिंग।
(६) संपत्ति का उपभोग।

इनके अतिरिक्त, निम्न लिखित पुस्तकों का सम्पादन हो रहा हैः—

(७) भारत की जनता ।

(८) राजस्व शास्त्र ।

(९) अंक शास्त्र ।

(१०) भारत के उद्योग धंधे ।

हिन्दी में अर्थशास्त्र सम्बन्धी साहित्य की कितनी कमी है, यह किसी साहित्य प्रेमी सज्जन से छिपा नहीं है। देश के उत्थान के लिये इस साहित्य की शीघ्र वृद्धि होना अत्यन्त आवश्यक है। प्रत्येक देश प्रेमी तथा हिन्दी प्रेमी सज्जन से हमारी प्रार्थना है कि वह इस परिषद का संरक्षक या सदस्य होकर हम लोगों को सहायता देने की कृपा करें। जिन महाशयों में इस विषय पर कोई लेख या पुस्तक लिखी हो, वे उसे सभापति के पास भेजने की कृपा करें। लेख या पुस्तक परिषद द्वारा स्वीकृत होने पर सम्पादन समिति द्वारा विना मूल्य सम्पादित की जाती है। आर्थिक कठिनाइयों के कारण परिषद अभी तक कोई पुस्तक प्रकाशित नहीं कर पायी है, परन्तु वह प्रत्येक लेख या पुस्तक को सुयोग्य प्रकाशक द्वारा प्रकाशित कराने का पूर्ण प्रयत्न करती है। जो सज्जन अर्थशास्त्र सम्बन्धी किसी भी विषय पर लेख या पुस्तक लिखने में किसी प्रकार की सहायता चाहते हैं, वे नीचे लिखे पते से पत्र व्यवहार करें।